# उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

जनवरी-मार्च, 2013

**निर्णय-सूची**


| | पृष्ठ संख्या |
|---|---|
| करन **उर्फ** आरिफ मोहम्मद और एक अन्य **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य | 161 |
| कानन बाला चौधरी (श्रीमती) **बनाम** कबिता दास चौधरी (श्रीमती) और एक अन्य | 46 |
| यशपाल **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य | 104 |
| रवीन्दर कुमार **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य | 93 |
| राजेश राणा **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य | 153 |
| रामायण **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य | 62 |
| शिवराम **बनाम** हिमाचल प्रदेश राज्य | 139 |
| श्रवण राम और एक अन्य **बनाम** राजस्थान राज्य | 85 |
| सईद मोहम्मद **बनाम** केरल राज्य और अन्य | 1 |
| सिवन पिल्लई **बनाम** केरल राज्य | 18 |
| हिमाचल प्रदेश राज्य **बनाम** संजीव कुमार और अन्य | 118 |
| हीरा लाल **बनाम** मध्य प्रदेश राज्य | 70 |


**संसद् के अधिनियम**


| | |
|---|---|
| शपथ अधिनियम, 1969 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ | (1) – (5) |

जनवरी-मार्च, 2013 (संयुक्तांक)

# उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका

**प्रधान संपादक**
अनूप कुमार वार्ष्णेय

**संपादक**
डा. एम. सी. पांडेय

**महत्वपूर्ण निर्णय**

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)** – धारा 125 – भरण-पोषण – धारा 125 के अर्थांतर्गत आने वाले 'माता' और 'पिता' शब्द का अभिप्राय नैसर्गिक माता और नैसर्गिक पिता से है, इसके अंतर्गत सास और ससुर नहीं आते, अतः, सास और ससुर बहू से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकते ।

**कानन बाला चौधरी (श्रीमती)** बनाम **कबिता दास चौधरी (श्रीमती) और एक अन्य** 46

**संसद् के अधिनियम**

**शपथ अधिनियम, 1969 का हिन्दी में प्राधिकृत पाठ** (1) – (5)

**पृष्ठ संख्या 1 – 183** **(2013) 1 दा. नि. प.**

**विधि साहित्य प्रकाशन**
**विधायी विभाग**
**विधि और न्याय मंत्रालय**
**भारत सरकार**

उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका – जनवरी-मार्च, 2013 (संयुक्तांक) (पृष्ठ संख्या 1 – 183)

## विषय-सूची


पृष्ठ संख्या

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2)**

– धारा 125 – भरण-पोषण – धारा 125 के अर्थांतर्गत आने वाले 'माता' और 'पिता' शब्द का अभिप्राय नैसर्गिक माता और नैसर्गिक पिता से है, इसके अंतर्गत सास और ससुर नहीं आते, अतः, सास और ससुर बहू से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकते ।

**कानन बाला चौधरी (श्रीमती)** बनाम **कबिता दास चौधरी (श्रीमती) और एक अन्य** 46

– धारा 228 – आरोप की विरचना – जहां यह साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है कि अभियुक्त ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रताड़ित किया या दबाव डाला या उकसाया वहां दंड संहिता की धारा 306, 120-ख और 323 के अधीन विरचित किए गए आरोप पूर्णतः अवैध तथा सबूतों के प्रतिकूल होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य हैं ।

**श्रवण राम और एक अन्य** बनाम **राजस्थान राज्य** 85

– धारा 228 – आरोपों का विरचित किया जाना – जहां अभियुक्त ने अभियोक्त्री से प्रवंचनापूर्ण रीति से मैथुन करने की सहमति अभिप्राप्त की और उससे धन अभिप्राप्त किया वहां यह नहीं कहा जा सकता कि दंड संहिता की धारा 376 और 493 के अधीन प्रथमदृष्ट्या विरचित किए गए आरोप विधिसम्मत और मान्य है ।

**राजेश राणा** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 153

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45)**

– धारा 279 और 304-क – उतावलेपन और उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना – जहां अभियोजन यह साबित करता है कि अभियुक्त ने उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति से ट्रक चलाते हुए सुसंगत तारीख और

पृष्ठ संख्या

समय पर क्षतिग्रस्त व्यक्ति को ऐसी क्षतियां कारित कीं जिसके परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो गई वहां अभियुक्त उतावलेपन और उपेक्षा द्वारा यान चलाकर कारित की गई मृत्यु के अपराध का दायी है ।

**रवीन्दर कुमार** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 93

– धारा 300 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 3] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने के हेतुक और संपूर्ण साक्ष्य की संवीक्षा करने से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या की वहां अभियुक्त को हत्या के अपराध से दोषसिद्ध करना उचित और न्यायसंगत नहीं है ।

**रामायण** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 62

– धारा 302 और 498-क – क्रूरता और हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, मृतका के तंग जीवन, अभियुक्त की हिंसक और मादक प्रवृत्ति, मृत्यु के हेतु संबंधी वैज्ञानिक और चिकित्सीय साक्ष्य, मृतका के मृत्युकालिक कथन और घटना के पश्चात् अभियुक्त की निस्संदेह उपस्थिति और उसके आचरण से युक्तियुक्त रूप से यह साबित होता है कि अभियुक्त क्रूरता और हत्या के अपराध का दोषी ठहराए जाने का दायी है ।

**सिवन पिल्लई** बनाम **केरल राज्य** 18

– धारा 307, 326, 451, 506 और 34 – हत्या का प्रयत्न और सामान्य आशय – अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षियों के अविश्वसनीय और विरोधात्मक परिसाक्ष्यों के कारण निश्चायक रूप से यह तथ्य सिद्ध नहीं करने पर कि क्षतिग्रस्त को उसके अहाते में जबरदस्ती घुसकर धारदार आयुध से क्षतियां अभियुक्तों ने ही अपने सामान्य

पृष्ठ संख्या

आशय को अग्रसर करते हुए पहुंचाई थीं, विचारण न्यायालय द्वारा की गई उनकी दोषमुक्ति उचित है ।

**हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **संजीव कुमार और अन्य** 118

– धारा 376 – बलात्संग – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह साबित होता है कि अभियुक्त और अभियोक्त्री मात्र आलिंगनबद्ध स्थिति में थे और अकाट्य तथा विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभियोक्त्री की आयु विवेक-सम्मत निर्णय लेने की हो गई थी तथा विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर सभी संभाव्यताओं में घटना सहमतिजन्य मैथुन का हो वहां अभियुक्त संदेह का फायदा पाने का हकदार है ।

**शिवराम** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 139

– धारा 376, 506 और 34 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114-क] – सामूहिक बलात्संग और आपराधिक अभित्रास – अभियुक्तों द्वारा अप्राप्तवय अभियोक्त्री के मुंह पर कपड़ा डालकर उसे अचेत करके बारी-बारी बलात्संग किया जाना – बलात्संग की बात किसी व्यक्ति को न बताने के लिए उसे डराना-धमकाना – अभियोक्त्री द्वारा बलात्संग की बात अपने पिता और चिकित्सीय परीक्षण के समय चिकित्सक के समक्ष प्रकट करना – चिकित्सीय रिपोर्ट से भी बलात्संग की पुष्टि होना – यह सिद्ध होने पर कि अभियुक्तों द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्संग उसकी सम्मति के बिना किया गया तथा अभियोक्त्री का कथन विश्वसनीय पाए जाने और चिकित्सीय साक्ष्य तथा अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से संपुष्टि होने पर अभियुक्तों

पृष्ठ संख्या

की दोषसिद्धि उचित और न्यायोचित है ।

**करन** उर्फ **आरिफ मोहम्मद और एक अन्य** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 161

– धारा 498-क [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-क] – स्त्री के प्रति क्रूरता – स्कूटर की मांग – आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करना – अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और साक्षियों के परिसाक्ष्यों से यह साबित नहीं होने पर कि अभियुक्त ने मृतका से स्कूटर की मांग करके उसके साथ क्रूरता की थी और आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया था, अभियुक्त को दोषमुक्त करना उचित और न्यायसंगत होगा ।

**यशपाल** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** 104

**संविधान, 1950**

– अनुच्छेद 22 [सपठित केरल समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 2007 – धारा 7] – निवारक निरोध – जहां निरोध प्राधिकारी निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश का निष्कर्ष निकालने वाले दस्तावेजों की प्रतियां उसे ज्ञात भाषा में उपलब्ध कराने के अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और पुलिस अधीक्षक की सिफारिश को भी उसे ज्ञात भाषा में उपलब्ध नहीं कराता वहां निरुद्ध व्यक्ति के विरुद्ध जारी निवारक निरोध दोषपूर्ण और विधिविरुद्ध है और वह उन्मुक्त किए जाने का हकदार है ।

**सईद मोहम्मद** बनाम **केरल राज्य और अन्य** 1

**साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1)**

– धारा 32 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और दंड संहिता की धारा 300] – मृत्युकालिक कथन – पुलिस द्वारा धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन

**पृष्ठ संख्या**

की मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्यता – यह कथन मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य होगा चाहे मृत्यु कथन अभिलिखित किए जाने के काफी समय पश्चात् क्यों न हुई हो ।

**हीरा लाल** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** 70

———————

**संपादक-मंडल**

श्री पी. के. मल्होत्रा,
सचिव, विधायी विभाग

श्री एन. एल. मीना,
अपर सचिव (प्रशा.), विधायी विभाग

श्री आर. डी. मीना, संयुक्त सचिव,
राजभाषा खंड

डा. बी. एन. मणि, अधिवक्ता,
(पूर्व संपादक) वि.सा.प्र.

डा. प्रीती सक्सेना, प्रोफेसर,
बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केन्द्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

डा. वैभव गोयल, संकायाध्यक्ष
विधि संकाय, स्वामी विवेकानन्द सुभारती विश्वविद्यालय, मेरठ

श्री सुरेन्द्र शर्मा, प्रिन्सिपल,
विधि विभाग, गुरु गोविद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली

डा. आर. पी. सिंह,
सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव,
राजभाषा खंड

श्री लालजी प्रसाद,
सेवानिवृत्त प्रधान संपादक,
वि.सा.प्र.

श्री के. जी. अग्रवाल,
सेवानिवृत्त संपादक, वि.सा.प्र.

श्री अनूप कुमार वार्ष्णेय,
प्रधान संपादक

श्री महमूद अली खां,
संपादक

श्री जुगल किशोर,
संपादक

डा. मिथिलेश चन्द्र पाण्डेय,
संपादक

---

**सहायक संपादक** : सर्वश्री विनोद कुमार आर्य, कमला कान्त, अविनाश शुक्ल और असलम खान

**उप-संपादक** : सर्वश्री दयाल चन्द ग्रोवर, एम. पी. सिंह, जसवन्त सिंह और बी. के. भटनागर

---

**कीमत : डाक-व्यय सहित**

एक प्रति : ₹ 36

वार्षिक : ₹ 135

**© 2013 भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय**

---

प्रकाशन और विक्रय प्रबंधक, विधि साहित्य प्रकाशन, विधि और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), भगवानदास मार्ग, नई दिल्ली-110001 द्वारा प्रकाशित तथा..... द्वारा मुद्रित ।

भारत के समाचारपत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा रजिस्ट्रीकृत रजि. सं. 47259/88

# सादर

विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा तीन मासिक निर्णय पत्रिकाओं – उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका में उच्चतम न्यायालय के चयनित निर्णयों को और उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका तथा उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिकाओं में देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के क्रमश: चयनित सिविल और दांडिक निर्णयों को हिन्दी में प्रकाशित किया जाता है । इन पत्रिकाओं को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए इनमें जनवरी, 2010 के अंक से महत्वपूर्ण केन्द्रीय अधिनियमों का प्राधिकृत हिन्दी पाठ को पाठकों की सुविधा के लिए श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित किया जा रहा है । तीनों निर्णय पत्रिकाओं की वार्षिक कीमत केवल ₹ 495/- है । उच्चतम न्यायालय निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 225/- है, उच्च न्यायालय सिविल निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है और उच्च न्यायालय दांडिक निर्णय पत्रिका की वार्षिक कीमत ₹ 135/- है । तीनों मासिक निर्णय पत्रिकाओं के नियमित ग्राहक बनकर हिन्दी के प्रचार-प्रसार के इस महान यज्ञ के भागी बन कर अनुगृहीत करें ।

**विधि साहित्य प्रकाशन**
**(विधायी विभाग)**
**विधि और न्याय मंत्रालय**
**भारत सरकार**
**भारतीय विधि संस्थान भवन,**
**भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001**
**दूरभाष : 011-23387589, 23385259, 23382105**

## विधि साहित्य प्रकाशन द्वारा प्रकाशित और विक्रय के लिए उपलब्ध विधि पाठ्य पुस्तकों की सूची

| | पुस्तक का नाम | लेखक | पृष्ठ सं. | कीमत (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | भारत का विधिक इतिहास | श्री सुरेन्द्र मधुकर | 410 | 30.00 |
| 2. | माल विक्रय और परक्राम्य लिखत विधि | डा. एन. पी. परांजपे | 371 | 40.00 |
| 3. | वाणिज्य विधि | डा. आर. एल. भट्ट | 630 | 108.00 |
| 4. | अपकृत्य विधि के सिद्धान्त (तृतीय संस्करण) | श्री शर्मन लाल अग्रवाल | 357 | 40.00 |
| 5. | अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रमुख निर्णय (द्वितीय संस्करण) | डा. एस. सी. खरे | 273 | 115.00 |
| 6. | मानव अधिकार | डा. शिवदत्त शर्मा | 340 | 120.00 |
| 7. | दण्ड प्रक्रिया संहिता | न्या. महावीर सिंह | 840 | 200.00 |

## पुस्तकों की सूची जिन पर छूट देने की स्वीकृति प्राप्त की गई है ।

| | पुस्तक का नाम | लेखक | पृष्ठ सं. | मूल दर (₹) | संशोधित दर (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | संविदा विधि (द्वितीय संस्करण) | डा. रामगोपाल चतुर्वेदी | 552 | 275.00 | 137.00 |
| 2. | श्रम विधि (तृतीय संस्करण) | श्री गोपी कृष्ण अरोड़ा | 658 | 452.00 | 226.00 |
| 3. | चिकित्सा न्यायशास्त्र और विष विज्ञान (तृतीय संस्करण) | डा. सी. के. पारिख अनुवादक डा. एन. के. पटौरिया | 969 | 293.00 | 146.00 |
| 4. | आधुनिक पारिवारिक विधि | श्री राम शरण माथुर | 767 | 429.00 | 214.00 |
| 5. | भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम (कालजयी निर्णय) | संकलन संपादन – ब्रह्मदेव चौबे | 209 | 225.00 | 112.00 |
| 6. | हिन्दू विधि (द्वितीय संस्करण) | डा. रवीन्द्र नाथ | 617 | 425.00 | 212.00 |
| 7. | भारतीय दंड संहिता | डा. रवीन्द्र नाथ | 696 | 741.00 | 370.00 |
| 8. | भारतीय भागीदारी अधिनियम (द्वितीय संस्करण) | श्री माधव प्रसाद वाशिष्ठ | 272 | 165.00 | 82.00 |
| 9. | प्रशासनिक विधि (तृतीय संस्करण) | डा. कैलाश चन्द्र जोशी | 635 | 200.00 | 100.00 |
| 10. | विधिक उपचार (द्वितीय संस्करण) | डा. एस. के. कपूर | 414 | 311.00 | 155.00 |
| 11. | विधि शास्त्र | डा. शिवदत्त शर्मा | 501 | 580.00 | 377.00 |


**विधि साहित्य प्रकाशन**

**(विधायी विभाग)**

**विधि और न्याय मंत्रालय**

**भारत सरकार**

**भारतीय विधि संस्थान भवन,**

**भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली-110001**

## सईद मोहम्मद

बनाम

## केरल राज्य और अन्य

तारीख 18 जनवरी, 2011

**न्यायमूर्ति के. एम. यूसुफ और न्यायमूर्ति एम. एल. यूसुफ फ्रैंसिस**

**संविधान, 1950 – अनुच्छेद 22 [सपठित केरल समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 2007 – धारा 7] – निवारक निरोध – जहां निरोध प्राधिकारी निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश का निष्कर्ष निकालने वाले दस्तावेजों की प्रतियां उसे ज्ञात भाषा में उपलब्ध कराने के अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता और पुलिस अधीक्षक की सिफारिश को भी उसे ज्ञात भाषा में उपलब्ध नहीं कराता वहां निरुद्ध व्यक्ति के विरुद्ध जारी निवारक निरोध दोषपूर्ण और विधिविरुद्ध है और वह उन्मुक्त किए जाने का हकदार है ।**

मन्नारक्काड के पुलिस उप-निरीक्षक ने 13 अगस्त, 2010 को रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 भेजी । उसने केरल समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 2007 के अधीन दोपहर 12.06 बजे अपराध दर्ज किया । मामला पुलिस उप-अधीक्षक के पास गया जो पलक्काड में है । मन्नारक्काड और पलक्काड़ के बीच की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है । प्रत्यर्थियों के बयान के अनुसार, रिपोर्ट पर अधिनियम के अधीन पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा कार्रवाई करने की सिफारिश के पश्चात् संभवतः पुलिस अधीक्षक ने उसी दिन अर्थात् 13 अगस्त, 2010 को मामले पर विचार किया और प्रदर्श पी-3 द्वारा निरोध की सिफारिश करने का विनिश्चय किया गया । यह अभिकथित है कि उसी दिन ही निरोध प्राधिकारी ने भी मामले पर विचार किया और 13 अगस्त, 2010 को निरोध आदेश पारित किया । याची अपने पुत्र के अवैध निरोध से व्यथित होकर इस न्यायालय के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – प्रश्नगत विधि निवारक निरोध से संबंधित विधि है । यह

संदेहात्मक विषय है । ऐसी सामग्री जो निरोध प्राधिकारी के समक्ष रखी गई है के आधार पर ज्ञात गुंडा या ज्ञात उपद्रवी के रूप में वस्तुगत वर्गीकृत व्यक्ति होने के अधीन निरोध प्राधिकारी के पास किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का आदेश देने की वैवेकिक शक्ति है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि निरोध के प्रत्येक आदेश में व्यक्ति की स्वतंत्रता का वंचन अंतर्वलित है । ऐसी परिस्थितियों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि ऐसा कानूनी प्राधिकारी जिसे निरोध का आदेश पारित करने का कर्तव्य सौंपा गया है, को ऐसी सामग्री जो उसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है पर अपने विवेक का प्रयोग करने के कर्तव्य के साथ शक्ति का प्रयोग करना चाहिए । निरोध प्राधिकारी का मात्र यह समाधान नहीं होना चाहिए कि वस्तुपरक रूप से निरुद्ध व्यक्ति को ज्ञात गुंडा या ज्ञात उपद्रवी माना जा सकता हो किंतु उसे यह समाधान होना चाहिए कि व्यक्ति को निरोध करने की वास्तविक रूप से आवश्यकता है । याची की इस दलील में सार है कि दस्तावेज, विशेषकर पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट प्रदर्श-3 मलयालम में उपलब्ध नहीं थी । प्रत्यर्थियों का यह पक्षकथन कि निरुद्ध व्यक्ति अंग्रेजी भाषा जानता था । उनका केवल यह प्रतिवाद जो प्रस्तुत किया गया था यह है कि निरुद्ध व्यक्ति को मलयालम में निरोध के आधार दिए गए थे और अन्य दस्तावेजों को मलयालम में भी देने की कोई आवश्यकता नहीं है । यह महत्वपूर्ण है कि इस समाधान पर पहुंचने के लिए निरोध प्राधिकारी द्वारा अवलंबित दस्तावेजों की प्रतियां निरुद्ध व्यक्ति को दी जानी चाहिएं कि निरुद्ध व्यक्ति का निवारक निरोध आवश्यक है । अधिनियम की धारा 7(2) को ध्यान में रखते हुए निरुद्ध व्यक्ति को प्रदर्श पी-3 (प्रायोजक प्राधिकारी की रिपोर्ट) का मलयालम पाठ देना निरोध प्राधिकारी का कर्तव्य था जो उसके अधीन निरोध आदेश पारित करने की पराकाष्ठा वाले धारा 3 के अधीन कार्यवाही आरंभ करने के लिए भी निरोध प्राधिकारी के लिए कानूनी आधार है । जब निरुद्ध व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक द्वारा निरुद्ध करने का प्रस्ताव दिया गया जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने ऐसी भाषा में कार्य किया जिससे वह भिज्ञ नहीं है और जब वह निरोध आदेश द्वारा कारागार भुगत रहा है तो वह इस बात के संबंध में पूरी तरह से अंधेरे में है कि कानूनी प्राधिकारी की क्या सिफारिश है जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट ने उसे निरुद्ध करने की राय बनाई । वस्तुतः यह सूचना का महत्वपूर्ण भाग है । यह सच हो सकता है कि सिफारिश में सारतः निरोध के आधार हों । किंतु निरुद्ध व्यक्ति मात्र इस कारण यह नहीं जानता कि सिफारिश में क्या है क्योंकि वह भाषा से भिज्ञ नहीं है । न्यायालय को पूर्ण न्यायपीठ द्वारा

बनाई गई विधि की घोषणा को ध्यान में रखना चाहिए जिसका उल्लेख हमने पहले ही किया है । इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया यह मत कि क्योंकि विधि अभ्यावेदन तैयार करने के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकारी को व्यादिष्ट करती है फिर भी मलयालम में दस्तावेज प्रदान न करने की खामी का उपचार नहीं किया गया जो इस मामले के तथ्यों को लागू होती है । वहीं न्यायालय यह भी ध्यान देता है कि पूर्ण न्यायपीठ ने यह उल्लेख किया था कि पुलिस अधीक्षक की सिफारिश मलयालम में नहीं दी गई थी । वस्तुतः याची के विद्वान् काउंसेल ने न्यायालय को अवगत कराया कि पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष मामले के तथ्यों में भी निरोध के आधार मलयालम में दिए गए थे और निरोध का आदेश भी उस मामले में मलयालम में था । किंतु इस मामले में पुलिस अधीक्षक की सिफारिश और निरोध आदेश भी अंग्रेजी में है । न्यायालय यह समझता है कि न्यायालय निश्चित ही एकमात्र पुलिस अधीक्षक की सिफारिश के प्रतिनिर्देश से निरोध आदेश को दूषित करने वाले मलयालम में दस्तावेजों की आपूर्ति न किए जाने के बारे में दूसरे बिन्दु तक ही अपना विनिश्चय सीमित कर सकता है । निश्चय ही, पुलिस अधीक्षक की सिफारिश को मलयालम में उपलब्ध कराना चाहिए और इससे निरुद्ध व्यक्ति के अधिकार का गंभीर रूप से हनन हुआ है । तद्नुसार याची उक्त बिन्दु पर ही सफल होने का हकदार है । (पैरा 12, 14 और 15)

## निर्दिष्ट निर्णय

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2010] | 2010 (2) के. एल. टी. 325 : **बोस** बनाम **सचिव, सरकार** ; | 14 |
| [2010] | 2010 (3) के. एल. टी. 334 : **नजमुन्निसा** बनाम **केरल राज्य** ; | 14 |
| [2009] | (2009) डब्ल्यू. पी. (क्रिमिनल) 201 : **साथी** बनाम **केरल राज्य और अन्य** ; | 14 |
| [2005] | (2005) 7 एस. सी. सी. 70 : **जे. अब्दुल हकीम** बनाम **तमिलनाडु राज्य** ; | 15 |
| [2000] | (2000) 9 एस. सी. सी. 170 : **राधाकृष्णनन् प्रभाकरन** बनाम **तमिलनाडु राज्य** ; | 15 |

[1982] ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 1029 :
**देवली वल्लाभाई टंडेल** बनाम **प्रशासक,**
**गोआ, दमन और दीव** । 15

**आरंभिक (दांडिक) अधिकारिता : 2010 की रिट याचिका (दांडिक) सं. 451.**

संविधान, 1950 के अनुच्छेद 226 के अधीन बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका ।

| | |
|---|---|
| **आवेदक की ओर से** | सर्वश्री सईद मोहम्मद, ओ. वी. मणिप्रसाद, साजू जे. पाणिकर और लीजो कुरियन जोस, अधिवक्ता |
| **प्रत्यर्थियों की ओर से** | केरल राज्य, जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलक्टर, जिला पुलिस उपाध्यक्ष, पुलिस उप-निरीक्षक, जेल अधीक्षक केन्द्रीय और एम. एम. कृष्णन, पुलिस उप-निरीक्षक |

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति के. एम. यूसुफ ने दिया ।

**न्या. यूसुफ** – याची ने केरल समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है) के उपबंधों के अधीन पारित निरोध आदेश के अनुसरण में अपने पुत्र मोहम्मद अफजल **उर्फ** अफजल (जिसे इसमें इसके पश्चात् "निरुद्ध व्यक्ति" कहा गया है) के अवैध निरोध द्वारा व्यथित होकर इस न्यायालय में आवेदन किया । तद्नुसार वह प्रत्यर्थी को निरुद्ध व्यक्ति को प्रस्तुत करने और तत्काल उसे छोड़ दिए जाने और यह घोषित किए जाने का निदेश देने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की मांग करता है कि निरोध आदेश प्रदर्श पी-1 अवैध और दोषपूर्ण हैं ।

2. हमने याची के विद्वान् वरिष्ठ काउंसेल श्री ओ. बी. मणि प्रसाद और विद्वान् वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री. पी. रवीन्द्र बाबू को सुना ।

3. याची के विद्वान् काउंसेल ने हमारे समक्ष निम्नलिखित दलीलें दी :–

"सर्वप्रथम उसने यह निवेदन किया कि निरोध आदेश विवेक का प्रयोग न किए जाने के कारण दूषित है । उसने अपनी दलील के

समर्थन में निम्नलिखित तथ्य उजागर किए :

> निरोध आदेश 13 अगस्त, 2010 को पारित किया गया । पलक्काड जिले मन्नारकाड में 13 अगस्त, 2010 को 12.06 बजे पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक मामला दर्ज किया गया । उसने 13 अगस्त, 2010 को निरुद्ध व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम के अधीन कार्रवाई करने के लिए प्रस्तावित करते हुए एक रिपोर्ट भेजी । उसी दिन पलक्काड के पुलिस अधीक्षक ने जिला मजिस्ट्रेट को अपनी रिपोर्ट भेजी और पुनः उसी दिन अर्थात् 13 अगस्त, 2010 को पलक्काड के जिला मजिस्ट्रेट ने आक्षेपित निरोधादेश पारित किया । विद्वान् काउंसेल का यह निवेदन है कि यह स्पष्ट है कि संबद्ध प्राधिकारी ने यथाप्रत्याशित कार्रवाई नहीं की और विवेक का प्रयोग न करने के कारण कार्यवाही दोषपूर्ण है । उन्होंने आगे हमारे समक्ष यह पक्ष रखा कि विधि की अपेक्षा का समाधान नहीं किया गया क्योंकि यह ऐसा मामला है जिसमें प्रायोजक प्राधिकारी अर्थात् पलक्काड के पुलिस निरीक्षक ने स्वयं निरोध के आधार तैयार किए जो प्रदर्श पी-3 से स्पष्ट है । प्रायोजक प्राधिकारी की रिपोर्ट के साथ लगे संलग्नकों से स्पष्टतः यह साबित होता है कि उसने निरोध के आधार तैयार किए और जिला मजिस्ट्रेट ने अपने कर्तव्य का त्याग किया और कर्तव्य का पालन बाह्य अधिकरण अर्थात् पुलिस अधीक्षक द्वारा किया गया । दूसरे शब्दों में, अधिनियम के अधीन विधिमान्य निरोध यह अनुध्यात करता है कि निरोध प्राधिकारी अपने विवेक का प्रयोग करे और यह निष्कर्ष निकाले कि निरोध की आवश्यकता है और इस प्रश्न को विनिश्चित करने के लिए निर्णायक मानदंड हैं कि क्या निरोध प्राधिकारी ने निरोध के आधार विरचित किए हैं । यह ऐसा मामला है जहां निरोध के आधारों का निर्धारण किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया गया है और यथा उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए सम्पूर्ण मामला एक दिन के कुछ घंटों के भीतर ही सम्पन्न हो गया और निरोध आदेश अविचारित ढंग से जारी किया गया है । यह पहली दलील है ।'

4. दूसरा, याची श्री मणि प्रसाद की ओर से विद्वान् काउंसेल ने यह

इंगित किया कि दस्तावेज ऐसी भाषा में दिए गए थे जिससे निरुद्ध व्यक्ति अज्ञात था । उसके अनुसार निरुद्ध व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ना नहीं जानता है । फिर भी निम्नलिखित दस्तावेज उसे अंग्रेजी में दिए गए थे :–

(i) प्रायोजक प्राधिकारी की प्रदर्श पी-3 रिपोर्ट

(ii) पुलिस उप-निरीक्षक की प्रारंभिक रिपोर्ट

(iii) निरोध आदेश

(iv) प्रदर्श पी-6 जो निरुद्ध व्यक्ति के विरुद्ध पूर्व अवसर पर उसी अधिनियम के अधीन कार्रवाई करने की सिफारिश करने की पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट थी ।

उन्होंने यह निवेदन किया कि कतिपय अन्य दस्तावेज हैं जिनकी बाबत वह इसी प्रकार का तर्क नहीं दे रहा है ।

5. उन्होंने तीसरी दलील यह दी कि निरोधादेश दुर्भाव द्वारा दूषित है । उन्होंने यह निवेदन किया कि छठे प्रत्यर्थी को इस न्यायालय में उसकी व्यक्तिगत क्षमता में पक्षकार बनाया गया है । उसके अनुसार अपराध 2006 की अपराध सं. 797 के रूप में दर्ज किया गया था जिसमें छठा प्रत्यर्थी अंतर्वलित था उन्होंने यह निवेदन किया कि यह उसी अधिकारी के अनुरोध पर किया गया है जिसके द्वारा निरोध आदेश पारित किया गया है ।

6. अंत में, याची के विद्वान् काउंसेल ने दलील दी कि संविधान का अनुच्छेद 22 और अधिनियम की धारा 7 भी सलाहकार बोर्ड और सरकार दोनों के समक्ष भी निरोध के विरुद्ध अभ्यावेदन देने के निरुद्ध व्यक्ति के पक्ष में अधिकार का सृजन करता है । उन्होंने यह निवेदन किया कि वस्तुतः अभ्यावेदन याची द्वारा सलाहकार बोर्ड को दिया गया था । उसके अनुसार, सलाहकार बोर्ड ने उसके अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया । उसकी अगली दलील यह है कि अभ्यावेदन पर लिए गए विनिश्चय को संसूचित करना सलाहकार बोर्ड का भी कर्तव्य है । उन्होंने यह निवेदन किया कि इस मामले में अभ्यावेदन के विनिश्चय को संसूचित नहीं किया गया था । उन्होंने अपनी दलील के समर्थन में अधिनियम की धारा 7(2), 9 और 10 का अवलंब लिया कि निरुद्ध व्यक्ति का अभ्यावेदन करने का अधिकार है और सलाहकार बोर्ड का अभ्यावेदन पर वास्तविक रूप से विचार करने और अपने विनिश्चय को संसूचित करने का भी कर्तव्य है ।

7. समानांतर स्तंभ में विद्वान् वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री पी. रवीन्द्र

बाबू का यह निवेदन है कि कोई असम्यक् जल्दबाजी या विवेक का अनुप्रयोग नहीं है । उन्होंने यह इंगित किया कि वस्तुतः मामले की पृष्ठभूमि की अनदेखी नहीं की जा सकती । उसके अनुसार निरुद्ध व्यक्ति पहले कुल सात मामलों में लिप्त था । उन्होंने यह दलील दी कि जब प्रदर्श पी-6 प्रस्ताव के अनुसरण में अधिनियम के अधीन उसे निरुद्ध करने का प्रयास किया गया तो निरुद्ध व्यक्ति फरार हो गया और विदेश चला गया । उन्होंने यह इंगित किया कि मामले की परिस्थितियों और विशेषकर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निरुद्ध व्यक्ति अपराध सं. 531/2010 में लिप्त हुआ जो 2 अगस्त, 2010 में हुई थी, आवेदक की इस दलील में कोई सार नहीं है कि निरोध आदेश असम्यक् जल्दबाजी और विवेक के अनुप्रयोग का परिणाम है । उन्होंने आगे यह निवेदन किया कि इस बात में कोई दोष नहीं है यदि निरोध के आधार पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार किए गए थे । कुल मिलाकर अधिनियम की धारा 3 इस बात पर बल देती है कि अभिहित कानूनी कार्यकारी से तत्काल सामग्री प्राप्त होनी चाहिए जिसके आधार पर निरुद्धकर्ता प्राधिकारी अपेक्षित राय बनाने के लिए स्वतंत्र है । निःसंदेह वस्तुपरक और व्यक्तिपरक दोनों प्रकार से मानदंड पूरे होने चाहिएं । इस मामले में, उन्होंने यह निवेदन किया कि निरुद्ध व्यक्ति के प्रति ऐसे मामले जिनका निर्देश निरोध आदेश में किया गया है, को अधिनियम की धारा 2 (पी) के अधीन उपद्रवी के रूप में ज्ञात वस्तुपरक रूप से स्पष्टतः वर्गीकृत किया जा सकता है । उन्होंने यह निवेदन किया कि ऐसी परिस्थितियों में आवेदक की दलील में कोई सार नहीं हो सकता है कि निरुद्ध व्यक्ति निरोध किए जाने का दायी नहीं था । जहां तक निरोध की आवश्यकता के लिए व्यक्तिपरक समाधान का संबंध है उन्होंने यह निवेदन किया कि यह इस न्यायालय के कई विनिश्चयों के निर्णयों के अनुसार न्यायिक पुनर्विलोकन की परिधि के परे है । उन्होंने यह दलील दी कि मात्र यह तथ्य कि पुलिस अधिकारी और निरोध प्राधिकारी ने इस विशिष्ट मामले के तथ्यों में तत्परता से कार्य किया जिसमें अन्यथा निरुद्ध व्यक्ति के निरोध की अपेक्षा हो, से निरोध के अन्यथा विधिमान्य आदेश में हस्तक्षेप करने से इस न्यायालय को बचना चाहिए । उन्होंने यह निवेदन किया कि निरोध प्राधिकारी ने इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि यद्यपि निरुद्ध व्यक्ति अपराध सं. 531/2010 के संबंध में अभिरक्षा में था फिर भी निरुद्ध व्यक्ति द्वारा जमानत प्राप्त करने की वास्तविक संभावना थी और यह तथ्य कि उसने जमानत प्राप्त कर लिया और जमानत पर उसे छोड़े जाने के पश्चात् उसे 17 अगस्त, 2010 को गिरफ्तार किया गया ।

8. जहां तक ऐसी भाषा में सुसंगत दस्तावेजों के न दिए जाने के आधार पर दलील का संबंध है जो इस मामले में मलयालम है जिससे निरुद्ध व्यक्ति भिज्ञ है, के संबंध में उन्होंने इस प्रकार निवेदन किया :–

> "उन्होंने यह निवेदन किया कि निरोध के आधार निरुद्ध व्यक्ति को दिए गए थे और निरोध के आधार मलयालम भाषा में लिखे गए थे । जब निरोध के आधार निरुद्ध व्यक्ति को दिए गए तो उसे यह प्रश्न रखना चाहिए कि कैसे धारा 3 के अधीन पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट, पूर्व अवसर पर निरोध की सिफारिश करते हुए पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 और निरोध आदेश के न दिए जाने से प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है । उन्होंने यह इंगित किया कि निश्चय ही निरोध के आदेश में जो कुछ भी है, वह निरोध के आधार में भी है । इसी प्रकार, उन्होंने यह इंगित किया कि निरोध के आधारों में जो कुछ भी सार है वह पुलिस उप-निरीक्षक की प्रारंभिक रिपोर्ट और धारा 3 के अधीन पुलिस अधीक्षक के प्रस्ताव में भी है । उन्होंने यह भी इंगित किया कि निरोध आदेश को वस्तुतः निरुद्ध व्यक्ति को मलयालम में पढ़कर सुनाया गया । उन्होंने कतिपय विनिश्चयों का भी अवलंब लिया जिसका प्रतिनिर्देश हम बाद में करेंगे ।"

9. जहां तक दुर्भाव का संबंध है यह निवेदन किया गया है कि दुर्भाव साबित करने के लिए आवेदक द्वारा ऐसा कोई पक्षकथन नहीं किया गया है । उन्होंने यह इंगित किया कि छठवें प्रत्यर्थी की कार्रवाई पहले मामले में उसके लिप्त होने के कारण ही उद्भूत हुई और अब यह दलील देने की आवश्यकता नहीं है कि निरोधादेश छठे प्रत्यर्थी के उकसाने पर पारित किया गया है । उन्होंने यह निवेदन किया कि दुर्भाव का अभिवाक् अभिवचन के मामले में पूर्ण विशिष्टियों और इसे साबित कर सिद्ध किया जाना चाहिए । उन्होंने इंगित किया कि ऐसा कोई मामला नहीं बनता है ।

10. जहां तक सलाहकार बोर्ड द्वारा अभ्यावेदन पर विचार न करने के प्रश्न का संबंध है, उसने हमारे समक्ष निम्नलिखित निवेदन किया :–

> "निःसंदेह अधिनियम की धारा 7(2) के अधीन, निरोध अधिकारी का निरुद्ध व्यक्ति को सलाहकार बोर्ड और सरकार को अभ्यावेदन करने के अधिकार से सतर्क करने का कर्तव्य है । उसने आगे यह इंगित किया कि धारा 9 के अधीन प्रत्येक मामले में सलाहकार बोर्ड को निर्देश किया जाना चाहिए जहां कोई निरोध आदेश तीन सप्ताह के भीतर किया जाता है । इसके अतिरिक्त अधिनियम में सलाहकार

बोर्ड द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया धारा 10 में अंतर्विष्ट है । धारा 10 के अधीन जब मामला सलाहकार बोर्ड के समक्ष आता है तो निश्चय ही सलाहकार बोर्ड को ऐसे किसी अभ्यावेदन जो निर्देश के साथ किया गया है पर विचार करना चाहिए । सलाहकार बोर्ड को राय बनानी चाहिए । राय या तो यह हो सकती है कि निरोध का कोई मामला नहीं बनता है या यह राय हो सकती है कि आगे निरोध की आवश्यकता है । उसने यह निवेदन किया कि अकेले तीन माह से परे निरोध बढ़ाने के लिए सलाहकार बोर्ड की राय की अपेक्षा होती है जो ऐसी दलील है जिसे वह संविधान के अनुच्छेद 22 और अधिनियम के उपबंधों के भी प्रतिनिर्देश से पुष्ट करना चाहता है । सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह है कि उसने यह इंगित किया कि सलाहकार बोर्ड को इस मामले में निरुद्ध व्यक्ति द्वारा दिए गए अभ्यावेदन पर वस्तुतः विचार किया गया और यह दर्शाने के लिए उसने हमारे समक्ष फाइल उपलब्ध कराई कि अभ्यावेदन पर वस्तुतः विचार किया गया था । उसने इंगित किया कि राय के अलावा, सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के अन्य भाग गोपनीय हैं और उसने यह इंगित किया कि सलाहकार बोर्ड द्वारा अभ्यावेदन का विचार और सरकार द्वारा अभ्यावेदन का विचार सारतः भिन्न-भिन्न है । उसने यह इंगित किया कि सलाहकार बोर्ड को अभ्यावेदन केवल उस समय अनुध्यात है जब निर्देश विचारार्थ आता है । दूसरे शब्दों में, अभ्यावेदन पहले या बाद में नहीं किया जा सकता । इस संबंध में उसने मेरी कुरियाकोज **बनाम** केरल राज्य [(2011) 1 के. एल. टी. 167] वाले मामले में इस न्यायालय के विनिश्चय का अवलंब लिया । उसने यह इंगित किया कि अधिनियम की धारा 15 के अधीन किसी आदेश के असमान धारा 3 के अधीन पारित किसी आदेश के मामले में सलाहकार बोर्ड की शक्तियां सीमित हैं । अधिनियम की धारा 15 के अधीन सलाहकार बोर्ड उसमें पारित आदेश को उपांतरित करने या रद्द करने के लिए स्वतंत्र है । धारा 3 के अधीन पारित निरोध आदेश की बाबत सलाहकार बोर्ड को ऐसी कोई शक्ति नहीं है । उसने यह भी इंगित किया कि सलाहकार बोर्ड द्वारा आदेश की किसी पृथक् संसूचना की आवश्यकता नहीं है । वस्तुतः जब मामला न्यायिक कार्यवाहियों में आता है तो न्यायालय हमेशा इस प्रश्न पर विचार करने के लिए स्वतंत्र है कि क्या सलाहकार बोर्ड द्वारा अभ्यावेदन पर वास्तविक विचार किया गया था ।"

11. हमारा यह मत है कि याची द्वारा लिए गए पहले दो आधारों पर रिट याची सफल होने का हकदार है, अतः हम दुर्भाव या इस बिंदु कि सलाहकार बोर्ड द्वारा निरुद्ध व्यक्ति के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया गया था, के प्रश्न को विनिश्चित करना आवश्यक महसूस नहीं करते ।

12. प्रश्नगत विधि निवारक निरोध से संबंधित विधि है । यह संदेहात्मक विषय है । ऐसी सामग्री जो निरोध प्राधिकारी के समक्ष रखी गई है के आधार पर ज्ञात गुंडा या ज्ञात उपद्रवी के रूप में वस्तुगत वर्गीकृत व्यक्ति होने के अधीन निरोध प्राधिकारी के पास किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने का आदेश देने की वैवेकिक शक्ति है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि निरोध के प्रत्येक आदेश में व्यक्ति की स्वतंत्रता का वंचन अंतर्वलित है । ऐसी परिस्थितियों में यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि ऐसा कानूनी प्राधिकारी जिसे निरोध का आदेश पारित करने का कर्तव्य सौंपा गया है, को ऐसी सामग्री जो उसके समक्ष प्रस्तुत की जाती है पर अपने विवेक का प्रयोग करने के कर्तव्य के साथ शक्ति का प्रयोग करना चाहिए । निरोध प्राधिकारी का मात्र यह समाधान नहीं होना चाहिए कि वस्तुपरक रूप से निरुद्ध व्यक्ति को ज्ञात गुंडा या ज्ञात उपद्रवी माना जा सकता हो किंतु उसे यह समाधान होना चाहिए कि व्यक्ति को निरोध करने की वास्तविक रूप से आवश्यकता है । अपराध घटित होने की तारीख, दर्ज किए जाने की तारीख और आरोप पत्र की तारीख इस प्रकार है :–

| क्र. सं. | अपराध सं. और पुलिस थाना | अपराध | घटित होने की तारीख | अपराध दर्ज की जाने की तारीख | आरोप पत्र की तारीख |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | मन्नारक्काड पुलिस थाने की अपराध सं. 503/003 | भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 324, 304 सपठित धारा 34 | 19.10.2003 | 20.10. 2003 | 7.11.2003 |
| 2. | मेलातुर पुलिस थाने की अपराध सं. 49/2006. पेरिन्थालमन्ना पुलिस थाने | भारतीय दंड संहिता की धारा 120-(ख), 367, 307,326, 506-II | 20.2.2006 | मेलातुर पुलिस थाने में 20.2.2006. पेरिन्थालमन्ना पुलिस थाने | 26.10.2009 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | को अंतरित और अपराध सं. 198/ 2006 के रूप में दर्ज | सपठित धारा 34. सपठित आयुध अधिनियम की धारा 25(i) (क) | | में 19.3.2006 | |
| 3. | मन्नारक्काड पुलिस थाने की अपराध सं. 810/2006 | सपठित धारा 34 | 23.10.2006 | 2.11.2006 | 21.7.2008 |
| 4. | मन्नारक्काड पुलिस थाने की अपराध सं. 399/2007 | भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 294(ख), 506(ii), 324, 427, सपठित धारा 34 | 21.5.2007 | 22.5.2007 | 30.5.2007 |
| 5. | मन्नारक्काड पुलिस थाने की अपराध सं. 531/2010 | भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 341, 323, 506(i) | 2.8.2010 | 2.8.2010 | 6.8.2010. भारतीय दंड संहिता की धारा 452, 506(i) के अधीन आरोपित |

पहला अपराध वर्ष 2003 का है । यह अभिकथित है कि दूसरा अपराध 20.2.2006 को किया । तीसरा अपराध 23.10.2006 को किया जाना अभिकथित है । चौथा अपराध अभिकथित रूप से 21.5.2007 को हुआ । इसके पश्चात्, काफी अंतराल है और अंतिम अपराध 2.8.2010 को होना अभिकथित है । याची का यह पक्षकथन है कि निरुद्ध व्यक्ति 8 मई, 2008 से विदेश में था और वह 13 मार्च, 2010 को वापस आया । याची का यह पक्षकथन है कि अंतिम अपराध छठे प्रत्यर्थी के इशारे पर गढ़ा गया था । इस संबंध में, उसने बार के प्रबंधक द्वारा दिए गए प्रथम इत्तिला कथन की ओर ध्यान आकर्षित किया जहां निरुद्ध व्यक्ति द्वारा अभिकथित अपराध किया गया था । उसने आगे यह निवेदन किया कि वस्तुतः निरुद्ध व्यक्ति को भारत छोड़ना था और 2 सितंबर, 2010 को वापस जाना था और यह उसके प्रस्थान की पूर्व संध्या ही थी कि छठे प्रत्यर्थी के इशारे पर निरोध आदेश पारित किया गया ।

13. निम्नलिखित तथ्यों पर विवादित नहीं किया जा सकता :–

"मन्नारक्काड के पुलिस उप-निरीक्षक ने 13 अगस्त, 2010 को रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 भेजी । उसने अधिनियम के अधीन दोपहर 12.06 बजे अपराध दर्ज किया । मामला पुलिस उप-अधीक्षक के पास गया जो पलाक्काड में है । मन्नारक्काड और पलक्काड के बीच की दूरी लगभग 40 किलोमीटर है । प्रत्यर्थियों के बयान के अनुसार, प्रदर्श पी-4 द्वारा अधिनियम के अधीन पुलिस उप-निरीक्षक द्वारा कार्रवाई करने की सिफारिश के पश्चात् संभवतः पुलिस अधीक्षक ने उसी दिन अर्थात 13 अगस्त, 2010 को मामले पर विचार किया और प्रदर्श पी-3 द्वारा निरोध की सिफारिश करने का विनिश्चय किया गया । यह अभिकथित है कि उसी दिन ही निरोध प्राधिकारी ने भी मामले पर विचार किया और 13 अगस्त, 2010 को निरोध आदेश प्रदर्श पी-1 पारित किया । इस मामले में हमें याची के विद्वान् काउंसेल के तर्क पर विचार करना चाहिए कि निरोध प्राधिकारी द्वारा फाइल शपथपत्र में निरोध प्राधिकारी ने विनिर्दिष्ट रूप से यह नहीं कहा कि निरोध आदेश 13 अगस्त, 2010 को सामान्य कार्य समय के पश्चात् पारित किया गया । निःसंदेह प्रति-शपथपत्र में उसने कहा कि उद्भूत स्थिति के आधार पर अधिकारी सामान्य कार्य समय के बाद कार्य करते हैं । निरोध प्राधिकारी और ऐसे पुलिस अधीक्षक जो रिपोर्ट तैयार करते हैं पर उचित विचार करने की आवश्यकता संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन प्रत्याभूत बेशकीमती स्वतंत्रता के अधिकार को कायम रखने की निश्चित ही अवांछनीय विधिक अपेक्षा है । वस्तुतः, कानून में धारा 3 के अधीन निरोध आदेश पारित करने की शक्ति राज्य सरकार या किसी पदाभिहित प्राधिकारी के पास निहित है । शक्ति उच्च पंक्ति के अधिकारी अर्थात् जिला मजिस्ट्रेट के पास निहित है । उसे पदाभिहित प्राधिकारी, पुलिस अधीक्षक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर कार्य करना होता है । प्रायः प्रस्ताव पुलिस उप-निरीक्षक की पंक्ति के अधिकारी से आरंभ होता है । हमें यह सोचना चाहिए कि इस मामले के तथ्यों में याची के पास विवेक प्रयोग न करने के आधार पर निरोध आदेश को आक्षेपित करने का औचित्य है । हमें यह स्मरण करना चाहिए कि सम्पूर्ण प्रक्रिया 13 अगस्त, 2010 को लगभग 12.06 बजे पुलिस उप-निरीक्षक की रिपोर्ट (प्रदर्श पी-4) से आरंभ हुई । मामला पुलिस अधीक्षक के पास जाना था । उसे अपने विवेक का प्रयोग करना चाहिए था । इस संदर्भ में, हमें यह विचार

करना चाहिए कि प्रायः सरकार का यह आधार होता है कि पुलिस अधीक्षक द्वारा यह विचार किए जाने में समय लगता है कि क्या निरोध पर सिफारिश करने का मामला बनता है या नहीं । किंतु इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने गति से कार्य किया जिसे हम थोड़ा असहज पाते हैं । किसी भी दशा में, जब मामला निरोध प्राधिकारी के समक्ष आया तो निश्चित ही निरोध प्राधिकारी को स्वतंत्र रूप से मामले पर विचार करना चाहिए । विभिन्न दस्तावेजों के रूप में काफी सामग्री प्रस्तावित निरोध के प्रत्येक मामले में जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष होती है । सामग्री उन अपराधों से संबंधित है जो व्यक्ति के ज्ञात उपद्रवी या ज्ञात गुंडा होने के संदर्भ में अभिकथित है । विधि इस आश्वासन के साथ मजिस्ट्रेट के पास किसी नागरिक की स्वतंत्रता से वंचित करने का विनिश्चय करने का अवांछनीय कार्य सौंपती है कि वह अपने समक्ष सामग्री पर उचित रूप से विचार करेगा और वह सद्भाव से तथा युक्तियुक्ततः कार्य करते हुए अन्य मामलों में कानूनी कृत्यों की तरह अपेक्षित राय बनाएगा । हमारा यह मत है कि इस मामले के तथ्यों में प्राधिकारी द्वारा ऐसा विचार किया गया प्रतीत नहीं होता है ।"

14. हम इस पर भी विचार करते हैं कि याची की इस दलील में सार है कि दस्तावेज, विशेषकर पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट प्रदर्श-3 मलयालम में उपलब्ध नहीं थी । प्रत्यर्थियों का यह पक्षकथन कि निरुद्ध व्यक्ति अंग्रेजी भाषा जानता था । उनका केवल यह प्रतिवाद जो प्रस्तुत किया गया था यह है कि निरुद्ध व्यक्ति को मलयालम में निरोध के आधार दिए गए थे और अन्य दस्तावेजों को मलयालम में भी देने की कोई आवश्यकता नहीं है । कुछ मामलों में इस न्यायालय का ध्यान इस प्रश्न की ओर आकृष्ट किया गया है और हम उनको निर्दिष्ट करते हैं । **नजमुन्निसा** बनाम **केरल राज्य**[1] वाले मामले में अन्य बातों के साथ-साथ इस न्यायालय की न्यायपीठ ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"17. इस मामले में भी सभी सुसंगत दस्तावेजों को गिरफ्तारी के समय निरुद्ध व्यक्ति को उसकी ज्ञात भाषा में स्पष्ट किया गया था । किंतु वे दस्तावेज उस भाषा में उसे नहीं दिए गए थे जिसे वह पढ़ और समझ सके । उच्चतम न्यायालय ने इस स्थिति को दोहराया है कि यह पर्याप्त नहीं है यदि सुसंगत दस्तावेज निरुद्ध व्यक्ति को उसे

[1] 2010 (3) के. एल. टी. 334.

ज्ञात भाषा में स्पष्ट किए गए हैं । यह अनिवार्य अभिनिर्धारित किया गया कि दस्तावेज उस भाषा में उसे उपलब्ध कराया जाए जिसे वह समझ सकता हो ।

18. और पूर्व निर्णयों का उल्लेख करना अनावश्यक है । स्थिति सुस्थिर प्रतीत होती है कि चाहे जितना आग्रहपूर्वक दस्तावेजों को निरुद्ध व्यक्ति को उसे ज्ञात भाषा में पढ़कर सुनाया गया हो और स्पष्ट किया गया हो यह अपरिहार्य है कि उसे उस भाषा और लिपि में दस्तावेज दिया जाए जिसे वह पढ़ और समझ सके यदि वह साक्षर है ।"

इसके अतिरिक्त, **बोस** बनाम **सचिव, सरकार**[1] वाले मामले में पूर्ण न्यायपीठ ने भी इस प्रश्न पर विचार किया । न्यायालय ने **साथी** बनाम **केरल राज्य और अन्य**[2] वाले मामले में व्यक्त किए गए मत को अननुमोदित किया और इस प्रकार अभिनिर्धारित किया :–

"21. स्वीकार्यतः, साथी वाले मामले में प्रायोजक प्राधिकारी की रिपोर्ट और उसके अधीनस्थ अधिकारी की रिपोर्ट जैसे कुछ दस्तावेजों का मलयालम अनुवाद निरुद्ध व्यक्ति को नहीं दिया गया था । निरुद्ध व्यक्ति द्वारा उठाई गई दलील यह थी कि वह उन दस्तावेजों की बातों को नहीं समझ सका क्योंकि वे अंग्रेजी में थे और इसलिए संविधान के अनुच्छेद 22(5) के अधिदेश और अधिनियम की धारा 7(2) के अधीन विहित कानूनी बाध्यता का भी स्पष्ट भंग था । खंड न्यायपीठ ने आगे यह अभिनिर्धारित किया कि अधिनियम की धारा 7(3) ऐसी स्थितियों पर ध्यान देती है और निरुद्ध व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित और संरक्षित करती है ।

23. खंड न्यायपीठ ने यह अभिनिर्धारित किया कि क्योंकि विधान-मंडल कारागार अधीक्षक को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए युक्तियुक्त सहायता देने के अलावा किसी अधिवक्ता से परामर्श करने हेतु युक्तियुक्त अवसर निरुद्ध व्यक्ति को प्रदान करने का कानूनी कर्तव्य अधिरोपित किया है, इसलिए प्रतिकूल किसी विनिर्दिष्ट प्राख्यानों के अभाव में, निरुद्ध व्यक्ति की यह बात नहीं सुनी जा सकती है कि वह निरोध के आधारों को नहीं जानता था या

---

[1] 2010 (2) के. एल. टी. 325.

[2] (2009) डब्ल्यू. पी. (क्रिमिनल) 201.

यह कि वह सरकार को प्रभावी अभ्यावेदन करने से असमर्थ था क्योंकि सुसंगत दस्तावेज अंग्रेजी में थे । खंड न्यायपीठ के अनुसार ऐसी दलील ऐसे निरुद्ध व्यक्ति को उपलब्ध होगा जो 'निरक्षर' है क्योंकि वह किसी अन्य व्यक्ति पर उसे आदेश, आधार और दस्तावेजों को पढ़कर सुनाने और स्पष्ट करने के लिए निर्भर हो सकता है । यदि वे उसे प्रस्तुत किए जाते हैं और उसे स्पष्ट किए जाते हैं तो इस आधार पर आगे कोई शिकायत नहीं की जा सकती कि वे ऐसी भाषा में थे जिनको वह नहीं जानता ।

24. हम खंड न्यायपीठ द्वारा अधिकथित विधि की उपरोक्त प्रतिपादना से असहमत हैं । निःसंदेह धारा 7(3) निरुद्ध व्यक्ति को किसी अधिवक्ता से परामर्श करने का "युक्तियुक्त अवसर" प्रदान करने और सरकार या सलाहकार बोर्ड को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने में युक्तियुक्त सहायता देने के लिए कारागार अधीक्षक को बाध्य करती है । किंतु संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या निरुद्ध व्यक्ति को स्वतंत्रता की उसकी प्रार्थना कारागार अधीक्षक की दया पर छोड़ दी जानी चाहिए । धारा 7(3) के उपबंधों को पढ़ने मात्र से यह विनिश्चित करना कारागार अधीक्षक पर है कि निरुद्ध व्यक्ति को किसी अधिवक्ता से परामर्श दिए जाने का "युक्तियुक्त अवसर" क्या है । पुनः उक्त अधिकारी को यह विनिश्चित करने का प्राधिकार दिया गया है "कि युक्तयुक्त अवसर क्या है" जो किसी निरुद्ध व्यक्ति को सरकार या सलाहकार बोर्ड को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन देने के लिए दिया जा सकता है । यह अभिनिर्धारित करना कि सभी सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियां/अनुवाद निरुद्ध व्यक्ति को दिए जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके अधिकार अधिनियम की धारा 7(3) के अधीन पूर्णतया सुरक्षित हैं, हमारे विचार से, सरकार या सलाहकार बोर्ड को प्रभावी अभ्यावेदन करने से निरुद्ध व्यक्ति को गारंटीकृत अधिकार प्रदान करेगा, भ्रामक या निरर्थक प्रयोग है ।

26. निरोध प्राधिकारी संबद्ध निरुद्ध व्यक्ति को सुसंगत दस्तावेजों की प्रतियां या देशी भाषा में उसका अनुवाद देने से इस अभिवाक् पर इनकार नहीं कर सकता कि निरुद्ध व्यक्ति के हित की परवाह ऐसे कारागार अधीक्षक द्वारा की जाएगी जो कानूनी रूप से निरुद्ध व्यक्ति को किसी अधिवक्ता से परामर्श लेने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने और सरकार के समक्ष निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने में युक्तियुक्त सहायता प्रदान करने के लिए बाध्यकर

है । तथापि, हम यह भी कहना चाहते हैं कि यह प्रश्न कि क्या कोई पक्षपात निरुद्ध व्यक्ति को किसी दस्तावेज के प्रदान न किए जाने के कारण कारित हुई है, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूर्णतः निर्भर होगा ।"

15. इसके विरोध में विद्वान् वरिष्ठ सरकारी प्लीडर ने रिट याचिका (दां.) सं. 399/2010 वाले मामले में इस न्यायालय के अप्रतिवेदित निर्णय का अवलंब लिया और इंगित किया कि ऐसे दस्तावेज जो इस मामले में निरुद्ध व्यक्ति को मलयालम में नहीं दिए गए थे, ऐसी प्रकृति के थे जिससे विधि का अतिक्रमण नहीं हुआ था । उसने सर्वोच्च न्यायालय के **देवली वल्लाभाई टंडेल** बनाम **प्रशासक, गोआ, दमन और दीव**[1] और **जे. अब्दुल हकीम** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[2] निर्णयों का भी अवलंब लिया । सर्वोच्च न्यायालय ने निश्चय ही यह अभिनिर्धारित किया कि प्रत्येक दस्तावेज का न दिया जाना घातक नहीं है और यह निरुद्ध व्यक्ति को सिद्ध करना है कि दस्तावेजों की प्रतियों के न दिए जाने से निरुद्ध व्यक्ति के प्रभावी और प्रयोजनपूर्ण अभ्यावेदन करने के अधिकार का हनन हुआ था । आगे यह अभिनिर्धारित किया कि मामले का यह सार है कि क्या किसी विशिष्ट दस्तावेज के न दिए जाने से निरुद्ध व्यक्ति के निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के अधिकार को नुकसान पहुंचा है और इस संदर्भ में **राधाकृष्णनन् प्रभाकरन** बनाम **तमिलनाडु राज्य**[3] वाले मामले में न्यायालय के पूर्व निर्णय का प्रतिनिर्देश किया गया जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह महत्वपूर्ण है कि इस समाधान पर पहुंचने के लिए निरोध प्राधिकारी द्वारा अवलंबित दस्तावेजों की प्रतियां निरुद्ध व्यक्ति को दी जानी चाहिए कि निरुद्ध व्यक्ति का निवारक निरोध आवश्यक है । अधिनियम की धारा 7(2) को ध्यान में रखते हुए निरुद्ध व्यक्ति को प्रदर्श पी-3 (प्रायोजक प्राधिकारी की रिपोर्ट) का मलयालम पाठ देना निरोध प्राधिकारी का कर्तव्य था जो उसके अधीन निरोध आदेश पारित करने की पराकाष्ठा वाले धारा 3 के अधीन कार्यवाही आरंभ करने के लिए भी निरोध प्राधिकारी के लिए कानूनी आधार है । जब निरुद्ध व्यक्ति को पुलिस अधीक्षक द्वारा उसे निरुद्ध करने का प्रस्ताव दिया गया जिसके आधार पर जिला मजिस्ट्रेट ने ऐसी भाषा में कार्य किया जिससे वह भिज्ञ नहीं है और जब वह निरोध आदेश

---

[1] ए. आई. आर. 1982 एस. सी. 1029.

[2] (2005) 7 एस. सी. सी. 70.

[3] (2000) 9 एस. सी. सी. 170.

द्वारा कारागार भुगत रहा है तो वह इस बात के संबंध में पूरी तरह से अंधेरे में है कि कानूनी प्राधिकारी की क्या सिफारिश है जिसके आधार पर मजिस्ट्रेट ने उसे निरुद्ध करने की राय बनाई । वस्तुतः यह सूचना का महत्वपूर्ण भाग है । यह सच हो सकता है कि सिफारिश में सारतः निरोध के आधार हों । किंतु निरुद्ध व्यक्ति मात्र इस कारण यह नहीं जानता कि सिफारिश में क्या है क्योंकि वह भाषा से भिज्ञ नहीं है । हमें पूर्ण न्यायपीठ द्वारा बनाई गई विधि की घोषणा को ध्यान में रखना चाहिए जिसका उल्लेख हमने पहले ही किया है । इस न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया यह मत कि क्योंकि विधि अभ्यावेदन तैयार करने के लिए विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्राधिकारी को व्यादिष्ट करती है फिर भी मलयालम में दस्तावेज प्रदान न करने की खामी का उपचार नहीं किया गया जो इस मामले के तथ्यों को लागू होती है । वहीं हम यह भी ध्यान देते हैं कि पूर्ण न्यायपीठ ने यह उल्लेख किया था कि पुलिस अधीक्षक की सिफारिश मलयालम में नहीं दी गई थी । वस्तुतः याची के विद्वान् काउंसेल ने हमें यह उपगत कराया कि पूर्ण न्यायपीठ के समक्ष मामले के तथ्यों में भी निरोध के आधार मलयालम में दिए गए थे और निरोध का आदेश भी उस मामले में मलयालम में था । किंतु इस मामले में पुलिस अधीक्षक की सिफारिश और निरोध आदेश भी अंग्रेजी में है । हम यह समझते हैं कि हम निश्चित ही एकमात्र पुलिस अधीक्षक की सिफारिश के प्रतिनिर्देश से निरोध आदेश को दूषित करने वाले मलयालम में दस्तावेजों की आपूर्ति न किए जाने के बारे में दूसरे बिन्दु तक ही अपना विनिश्चय सीमित कर सकते हैं । निश्चय ही, पुलिस अधीक्षक की सिफारिश को मलयालम में उपलब्ध कराना चाहिए और इससे निरुद्ध व्यक्ति के अधिकार का गंभीर रूप से हनन हुआ है । तद्नुसार याची उक्त बिन्दु पर ही सफल होने का हकदार है ।

16. हम यह रिट याचिका मंजूर करते हैं और यह घोषित करते हैं कि प्रदर्श पी-1 निरोध आदेश अवैध है और यह निदेश देते हैं कि निरुद्ध व्यक्ति को तत्काल छोड़ दिया जाए जब तक कि किसी अन्य मामले में उसकी आवश्यकता न हो ।

17. रजिस्ट्रार कार्यालय तत्काल केन्द्रीय कारागार अधीक्षक, विम्यूर को इस विनिश्चय की सूचना देगा ।

रिट याचिका मंजूर की गई ।

पां.

# सिवन पिल्लई

बनाम

# केरल राज्य

तारीख 1 मार्च, 2012

**न्यायमूर्ति आर. बसंत और न्यायमूर्ति के. विनोद चन्द्रन्**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 302 और 498-क – क्रूरता और हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध मामले की संपूर्ण परिस्थितियों, मृतका के तंग जीवन, अभियुक्त की हिंसक और मादक प्रवृत्ति, मृत्यु के हेतु संबंधी वैज्ञानिक और चिकित्सीय साक्ष्य, मृतका के मृत्युकालिक कथन और घटना के पश्चात् अभियुक्त की निस्संदेह उपस्थिति और उसके आचरण से युक्तियुक्त रूप से यह साबित होता है कि अभियुक्त क्रूरता और हत्या के अपराध का दोषी ठहराए जाने का दायी है ।**

मामले के तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपनी पत्नी को आग लगा दी, जिसके परिणामस्वरूप 36 प्रतिशत जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई । मृतका द्वारा किए गए कथन के अनुसार, दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब वह काम से वापस घर आई तो उसका पति/अपीलार्थी नशे की हालत में था और उसकी धन की मांग मानने से इनकार करने पर वह उसके साथ झगड़ा करने लगा । जब अपीलार्थी ने उस पर शारीरिक हमला किया, तो वह घर के अन्दर चली गई और रात्रि में लगभग 8.00 बजे उसका पति बुरा-भला कहते हुए घर के अन्दर आया और एक मिट्टी के तेल का जलता हुआ दीया लिया और उसका ढक्कन खोलकर उसके शरीर पर मिट्टी का तेल फेंककर एक माचिस की तिल्ली से आग लगा दी । इस प्रकार मृतका को चेहरे, छाती, कंधे और पीठ पर दाह-क्षतियां पहुंचीं और वह अपने पड़ोसी के मकान की ओर भागी । पड़ोसी मृतका को अडोर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाए, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी को पहुंची गंभीर दाह-क्षतियों का उपचार करने का साधन न होने के कारण उसे आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल, तिरुवनंतपुरम में भेज दिया गया । चिकित्सीय अभिलेख के अनुसार मृतका को आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल, तिरुवनंतपुरम में पूर्वाह्न में लगभग

10.30 बजे भर्ती किया गया और उपचार जारी रहने के दौरान अपराह्न में लगभग 7.30 बजे उसकी हालत बिगड़ गई तथा अपराह्न में 8.30 बजे उसने अंतिम सांस ली । प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 498-क के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई थी किंतु तत्पश्चात् उसकी मृत्यु हो जाने पर रिपोर्ट से धारा 307 हटाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जोड़ी गई । अभियुक्त को तारीख 19 अक्तूबर, 2005 को गिरफ्तार किया गया । अन्वेषण किया गया और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, अडोर के न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट फाइल की गई और उन्होंने मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया । विचारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । अभियुक्त ने व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – वैवाहिक कलह और अपीलार्थी के मद्यपता की परिस्थिति कमोवेश सिद्ध होती है, हालांकि अव्यवहित हेतु सिद्ध नहीं होता है । अपीलार्थी के साथ मृतका का विवाह और विवाह-बंधन से बालिका का जन्म होने की बातें निर्विवाद हैं । अपीलार्थी और मृतका द्वारा अपीलार्थी की माता की बड़ी बहिन के मकान को अपना दाम्पत्य गृह बनाने का तथ्य भी साबित है । अपीलार्थी और मृतका के वैवाहिक जीवन की अगली परिस्थिति पर आते हैं । अपीलार्थी और मृतका दोनों ही नियमित रूप से नियोजित नहीं थे और अपीलार्थी एक होटल का कर्मचारी था तथा मृतका काजू के मौसम में कारखाने में काम करती थी । सभी साक्षियों द्वारा अपीलार्थी की अकर्मण्यता और मद्यपता के कारण बनी परिवार की दरिद्र हालत के बारे में सतत रूप से कथन किया गया है । उनसे पैदा हुई बालिका मृतका के पिता की देखरेख में थी और अपने मामा के घर रह रही थी । आर्थिक तंगी और पति की शराब पीने की लत की परिस्थितियों में वैवाहिक कलह होना दूर की बात नहीं है । अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 12, जो अभियुक्त के घनिष्ठ नातेदार हैं, ने उन दुःखद परिस्थितियों तथा उसे पति/अपीलार्थी के हाथों जो कष्ट उठाना पड़ रहा था के बारे में कथन किया है जिनमें मृतका रह रही थी । इन साक्षियों, जो मृतका के घनिष्ठ नातेदार हैं, के अतिरिक्त उसके पड़ोसियों (अभि. सा. 7) और (अभि. सा. 13) तथा एक स्थानीय व्यक्ति ने भी पति-पत्नी के बीच अक्सर होने वाले झगड़े के बारे में कथन किया है । अपीलार्थी की शराब पीने की लत और अक्सर होने वाले झगड़े में मृतका पर शारीरिक हमला करने की

परिस्थिति ऐसी है जिसे सभी साक्षियों, यहां तक कि निकट पड़ोसी अभि. सा. 13, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, द्वारा भी स्वीकार किया गया है । अभि. सा. 13 की पत्नी प्रति. सा. 1 का ही साक्ष्य ऐसा चौंकाने वाला कथन है जिसने मृतका के वैवाहिक जीवन के बारे में अपने पति द्वारा दिए गए वृत्तांत का भी खंडन करना उचित समझा है । हम प्रति. सा. 1 के साक्ष्य पर बाद में विचार करेंगे । फिलहाल यह कहना पर्याप्त होगा कि मृतका के खुशहाल जीवन की बात को, जैसा कि प्रति. सा. 1 द्वारा कथन किया गया है, केवल अत्यधिक प्रतिकूल साक्ष्य के आधार पर ही अविश्वसनीय माना जा सकता है । अपीलार्थी के धन मांगने के अव्यवहित हेतु पर, जिससे अभियुक्त ने इनकार किया है हालांकि मृतका द्वारा इस बारे में कथन किया गया था, विचार उन परिस्थितियों के संदर्भ में करना चाहिए जिनमें अपीलार्थी और मृतका रह रहे थे । यद्यपि, केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में हेतु, अव्यवहित हो या पूर्ववर्ती, ऐसी अनिवार्य परिस्थिति नहीं होती है जिसे न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए और यही एक परिस्थिति है जो दोषिता या निर्दोषिता के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय की सहायता करती है और अभियुक्त की निर्दोषिता के संगत किसी और प्रत्येक युक्तियुक्त परिकल्पना को खारिज करने या अपवर्जित करने वाले कारकों में से एक कारक है जिस पर विचार किया जाना चाहिए । साक्षियों, जिनमें नातेदार और अन्य साक्षी हैं, द्वारा यथा कथित ऊपर स्पष्ट की गई परिस्थितियों से किसी युक्तियुक्त संदेह के परे यह सिद्ध होता है कि मृतका नाखुश परिस्थितियों में रह रही थी और अपीलार्थी की शराब पीने की लत के कारण अक्सर गाली-गलौच और शारीरिक हमला करने के साथ-साथ धन की मांग भी की जाती थी । यथा अभिकथित घटना घटने के लिए परिस्थितियां दुःखद और पर्याप्त होने के कारण अब न्यायालय उस वास्तविक घटना पर विचार करेगा जिसके कारण मृतका की मृत्यु हुई । यह तथ्य है कि मृतका को दाह-क्षतियां पहुंची थीं और वह भी 36 प्रतिशत तथा उसकी मृत्यु लगभग 24 घंटे पश्चात् हुई थी, इसलिए कोई गहन जांच करने की आवश्यकता नहीं है । सर्वप्रथम मृतका को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अडोर ले जाया गया था, जहां अभि. सा. 18 ने उसका परीक्षण किया था । अभि. सा. 18 द्वारा जारी किए गए घाव प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी-11 से स्वतः ही मृतका का चेहरा, छाती और कंधे अत्यधिक जलने की बात उपदर्शित होती है । अत्यधिक जलने की वजह से पहुंची क्षतियों के कारण ही अभि. सा. 18 ने मृतका को आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल में रेफर किया था । यद्यपि रेफर पत्र में यह बात

इस प्रकार चिन्हित नहीं है, तो भी प्रदर्श पी-13 आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल, तिरुवनंतपुरम द्वारा बनाए रखे गए मृतका के मामला अभिलेख से यह स्पष्ट है कि रोगी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अडोर से रेफर किया गया था । दाह-क्षतियां मिट्टी के तेल से कारित की गई थीं और क्षतियां 36 प्रतिशत थीं, यह बात प्रदर्श पी-13 से स्पष्ट होती है । मिट्टी के तेल की मौजूदगी न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, प्रदर्श पी-2 से भी स्पष्ट होती है, जिसे घटनास्थल से बरामद किए गए दीये और मृतका के वस्त्रों पर मिट्टी का तेल होने की बात पता चली थी । रोगी को भर्ती करते समय यह अभिलिखित करते हुए गहन उपचार पर रखा गया था कि वह होश में है और स्थिर है तथा उसके पश्चात् अगले दिन भी यही स्थिति थी । तथापि, अपराह्न में 8.10 बजे उसकी हालत अधिक बिगड़ गई और अपराह्न में 8.30 बजे उसके मुख्य अंगों द्वारा काम करना बंद कर देने पर चिकित्सीय परिचारक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया । ये सारी बातें प्रदर्श पी-13 से स्पष्ट होती हैं । जिस डाक्टर ने मृतका के शव की शव-परीक्षा की थी, उसकी शव-परीक्षा प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी-1 चिन्हित करने के लिए परीक्षा कराई गई थी । अभि. सा. 1 ने स्पष्ट रूप से और साफ-साफ यह कथन किया है कि मृत्यु दाह-क्षतियों के कारण हुई थी जिनसे शरीर का लगभग 36 प्रतिशत भाग प्रभावित हुआ था और उसकी राय में यह मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था । इस बात पर बिल्कुल संदेह नहीं किया जा सकता है कि दाह-क्षतियां ज्वलनशील मिट्टी के तेल की सहायता से कारित की गई थीं और विपदग्रस्त की मृत्यु इन दाह-क्षतियों के कारण हुई थी । प्रदर्श पी-11 में अभि. सा. 18 द्वारा अभिलिखित किए गए क्षति पहुंचने के कारण को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अभि. सा. 18 द्वारा कथित रूप से जो सूचना भेजी गई थी, वह पुलिस थाने में प्राप्त नहीं हुई थी और जो संदर्भ टिप्पण जारी किया गया था, उसे प्रस्तुत और साबित नहीं किया गया है । इस बात को विवादग्रस्त नहीं किया जा सकता है कि अभि. सा. 18 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अडोर में मृतका को प्राथमिक उपचार दिया गया था । रोगी द्वारा बताए अनुसार अभि. सा. 18 द्वारा अभिलिखित किया गया जलने का कारण घटना के निकट है और केवल इस कारण अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि अभि. सा. 18 द्वारा कथित रूप से भेजी गई सूचना और संदर्भ टिप्पण को प्रस्तुत या साबित नहीं किया गया है । घटना का सबसे निकट वृत्तांत, जैसा कि विपदग्रस्त द्वारा बताया गया था, अभि. सा. 4 और 5, जिन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अडोर में मृतका से घटना के बारे में सुना था, द्वारा दिए गए

वृत्तांत के अनुरूप है । अभि. सा. 6 और 12 ने भी मृतका के बयान के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है, जो मृतका द्वारा बताई गई बातों से मेल खाता है और इस पर केवल इस तथ्य के आधार पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि उक्त साक्षियों ने मृतका से यह वृत्तांत आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल, तिरुवनंतपुरम में सुना था । इस संदर्भ में, यह भी उल्लेखनीय है कि अभि. सा. 13, जिसने घटना के पश्चात् पहली बार अभियुक्त को देखा था, को अपने पूर्ववर्ती कथन, जो इस आशय का था कि अपीलार्थी ने मृतका को आग लगाई थी, से विचलन करने के कारण पक्षद्रोही घोषित किया गया था । अपीलार्थी के काउंसेल ने अभि. सा. 20 द्वारा अभिलिखित किए गए प्रदर्श पी-12 को सीधे-सीधे चुनौती देते हुए मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता के विरुद्ध दलील दी । काउंसेल ने यह बताने के लिए अनेक विनिश्चयों का अवलंब लिया कि मृतका के मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करने के लिए कोई मजिस्ट्रेट नहीं बुलाया गया था और डाक्टर द्वारा मृतका की मानसिक दशा के संबंध में कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था तथा चिकित्सा अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि रोगी को शामक औषधि दी जा रही थी और यह बात मृतका के उस समय होश में होने के विरुद्ध जाती है जब अभिकथित रूप से मृत्युकालिक कथन किया गया था । इस दलील पर विचार करने के लिए कि कथन अभिलिखित करने के लिए कोई मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं किया गया था, न्यायालय, क्षण भर के लिए, विवाद्यक तथ्यों से विचलन करता है । न्यायालय के समक्ष उद्धृत किए गए सभी विनिश्चयों में यह देखा गया है कि मृत्युकालिक कथन ऐसा कथन था जिसमें कथनकर्ता को आसन्न मृत्यु का सामना करना पड़ा था और ऐसे कथनों की पुनीतता पर कोई अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है । यह अतिसामान्य विधि है कि किसी मरणासन्न व्यक्ति के शब्दों के साथ अत्यधिक सत्यनिष्ठा और पुनीतता जुड़ी होती है क्योंकि अपने रचयिता के पास जाने की आसन्न संभाव्यता होने पर कोई व्यक्ति, सामान्य मानवीय आचरण को देखते हुए, कहानी गढ़ना और निर्दोष व्यक्ति को फंसाना नहीं चाहेगा । मृत्यु के पश्चात् घटित होने वाले रहस्य और भय तथा अवसर की पारिणामिक पुनीतता ने विधि रचयिताओं को ऐसे अवसर पर किए गए कथनों की ग्राह्यता को अनुज्ञा देने के लिए, यहां तक कि अभियुक्त को ऐसे कथनों की सत्यता को प्रतिपरीक्षा में चुनौती देने के अवसर से प्रतिषिद्ध करने का जोखिम उठाकर, प्रेरित किया । तथापि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक कदम और आगे जाता है और धारा 32 की उपधारा (1) में यह उपबंध

करता है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई कथन अपनी मृत्यु के कारण या उन परिस्थितियों के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, ऐसा कथन इस बात को दृष्टि में लाए बिना सुसंगत है कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं । इसके अतिरिक्त, पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा करने और ऐसे कथन अभिलिखित करने का ढंग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 में उपबंधित है । तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अनुसार, ऐसा कथन हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा या किसी जांच या विचारण में साक्ष्य के तौर पर प्रयुक्त नहीं किया जाएगा । धारा 162(2) एक अपवाद का सृजन करती है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) की परिधि के भीतर आने वाले किसी कथन से विनिर्दिष्ट अपवर्जन का उपबंध करती है । अतः पुलिस द्वारा धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया कोई कथन भी हालांकि धारा 162 के अधीन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है, तो भी धारा 32(1) के प्रयोजन के लिए एक मृत्युकालिक कथन होना समझा जा सकता है । प्रदर्श पी-12 धारा 154 के अधीन अभिलिखित किया गया कथन होने और इत्तिलाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने के कारण संहिता के स्पष्ट उपबंधों को देखते हुए धारा 161 के अधीन किए गए कथन से बेहतर स्थिति में है । ऐसी परिस्थितियों में प्रदर्श पी-12 पर निश्चित रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अधीन मृतका द्वारा किए गए कथन के रूप में विचार किया जा सकता है और प्रस्तुत मामले में निश्चित रूप से एक बाध्यकारी परिस्थिति है । प्रस्तुत मामले में प्रकट परिस्थितियों के प्रति विशिष्ट निर्देश करते हुए विधि की उपरोक्त साधारण चर्चा के आधार पर न्यायालय की यह राय है कि धारा 154 के अधीन मृतका से अभिलिखित किया गया कथन ऐसा कथन है जिसे सुरक्षित रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अधीन ग्राह्य और स्वीकार्य होना अभिनिर्धारित किया जा सकता है । यह कथन इसलिए ग्राह्य है, चूंकि धारा 32(1) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में किया गया कथन उन मामलों में सुसंगत है जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु के कारण के बारे में यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को कथन करने के समय मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं । हमारे मत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 से भी पर्याप्त समर्थन मिलता है जिसमें धारा 161 के अधीन किया गया कोई कथन साक्ष्य में प्रयोग करने से अपवर्जित किया गया है किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के खंड (1) के अधीन किए गए किसी कथन की बाबत एक अपवाद का सृजन करती है । धारा 154 के अधीन

किया गया कथन धारा 161 के अधीन किए गए कथन से बेहतर स्थिति में होता है । यह बात स्वीकार्य है और इसका कारण यह है कि उपरोक्त मामले में अभिलिखित किए गए साक्ष्य से यथा प्रकटित तथ्यों से न्यायालय के मस्तिष्क में मृतका से अभिलिखित किए गए कथन की सद्भाविकता और सत्यता के बारे में विश्वास पैदा होता है । मृतका द्वारा कथन करने के समय उसके सामर्थ्य और सक्षमता को इंगित करने वाली विद्यमान परिस्थितियों के साथ-साथ उन्हीं बिंदुओं पर नातेदारों को किए गए पूर्ववर्ती कथनों से उसके वृत्तांत की विश्वसनीयता बढ़ जाती है । निःसंकोच रूप से, न्यायालय को मृतका द्वारा उन परिस्थितियों के बारे में, जिनमें उसकी मृत्यु हुई, किए गए कथन से सहायता मिलती है । विचार किए जाने के लिए शेष एकमात्र अन्य दलील यह है कि दीये में मिट्टी का तेल मृतका को पहुंची दाह-क्षतियां कारित करने के लिए अपर्याप्त था । इस बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि दाह-क्षतियां मिट्टी के तेल से कारित की गई थीं और दीये के सिवाय परिसर से कोई भी अन्य स्रोत बरामद नहीं हुआ था । मिट्टी के तेल की कम मात्रा की बात वास्तव में आत्महत्या और दुर्घटना की कहानी के विरुद्ध जाएगी, चूंकि ऐसी स्थिति में परिरुद्ध करके और एकाग्र होकर जलाने की अधिक बनती है । तथापि, जब किसी व्यक्ति पर मिट्टी का तेल फेंका जाता है, तो यह काफी बड़े हिस्से में बिखर जाता है और इस प्रकार अत्यधिक जल जाने की अधिक संभावना होती है । इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि मृतका ने घटना के समय संश्लिष्ट नाइटी पहनी हुई थी, जैसा कि न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, प्रदर्श पी-2 से प्रकट होता है, जिससे जलने का प्रभाव बढ़ जाता है । समग्र परिस्थितियों, मृतका के उत्पीड़ित जीवन, अपीलार्थी की हिंसक और मादक प्रवृत्ति, मृत्यु के कारण के बारे में वैज्ञानिक और चिकित्सीय साक्ष्य, मृतका द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन और अपीलार्थी की निस्संदेह उपस्थिति तथा उसके घटना के पश्चात् के आचरण पर विचार करते हुए हमारे मस्तिष्क में अभियुक्त की दोषिता के बारे में, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध किया गया है, तनिक भी संदेह नहीं रह जाता है । परिस्थितियों से अवश्य ही और निश्चित रूप से कोई कमजोर कड़ी रहित एक श्रृंखला बनती है और 'किसने' हत्या की, इस बात से निश्चित रूप से अपीलार्थी को संबद्ध करती है । प्रत्येक परिस्थिति से अलग-अलग और एक साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में यथा उपबंधित हत्या का निष्कर्ष निकलता है और अपीलार्थी का ऐसा स्वेच्छया आचरण आवश्यक रूप से धारा 498-क के स्पष्टीकरण के अधीन यथा परिभाषित 'क्रूरता' की कोटि

में आता है । अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है । (पैरा 6, 7, 20, 22, 25, 29, 30 और 31)

## निर्दिष्ट निर्णय

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2012] | (2012) 2 एस. सी. सी. 273 : **ओंकार** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; | 19 |
| [2008] | (2008) 12 एस. सी. सी. 692 : **आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **गुव्वा सत्यनारायण** ; | 23 |
| [2008] | (2008) 3 एस. सी. सी. 691 : **शेख रफीक और एक अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; | 23 |
| [2007] | (2007) 14 एस. सी. सी. 550 : **राजस्थान राज्य** बनाम **वाकटेंग** ; | 23 |
| [2007] | (2007) 11 एस. सी. सी. 209 : **शेख बक्शु** बनाम **महाराष्ट्र राज्य** ; | 23 |
| [2007] | (2007) 13 एस. सी. सी. 112 : **महबूबसाब अब्बासाबी नाडफ** बनाम **कर्नाटक राज्य** ; | 23 |
| [2003] | 2003 क्रिमिनल ला जर्नल 3323 (केरल) : **सरोजिनी अम्मा** बनाम **केरल राज्य** ; | 23 |
| [1990] | ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 2140 : **किशोर चंद** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** । | 12 |

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 1502.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** श्री वी. सेतुनाथ

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री जिक्कू जेकब जार्ज, लोक अभियोजक

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति के. विनोद चन्द्रन ने दिया ।

**न्या. चन्द्रन** – उपरोक्त दांडिक अपील 2006 के सेशन मामला सं.

443 में अपर सेशन न्यायाधीश-1 (तदर्थ), पथनमथित्ता के निर्णय से उद्भूत हुई है । यह अभिकथित है कि अपीलार्थी/अभियुक्त ने अपनी पत्नी को आग लगा दी, जिसके परिणामस्वरूप 36 प्रतिशत जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई । अभियोजन पक्ष के अनुसार, क्षतिग्रस्त की मृत्यु आर्थिक तंगी से ग्रस्त उदास जीवन और वैवाहिक कलह का अपरिहार्य परिणाम थी ।

2. अभियोजन का पक्षकथन अभि. सा. 20 द्वारा अभिलिखित किए गए मृतका के कथन पर आरंभ हुआ, जिसके आधार पर तारीख 17 अक्तूबर, 2005 को प्रारंभ में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 और 498-क के अधीन प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (प्रदर्श पी-14) रजिस्ट्रीकृत की गई । जब अभि. सा. 20 द्वारा प्रथम इत्तिला कथन (प्रदर्श पी-12) अभिलिखित किया गया था, मृतका आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल में उपचाराधीन थी । तत्पश्चात्, उसी दिन अपराह्न में लगभग 8.30 बजे उसकी मृत्यु हो जाने पर रिपोर्ट (प्रदर्श पी-18) से धारा 307 हटाकर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 जोड़ी गई । अभियोजन का पक्षकथन अभि. सा. 20 द्वारा अभिलिखित किए गए उपरोक्त कथन, विभिन्न साक्षियों द्वारा बताई गई परिस्थितियों तथा अन्य बातों के साथ-साथ उस वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर विरचित है, जो अभि. सा. 22 द्वारा अन्वेषण करने पर सामने आया ।

3. मृतका के कथन (प्रदर्श पी-12) के अनुसार, दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब वह काम से वापस घर आई तो उसका पति, अपीलार्थी नशे की हालत में था और उसकी धन की मांग मानने से इनकार करने पर वह उसके साथ झगड़ा करने लगा । जब अपीलार्थी ने उस पर शारीरिक हमला किया, तो वह घर के अन्दर चली गई और रात्रि में लगभग 8.00 बजे उसका पति बुरा-भला कहते हुए घर के अन्दर आया और एक मिट्टी के तेल का जलता हुआ दीया लिया और उसका ढक्कन खोलकर उसके शरीर पर मिट्टी का तेल फेंककर एक माचिस की तिल्ली से आग लगा दी । इस प्रकार मृतका को चेहरे, छाती, कंधे और पीठ पर दाह-क्षतियां पहुंचीं और वह अपने पड़ोसी (अभि. सा. 13) के मकान की ओर भागी । जब मृतका पड़ोस के मकान में आई, तो अभि. सा. 13, उसकी पत्नी (प्रति. सा. 1) और उनका नातेदार (अभि. सा. 7) मकान में थे । पड़ोसिन को गंभीर रूप से झुलसा हुआ देखकर अभि. सा. 13 और अभि. सा. 7 उसे अन्दर ले आए और दूरभाष पर उसके पिता को सूचना दी और तुरंत कोई कार लाने के लिए भागे । अभियोजन का यह पक्षकथन है कि मृतका को अभि. सा. 13 के मकान से अडोर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लाया गया, जहां

अभि. सा. 18 द्वारा उसका प्राथमिक उपचार किया गया और उसने तारीख 16 अक्तूबर, 2005 को घाव प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी-11) भी तैयार किया । मृतका के पिता का भाई (अभि. सा. 5) और मृतका का जीजा (अभि. सा. 12) दुर्घटना के बारे में सुनकर अभि. सा. 13 के मकान पर पहुंचे थे और मृतका के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अडोर गए थे । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रोगी को पहुंची गंभीर दाह-क्षतियों का उपचार करने का साधन न होने के कारण अभि. सा. 18 ने उसे आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल में भेज दिया । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचने पर मृतका के नातेदार, उसकी बहिन (अभि. सा. 4) और उसका पिता (अभि. सा. 6) भी मृतका के पास पहुंच गए थे और वे अभि. सा. 5 और अभि. सा. 12 के साथ मृतका को आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल, तिरुवनंतपुरम लाए । चिकित्सीय अभिलेख, प्रदर्श पी-13 के अनुसार मृतका को आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल, तिरुवनंतपुरम में पूर्वाह्न में लगभग 10.30 बजे भर्ती किया गया था और उपचार जारी रहने के दौरान अपराह्न में लगभग 7.30 बजे उसकी हालत बिगड़ गई थी तथा अपराह्न में 8.30 बजे उसने अंतिम सांस ली । अभियुक्त को तारीख 19 अक्तूबर, 2005 को गिरफ्तार किया गया । अन्वेषण किया गया और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट, अडोर के न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट फाइल की गई और उन्होंने मामले को सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया । संक्षेप में, यही घटना के तथ्य हैं जिनके आधार पर अपराध रजिस्ट्रीकृत किया गया, अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और अन्वेषण पूर्ण होने पर अंतिम आरोप पत्र फाइल किया गया ।

4. निचले न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से अभि. सा. 1 से 22 तथा प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से प्रति. सा. 1 से 3 की परीक्षा की । दस्तावेज, प्रदर्श पी-1 से पी-21 के साथ-साथ तात्विक वस्तुएं 1 से 9 चिन्हित की गईं । हमने अपीलार्थी की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री वी. सेतुनाथ तथा विद्वान् लोक अभियोजक को सुना, जिन्होंने हमें अभिलेख के संपूर्ण साक्ष्य का परिशीलन कराया । विचारण न्यायालय द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए संपूर्ण साक्ष्य का ब्यौरा देने के पश्चात् अपील न्यायालय द्वारा उसकी पुनरावृत्ति करना आवश्यक नहीं है, विशेषकर उस संदर्भ में जब अपील न्यायालय को उन सुसंगत परिस्थितियों की, जिनसे या तो निश्चित रूप से अभियुक्त की दोषिता या उसकी निर्दोषिता की युक्तियुक्त परिकल्पना इंगित होती है, की परीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है ।

5. यह मामला ऐसा है जिसमें किसी व्यक्ति ने घटना नहीं देखी थी और ऊपर निर्दिष्ट अन्वेषण तथा न्यायनिर्णयन अभिलेख पर उपलब्ध परिस्थितियों के आधार पर अग्रसर हुआ । मृतका से अभिलिखित किए गए कथन के साथ-साथ उसके द्वारा अपने नातेदारों को किए गए कथन और डाक्टर, जिसने उसका प्राथमिक उपचार किया था, के कथन आदि से मानववध मृत्यु इंगित होती है । दूसरी ओर, अभियुक्त का अभिवाक् यह है कि घटना मात्र एक दुर्घटना थी । एकमात्र साक्षी ने भी आत्महत्या की कहानी बताई है । परिस्थिति की मारी एक अभागिन को मृत्यु ने एक उदासी भरे जीवन के बंधन से मुक्त कर दिया । उसकी मृत्यु जो उसके दाम्पत्य गृह में हुई, क्या स्वेच्छया कारित की गई थी, दुर्घटनावश हुई थी या उसके पति की सक्रिय उकसाहट के कारण हुई थी, ऐसा प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना है ।

6. वैवाहिक कलह और अपीलार्थी के मद्यपता की परिस्थिति कमोवेश सिद्ध होती है, हालांकि अव्यवहित हेतु सिद्ध नहीं होता है । अपीलार्थी के साथ मृतका का विवाह और विवाह-बंधन से बालिका का जन्म होने की बातें निर्विवाद हैं । अपीलार्थी और मृतका द्वारा अपीलार्थी की माता की बड़ी बहिन (प्रति. सा. 3) के मकान को अपना दाम्पत्य गृह बनाने का तथ्य भी साबित है । अपीलार्थी और मृतका के वैवाहिक जीवन की अगली परिस्थिति पर आते हैं । अपीलार्थी और मृतका दोनों ही नियमित रूप से नियोजित नहीं थे और अपीलार्थी एक होटल का कर्मचारी था तथा मृतका काजू के मौसम में कारखाने में काम करती थी । सभी साक्षियों द्वारा अपीलार्थी की अकर्मण्यता और मद्यपता के कारण बनी परिवार की दरिद्र हालत के बारे में सतत रूप से कथन किया गया है । उनसे पैदा हुई बालिका मृतका के पिता की देखरेख में थी और अपने मामा के घर रह रही थी । आर्थिक तंगी और पति की शराब पीने की लत की परिस्थितियों में वैवाहिक कलह होना दूर की बात नहीं हैं । अभि. सा. 4, अभि. सा. 5, अभि. सा. 6 और अभि. सा. 12, जो अभियुक्त के घनिष्ठ नातेदार हैं, ने उन दुःखद परिस्थितियों तथा उसे पति/अपीलार्थी के हाथों जो कष्ट उठाना पड़ रहा था के बारे में कथन किया है जिनमें मृतका रह रही थी । इन साक्षियों, जो मृतका के घनिष्ठ नातेदार हैं, के अतिरिक्त उसके पड़ोसियों (अभि. सा. 7 और अभि. सा. 13) तथा एक स्थानीय व्यक्ति ने भी पति-पत्नी के बीच अक्सर होने वाले झगड़े के बारे में कथन किया है । अपीलार्थी की शराब पीने की लत और अक्सर होने वाले झगड़े में मृतका पर शारीरिक हमला करने की

परिस्थिति ऐसी है जिसे सभी साक्षियों, यहां तक कि निकट पड़ोसी अभि. सा. 13, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है, द्वारा भी स्वीकार किया गया है । अभि. सा. 13 की पत्नी प्रति. सा. 1 का ही साक्ष्य ऐसा चौंकाने वाला कथन है जिसने मृतका के वैवाहिक जीवन के बारे में अपने पति द्वारा दिए गए वृत्तांत का भी खंडन करना उचित समझा है । हम प्रति. सा. 1 के साक्ष्य पर बाद में विचार करेंगे । फिलहाल यह कहना पर्याप्त होगा कि मृतका के खुशहाल जीवन की बात को, जैसा कि प्रति. सा. 1 द्वारा कथन किया गया है, केवल अत्यधिक प्रतिकूल साक्ष्य के आधार पर ही अविश्वसनीय माना जा सकता है । अपीलार्थी के धन मांगने के अव्यवहित हेतु पर, जिससे अभियुक्त ने इनकार किया है हालांकि मृतका द्वारा इस बारे में कथन किया गया था, विचार उन परिस्थितियों के संदर्भ में करना चाहिए जिनमें अपीलार्थी और मृतका रह रहे थे । यद्यपि, केवल पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित मामले में हेतु, अव्यवहित हो या पूर्ववर्ती, ऐसी अनिवार्य परिस्थिति नहीं होती है जिसे न्यायालय को ध्यान में रखना चाहिए और यही एक परिस्थिति है जो दोषिता या निर्दोषिता के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायालय की सहायता करती है और अभियुक्त की निर्दोषिता के संगत किसी और प्रत्येक युक्तियुक्त परिकल्पना को खारिज करने या अपवर्जित करने वाले कारकों में से एक कारक है जिस पर विचार किया जाना चाहिए । साक्षियों, जिनमें नातेदार और अन्य साक्षी हैं, द्वारा यथा कथित ऊपर स्पष्ट की गई परिस्थितियों से किसी युक्तियुक्त संदेह के परे यह सिद्ध होता है कि मृतका नाखुश परिस्थितियों में रह रही थी और अपीलार्थी की शराब पीने की लत के कारण अक्सर गाली-गलौच और शारीरिक हमला करने के साथ-साथ धन की मांग भी की जाती थी ।

7. यथा अभिकथित घटना घटने के लिए परिस्थितियां दुःखद और पर्याप्त होने के कारण अब हम उस वास्तविक घटना पर विचार करेंगे जिसके कारण मृतका की मृत्यु हुई । यह तथ्य है कि मृतका को दाह-क्षतियां पहुंची थी और वह भी 36 प्रतिशत तथा उसकी मृत्यु लगभग 24 घंटे पश्चात् हुई थी, इसलिए कोई गहन जांच करने की आवश्यकता नहीं है । सर्वप्रथम मृतका को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अडोर ले जाया गया था, जहां अभि. सा. 18 ने उसका परीक्षण किया था । अभि. सा. 18 द्वारा जारी किए गए घाव प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी-11 से स्वतः ही मृतका का चेहरा, छाती और कंधे अत्यधिक जलने की बात उपदर्शित होती है । अत्यधिक जलने की वजह से पहुंची क्षतियों के कारण ही अभि. सा. 18 ने मृतका

को आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल में रेफर किया था । यद्यपि रेफर पत्र में यह बात इस प्रकार चिन्हित नहीं है, तो भी प्रदर्श पी-13 आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल, तिरुवनंतपुरम द्वारा बनाए रखे गए मृतका के मामला अभिलेख से यह स्पष्ट है कि रोगी को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अडोर से रेफर किया गया था । दाह-क्षतियां मिट्टी के तेल से कारित की गई थीं और क्षतियां 36 प्रतिशत थीं, यह बात प्रदर्श पी-13 से स्पष्ट होती है । मिट्टी के तेल की मौजूदगी न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, प्रदर्श पी-2 से भी स्पष्ट होती है, जिसे घटनास्थल से बरामद किए गए दीये और मृतका के वस्त्रों पर मिट्टी का तेल होने की बात पता चली थी । रोगी को भर्ती करते समय यह अभिलिखित करते हुए गहन उपचार पर रखा गया था कि वह होश में है और स्थिर है तथा उसके पश्चात् अगले दिन भी यही स्थिति थी । तथापि, अपराह्न में 8.10 बजे उसकी हालत अधिक बिगड़ गई और अपराह्न में 8.30 बजे उसके मुख्य अंगों द्वारा काम करना बंद कर देने पर चिकित्सीय परिचारक द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया । ये सारी बातें प्रदर्श पी-13 से स्पष्ट होती हैं । जिस डाक्टर ने मृतका के शव की शव-परीक्षा की थी, उसकी शव-परीक्षा प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी-1 चिन्हित करने के लिए परीक्षा कराई गई थी । अभि. सा. 1 ने स्पष्ट रूप से और साफ-साफ यह कथन किया है कि मृत्यु दाह-क्षतियों के कारण हुई थी जिनसे शरीर का लगभग 36 प्रतिशत भाग प्रभावित हुआ था और उसकी राय में यह मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त था । इस बात पर बिल्कुल संदेह नहीं किया जा सकता है कि दाह-क्षतियां ज्वलनशील मिट्टी के तेल की सहायता से कारित की गई थीं और विपदग्रस्त की मृत्यु इन दाह-क्षतियों के कारण हुई थी ।

8. क्षति कारित होने का माध्यम और मृत्यु का कारण पाए जाने पर जिस बात पर विचार किया जाना शेष रह जाता है, वह यह है कि मृत्यु 'किसने' कारित की - स्वयं मृतका ने, दुर्घटनावश हुई, प्रति. सा. 3 द्वारा कारित की गई या सक्रिय रूप से अपीलार्थी द्वारा कारित की गई, इस बात का साक्ष्य से पता लगाना है ।

9. 'किसने' हत्या की, से अपीलार्थी को संबद्ध करने के प्रश्न पर अपीलार्थी के काउंसेल ने हितबद्ध साक्षियों की विश्वसनीय, मृतका द्वारा कथित रूप से किए गए मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता, मृतका की स्वास्थ्य दशा, अपीलार्थी की अंतर्ग्रस्तता की अधिसंभाव्यता आदि-आदि की बाबत विभिन्न दलीलें दीं । हमारे लिए यह सुरक्षित होगा कि अपीलार्थी के

विद्वान् काउंसेल की दलीलों पर विचार करने से पूर्व पहले उन परिस्थितियों का ब्यौरा दिया जाए, जो 'किसने' हत्या की के साथ अपीलार्थी को संबद्ध करती हैं ।

10. एक क्षण के लिए यहां रुकते हैं, अभि. सा. 20 द्वारा मृतका से अभिलिखित किया गया कथन, प्रदर्श पी-12, मृत्युकालिक कथन की प्रकृति का नहीं था, चूंकि उस प्रासंगिक समय पर मृत्यु होने की प्रत्याशंका नहीं थी और रोगी, जैसा कि चिकित्सीय परिचारक द्वारा अभिलिखित किया गया, होश में थी और स्थिर थी तथा कथन अपराध रजिस्ट्रीकृत करने के प्रयोजन के लिए अभिलिखित किया गया था । तथापि, जिस घटना के आधार पर अपराध मामला रजिस्ट्रीकृत किया गया था, उसके फलस्वरूप मृतका की मृत्यु हो जाने पर प्रदर्श पी-12 के रूप में जो कथन अभिलिखित किया गया था वह **संभवतः** भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अधीन किया गया कथन हो सकता है, चूंकि उक्त उपबंध के आधार पर ऐसे कथनों को इस बात को विचार में लाए बिना कि क्या व्यक्ति जिसने ऐसा कथन किया था उस समय पर मृत्यु की प्रत्याशाधीन था या नहीं, मृत्युकालिक कथन माना जा सकता है । हम इस कथन को "संभव" के रूप में मानकर चलते हैं, चूंकि इस निमित्त काफी गंभीर दलीलें दी गई हैं और फिलहाल, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हम अपीलार्थी के विरुद्ध अपराध में फंसाने वाली परिस्थितियों को सूचीबद्ध कर रहे हैं ।

11. प्रति. सा. 3 के मकान में सामान्यतः केवल प्रति. सा. 3, उसका भतीजा (अपीलार्थी) और अपीलार्थी की पत्नी (मृतका) रहते थे । जैसा कि अभिलेख के साक्ष्य से दृष्टिगोचर है, प्रति. सा. 3 घटना के समय 80 वर्ष की थी और स्वीकृततः पैरों से अशक्त और कार्य-क्षमता क्षीण थी । मृतका ने दाह-क्षतियां पहुंचने पर स्पष्टतः प्रति. सा. 3 से किसी सहायता की प्रत्याशा नहीं की थी और इसलिए वह दौड़कर पड़ोस के मकान में गई । पड़ोसी भी अपीलार्थी की प्रवृत्ति से भलीभांति परिचित थे, इसलिए मृतका को अस्थायी शरण दी और चिकित्सीय सहायता के लिए परिवहन मुहैया करते हुए सहायता का हाथ बढ़ाया । इसी पड़ोसी (अभि. सा. 13) के मकान में अभि. सा. 5 और अभि. सा. 12 पहुंचे थे । उनके पहुंचने के पश्चात् ही वे और अन्य व्यक्ति मृतका को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अडोर ले गए थे । मृतका ने घटना के बारे में कथन सबसे पहले अभि. सा. 18, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अडोर का डाक्टर है, को किया था । अभि. सा. 18 द्वारा दुर्घटना रजिस्टर-सह-घाव प्रमाणपत्र, प्रदर्श पी-11 में क्षति

पहुंचने का वृत्तांत और कारण "घर पर अपराह्न में 7.00 बजे मानववध क्षतियां" (जैसा लिखा है वैसा ही) के रूप में अभिलिखित किया गया है । प्रदर्श पी-11 पर तारीख 16 अक्तूबर, 2005 पड़ी है और यह अपराह्न में 8.45 बजे जारी किया गया था । अभि. सा. 5 का यह पक्षकथन है कि उसकी भतीजी को प्राथमिक उपचार दिए जाने के तुरंत पश्चात् उसने यह बताया था कि अपीलार्थी ने उस पर मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगाई थी, चूंकि उसने उसे शराब पीने के लिए धन देने से इनकार कर दिया था । मृतका की बहिन, अभि. सा. 4 और मृतका के पिता, अभि. सा. 6 को घटना के बारे में सूचित किया गया था और वे मृतका की ससुराल में आए थे, जहां से मृतका को पहले ही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अडोर ले जाया गया था । इसलिए अभि. सा. 4 और अभि. सा. 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अडोर गए, जहां वे अभि. सा. 5 और अभि. सा. 12 से मिले । अभि. सा. 4 ने मृतका से अस्पताल, जहां उसे प्राथमिक उपचार दिया गया था, में बात की थी और मृतका द्वारा इस साक्षी को अपीलार्थी द्वारा उसे पहुंचाई गई दाह-क्षतियों के बारे में बताया था । अभि. सा. 6 और अभि. सा. 12 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल, तिरुवनंतपुरम में मृतका ने उनसे उसे पहुंची दाह-क्षतियों के पीछे अपीलार्थी का हाथ होने की बात बताई थी । सबसे बढ़कर, अभि. सा. 20 द्वारा अभिलिखित कथन, प्रदर्श पी-12 है । प्रदर्श पी-12 में उस अव्यवहित परिस्थिति का चित्रण है जो झगड़े की जड़ बनी, धन देने से इनकार करने पर मृतका पर किए गए पश्चात्वर्ती कटाक्ष, मृतका के शरीर पर मिट्टी का तेल फेंकने के कृत्य और उसे आग लगा देना, ये ऐसी अत्यन्त बाध्यकारी परिस्थितियां हैं जिनका अभियोजन पक्ष ने इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अवलंब लिया है कि 'यह कृत्य किसने किया' ?

12. उच्चतम न्यायालय द्वारा पूर्णतः अव्यवहित और आस-पास की परिस्थितियों पर निर्भर इस प्रकृति के मामले में साक्ष्य का मूल्यांकन करने के लिए सिद्धांत अनेक बार अधिकथित किए गए हैं और **किशोर चंद** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में इन सिद्धांतों को दोहराया गया है, जो निम्नलिखित हैं :–

> "पारिस्थितिक साक्ष्य के मामले में सभी परिस्थितियां, जिनसे दोषिता का निष्कर्ष निकाला जाना है, पूर्णतः और निश्चायक रूप से

[1] ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 2140.

सिद्ध होनी चाहिएं । इस प्रकार सिद्ध सभी तथ्य केवल अभियुक्त की दोषिता की परिकल्पना के संगत होने चाहिएं । साबित परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति और निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिएं जो अचूक अभियुक्त की दोषिता की ओर इंगित करती हों । ये परिस्थितियां ऐसी होनी चाहिएं जिनसे साबित किए जाने के लिए प्रस्तावित परिकल्पना के सिवाय सभी परिकल्पनाएं अपवर्जित हो जाएं । परिस्थितियों का समाधानप्रद रूप से सिद्ध होना आवश्यक है और साबित परिस्थितियों से अभियुक्त का अपराध सभी युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध होना चाहिए । यह आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक परिस्थिति स्वतः निश्चायक हो किंतु घटनाओं की संचयी रूप से ऐसी अटूट श्रृंखला बननी चाहिए जो अभियुक्त के दोष का सबूत बन जाए । यदि उन परिस्थितियों या उनमें से कुछ को किसी भी युक्तियुक्त परिकल्पना द्वारा स्पष्ट किया जा सकता हो, तो अभियुक्त को उस परिकल्पना का अवश्य ही फायदा दिया जाना चाहिए ।"

अतः इस मामले में अभियुक्त की निर्दोषिता से संगत प्रत्येक युक्तियुक्त परिकल्पना का अपवर्जन होने के कारण सर्वप्रथम सर्वोपरि विचार आत्महत्या और दुर्घटना की कहानी पर किया जाना चाहिए ।

13. आत्महत्या की कहानी एकमात्र रूप से पक्षद्रोही साक्षी अभि. सा. 13 द्वारा प्रतिपादित की गई है । जब मृतका अभि. सा. 13 के मकान पर आई, यह स्वीकृत बात है कि अभि. सा. 13, प्रति. सा. 1 और अभि. सा. 7 वहां मौजूद थे । अभि. सा. 13 पक्षद्रोही हो गया और जो कुछ पुलिस के समक्ष कथन किया था, न्यायालय में उसके प्रतिकूल यह अभिसाक्ष्य दिया कि मृतका से जलने के कारण के बारे में पूछने पर उसने यह उत्तर दिया था कि उसने अपने ऊपर मिट्टी का तेल छिड़क लिया और आग लगा ली । तथापि, न तो अभि. सा. 7, जो कि पक्षद्रोही हो गया और न ही अभि. सा. 13 की पत्नी प्रति. सा. 1, जो अभियुक्त की ओर से साक्षी है, का ऐसा पक्षकथन है । विद्यमान परिस्थितियां भी आत्महत्या की कहानी के विरुद्ध हैं और इतना ही नहीं अभियुक्त का भी स्वयं ऐसा पक्षकथन नहीं है । हमारी राय में, अभि. सा. 13 द्वारा प्रतिपादित आत्महत्या की कहानी एक मनगढ़ंत कल्पना है जिसे आरंभ में ही त्यक्त किया जाना चाहिए ।

14. अब अभियुक्त द्वारा बताई गई दुर्घटना की कहानी और उसके द्वारा प्रतिपरीक्षा में दिए गए सुझावों तथा धारा 313 के अधीन किए गए कथन के साथ-साथ प्रति. सा. 3 द्वारा किए गए कथन पर विचार करते

हैं । जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, प्रति. सा. 3 एक 80 वर्षीय अशक्त वृद्ध स्त्री है । मकान, जिसमें घटना घटी थी, दो कमरे का एक छोटा-सा मकान था और यदि दुर्घटना की कहानी पर विश्वास किया जाए, तो यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि प्रति. सा. 3 अपनी आयु और अशक्तता के बावजूद आग बुझाने या कम-से-कम अपने पड़ोसियों को पुकारने का प्रयास करती । उस कमरे में जिसमें घटना घटी, वृद्ध महिला की मौजूदगी की बात पर, पल भर के लिए भी, किसी साक्ष्य के अभाव में उसकी अंतर्ग्रस्तता के संबंध में विश्वास नहीं किया जा सकता है । न तो पड़ोसियों और न ही उन व्यक्तियों ने जो वहां इकट्ठा हो गए थे, प्रति. सा. 3 की मौजूदगी के बारे में कुछ कहा है तथा प्रति. सा. 3 के शरीर या वस्त्रों पर जलने की कोई क्षति नहीं थी । निस्संदेह, दुर्घटना से कमरे में रखी अन्य वस्तुओं पर भी जलने के चिह्न होने चाहिएं थे । घटना में केवल मृतका, उसके वस्त्र और उसकी संपत्ति ही झुलसी थी । न्यायालय के समक्ष प्रति. सा. 3 के अभिसाक्ष्य में यह बात आई है कि अभि. सा. 3 उस समय जब घटना घटी, अपने भतीजे (अपीलार्थी) की देखरेख में थी और उसके पश्चात् अपनी बहिन, अपीलार्थी की माता, की देखरेख में थी, ये बातें उसे हितबद्ध साक्षी बनाती हैं । उसके द्वारा बताए गए घटना के वृत्तांत को समग्र परिस्थितियों में विचार करने पर हितबद्ध वृत्तांत होने के रूप में नामंजूर किया जाना चाहिए ।

15. दुर्घटना के अभिवाक् को त्यक्त करने के लिए एक अन्य बाध्यकारी परिस्थिति दुर्घटना के पश्चात् अभियुक्त की गैर-मौजूदगी है । निस्संदेह, अभियुक्त को दुर्घटना के समय अपने ठिकाने के बारे में बताना और स्पष्ट करना चाहिए था । जिस मकान में घटना घटी, उसमें केवल अपीलार्थी, उसकी पत्नी और उसकी मौसी रहते थे । अभियुक्त द्वारा धारा 313 के अधीन किए गए अपने कथन में दिया गया स्पष्टीकरण यह है कि जब वह एक छोटी-सी दुकान से पंसारी का सामान खरीदने के पश्चात् वापस आ रहा था, तो उसने अभि. सा. 13 के मकान पर हलचल देखी और वहां जाकर अपनी पत्नी को एक धोती में लिपटे हुए एक कार के अंदर बैठे हुए पाया । उसकी यह दलील है कि जब उसने वहां खड़े अभि. सा. 5 से पूछताछ की तो अभि. सा. 5 ने यह उत्तर दिया कि वह बाद में बताएगा । यह दलील स्वतः अविश्वसनीय है, चूंकि स्वाभाविक मानव आचरण यह नहीं है कि एक पति के इस प्रश्न को कि उसकी पत्नी के साथ क्या घटित हुआ है, इतने हल्केपन से अनसुना कर दिया जाए और

उस दुर्घटना की अनधिसंभाव्य स्थिति में ऐसी बात पति के निश्चित रूप से बिना आपत्ति के गले नहीं उतरेगी । अपीलार्थी का आगे यह पक्षकथन है कि इसके बाद वह अपने घर गया, जहां प्रति. सा. 3 ने उसे दुर्घटना के बारे में बताया । उसने यह दावा किया कि फिर वह अडोर स्थित अस्पताल में गया, जहां उसने पुनः यह प्रकटन किया कि हालांकि उसने उसकी पत्नी को ले जा रहे यान को रुकवाने की कोशिश की थी किंतु उसकी अनदेखी कर दी गई । अपीलार्थी/अभियुक्त द्वारा किए गए कथन की सत्यता का अवधारण करने के लिए इस न्यायालय की सहायतार्थ उस कार के ड्राइवर द्वारा दिया गया साक्ष्य पेश किया गया है जिसने अभि. सा. 13 के मकान से मृतका को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अडोर पहुंचाया था और वह प्रतिरक्षा पक्ष का साक्षी है । प्रति. सा. 2 का यह कथन है कि जब क्षतिग्रस्त को अभि. सा. 13 के मकान से ले जाया जा रहा था, तब लगभग 100 मीटर आगे से अभियुक्त को कार की ओर आते हुए देखा गया और जब प्रति. सा. 2 ने कार रोकने की कोशिश की तो अभि. सा. 5, जो कार के अंदर बैठा था, ने उसे यह कहते हुए कार न रोकने के लिए कहा कि यह जलने का मामला है । इस बात से अपीलार्थी और प्रतिरक्षा साक्षी द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की विसंगति साफ-साफ प्रकट होती है । यह स्पष्टीकरण अंतर्निहित रूप से अस्थिर और असंगत है तथा इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए राजी नहीं कर सका है कि अपीलार्थी घटना के समय मकान में मौजूद नहीं था । इसके विपरीत, इस बात से अपीलार्थी के आस-पड़ोस में ही मौजूद होने की बात सिद्ध होती है ।

16. न्यायालय के मस्तिष्क पर ज्यादा असर डाल रही एक अन्य परिस्थिति यह है कि मृतका के अभि. सा. 13 के मकान पर जाने के पश्चात् पड़ोसियों द्वारा केवल मृतका के पिता को ही सूचित करने का प्रयत्न किया गया और किसी ने भी अपीलार्थी को सूचित करना या कम-से-कम उसके ठिकाने का पता लगाना उचित नहीं समझा । दुर्घटना की कहानी एक बार फिर संदेह के घेरे में है । अभियुक्त की निर्दोषिता की प्रत्येक परिकल्पना की अधिसंभाव्यता पर विचार करने के पश्चात् अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या अभियुक्त का दोष सभी युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध होता है ।

17. नातेदारों में से एक अभि. सा. 5, जिसने सबसे पहले क्षतिग्रस्त को देखा था और उसके साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अडोर गया था, ने मृतका द्वारा घटना के बारे में किए गए कथन के बारे में बताया है । यह

सत्य है कि उसने ऐसे कथन के बारे में बातचीत प्राथमिक उपचार देने के पश्चात् की थी । यह स्वाभाविक बात है कि बुरी तरह से जली अपनी भतीजी को देखने के पश्चात् उसकी प्रथम चिंता उसे प्राथमिक उपचार देने की रही होगी और केवल उसके बाद ही एक सामान्य व्यक्ति ऐसी दाह-क्षतियां पहुंचने के कारण के बारे में जानना चाहेगा । मृतका की बहिन अभि. सा. 4 ने भी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अडोर में मृतका द्वारा किए गए कथन के बारे में बताया है । अभि. सा. 6 और अभि. सा. 12, जो क्रमशः मृतका का पिता और जीजा है, ने मृतका द्वारा आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल, तिरुवनंतपुरम में उनसे किए कथन के बारे में बताया है । विभिन्न साक्षियों को अलग-अलग स्थानों पर कथन करने मात्र से ही यह कथन अविश्वसनीय नहीं हो सकता है । यह स्वाभाविक बात है कि साक्षियों ने न्यायालय के समक्ष सुनी-सुनाई बात के बारे में ही कथन करना नहीं चाहा और उस सही समय और स्थान के बारे में कथन किया जहां स्वयं मृतका ने उनको घटना के बारे में बताया था ।

18. अभि. सा. 13 ही केवल ऐसा व्यक्ति है, जिसने आत्महत्या करने के प्रयत्न के बारे में कथन किया है और इस कथन को हमने पहले ही मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में पूर्णतः अविश्वसनीय पाया है । प्रति. सा. 1 ने यहां तक कि अपने पति द्वारा लिए गए पक्षद्रोही आधार के प्रतिकूल यह कहने की कोशिश की है कि उसने मृतका से दाह-क्षतियों के बारे में पूछताछ नहीं की थी । यह विचार करने की बात है कि क्या यह संभव है कि मृतका का घनिष्ठ मित्र होने का दावा करने वाली प्रति. सा. 1 ने मृतका से दाह-क्षतियां पहुंचने के कारण का पता लगाने का प्रयत्न नहीं किया होगा, जबकि उसने यह बात स्वीकार की है कि जब अभि. सा. 13 और अभि. सा. 7 परिवहन के लिए कोई उपयुक्त साधन लेने गए थे, तब मृतका उसके घर में थी । हमारा यह मत है कि प्रति. सा. 1 का संपूर्ण साक्ष्य मनगढ़ंत है और इसे केवल त्यक्त किया जाना चाहिए ।

19. नातेदार साक्षियों की विश्वसनीयता के प्रश्न पर विचार करते हैं । यह अधिकथित किया गया है कि केवल मात्र नातेदारी ऐसे साक्ष्य को त्यक्त करने का कारण नहीं है । हित का तथ्य आवश्यक रूप से न्यायालय को ऐसे साक्ष्य पर विचार करते समय सचेत करता है और परिस्थितियों से कुछ संपुष्टि हुए बिना ऐसे साक्ष्य का अवलंब लेने से रोकता है । ऐसे साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करने में अत्यधिक सावधानी बरतना आवश्यक है और यदि वे विश्वासप्रद, भरोसेमंद और विश्वसनीय पाए जाते

हैं तो उनका अवलंब लिया जा सकता है और केवल इस आधार पर उनका साक्ष्य त्यक्त नहीं किया जा सकता है कि वे घनिष्ठ नातेदार हैं [**ओंकार** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाला मामला देखें] । इस मामले में हितबद्ध साक्षियों द्वारा किए गए कथनों की संपुष्टि मृतका द्वारा अभि. सा. 18, जिसने उसे प्राथमिक उपचार दिया था और प्रदर्श पी-11 घाव प्रमाणपत्र में उसका कथन अभिलिखित किया था, को किए गए प्रथम कथन से होती है । प्रदर्श पी-11 में का कथन घटना के निकट का है और मृतका का प्रथम कथन है और जिसकी अन्य साक्षियों द्वारा संपुष्टि की गई है जो स्वीकृततः उसकी मृत्यु होने तक उसके साथ अस्पताल में मौजूद थे । अभि. सा. 18 प्रतिपरीक्षा में भी अडिग रहा और स्पष्ट रूप से यह कथन किया कि रोगी ने उसे यह बताया था कि उसके पति ने उसे आग लगाई है ।

20. प्रदर्श पी-11 में अभि. सा. 18 द्वारा अभिलिखित किए गए क्षति पहुंचने के कारण को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि अभि. सा. 18 द्वारा कथित रूप से जो सूचना भेजी गई थी, वह पुलिस थाने में प्राप्त नहीं हुई थी और जो संदर्भ टिप्पण जारी किया गया था, उसे प्रस्तुत और साबित नहीं किया गया है । इस बात को विवादग्रस्त नहीं किया जा सकता है कि अभि. सा. 18 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अडोर में मृतका को प्राथमिक उपचार दिया गया था । रोगी द्वारा बताए अनुसार अभि. सा. 18 द्वारा अभिलिखित किया गया जलने का कारण घटना के निकट है और केवल इस कारण अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है कि अभि. सा. 18 द्वारा कथित रूप से भेजी गई सूचना और संदर्भ टिप्पण को प्रस्तुत या साबित नहीं किया गया है । घटना का सबसे निकट वृत्तांत, जैसा कि विपदग्रस्त द्वारा बताया गया था, अभि. सा. 4 और 5, जिन्होंने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अडोर में मृतका से घटना के बारे में सुना था, द्वारा दिए गए वृत्तांत के अनुरूप है । अभि. सा. 6 और 12 ने भी मृतका के बयान के बारे में अभिसाक्ष्य दिया है, जो मृतका द्वारा बताई गई बातों से मेल खाता है और इस पर केवल इस तथ्य के आधार पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता है कि उक्त साक्षियों ने मृतका से यह वृत्तांत आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल, तिरुवनंतपुरम में सुना था । इस संदर्भ में, यह भी उल्लेखनीय है कि अभि. सा. 13, जिसने घटना के पश्चात् पहली बार अभियुक्त को देखा था, को अपने पूर्ववर्ती कथन, जो इस आशय का था

---

[1] (2012) 2 एस. सी. सी. 273.

कि अपीलार्थी ने मृतका को आग लगाई थी, से विचलन करने के कारण पक्षद्रोही घोषित किया गया था ।

21. तथापि, अपीलार्थी के काउंसेल ने हमारा ध्यान प्रदर्श पी-13 मामला अभिलेख में अभिलिखित किए गए कारण की ओर दिलाया, जो इस प्रकार है - "दर्शकों से वृत्तांत अभिप्राप्त किया गया : एच/ओ मिट्टी के तेल के दीये से दुर्घटनावश जलने की क्षतियां" (जैसा लिखा है) । हमारी राय में, केवल इस बात से ही मृतका के कथन को अविश्वसनीय नहीं माना जा सकता है । अभिलेख से यह पता चलता है कि मृतका के साथ कई व्यक्ति गए थे और उन सभी ने सुसंगत समय पर मृतका से बात नहीं की थी या घटना के बारे में उसके स्पष्टीकरण को नहीं सुना था । मृतका के साथ जाने वाले व्यक्तियों में से किसी ने भी घटना नहीं देखी थी । यद्यपि प्रदर्श पी-13 में अभिलिखित वृत्तांत को विनिर्दिष्ट रूप से अभि. सा. 21, डाक्टर के समक्ष प्रतिपरीक्षा में रखा गया था, तो भी यह बात प्रासंगिक है कि प्रतिरक्षा पक्ष ने यह पता लगाने का कोई प्रयत्न नहीं किया कि दर्शक कौन था या जो वृत्तांत बताया गया है वह सुनी-सुनाई बात थी या प्रत्यक्ष जानकारी में आया था । इस संदर्भ में, हम अभि. सा. 20 द्वारा अभिलिखित किए गए प्रदर्श पी-12 से और संपुष्टि करेंगे ।

22. अपीलार्थी के काउंसेल ने अभि. सा. 20 द्वारा अभिलिखित किए गए प्रदर्श पी-12 को सीधे-सीधे चुनौती देते हुए मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता के विरुद्ध दलील दी । काउंसेल ने यह बताने के लिए अनेक विनिश्चयों का अवलंब लिया कि मृतका के मृत्युकालिक कथन को अभिलिखित करने के लिए कोई मजिस्ट्रेट नहीं बुलाया गया था और डाक्टर द्वारा मृतका की मानसिक दशा के संबंध में कोई प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया था तथा चिकित्सा अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि रोगी को शामक औषधि दी जा रही थी और यह बात मृतका के उस समय होश में होने के विरुद्ध जाती है जब अभिकथित रूप से मृत्युकालिक कथन किया गया था ।

23. **आंध्र प्रदेश राज्य** बनाम **गुव्वा सत्यनारायण**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय पत्नी वध के एक इसी प्रकार के मामले पर विचार कर रहा था जिसमें मृतका को अपराह्न में 9.00 बजे घटी घटना में दाह-क्षतियां पहुंचने पर अपराह्न में 11.45 बजे अस्पताल में भर्ती किया गया था

---

[1] (2008) 12 एस. सी. सी. 692.

और उसने अगले दिन पूर्वाह्न में 5.40 बजे एक मृत्युकालिक कथन किया जिसमें अभियुक्त को आलिप्त किया गया । उच्चतम न्यायालय ने यह अवेक्षा करते हुए कि डाक्टर ने यह पाया था कि मृतका को अभिकथित दाह-क्षतियां अपने निवास पर दुर्घटनावश पहुंची थीं, उच्च न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के आदेश को उलटने से इनकार कर दिया । उक्त मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पाया गया निर्णायक पहलू यह था कि शिकायतकर्ता के साथ-साथ मृतका की माता, जो मृतका के साथ अस्पताल गए थे, ने यह दावा किया था कि मृतका बेहोश थी और केवल दूसरे दिन होश में आई थी । ऐसी परिस्थिति होने पर ही कथित रूप से किसी और द्वारा नहीं बल्कि स्वयं मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किए गए मृत्युकालिक कथन को विश्वसनीय नहीं पाया था । **राजस्थान राज्य** बनाम **वाकटेंग**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई कथन केवल इस कारण एकदम नामंजूर नहीं किया जा सकता है कि यह पुलिस कार्मिक द्वारा अभिलिखित किया गया है और मृतका के अंगूठे की छाप लगाई गई है । तथापि, उक्त मामले में अभिलिखित किए गए मृत्युकालिक कथन पर इस आधार पर विश्वास नहीं किया गया था कि थाना अधिकारी, जिसने कथन अभिलिखित किया था, ने डाक्टर से कथनकर्ता की मानसिक दशा के बारे में अभिनिश्चित नहीं किया था और न ही डाक्टर को इस बात की जानकारी थी कि ऐसा कोई कथन अभिलिखित किया गया है । उक्त मामले के तथ्यों में यह अभिनिर्धारित किया गया कि ऐसा कथन अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए मजिस्ट्रेट को न बुलाने का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । **शेख रफीक और एक अन्य** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[2] वाला मामला ऐसा मामला था जिसमें सहायक उप निरीक्षक अस्पताल से सूचना प्राप्त होने पर मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने के लिए गया था, किंतु मजिस्ट्रेट को, उसके उपलब्ध होने के बावजूद, बुलाने में असफल रहा । इसके अतिरिक्त, चिकित्सा अधिकारी से प्रमाणपत्र न लेने और जब कथन किया गया था वह समय अभिलिखित नहीं करने के तथ्य को भी अभियोजन के लिए घातक अभिनिर्धारित किया गया था । **शेख बक्शु** बनाम **महाराष्ट्र राज्य**[3] वाले मामले में मृत्युकालिक कथन की ग्राह्यता से कई कमियां होने

---

[1] (2007) 14 एस. सी. सी. 550.

[2] (2008) 3 एस. सी. सी. 691.

[3] (2007) 11 एस. सी. सी. 209.

के कारण इनकार कर दिया गया था । **महबूबसाब अब्बासाबी नाडफ** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले के विनिश्चय का भी अवलंब लिया गया है जिसमें चार मृत्युकालिक कथन किए गए थे और प्रत्येक कथन में घटना का अलग-अलग कारण बताया गया था और सभी अभियुक्तों को नामित नहीं किया गया था । **सरोजिनी अम्मा** बनाम **केरल राज्य**[2] वाले मामले की भी हमारे समक्ष यह दर्शित करने के लिए दलील दी गई कि किसी मृत्युकालिक कथन की स्वीकार्यता का विनिश्चय करते समय रोगी को दी गई शामक औषधियों के प्रभाव पर सुसंगत कारक के रूप में विचार किया जाना चाहिए ।

24. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने उपरोक्त विनिश्चयों का अवलंब लेते हुए प्रस्तुत मामले में किए गए मृत्युकालिक कथन को ऊपर वर्णित आधारों पर चुनौती दी है । हमारी राय में, ऊपर निर्दिष्ट विनिश्चयों से अपीलार्थी को कोई सहायता नहीं मिलती है । इस तथ्य के होते हुए भी कि काउंसेल द्वारा अवलंब लिए गए विनिश्चय निरपवाद रूप से पत्नी को जलाने से संबंधित हैं और वह भी मिट्टी तेल से ही, किंतु उन विनिश्चयों में परिस्थितियां पूर्णतः भिन्न थीं । तथ्यात्मक सदृश्यता के अतिरिक्त, विधि को परिस्थितियों के अनुसार लागू किया जाना चाहिए । पूर्ववर्ती निर्णय, विशिष्ट रूप से दांडिक मामले में, सिद्धांतों का ऐसा संवृत संकलन नहीं होते हैं जो यांत्रिक रूप से लागू किए जाएं, अपितु न्यायिक चिंतन की प्रक्रिया को सतत् रूप से संतृप्त करने वाले प्रेरणा स्रोत हैं ।

25. इस दलील पर विचार करने के लिए कि कथन अभिलिखित करने के लिए कोई मजिस्ट्रेट उपलब्ध नहीं किया गया था, हम, क्षण भर के लिए, विवाद्यक तथ्यों से विचलन करते हैं । हमारे समक्ष उद्धृत किए गए सभी विनिश्चयों में यह देखा गया है कि मृत्युकालिक कथन ऐसा कथन था जिसमें कथनकर्ता को आसन्न मृत्यु का सामना करना पड़ा था और ऐसे कथनों की पुनीतता पर कोई अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है । यह अतिसामान्य विधि है कि किसी मरणासन्न व्यक्ति के शब्दों के साथ अत्यधिक सत्यनिष्ठा और पुनीतता जुड़ी होती है क्योंकि अपने रचयिता के पास जाने की आसन्न संभाव्यता होने पर कोई व्यक्ति, सामान्य मानवीय आचरण को देखते हुए, कहानी गढ़ना और निर्दोष व्यक्ति को फंसाना नहीं चाहेगा । मृत्यु के पश्चात् घटित होने वाले रहस्य और भय

---

[1] (2007) 13 एस. सी. सी. 112.

[2] 2003 क्रिमिनल ला जर्नल 3323 (केरल).

तथा अवसर की पारिणामिक पुनीतता ने विधि रचयिताओं को ऐसे अवसर पर किए गए कथनों की ग्राह्यता को अनुज्ञा देने के लिए, यहां तक कि अभियुक्त को ऐसे कथनों की सत्यता को प्रतिपरीक्षा में चुनौती देने के अवसर से प्रतिषिद्ध करने का जोखिम उठाकर, प्रेरित किया । तथापि, भारतीय साक्ष्य अधिनियम एक कदम और आगे जाता है और धारा 32 की उपधारा (1) में यह उपबंध करता है कि जब किसी व्यक्ति द्वारा कोई कथन अपनी मृत्यु के कारण या उन परिस्थितियों के बारे में किया गया है जिसके फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई, ऐसा कथन इस बात को दृष्टि में लाए बिना सुसंगत है कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं । इसके अतिरिक्त, पुलिस द्वारा साक्षियों की परीक्षा करने और ऐसे कथन अभिलिखित करने का ढंग दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 में उपबंधित है । तथापि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अनुसार, ऐसा कथन हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा या किसी जांच या विचारण में साक्ष्य के तौर पर प्रयुक्त नहीं किया जाएगा । धारा 162(2) एक अपवाद का सृजन करती है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (2) की परिधि के भीतर आने वाले किसी कथन से विनिर्दिष्ट अपवर्जन का उपबंध करती है । अतः पुलिस द्वारा धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया कोई कथन भी हालांकि धारा 162 के अधीन साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं है, तो भी धारा 32 (1) के प्रयोजन के लिए एक मृत्युकालिक कथन होना समझा जा सकता है । प्रदर्श पी-12 धारा 154 के अधीन अभिलिखित किया गया कथन होने और इत्तिलाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित होने के कारण संहिता के स्पष्ट उपबंधों को देखते हुए धारा 161 के अधीन किए गए कथन से बेहतर स्थिति में है । ऐसी परिस्थितियों में प्रदर्श पी-12 पर निश्चित रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अधीन मृतका द्वारा किए गए कथन के रूप में विचार किया जा सकता है और प्रस्तुत मामले में निश्चित रूप से एक बाध्यकारी परिस्थिति है ।

26. ऊपर उद्धृत सभी विनिश्चय ऐसी परिस्थिति के संबंध में है जिनमें कथनकर्ता और वह व्यक्ति जिसने इसे लेखबद्ध किया, कथनकर्ता की आसन्न मृत्यु से भिज्ञ था । ऐसी परिस्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कथनों को अविश्वसनीय पाया और जिसका कारण यह था कि इन कथनों को अभिलिखित करने के लिए मजिस्ट्रेट को नहीं बुलाया गया था । हमें खेद है कि प्रस्तुत मामले में तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के संदर्भ में भी "मृत्युकालिक कथन" शब्द का प्रयोग अयथार्थ नामकरण है और यहां तक कि हमने इस पद का प्रयोग परिपाटी

अनुसार किया है । यह प्रासंगिक बात है कि इस मामले में अभि. सा. 20 कोई मृत्युकालिक कथन अभिलिखित करने नहीं गया था । आयुर्विज्ञान महाविद्यालय अस्पताल से सूचना प्राप्त होने पर अभि. सा. 20 को एक महिला कांस्टेबल के साथ अभिकथित घटना में विपदग्रस्त का कथन अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए तैनात किया गया था । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन इस प्रकार अभिलिखित किया गया कथन कथनकर्ता की पश्चात्वर्ती मृत्यु होने पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अधीन सुसंगत माना जाता है । तथ्यों और परिस्थितियों में, किसी मजिस्ट्रेट को बुलाने में असफल रहने की बात कथन की ग्राह्यता को प्रभावित करने के लिए एकमात्र आधार नहीं हो सकती है । हमने मृतका द्वारा अपनी बहिन, चाचा, पिता और जीजा को किए गए संगत कथनों के साथ-साथ अभि. सा. 18, जो घटना के पश्चात् सबसे पहले मिलने वाला व्यक्ति था, द्वारा अभिलिखित किए गए क्षति पहुंचने के कारण पर विचार किया है ।

27. अपीलार्थी के काउंसेल द्वारा दी गई अगली दलील यह है कि डाक्टर द्वारा मृतका की मानसिक दशा और संगत कथन करने के लिए उसकी सक्षमता के संबंध में कोई प्रमाणपत्र उससे ऐसा कथन लेने से पूर्व जारी नहीं किया गया था । विद्वान् काउंसेल ने इस दलील को और पुष्ट करने के लिए हमारा ध्यान चिकित्सा मामला अभिलेख, प्रदर्श पी-13 की ओर दिलाया तथा यह उल्लेख किया कि रोगी को आठ-आठ घंटे की अवधि में "फेनरगन" और "पेथिडाइन" दी गई थी और इनके देने के परिणामस्वरूप रोगी शांत रहता है और इस प्रकार कथनकर्ता/रोगी के लिए दाह-क्षतियों के कारण का ईमानदारी और स्पष्ट रूप से उल्लेख करना और भी असम्भव हो जाता है । इस संदर्भ में, यह प्रासंगिक है कि अभि. सा. 20, जिसने प्रदर्श पी-12 अभिलिखित किया था, ने प्रतिपरीक्षा में विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया कि कथन अभिलिखित करने से पूर्व वह ड्यूटी कक्ष में गया था और उसने ड्यूटी नर्स के माध्यम से डाक्टर से रोगी की हालत के बारे में पूछा था और इस प्रकार रोगी की सक्षमता सुनिश्चित की थी । पुनः हम यह स्मरण करते हैं कि यह ऐसा मामला नहीं था जहां मृत्यु की कोई प्रत्याशंका थी और यहां तक कि डाक्टर के अनुसार भी रोगी होश में थी और स्थिर थी । यह तथ्य कि अभि. सा. 20 ने चिकित्सा परिचारक से सक्षमता सुनिश्चित की थी, जो स्पष्ट रूप से अन्वेषक अधिकारी को किए गए उसके पूर्ववर्ती कथन के अनुरूप है, चूंकि कोई विरोधाभास चिन्हित नहीं किया गया है । उपरोक्त वर्णित दो औषधियां दिए जाने और

इनके देने के पश्चात् जो प्रशांतक प्रभाव कारित होता है उसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने **सरोजिनी अम्मा** (उपरोक्त) वाले मामले को विनिर्दिष्ट रूप से यह दलील देने के लिए निर्दिष्ट किया है कि अभिलेख से ऐसी औषधियां देने की बात स्पष्ट होने पर न्यायालय को किसी और साक्ष्य के बिना कथन को अविश्वसनीय मान लेना चाहिए । हमारा ऐसा मानना नहीं है कि इस विनिश्चय में ऐसी कोई सर्वग्राही रोक अधिकथित की गई हो । वर्तमान संदर्भ में, यह प्रासंगिक है कि अभि. सा. 20 से औषधियां देने या कथनकर्ता के शांत रहने की संभावना के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया गया था । अभि. सा. 20 ने अन्यथा भी डाक्टर से की गई जांच-पड़ताल, परीक्षण और अभि. सा. 20 के साथ गई महिला कांस्टेबल द्वारा बनाए गए शरीर संबंधी टिप्पण, प्रदर्श 12(क) के आधार पर प्रकथन किया है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 21, डाक्टर जिसकी देखरेख में रोगी थी, से चिकित्सा अभिलेख में उल्लिखित औषधियों के दिए जाने के प्रभाव के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया गया था । अभि. सा. 21 ने न्यायालय के समक्ष स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि रोगी होश में थी और स्थिर थी तथा तारीख 17 मई, 2005 को अपराह्न में 7.30 बजे ही गिरावट देखी गई थी । केवल मात्र इस तथ्य से कि डाक्टर द्वारा रोगी का पूर्वाह्न में 10.00 बजे परीक्षण किया गया था, यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अपराह्न में 1.00 बजे उसकी हालत भिन्न थी जब कथन अभिलिखित किया गया था । ऐसा नहीं है कि डाक्टर से हर समय रोगी के बिस्तर के पास डटे रहने की प्रत्याशा की जाए । नाजुक स्थिति में भर्ती रोगी की हालत को ड्यूटी नर्सें मानीटर करती हैं और किसी गिरावट के बारे में निश्चित रूप से चिकित्सा परिचारक के ध्यान में लाएंगी । औषधियां देने की बात से ही स्वतः विपदग्रस्त की हालत या कथन करने के लिए उसकी सक्षमता के संबंध में कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जा सकता है और डाक्टर के समक्ष ऐसी किसी परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया गया था ।

28. प्रदर्श पी-12 को चुनौती देते हुए दी गई अगली दलील हस्ताक्षर की भिन्नता के संबंध में है । यह दलील अन्य बातों के साथ-साथ इस चुनौती को अग्रसर करने के लिए है कि प्रति. सा. 1 की परीक्षा की गई है । हमने पहले ही यह अवेक्षा की है कि प्रति. सा. 1 के साक्ष्य से कतई कोई विश्वास पैदा नहीं होता है । तथापि, प्रदर्श पी-12 में के हस्ताक्षरों की भिन्नता के संबंध में, जो अपीलार्थी के नहीं हैं, प्रति. सा. 1 के साक्ष्य पर

विचार करने के लिए हमने पुनः उसके साक्ष्य को देखा । प्रति. सा. 1 ने यह प्रकथन करते हुए कि वह मृतका के हस्ताक्षरों से अच्छी तरह परिचित है, यह स्वीकार किया है कि वह यह नहीं जानती कि उसका (साक्षी) पति और उसके दोनों बच्चे अपने हस्ताक्षर कैसे करते हैं । उसके साक्ष्य के बारे में जितना थोड़ा कहा जाए, बेहतर है । मृतका की सामाजिक प्रास्थिति और साक्षरता तथा ऐसे व्यक्तियों के हस्ताक्षर लगातार तब्दीली होने की संभावना को ध्यान में रखते हुए इस दलील पर इस रूप में विचार करने के लिए कोई गुणागुण नहीं है । आर्थिक और सामाजिक बाध्यताओं से हस्ताक्षर तब्दील नहीं होंगे, यह बात मृतका के मामले में पूरी तरह से लागू नहीं होती है ।

29. प्रस्तुत मामले में प्रकट परिस्थितियों के प्रति विशिष्ट निर्देश करते हुए विधि की उपरोक्त साधारण चर्चा के आधार पर हमारी यह राय है कि धारा 154 के अधीन मृतका से अभिलिखित किया गया कथन ऐसा कथन है जिसे सुरक्षित रूप से साक्ष्य अधिनियम की धारा 32(1) के अधीन ग्राह्य और स्वीकार्य होना अभिनिर्धारित किया जा सकता है । यह कथन इसलिए ग्राह्य है, चूंकि धारा 32(1) के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अपनी मृत्यु के कारण के बारे में किया गया कथन उन मामलों में सुसंगत है जिनमें उस व्यक्ति की मृत्यु के कारण के बारे में यह प्रश्न उठता है कि क्या ऐसे व्यक्ति को कथन करने के समय मृत्यु की प्रत्याशंका थी या नहीं । हमारे मत को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 से भी पर्याप्त समर्थन मिलता है जिसमें धारा 161 के अधीन किया गया कोई कथन साक्ष्य में प्रयोग करने से अपवर्जित किया गया है किंतु भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के खंड (1) के अधीन किए गए किसी कथन की बाबत एक अपवाद का सृजन करती है । धारा 154 के अधीन किया गया कथन धारा 161 के अधीन किए गए कथन से बेहतर स्थिति में होता है । यह बात स्वीकार्य है और इसका कारण यह है कि उपरोक्त मामले में अभिलिखित किए गए साक्ष्य से यथा प्रकटित तथ्यों से न्यायालय के मस्तिष्क में मृतका से अभिलिखित किए गए कथन की सद्भाविकता और सत्यता के बारे में विश्वास पैदा होता है । मृतका द्वारा कथन करने के समय उसके सामर्थ्य और सक्षमता को इंगित करने वाली विद्यमान परिस्थितियों के साथ-साथ उन्हीं बिंदुओं पर नातेदारों को किए गए पूर्ववर्ती कथनों से उसके वृत्तांत की विश्वसनीयता बढ़ जाती है । निःसंकोच रूप से, हमें मृतका द्वारा उन परिस्थितियों के बारे में, जिनमें उसकी मृत्यु हुई, किए गए कथन से सहायता मिलती है ।

30. विचार किए जाने के लिए शेष एकमात्र अन्य दलील यह है कि दीये में मिट्टी का तेल मृतका को पहुंची दाह-क्षतियां कारित करने के लिए अपर्याप्त था । इस बारे में कोई विवाद नहीं हो सकता है कि दाह-क्षतियां मिट्टी के तेल से कारित की गई थीं और दीये के सिवाय परिसर से कोई भी अन्य स्रोत बरामद नहीं हुआ था । मिट्टी के तेल की कम मात्रा की बात वास्तव में आत्महत्या और दुर्घटना की कहानी के विरुद्ध जाएगी, चूंकि ऐसी स्थिति में परिरुद्ध करके और एकाग्र होकर जलाने की अधिक बनती है । तथापि, जब किसी व्यक्ति पर मिट्टी का तेल फेंका जाता है, तो यह काफी बड़े हिस्से में बिखर जाता है और इस प्रकार अत्यधिक जल जाने की अधिक संभावना होती है । इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि मृतका ने घटना के समय संश्लिष्ट नाइटी पहनी हुई थी, जैसा कि न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, प्रदर्श पी-2 से प्रकट होता है, जिससे जलने का प्रभाव बढ़ जाता है ।

31. समग्र परिस्थितियों, मृतक के उत्पीड़ित जीवन, अपीलार्थी की हिंसक और मादक प्रवृत्ति, मृत्यु के कारण के बारे में वैज्ञानिक और चिकित्सीय साक्ष्य, मृतका द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन और अपीलार्थी की निर्भ्रान्त उपस्थिति तथा उसके घटना के पश्चात् के आचरण पर विचार करते हुए हमारे मस्तिष्क में अभियुक्त की दोषिता के बारे में, जैसा कि अभियोजन पक्ष द्वारा सिद्ध किया गया है, तनिक भी संदेह नहीं रह जाता है । परिस्थितियों से अवश्य ही और निश्चित रूप से कोई कमजोर कड़ी रहित एक शृंखला बनती है और 'किसने' हत्या की, इस बात से निश्चित रूप से अपीलार्थी को संबद्ध करती हैं । प्रत्येक परिस्थिति से अलग-अलग और एक साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में यथा उपबंधित हत्या का निष्कर्ष निकलता है और अपीलार्थी का ऐसा स्वेच्छया आचरण आवश्यक रूप से धारा 498-क के स्पष्टीकरण के अधीन यथा परिभाषित 'क्रूरता' की कोटि में आता है । अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क और धारा 302 के अधीन दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है ।

32. अतः यह अपील खारिज की जानी चाहिए और तद्नुसार खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

# कानन बाला चौधरी (श्रीमती)

बनाम

# कबिता दास चौधरी (श्रीमती) और एक अन्य

तारीख 28 मार्च, 2012

**न्यायमूर्ति पी. के. सैकिया**

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 125 – भरण-पोषण – धारा 125 के अर्थांतर्गत आने वाले "माता" और "पिता" शब्द का अभिप्राय नैसर्गिक माता और नैसर्गिक पिता से है, इसके अंतर्गत सास और ससुर नहीं आते, अतः, सास और ससुर बहू से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकते ।**

संक्षेप में, मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि इसमें प्रत्यर्थी सं. 1 सुनील चंद्र नामक व्यक्ति की पत्नी है जो त्रिपुरा सरकार के ऊर्जा विभाग में सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था तथापि, उक्त सुनील चंद्र चौधरी की जब वह सेवा में तारीख 20 जुलाई, 2005 को मृत्यु हुई । उक्त सुनील चंद्र की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी श्रीमती कबिता चौधरी को हारनैस स्कीम के अंतर्गत मृत्यु होने पर उसके मृतक पति के विभाग में उसे नौकरी दी गई । सुनील चन्द्र चौधरी की पत्नी और एक पुत्र और एक पुत्री थी तथा उसकी विधवा माता थी तथा उसके वारिस के रूप में दो अविवाहित बहनें भी थीं तथापि, प्रत्यर्थी सं. 1 नौकरी प्राप्त करने के पश्चात् अलग रहने लगी और उसने अपनी गरीब विधवा सास को न तो कुछ पैसा दिया और न अपनी अविवाहित ननदों को भी कुछ पैसा दिया जिस वजह से उनके बीच गहरे मतभेद उभर गए । कोई दूसरा रास्ता न होने पर आवेदिका ने अपनी पुत्रवधु से भरण-पोषण चाहने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन विद्वान् न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल किया क्योंकि उसके पास पर्याप्त साधन होने के बावजूद भी उसने अपनी सास और ननदों का भरण-पोषण नहीं किया जो स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ थीं । कुटुंब न्यायालय ने पक्षकारों को सुनने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि आवेदिका श्रीमती कानन बाला चौधरी द्वारा फाइल किया गया आवेदन चलने योग्य नहीं है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में व्यवस्थित स्कीम के अधीन ऐसा नहीं है, सास अपनी पुत्रवधु के पति की मृत्यु के पश्चात् हारनैस स्कीम के

अंतर्गत मृत्यु होने की दशा में नौकरी पाने के बावजूद भी अपनी पुत्रवधु से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती है और तद्नुसार 2009 का प्रकीर्ण मामला सं. 227 में तारीख 25 अगस्त, 2009 के आदेश को विद्वान् न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया । 2009 का प्रकीर्ण मामला सं. 227 में विद्वान् न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा द्वारा तारीख 25 अगस्त, 2009 को पारित किए गए आदेश की कार्यवाही को चुनौती दी गई है । विद्वान् न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन इसमें आवेदिका द्वारा भरण-पोषण चाहा गया है क्योंकि विरोधी पक्षकार की सास द्वारा फाइल किया गया यह आवेदन चलने योग्य नहीं है। उक्त आदेश से व्यथित होकर याची ने यह याचिका उच्च न्यायालय में फाइल की । उच्च न्यायालय द्वारा याचिका खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के उपबंधों का परिशीलन करने पर इसकी रेखाओं के बीच से न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला है कि विधान-मंडल का यह आशय रहा है कि इसमें नियोजित कतिपय शब्द "माता" और "पिता" शब्दों का सामान्य या केवल जातिगत अर्थ अभिप्रेत है और इसलिए, इनका परिशीलन करना जरूरी है और किस भाव में इन्हें व्यक्त किया गया है, उन्हें भी समझना जरूरी है । ऐसा निर्वचन विधान-मंडल के उद्देश्य की भावना पर पाया जाता है जिसके लिए ऐसा अधिनियमन अस्तित्व में लाया गया था । "माता" और "पिता" शब्दों का एक दूसरा निर्वचन या इनके बीच का निर्वचन जैसाकि इसमें आवेदिका द्वारा वांछा की गई है, पूर्वोक्त अधिनियमन के पूर्ण प्रयोजन को न केवल विफल करता है बल्कि समाज के कई ताने-बाने को विनष्ट करके समाज पर तबाही भी लाएगा, जिस समाज में हम रहते हैं । इस प्रकार न्यायालय का विचारित मत यह है कि "माता" और "पिता" शब्द - जैसाकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्रयुक्त किया गया है - ऐसा अर्थ प्रकट करते हैं जिन्हें बहुधा और साधारण रूप से समझा जाता है । इस संदर्भ में, इस बात की जानकारी होना आवश्यक भी है कि "माता" और "पिता" के शब्दों का तथा अध्याय IX के शीर्ष में तथा इसके उपशीर्षक में शब्दकोश में क्या अर्थ है । विधान-मंडल ने "माता" और "पिता" शब्द के साथ पत्नियां शब्द और बच्चे शब्द को भी नियोजित किया है जैसाकि, ऊपर इंगित किया गया है । पूर्वोक्त शब्दकोश में "माता" और "पिता" में किसी व्यक्ति के "माता" और "पिता" शब्द को वर्णित किया गया है । "माता" या "पिता"

शब्द जब "माता" और "पिता" शब्द के साथ विचार किया जाता है तब ऐसे निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता है कि माता या पिता शब्द जैसाकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्रयुक्त किया गया है, से केवल नैसर्गिक पिता या नैसर्गिक माता अभिप्रेत है न कि कुछ और । न्यायालय की उपरोक्त प्रतिपादना से और अधिक स्पष्ट हो गया है, और इस तथ्य से और भी स्पष्ट हो जाता है कि जब कभी विधान-मंडल ने यह आशय प्रकट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्रयुक्त कतिपय शब्द का सामान्य कुछ भिन्न अर्थ निकाला जाता है या उन्हें किसी विशिष्ट तरीके से समझा जाता है तब ऐसे शब्दों को विनिर्दिष्ट रूप से परिभाषित किए गए शब्द पर समझा जाना चाहिए ताकि इन शब्दों को समझा जाए और इस भावना पर अर्थ निकाला जाना चाहिए जिसमें विधान-मंडल ने इस पर अपना आशय व्यक्त किया है और ऐसे शब्दों को पढ़ा जाना चाहिए । अतः विधान-मंडल ने अपनी बुद्धिमत्ता से "पत्नी" शब्द का कुछ सीमा तक अर्थ निकालने की आवश्यकता समझी । यह भी विश्वास किया गया कि "अवयस्क" शब्द जैसाकि पूर्वोक्त धारा में प्रयुक्त किया गया है, इसे केवल विशिष्ट रूप में समझा जाना चाहिए और विधान-मंडल ने क्यों उन दो शब्दों को किस तरीके से परिभाषित/वर्णित किया है । यदि ऐसा है तो कोई स्त्री जिसका विवाह-विच्छेद हो गया है या जिसने विवाह-विच्छेद करा लिया है तथा जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है ऐसी स्त्री दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के प्रयोजनों के लिए पत्नी होगी । पुनः कोई व्यक्ति जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के अनुसार अपनी वयस्कता प्राप्त नहीं कर ली है, जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का संबंध है उसे अवयस्क समझा जाएगा । क्या विधान-मंडल ने अपनी बुद्धिमता से क्रमशः "माता" और "पिता" के शब्दों के अंतर्गत सास तथा ससुर सहित "माता" और "पिता" शब्दों को भी विस्तार देने का आशय रहा है । इस धारा में स्वयं आवश्यक व्यवस्था करने के लिए उस बात को आसानी से लिया जा सकता है जैसाकि पत्नी और अवयस्क के मामले में किया गया है । किंतु ऐसा नहीं किया गया था जो इस तथ्य के परिसाक्ष्य से प्रकट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की अधिनियमित धारा 125 में विधान-मंडल ने कभी भी या हमेशा "माता" शब्द के अंतर्गत सास को सम्मिलित करने का आशय नहीं रहा है या "पिता" शब्द के अंतर्गत ससुर के मामले में भी जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्रयुक्त किया गया है । उपरोक्त विनिश्चयों से यह भी संकेत मिलता है कि "पिता" और "माता" शब्द से नैसर्गिक पिता और माता से अभिप्रेत है और इस प्रकार इन शब्दों में सास

या ससुर को भी सम्मिलित नहीं किया जा सकता तथा इस मामले में आवेदिका प्रत्यर्थी सं. 1 की सास है, इसलिए वह फायदा लेने का दावा नहीं कर सकती और इस बात को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के उपबंध के अधीन दिया गया है, वह पूर्वोक्त कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी की नैसर्गिक माता नहीं है । यदि ऐसा है तब मैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन मामले की आवेदिका द्वारा फाइल किए गए आवेदन को खारिज करने के आक्षेपित आदेश में किसी तरह भी कमी नहीं पाता हूं । (पैरा 15, 16, 18, 19, 20, 21 और 27)

**निर्दिष्ट निर्णय**

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2004] | (2004) 2 क्राइम्स 473 (एच. सी.) : **सुभाष चन्द्र** बनाम **इन्दु बाई** ; | 25 |
| [1996] | (1996) 4 एस. सी. सी. 479 : **कृतिकांत डी. वडोडरिया** बनाम **गुजरात राज्य और एक अन्य** ; | 26 |
| [1985] | [1985] 4 उम. नि. प. 106 = (1985) 3 एस. सी. सी. 398 = ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 1416 : **भारत संघ** बनाम **तुलसी राम पटेल** । | 10, 11, 24 |

**पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2009 का दांडिक आवेदन सं. 101.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401/397 के अधीन आवेदन ।

**आवेदिका की ओर से** — सर्वश्री एस. साहा और के. पी. भौमिक

**प्रत्यर्थियों की ओर से** — सुश्री आर. गुहा, सर्वश्री एस. भट्टाचार्याजी और आर. सी. देबनाथ, विशेष लोक अभियोजक

**न्यायमूर्ति पी. के. सैकिया** – 2009 का प्रकीर्ण मामला सं. 227 में विद्वान् न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, अगरतला, पश्चिमी त्रिपुरा द्वारा तारीख 25 अगस्त, 2009 को पारित किए गए आदेश की कार्यवाही को चुनौती दी गई है । विद्वान् न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के पूर्वोक्त आदेश द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन इसमें आवेदिका द्वारा भरण-पोषण चाहा गया है क्योंकि विरोधी

पक्षकार की सास द्वारा फाइल किया गया यह आवेदन चलने योग्य नहीं है।

2. पूर्वोक्त आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर आवेदिका यह दलील देते हुए इस पुनरीक्षण आवेदन के साथ न्यायालय में समावेदन किया है कि 2009 का प्रकीर्ण मामला सं. 27 में तारीख 25 अगस्त, 2009 को पारित किया गया आदेश अवैध है और इसका कोई आधार नहीं है और इसमें उसके साथ अन्याय हुआ है ।

3. संक्षेप में, पूर्वोक्त प्रकीर्ण मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि इसमें प्रत्यर्थी सं. 1 सुनील चंद्र नामक व्यक्ति की पत्नी है जो त्रिपुरा सरकार के ऊर्जा विभाग में सरकारी कर्मचारी के रूप में कार्यरत था तथापि, उक्त सुनील चंद्र चौधरी की जब वह सेवा में तारीख 20 जुलाई, 2005 को मृत्यु हुई । उक्त सुनील चंद्र की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी श्रीमती कबिता चौधरी को हारनैस स्कीम के अंतर्गत मृत्यु होने पर उसके मृतक पति के विभाग में उसे नौकरी दी गई ।

4. उक्त सुनील चन्द्र चौधरी की पत्नी और एक पुत्र और एक पुत्री थी तथा उसकी विधवा माता थी तथा उसके वारिस के रूप में दो अविवाहित बहनें भी थीं तथापि, प्रत्यर्थी सं. 1 नौकरी प्राप्त करने के पश्चात् अलग रहने लगी और उसने अपनी गरीब विधवा सास को न तो कुछ पैसा दिया और न अपनी अविवाहित ननदों को भी कुछ पैसा दिया जिस वजह से उनके बीच गहरे मतभेद उभर गए । कोई दूसरा रास्ता न होने पर आवेदिका ने अपनी पुत्रवधु से भरण-पोषण चाहने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन विद्वान् न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के समक्ष आवेदन फाइल किया क्योंकि उसके पास पर्याप्त साधन होने के बावजूद भी उसने अपनी सास और ननदों का भरण-पोषण नहीं किया जो स्वयं अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ थी ।

5. कुटुंब न्यायालय ने पक्षकारों को सुनने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकाला कि आवेदिका श्रीमती कानन बाला चौधरी द्वारा फाइल किया गया आवेदन चलने योग्य नहीं है क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में व्यवस्थित स्कीम के अधीन ऐसा नहीं है, सास अपनी पुत्रवधु के पति की मृत्यु के पश्चात् हारनैस स्कीम के अंतर्गत मृत्यु होने की दशा में नौकरी पाने के बावजूद भी अपनी पुत्रवधु से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती है और तद्नुसार 2009 का प्रकीर्ण मामला सं. 227 में तारीख 25 अगस्त, 2009 के आदेश को विद्वान् न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय द्वारा उक्त आवेदन को चलने योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर दिया ।

6. आवेदिका ने 2009 के प्रकीर्ण मामला सं. 227 में तारीख 25 अगस्त, 2009 को पारित किए गए आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर यह अभिकथन करते हुए वर्तमान आवेदन फाइल किया कि 2009 के प्रकीर्ण मामला सं. 227 में आवेदिका के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और ऐसा विधि से सिद्धांतों में न केवल परिभाषित किया गया बल्कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में ऐसा निगमित किया गया है परंतु आवेदिका एक गरीब और असहाय महिला होने पर भी उससे अन्याय किया गया है और अति दुखी महिला होने पर भी इसके लिए फायदे और सहायता पहुंचाने के लिए विधान-मंडल ने ऐसा हितकारी विधायन अधिनियमित किया है - यह दलील पुनरीक्षण आवेदिका की ओर से विद्वान् काउंसेल श्री एस. साहा द्वारा दी गई ।

7. यह भी दलील दी गई कि विचारण न्यायालय ने तथ्य का मूल्यांकन किए बिना विधि की गंभीर भूल की है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्रयुक्त "माता" शब्द को सास के रूप में भी अच्छी तरह समावेशित किया है और इस प्रकार वह विधि के पूर्वोक्त दंडों का अवलंब लेकर अपनी पुत्रवधु से भरण-पोषण पाने का दावा करने का अधिकार रखती है । तथापि, उसके लिए ऐसे भरण-पोषण को मंजूरी न देना विद्वान् न्यायाधीश ने आवेदिका के संबंध में बहुत बड़ा अन्याय किया है ।

8. ऐसे कार्य किए जाने के कारण उसके साथ अति प्रत्यक्ष रूप से अन्याय किया गया है और यह बात इस कारण से और भी स्पष्ट हो जाती है कि मामले में प्रत्यर्थी सं. 1 (दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन 2009 का प्रकीर्ण मामला सं. 227 में विरोधी पक्षकार) ने अपने पति की मृत्यु के पश्चात् केवल हारनैस स्कीम के अंतर्गत मृत्यु होने पर नौकरी पाई है । मृतक जब जीवित था तब वह अपनी मां और अविवाहित बहनों का भरण-पोषण करता था । हारनैस स्कीम के अंतर्गत मृत्यु होने पर उसे नौकरी मिली थी, इसलिए, प्रत्यर्थी सं. 1 न केवल आवेदिका का बल्कि अपनी अविवाहित ननदों का भी भरण-पोषण करने के लिए कर्तव्याधीन थी ।

9. विरोधी पक्षकार न्यायालय के समक्ष हाजिर हुई और कार्यवाही का विरोध किया । प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल सुश्री आर. गुहा ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर यह दर्शित हुआ है कि ऐसे विधायन का एकाधिकारी सामाजिक विधायन होने के बावजूद भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्रयुक्त "माता" शब्द को "सास" में पूर्णतया

सम्मिलित नहीं किया जा सकता जिससे सास अपनी पुत्रवधु से भरण-पोषण का दावा करने के लिए असमर्थ है तथा आवेदिका द्वारा प्रकट की गई प्रतिपादना विधायन की स्कीम के अंतर्गत पूर्णतया असंगत है । यदि ऐसी किसी प्रतिपादना को अत्यधिक महत्व देकर उसको स्वीकार कर लिया जाए तो इससे विभिन्न सामाजिक ताने-बाने को अत्यधिक नुकसान होगा जो समाज पर बाध्यकारी है ।

10. इस संदर्भ में, प्रत्यर्थी सं. 1 के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में नियोजित शब्द विशिष्ट रूप से "माता" और "पिता" शब्द इतने स्पष्ट हैं और उसमें असंदिग्धता नहीं है और इससे यह स्पष्ट हुआ है कि कोई न्यायालय इसमें कुछ भी जोड़ने या उसमें विलोपन करने का हकदार नहीं है । ऐसे शब्दों का निर्वचन करते समय ऐसे शब्दों को किसी कानून में निगमित किए जाने को देखा जाना चाहिए । इस संबंध में मेरा ध्यान **भारत संघ** बनाम **तुलसी राम पटेल**[1] वाले मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय की ओर दिलाया गया।

11. **भारत संघ** बनाम **तुलसी राम पटेल** (उपरोक्त) वाले मामले में जो कुछ अभिनिर्धारित किया गया है इस प्रकार है :–

> "70. उपरोक्त विवेचन से जो स्थिति सामने आती है, वह यह है कि दूसरे परंतुक के आधार शब्द इस परंतुक के प्रत्येक खंड पर लागू होते हैं और ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ते कि सरकारी सेवक को किसी भी प्रकार का अवसर दिया जाए 'यह खंड लागू नहीं होगा' वाक्यांश आज्ञापक है न कि निदेशात्मक । यह सांविधानिक प्रतिषेधात्मक व्यादेश की प्रकृति का है जो अनुशासनिक प्राधिकारी को अनुच्छेद 311(2) के अधीन जांच करने से या संबंधित सरकारी सेवक को किसी भी प्रकार का अवसर देने से रोकता है । अतः दूसरे परंतुक में निष्कर्ष या विवक्षा की प्रक्रिया द्वारा किसी भी प्रकार की जांच या अवसर का समावेश करने की कोई गुंजाइश नहीं है । 'एक्सप्रैसम फेसिट सिजेरे टेसिटम' (जहां किसी बात का अभिव्यक्त उल्लेख हो, वहां कोई भी अवर्णित बात अपवर्जित होती है) यह सूक्ति ऐसे मामले में लागू होती है, जैसाकि इस न्यायालय ने बी. शंकर राव बदामी और अन्य **बनाम** मैसूर राज्य और एक अन्य [1969] 3 एस. सी. आर. 1 = ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 453, वाले मामले में उल्लेख किया

[1] [1985] 4 उम. नि. प. 106 = (1985) 3 एस. सी. सी. 398 = ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 1416.

था । यह सुपरिचित सूक्ति तर्क और विवेकबुद्धि का सिद्धांत है, न कि केवल अर्थान्वयन का तकनीकी नियम । दूसरे परंतुक में यह अभिव्यक्त रूप से उल्लेख किया गया है कि खंड (2) ऐसे मामले में लागू नहीं होगा, जिसमें इस परंतुक का कोई भी खंड लागू हो जाता है । यह अभिव्यक्ति उल्लेख खंड (2) की हर बात को अपवर्जित कर देता है ओर ऐसी कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता कि खंड (2) द्वारा उपबंधित अवसर या उनमें से कोई दूसरे परंतुक में पुनःसमाविष्ट किए जाएं ।"

12. प्रत्यर्थी सं. 1 के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह भी दलील दी गई है कि यद्यपि थोड़े समय के लिए इस दलील की उपधारणा की जाती है कि "माता" शब्द का व्यापक अर्थ है जिसमें सास भी सम्मिलित है - तब भी - प्रत्यर्थी सं. 1 अपनी सास का भरण-पोषण करने के लिए बाध्य नहीं है क्योंकि बाद में वह ऐसी महिला नहीं है जो अपना स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ हों । इसके पूर्णतया प्रतिकूल वह धनाढ्य स्त्री है । उसके पास भूमि संबंधीसम्पत्ति है जिसे अपनी विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय-समय पर उसने बेचा है ।

13. इन बातों के अतिरिक्त, आवेदिका का एक और पुत्र भी है जो प्रत्येक माह पर्याप्त पैसा अर्जित करता है और जो अपनी माता का भरण-पोषण भी कर सकता है । मैंने त्रिपुरा राज्य की ओर से प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान् विशेष लोक अभियोजक आर. सी. देबनाथ द्वारा दी गई समान दलीलों को भी सुना जिन्होंने प्रत्यर्थी सं. 1 के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों का विरोध किया । उन सभी कारणों से प्रत्यर्थी सं. 1 के विद्वान् काउंसेल तथा राज्य प्रत्यर्थी के काउंसेल ने कार्यवाही को खारिज करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष दलील दी ।

14. उपरोक्त दृष्टांतों को देखते हुए इस बिन्दु पर इस बारे में यह मत अपनाया गया कि "सास" शब्द दंड संहिता की धारा 125 में प्रयुक्त "माता" शब्द के अभिप्राय को भी क्या सम्मिलित करता है या नहीं, मुझे इस बारे में विचार करना है कि इन शब्दों पर दी गई दलीलों के कारणों को भी देखना है जैसाकि पूर्वोक्त धारा में दिया गया है और इस प्रयोजन के लिए मैं दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों को प्रस्तुत करना आवश्यक समझता हूं जो निम्न प्रकार हैं :–

"अध्याय ix

पत्नियां, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए (मेरे

द्वारा उपरोक्त शब्दों पर बल दिया गया) ।

125. पत्नियां, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए (मेरे द्वारा उपरोक्त शब्दों पर बल दिया गया) –

(1) यदि पर्याप्त साधनों वाला कोई व्यक्ति भरण-पोषण करने में उपेक्षा करता या भरण-पोषण करने से इनकार करता है –

(क) अपनी पत्नी का जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या

(ख) अपनी धर्मज या अधर्मज अवयस्क संतान का चाहे विवाहित हो या न हो जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या

(ग) अपनी धर्मज या अधर्मज संतान का (जो विवाहित पुत्री नहीं है) जिसने वयस्कता प्राप्त कर ली है जहां ऐसी संतान किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यतः या क्षति के कारण अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या

(घ) अपने माता या पिता का भरण-पोषण करने में असमर्थ रहता है या भरण-पोषण करने से इनकार करता है तो प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट, ऐसी उपेक्षा या इनकार के साबित हो जाने पर ऐसे व्यक्ति को यह निदेश दे सकता है कि वह अपनी पत्नी या ऐसी संतान, माता या पिता के भरण-पोषण के लिए कुल मिलाकर ऐसी मासिक दर पर जिसे मजिस्ट्रेट ठीक समझे मासिक भत्ता दे और उस भत्ते का संदाय ऐसे व्यक्ति को करें जिसको संदाय करने का मजिस्ट्रेट समय-समय पर निदेश दे :

परंतु मजिस्ट्रेट खंड (ख) में निर्दिष्ट अवयस्क पुत्री के पिता को निदेश दे सकता है कि वह उस समय तक ऐसा भत्ता दे जब तक वह वयस्क नहीं हो जाती । यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि ऐसी अवयस्क पुत्री के, यदि वह विवाहित हो, पति के पास पर्याप्त साधन नहीं है :

[परंतु यह और कि मजिस्ट्रेट इस उपधारा के अधीन भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ते के बारे में कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान ऐसे व्यक्ति को यह आदेश कर सकता है कि वह अपनी पत्नी या

ऐसी संतान, पिता या माता के अंतरिम भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता दें, और ऐसी कार्यवाहियों के खर्चे जिनके बारे में मजिस्ट्रेट युक्तियुक्त रूप से विचार करता है उन्हें ऐसे व्यक्ति को संदाय करे जैसाकि मजिस्ट्रेट समय-समय पर निदेश दे :

परंतु यह भी कि अंतरिम भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ते के लिए आवेदन और द्वितीय परंतुक के अधीन कार्यवाहियों के खर्चे यथासंभव, ऐसे व्यक्ति को आवेदन के नोटिस के तामील किए जाने की तारिख से 60 दिनों के भीतर निपटारा किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण – इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए –

(क) 'अवयस्क' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके बारे में भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के उपबंधों के अधीन यह समझा जाता है कि उसने वयस्कता प्राप्त नहीं की है ।

(ख) 'पत्नी' के अंतर्गत ऐसी स्त्री भी है जिसके पति ने उससे विवाह-विच्छेद कर लिया है या जिसने अपने पति से विवाह-विच्छेद कर लिया है और जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है ।]"

15. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के उपबंधों का परिशीलन करने पर इसकी रेखाओं के बीच से मैंने यह निष्कर्ष निकाला है कि विधान-मंडल का यह आशय रहा है कि इसमें नियोजित कतिपय शब्द "माता" और "पिता" शब्दों का सामान्य या केवल जातिगत अर्थ अभिप्रेत है और इसलिए, इनका परिशीलन करना जरूरी है और किस भाव में इन्हें व्यक्त किया गया है, उन्हें भी समझना जरूरी है । ऐसा निर्वचन विधान-मंडल के उद्देश्य की भावना पर पाया जाता है जिसके लिए ऐसा अधिनियमन अस्तित्व में लाया गया था ।

16. "माता" और "पिता" शब्दों का एक दूसरा निर्वचन या इनके बीच का निर्वचन जैसाकि इसमें आवेदिका द्वारा वांछा की गई है, पूर्वोक्त अधिनियमन के पूर्ण प्रयोजन को न केवल विफल करता है बल्कि समाज के कई ताने-बाने को विनष्ट करके समाज पर तबाही भी लाएगा, जिस समाज में हम रहते हैं । इस प्रकार मेरा विचारित मत यह है कि "माता" और "पिता" शब्द - जैसाकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्रयुक्त किया गया है - ऐसा अर्थ प्रकट करते हैं जिन्हें बहुधा और साधारण रूप से समझा जाता है ।

17. हम आगे कार्यवाही करने से पूर्व इस पर विचार करेंगे कि "माता"

और "पिता" शब्दों को शब्दकोश में कैसे परिभाषित किया गया है । आक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी के अनुसार, "माता" और "पिता" शब्द से किसी संतान या पशु की माता से अभिप्रेत है ; कोई स्त्री जो संतान की माता के रूप में है । दूसरी ओर "पिता" शब्द - पूर्वोक्त शब्दकोश के अनुसार - संतान या पशु का पुरुष पक्ष है ; ऐसा व्यक्ति संतान के पिता के रूप में है । पूर्वोक्त शब्दों के बारे में चैंबर्स ट्वैनटियेथ सेंचुरी डिक्शनरी में भी ऐसा ही मत अभिव्यक्त किया गया है ।

18. इस संदर्भ में, इस बात की जानकारी होना आवश्यक भी है कि "माता" और "पिता" के शब्दों का तथा अध्याय IX के शीर्ष में तथा इसके उपशीर्षक में शब्दकोश में क्या अर्थ है । विधान-मंडल ने "माता" और "पिता" शब्द के साथ पत्नियां शब्द और बच्चे शब्द को भी नियोजित किया है जैसाकि, ऊपर इंगित किया गया है । पूर्वोक्त शब्दकोश में "माता" और "पिता" में किसी व्यक्ति के "माता" और "पिता" शब्द को वर्णित किया गया है । "माता" या "पिता" शब्द जब "माता" और "पिता" शब्द के साथ विचार किया जाता है तब ऐसे निष्कर्ष से बचा नहीं जा सकता है कि माता या पिता शब्द जैसाकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्रयुक्त किया गया है, से केवल नैसर्गिक पिता या नैसर्गिक माता अभिप्रेत है न कि कुछ और ।

19. मेरी उपरोक्त प्रतिपादना से और अधिक स्पष्ट हो गया है, और इस तथ्य से और भी स्पष्ट हो जाता है कि जब कभी विधान-मंडल ने यह आशय प्रकट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्रयुक्त कतिपय शब्द का सामान्य कुछ भिन्न अर्थ निकाला जाता है या उन्हें किसी विशिष्ट तरीके से समझा जाता है तब ऐसे शब्दों को विनिर्दिष्ट रूप से परिभाषित किए गए शब्द पर समझा जाना चाहिए ताकि इन शब्दों को समझा जाए और इस भावना पर अर्थ निकाला जाना चाहिए जिसमें विधान-मंडल ने इस पर अपना आशय व्यक्त किया है और ऐसे शब्दों को पढ़ा जाना चाहिए ।

20. अतः विधान-मंडल ने अपनी बुद्धिमत्ता से "पत्नी" शब्द का कुछ सीमा तक अर्थ निकालने की आवश्यकता समझी । यह भी विश्वास किया गया कि "अवयस्क" शब्द जैसाकि पूर्वोक्त धारा में प्रयुक्त किया गया है, इसे केवल विशिष्ट रूप में समझा जाना चाहिए और विधान-मंडल ने क्यों उन दो शब्दों को किस तरीके से परिभाषित/वर्णित किया है । यदि ऐसा है तो कोई स्त्री जिसका विवाह-विच्छेद हो गया है या जिसने विवाह-विच्छेद करा लिया है तथा जिसने पुनर्विवाह नहीं किया है ऐसी स्त्री दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 125 के प्रयोजनों के लिए पत्नी होगी । पुनः कोई व्यक्ति जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के अनुसार अपनी वयस्कता प्राप्त नहीं कर ली है, जहां तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का संबंध है उसे अवयस्क समझा जाएगा ।

21. क्या विधान-मंडल ने अपनी बुद्धिमत्ता से क्रमशः "माता" और "पिता" के शब्दों के अंतर्गत सास तथा ससुर सहित "माता" और "पिता" शब्दों को भी विस्तार देने का आशय रहा है । इस धारा में स्वयं आवश्यक व्यवस्था करने के लिए उस बात को आसानी से लिया जा सकता है जैसाकि पत्नी और अवयस्क के मामले में किया गया है । किंतु ऐसा नहीं किया गया था जो इस तथ्य के परिसाक्ष्य से प्रकट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की अधिनियमित धारा 125 में विधान-मंडल ने कभी भी या हमेशा "माता" शब्द के अंतर्गत सास को सम्मिलित करने का आशय नहीं रहा है या "पिता" शब्द के अंतर्गत ससुर के मामले में भी जिसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में प्रयुक्त किया गया है ।

22. यहां पर यह ध्यान देने योग्य है कि जैसाकि ऊपर कथन किया गया है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर स्पष्ट रूप यह प्रकट हुआ है कि विधि के ऐसे उपबंध को अधिनियमित करते हुए विधान-मंडल ने कुछ शब्दों को नियोजित किया है जैसाकि "माता" और "पिता" जो अत्यधिक विशुद्ध प्राचीन वृत्तांत है और इस प्रकार इन शब्दों का इस तरह से निर्वचन नहीं किया जा सकता कि इनसे भिन्न कोई अर्थ व्यक्त किया जाए जैसाकि उन्हें सामान्यतः या प्रायिक रूप में समझा जाता है । इससे भी अधिक जब ऐसे शब्दों के बारे में तनिक भी भावुक नहीं होना चाहिए और इससे केवल एक से अधिक अर्थ व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए ।

23. निर्वचन का यह सुविख्यात सिद्धांत है कि जब किसी विशिष्ट विधायन द्वारा किन्हीं शब्द को नियोजित किया जाता है तब उनका स्पष्ट असंदिग्ध अर्थ होता है, तब न्यायालय उसमें से किसी बात को हटाने या उसमें किसी बात को जोड़ने का हकदार नहीं है और ऐसा निर्वचन "expressum facit cessare tactium" ("जब कतिपय बातों का अभिव्यक्त रूप से उल्लेख किया गया है तब उसमें किसी बात का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए, यदि ऐसा होता है तो उसे अपवर्जित किया जाता है) ।"

24. ऐसे सिद्धांत का हमेशा भारत के न्यायालयों द्वारा अनुसरण किया

गया है और इस सिद्धांत को **भारत संघ** बनाम **तुलसी राम पटेल**[1] (उपरोक्त) वाले मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा भी अभिपुष्टि की गई है । इस प्रकार मुझे यह निष्कर्ष निकालने में कोई कठिनाई प्रतीत नहीं होती है कि "माता" शब्द में उस "माता" शब्द को सम्मिलित नहीं करता है जहां तक कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 का संबंध है और आवेदिका माता के अर्थ के अंतर्गत माता नहीं है जैसाकि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में समझा गया है – विधि के पूर्वोक्त उपबंध के अधीन भरण-पोषण पाने का दावा नहीं कर सकती ।

25. इस संबंध में आवेदिका के विद्वान् काउंसेल ने **सुभाष चन्द्र** बनाम **इन्दु बाई**[2] वाले मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के विनिश्चय का मेरे समक्ष भी उल्लेख किया गया । जहां कर्नाटक उच्च न्यायालय के पास यह अवसर था कि पुत्री और संतान शब्द के निर्वचन पर विचार किया जाए तब उसमें यह देखा गया कि यदि पुत्री शब्द में पुत्रवधु को भी सम्मिलित किया जाए तब वह बाद में अपने ससुर से भरण-पोषण का दावा करने के लिए समर्थ होगी । इसमें अंतर्वलित विभिन्न उपबंधों पर विचार करते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :–

> "9. जब उक्त निर्वचनों को अपने विवेक में रखते हैं और विधि के उक्त उपबंध पर विचार करते हैं तब यह नहीं कहा जा सकता है कि कोई पुत्रवधु या पोता उक्त उपबंधों के अंतर्गत आते हैं जिस बारे में यह कहा जाए कि वर्तमान प्रत्यर्थियों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन आवेदिका से भरण-पोषण पाने के लिए अधिनिर्णय दिया जा सकता है । यदि इसका निर्वचन किया जाए कि 'पुत्री' शब्द के अंतर्गत 'पुत्रवधु' या 'संतान' शब्द में 'पोते' (पुत्र में पोता सम्मिलित है) या 'पिता' शब्द में 'दादा' या 'ससुर' शब्द को सम्मिलित किया जाए तब इससे नुकसान पहुंचेगा कि उक्त शब्द से जब ऐसे व्यक्ति जिनके लिए उक्त उपबंध उपबंधित किए गए हों और उपबंधों को विवेक में रखा गया है । मेरे संज्ञान में ऐसा निर्वचन करने के लिए कोई नज़ीर या विधि को प्रकट नहीं किया गया है जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया हो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 ससुर के विरुद्ध पुत्रवधु का मामला या दादा के विरुद्ध पोते के

---

[1] [1985] 4 उम. नि. प. 106 = (1985) 3 एस. सी. सी. 398 = ए. आई. आर. 1985 एस. सी. 1416.

[2] (2004) 2 क्राइम्स 473 (एच. सी.).

मामले को सम्मिलित करते हों । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में अंतर्विष्ट उक्त उपबंध का स्पष्ट रूप से परिशीलन करने पर भी इस बात को कहा जा सकता है । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि कानून का निर्वचन करते समय कुछ भी न तो जोड़ा जा सकता है या हटाया जा सकता है ।"

26. यहां पर हम **कृतिकांत डी, वडोडरिया** बनाम **गुजरात राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले के विनिश्चय का फायदाप्रद होने की वजह से उल्लेख कर सकते हैं । पूर्वोक्त उल्लिखित मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय के लिए इस बात पर विचार करना आवश्यक था कि यदि "सौतेली माता" शब्द में माता शब्द को भी सम्मिलित करता है तब भारत के उच्च न्यायालय ने **कृतिकांत डी. वडोडरिया** (उपरोक्त) वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया जो निम्नलिखित है :–

"11. स्वीकृततः, 'माता' और 'सौतेली माता' की अभिव्यक्ति को या तो संहिता में या साधारण खंड अधिनियम, 1897 में परिभाषित किया गया है । इन अभिव्यक्तियों को हिन्दू विधि या हिन्दू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 या किसी अन्य विधि द्वारा भी परिभाषित नहीं किया गया है । जैसाकि पूर्व में कथन किया गया है कि सभी स्पष्टीकरण हिन्दू दत्तकग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 20 से संबंधित है और इसमें यह उपबंध किया गया है कि 'माता-पिता' की अभिव्यक्ति में संतानहीन सौतेली माता भी सम्मिलित है । यदि ऐसी स्थिति रही है तब हमें शब्दकोश के अर्थ का सहारा लेना होगा और जिसमें इन अभिव्यक्तियों के अर्थों को लोकप्रिय भावनाओं में सामान्यतया समझा जाता है । शब्दों और मुहावरों के प्रमानेंट एडीशन के खंड 27-क पृष्ठ 384 में 'माता' शब्द का यह अर्थ दिया गया है कि 'ऐसी स्त्री को चिह्नित किया गया है जिसने बच्चे को जन्म दिया है या माता अभिभावक है । खासतौर पर मानव प्रजाति में से एक हो । उक्त शब्दों मुहावरों के प्रमानेंट एडीशन के खंड 40 पृष्ठ 145 में' 'सौतेली माता' की अभिव्यक्ति का यह अर्थ दिया गया है कि विवाह के फलस्वरूप पिता की पत्नी है ।पश्चात्वर्ती विवाह के फलस्वरूप पिता की पत्नी से हुई संतान उस व्यक्ति की मानी जाएगी । यह भी कथन किया गया कि 'सौतेली माता' से विवाह संबंध का नाता है और पिता की मृत्यु के पश्चात् भी यह संबंध

[1] (1996) 4 एस. सी. सी. 479.

माना जाता है । ब्लैक ला डिक्शनरी, पांचवा संस्करण पृष्ठ 913 में किसी महिला के रूप में 'माता' का अर्थ दिया गया है जिसने 'बच्चे' को जन्म दिया है 'महिला अभिभावक' है । इसके अतिरिक्त पृष्ठ सं. 1268 में 'सौतेली माता' का अर्थ पश्चात्वर्ती विवाह के फलस्वरूप पिता की पत्नी होने का कथन किया गया है जिस व्यक्ति की संतान होना माना गया है । इसी तरह, सोर्टर आक्सफोर्ड इंगलिश डिक्शनरी, खंड II पृष्ठ 1360 में 'माता' शब्द का अर्थ इस रूप में दिया गया है कि कोई महिला जिसने बच्चे को जन्म दिया है 'महिला अभिभावक' है और पृष्ठ 2122 में 'सौतेली माता' की अभिव्यक्ति इस अर्थ में की गई है कि पश्चात्वर्ती विवाह के फलस्वरूप पिता की पत्नी के रूप में माना गया है । वेबस्टर डिक्शनरी (इंटरनेशनल एडीशन) 'माता' शब्द की अभिव्यक्ति से महिला अभिभावक अभिप्रेत है जिसने किसी भी संतान को जन्म दिया है । इस प्रकार, शब्दकोश की धारणा के अनुसार दो अभिव्यक्तियां अभिप्रेत हैं - 'माता' और 'सौतेली माता' विभिन्न शब्दकोशों से स्पष्ट रूप से यह प्रकट हुआ है कि 'माता' और 'सौतेली माता' की प्रास्थिति के बीच अंतर्निहित विभेद है । उनमें दो विभेद हैं और अलग-अलग अस्तित्व है तथा उन दोनों का एक ही अर्थ नहीं दिया जा सकता है । 'माता' की अभिव्यक्ति से स्पष्टतया केवल यह अभिप्रेत है कि नैसर्गिक माता जिसने बच्चे को जन्म दिया है न कि पिता द्वारा दूसरे विवाह से पत्नी द्वारा ।"

27. उपरोक्त विनिश्चयों से यह भी संकेत मिलता है कि 'पिता' और 'माता' शब्द से नैसर्गिक पिता और माता अभिप्रेत है और इस प्रकार इन शब्दों में सास या ससुर को भी सम्मिलित नहीं किया जा सकता तथा इस मामले में आवेदिका प्रत्यर्थी सं. 1 की सास है, इसलिए वह फायदा लेने का दावा नहीं कर सकती और इस बात को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के उपबंध के अधीन दिया गया है, वह पूर्वोक्त कार्यवाहियों में प्रत्यर्थी की नैसर्गिक माता नहीं है । यदि ऐसा है तब मैं दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन मामले की आवेदिका द्वारा फाइल किए गए आवेदन को खारिज करने के आक्षेपित आदेश में किसी तरह भी कमी नहीं पाता हूं ।

28. आवेदिका के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि प्रत्यर्थी सं. 1 ने अपने पति की मृत्यु पर डाई-इन-हारनैस स्कीम के अधीन नौकरी पाई थी जो आवेदिका का पुत्र है । यह भी दलील दी गई थी कि पूर्वोक्त स्कीम के अंतर्गत नियुक्ति किए जाने के पूर्व वह अपनी सास तथा अपनी

ननद का भरण-पोषण कर रही थी । तथापि, उसे पूर्वोक्त जिम्मेदारी निभाने का कोई सम्मान नहीं मिला । यह अपने आप में एक आधार है जो आवेदिका को अपनी पुत्रवधु से भरण-पोषण पाने के लिए दावा करने हेतु समर्थ बनाता है ।

29. हमने पहले ही विनिश्चय करके यह पाया है कि आवेदिका दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 में अभिलिखित उपबंधों का अवलंब लेकर अपनी पुत्रवधु से भरण-पोषण पाने का दावा नहीं कर सकती है और इस प्रकार, उसका आवेदन चलने योग्य नहीं है । इसमें आगे कोई विचार-विमर्श किए जाने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, यदि उसने पूर्वोक्त स्कीम के अंतर्गत कोई दावा किया है जिसके अधीन प्रत्यर्थी को नौकरी मिली है तब आवेदिका को हम ऐसी राय देते हैं कि वह किसी समुचित न्यायालय में उस मामले को ले जाए ।

30. प्रत्यर्थी सं. 1 के विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि मामले में आवेदिका एक महिला है और उसके पास कमाने के पर्याप्त साधन हैं वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण-पोषण पाने का दावा नहीं कर सकती - यद्यपि, थोड़े समय के लिए ऐसी धारणा भी व्यक्त की जाए कि आवेदिका का मामला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत आता है । तथापि, पूर्वगामी चर्चा को ध्यान में रखते हुए ऐसी दलील व्यर्थ पाई गई है और इस प्रकार, इस पर किसी तरह भी विचार नहीं किया जाता है ।

31. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए आवेदन खारिज किया जाता है ।

32. निचले न्यायालय के अभिलेख तत्काल वापस भेजे जाते हैं ।

33. तथापि, प्रकीर्ण कार्यवाही का बिना किसी खर्च के निपटारा किया जाता है ।

आवेदन खारिज किया गया ।

आर्य

## रामायण

बनाम

## मध्य प्रदेश राज्य

तारीख 17 जनवरी, 2012

**मुख्य न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 300 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 3] – हत्या – पारिस्थितिक साक्ष्य – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी की हत्या करने के हेतुक और संपूर्ण साक्ष्य की संवीक्षा करने से यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त ने अपनी पत्नी की हत्या की वहां अभियुक्त को हत्या के अपराध से दोषसिद्ध करना उचित और न्यायसंगत नहीं है ।**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतका-रंजना बाई अपीलार्थी की पत्नी थी । वह अपीलार्थी और अपीलार्थी की माता के साथ रहती थी । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी अपनी बहन और जीजा को आर्थिक सहायता दिया करता था, इसलिए मृतका नाखुश थी और वह अपीलार्थी से लड़ाई-झगड़ा किया करती थी । मामले में यह अभिकथन किए गए हैं कि इस कारण तारीख 12 दिसंबर, 1992 को लगभग 12.00 बजे दोपहर में अपीलार्थी ने मृतका पर कुल्हाड़ी से हमला किया और भाग गया । मृतका की कारित हुई क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । अभियोजन का पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । अपीलार्थी ने अपर सेशन न्यायाधीश के आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – स्वीकृततः, इस मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और अभियोजन का पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में परिस्थितियां जिनसे दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूरी तरह सिद्ध किया जाना चाहिए और सभी परिस्थितियों को इस तरह सिद्ध किया जाना चाहिए जो निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिएं । इन परिस्थितियों को केवल अभियुक्त की दोषिता की ओर इंगित करना चाहिए । ये परिस्थितियां इस बात का

स्पष्टीकरण दिए जाने के लिए समर्थ होनी चाहिएं और पारिस्थितिक साक्ष्य की शृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए जिससे अभियुक्त की निर्दोषिता के संगत विश्वास करने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं होना चाहिए । इस बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा कई मामलों में मत व्यक्त किया गया है । इसलिए, न्यायालय द्वारा इस बात से समाधान होना चाहिए कि परिस्थितियां जिनका अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिया गया है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ती है कि अपीलार्थी पर अधिरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया गया है । प्रथमतः, न्यायालय उपरोक्त हेतु पर विचार करेगा । पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित किसी मामले में हेतु अत्यधिक सुसंगत या महत्वपूर्ण होता है, तथापि, सिद्धांत यह है कि जब अभियुक्त के विरुद्ध सकारात्मक साक्ष्य अपराध के संबंध में स्पष्ट है तब हेतु को अत्यधिक महत्व नहीं दिया जाता है । यदि हेतु के अभाव की मात्र उपधारणा कर ली जाए तब अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार नहीं होगा अन्यथा यदि अपराध का किया जाना अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सिद्ध हुआ है । वर्तमान वाले मामले में यद्यपि उपरोक्त हेतु के बारे में अभियोजन पक्ष द्वारा बताया गया है किंतु उस बारे में कोई साक्ष्य पूर्णतया प्रकट नहीं है । ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी अपनी बहिन और दामाद की आर्थिक रूप से मदद किया करता था और उस कारण से मृतका उससे झगड़ा किया करती थी । न्यायालय की यह राय है कि पति और पत्नी के बीच ऐसी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, इससे अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए पति का हेतु माना जाने की मुश्किल से कल्पना की जा सकती है । न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन पक्ष इस मामले में अपने हेतु को साबित करने में पूरी तरह विफल हुआ है जिससे यह महत्वपूर्ण उपधारणा बनती है कि यह मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । वर्तमान मामले में यह घटना दोपहर में लगभग 12.00 बजे घटी थी । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि भूवन लाल और मंगल ने अपीलार्थी को अपने मकान से भागते हुए देखा था । मंगल ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब उसने यह सूचना प्राप्त की कि मृतका की हत्या की गई है तो वह उसके मकान पर गया और उसे मृत हालत में देखा था । उसने उसके शरीर पर क्षतियां भी देखी थीं । अपीलार्थी मकान में मौजूद नहीं था । गांववासियों ने उसे बताया कि अपीलार्थी भाग गया है । इसलिए, मंगल का उपरोक्त

साक्ष्य "सुना-सुनाया" साक्ष्य है जो ग्राह्य नहीं था । भूवन लाल ने भी इसी तरह का अभिसाक्ष्य दिया है । उसने अपीलार्थी को अपने मकान से भागते हुए नहीं देखा था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह मृतका के मकान पर गया तब उसने यह देखा कि अपीलार्थी वहां पर नहीं था । सम्पूर्ण साक्ष्य की बारीकी से संवीक्षा करने पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि पूनीराम जो तत्काल मृतका के मकान पर पहुंचा था, उसने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी-रामायण अपने मकान में मौजूद नहीं था । यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें घटना रात्रि में घटी हो । यह घटना दिन-दहाड़े घटी थी अतः, जब तक यह साबित नहीं हो जाता है कि अपीलार्थी उस सुसंगत समय पर मकान में मौजूद था तब केवल अपीलार्थी के मकान में मृतका के मृत होने का केवल निष्कर्ष निकाला जाता है, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ये बातें अभियुक्त के विरुद्ध उसे अपराध में फंसाने वाली प्रकट नहीं होती हैं । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने विपरीत निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि मंगल और भूवन लाल के साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध हुआ है कि अपीलार्थी घटना के समय पर मकान में मौजूद था । जब गांववासी अपीलार्थी के मकान पर पहुंचे तब अपीलार्थी की माता ने इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि मृतका को उपरोक्त क्षतियां कैसे पहुंची । सेशन न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति ने क्षतियां कारित की होतीं तब माता गांववासियों को उसका नाम अवश्य बताती । न्यायालय का यह मत है कि अपीलार्थी की माता के उपरोक्त आचरण के कारण ही यह साबित किया जाना अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी के विरुद्ध किसी सकारात्मक सबूत के अभाव होने के कारण अपीलार्थी ने मृतका को क्षतियां पहुंचाई हैं । विद्वान् सेशन न्यायाधीश के उक्त निष्कर्ष परिकल्पित प्रकट होना प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त, मकान में तीन लोग रहने वाले थे, इसलिए, दो में से एक व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी उपधारणा किया जाना न्यायसंगत नहीं है । अपीलार्थी के कहने पर तांगिया का अभिग्रहण किए जाने से उसे अपराध में फंसाना भी प्रकट नहीं होता है क्योंकि अभियोजन पक्ष ने कोई न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट यह सिद्ध करने के लिए फाइल नहीं कर सका है कि तांगिया पर मानव रक्त के धब्बे लगे हुए थे । पूर्वगामी कारणों से, न्यायालय उपरोक्त पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराने में असमर्थ हैं । (पैरा 6, 7, 9, 10, 11 और 12)

## निर्दिष्ट निर्णय

पैरा

[2001] (2001) 9 एस. सी. सी. 736 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2416 :
**निसार अहमद और एक अन्य** बनाम **बिहार राज्य** । 8

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 1995 की दांडिक अपील सं. 405.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 304 के अधीन अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** श्रीमती सविता तिवारी

**राज्य की ओर से** श्री जे. ए. लोहानी, पैनल अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति सुनील कुमार सिन्हा ने दिया ।

**न्या. सिन्हा** – यह अपील 1993 के सेशन विचारण सं. 345 में द्वितीय अपर सेशन न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा तारीख 26 नवंबर, 1993 को पारित किए गए निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है । इस आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया और आजीवन कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया ।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि मृतका-रंजना बाई अपीलार्थी की पत्नी थी । वह अपीलार्थी और अपीलार्थी की माता के साथ रहती थी । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी अपनी बहन और जीजा को आर्थिक सहायता दिया करता था, इसलिए मृतका नाखुश थी और वह अपीलार्थी से लड़ाई-झगड़ा किया करती थी । मामले में यह अभिकथन किए गए हैं कि इस कारण तारीख 12 दिसंबर, 1992 को लगभग 12.00 बजे दोपहर में अपीलार्थी ने मृतका पर कुल्हाड़ी से हमला किया और भाग गया । मृतका की कारित हुई क्षतियों के कारण मृत्यु हो गई । अभियोजन का पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । निम्नलिखित परिस्थितियों पर विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किए जाने योग्य है :–

> "1. जब साक्षी अपीलार्थी के मकान पर पहुंचे तब अपीलार्थी की माता ने उन्हें यह नहीं बताया कि मृतका को किसने क्षतियां कारित कीं ।

2. अपीलार्थी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि मृतका की उसके मकान में मानव वध मृत्यु कैसे हुई ।

3. अपीलार्थी का मृतका को मारने का हेतु था क्योंकि वह अपीलार्थी को अपनी बहन और जीजा को आर्थिक सहायता देने से मना करती थी ।

4. अपीलार्थी घटना के तुरंत पश्चात् अपने मकान से भाग गया ।

5. एक तांगिया जिसे अपीलार्थी के ज्ञापन कथन (प्रदर्श पी-16) के आधार पर अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पी-17) द्वारा अभिगृहीत किया गया था । उक्त कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अधीन अभिलिखित किया गया था ।"

3. अपीलार्थी की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्रीमती सविता तिवारी ने मृतका की मानववध मृत्यु पर विवाद नहीं किया है । उसने यह दलील दी कि उपरोक्त परिस्थितियां अपीलार्थी को दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दंडनीय अपराध का दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त नहीं हैं ।

4. दूसरी ओर विद्वान् पैनल अधिवक्ता श्री ज़मील अख्तर लोहानी ने राज्य की ओर से हाजिर होकर इन दलीलों का विरोध किया और सेशन न्यायालय द्वारा पारित किए गए निर्णयों का समर्थन किया ।

5. हमने विस्तार से पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल को सुना और सेशन न्यायालय के अभिलेख का भी परिशीलन किया ।

6. स्वीकृततः, इस मामले में कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है और अभियोजन का पक्षकथन पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है । पारिस्थितिक साक्ष्य के आधार पर किसी मामले में परिस्थितियां जिनसे दोषी होने का निष्कर्ष निकाला जाता है, उन्हें पूरी तरह सिद्ध किया जाना चाहिए और सभी परिस्थितियों को इस तरह सिद्ध किया जाना चाहिए जो निश्चायक प्रकृति और प्रवृत्ति की होनी चाहिए। इन परिस्थितियों को केवल अभियुक्त की दोषिता की ओर इंगित करना चाहिए । ये परिस्थितियां इस बात का स्पष्टीकरण दिए जाने के लिए समर्थ नहीं होनी चाहिएं और पारिस्थितिक साक्ष्य की शृंखला इतनी पूरी होनी चाहिए जिससे अभियुक्त की निर्दोषिता के संगत विश्वास करने के लिए कोई युक्तियुक्त आधार नहीं होना चाहिए ।

इस बारे में उच्चतम न्यायालय द्वारा कई मामलों में मत व्यक्त किया गया है । इसलिए, हमारा इस बात से समाधान होना चाहिए कि परिस्थितियां जिनका अभियोजन पक्ष द्वारा अवलंब लिया गया है, यह अभिनिर्धारित करने के लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ती है कि अपीलार्थी पर अधिरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह के परे सिद्ध किया गया है ।

7. प्रथमतः, हम उपरोक्त हेतु पर विचार करेंगे । पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित किसी मामले में हेतु अत्यधिक सुसंगत या महत्वपूर्ण होता है, तथापि, सिद्धांत यह है कि जब अभियुक्त के विरुद्ध सकारात्मक साक्ष्य अपराध के संबंध में स्पष्ट है तब हेतु को अत्यधिक महत्व नहीं दिया जाता है । यदि हेतु के अभाव की मात्र उपधारणा कर ली जाए तब अभियुक्त दोषमुक्त होने का हकदार नहीं होगा अन्यथा यदि अपराध का किया जाना अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सिद्ध हुआ है । वर्तमान वाले मामले में यद्यपि उपरोक्त हेतु के बारे में अभियोजन पक्ष द्वारा बताया गया है किंतु उस बारे में कोई साक्ष्य पूर्णतया प्रकट नहीं है । ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अपीलार्थी अपनी बहिन और दामाद की आर्थिक रूप से मदद किया करता था और उस कारण से मृतका उससे झगड़ा किया करती थी । हमारी यह राय है कि पति और पत्नी के बीच ऐसी छोटी घटनाएं होती रहती हैं, इससे अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए पति का हेतु माना जाने की मुश्किल से कल्पना की जा सकती है । हमारा यह मत है कि अभियोजन पक्ष इस मामले में अपने हेतु को साबित करने में पूरी तरह विफल हुआ है जिससे यह महत्वपूर्ण उपधारणा बनती है कि यह मामला पारिस्थितिक साक्ष्य पर आधारित है ।

8. मुख्य परिस्थिति यह है कि सेशन न्यायाधीश ने इस परिस्थिति का अवलंब लिया है कि अपीलार्थी ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि कैसे मकान के अंदर उसकी पत्नी की मृत्यु मानववध मृत्यु है । **निसार अहमद और अन्य** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में मृतका की मृत्यु अपीलार्थी के मकान में दाह क्षतियों के कारण हुई थी :–

> "उच्चतम न्यायालय ने मामले में विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि ऐसे मामले में यह पूर्णतया आवश्यक है कि

[1] (2001) 9 एस. सी. सी. 736 = ए. आई. आर. 2001 एस. सी. 2416.

प्रथमतः, इस बात पर विचार किया जाए कि क्या अभियोजन पक्ष ने यह दर्शित करने के लिए कोई स्पष्ट साक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी मकान में मौजूद था जहां मृतका की उस निर्णायक समय पर दाह क्षतियों के परिणामस्वरूप मृत्यु हुई थी । यदि ऐसा पाया जाता है कि उस निर्णायक समय पर सभी पारिस्थितिक साक्ष्यों की शृंखला जो पूरी नहीं है जिनसे अपीलार्थी की मौजूदगी मकान में सिद्ध नहीं की गई है जो अपीलार्थियों की दोषिता परिकल्पना के केवल संगत रूप से अपरिहार्य निष्कर्ष देता हो और उनकी निर्दोषिता के असंगत हो ।"

9. वर्तमान मामले में यह घटना दोपहर में लगभग 12.00 बजे घटी थी । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि भूवन लाल (अभि. सा. 13) और मंगल (अभि. सा. 5) ने अपीलार्थी को अपने मकान से भागते हुए देखा था । मंगल (अभि. सा. 5) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि जब उसने यह सूचना प्राप्त की कि मृतका की हत्या की गई है तो वह उसके मकान पर गया और उसे मृत हालत में देखा था । उसने उसके शरीर पर क्षतियां भी देखी थीं । अपीलार्थी मकान में मौजूद नहीं था । गांववासियों ने उसे बताया कि अपीलार्थी भाग गया है । इसलिए, मंगल (अभि. सा. 5) का उपरोक्त साक्ष्य "सुना-सुनाया" साक्ष्य है जो ग्राह्य नहीं था । भूवन लाल (अभि. सा. 13) ने भी इसी तरह का अभिसाक्ष्य दिया है । उसने अपीलार्थी को अपने मकान से भागते हुए नहीं देखा था । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह मृतका के मकान पर गया तब उसने यह देखा कि अपीलार्थी वहां पर नहीं था । सम्पूर्ण साक्ष्य की बारीकी से संवीक्षा करने पर हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि पूनीराम (अभि. सा. 10) जो तत्काल मृतका के मकान पर पहुंचा था, उसने स्पष्ट रूप से यह अभिसाक्ष्य दिया है कि अपीलार्थी-रामायण अपने मकान में मौजूद नहीं था । यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें घटना रात्रि में घटी हो । यह घटना दिन-दहाड़े घटी थी अतः, जब तक यह साबित नहीं हो जाता है कि अपीलार्थी उस सुसंगत समय पर मकान में मौजूद था तब केवल अपीलार्थी के मकान में मृतका के मृत होने का केवल निष्कर्ष निकाला जाता है, वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में ये बातें अभियुक्त के विरुद्ध उसे अपराध में फंसाने वाली प्रकट नहीं होती हैं । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने विपरीत निष्कर्ष अभिलिखित किया है कि मंगल (अभि. सा. 5) और भूवन लाल (अभि. सा. 13) के साक्ष्य के आधार पर यह सिद्ध हुआ है

कि अपीलार्थी घटना के समय पर मकान में मौजूद था ।

10. जब गांववासी अपीलार्थी के मकान पर पहुंचे तब अपीलार्थी की माता ने इस बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि मृतका को उपरोक्त क्षतियां कैसे पहुंचीं । सेशन न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि किसी अन्य व्यक्ति ने क्षतियां कारित की होतीं तब माता गांववासियों को उसका नाम अवश्य बताती । हमारा यह मत है कि अपीलार्थी की माता के उपरोक्त आचरण के कारण ही यह साबित किया जाना अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि अपीलार्थी के विरुद्ध किसी सकारात्मक सबूत के अभाव होने के कारण अपीलार्थी ने मृतका को क्षतियां पहुंचाई हैं । विद्वान् सेशन न्यायाधीश के उक्त निष्कर्ष परिकल्पित प्रकट होना प्रतीत होता है । इसके अतिरिक्त, मकान में तीन लोग रहने वाले थे, इसलिए, दो में से एक व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी उपधारणा किया जाना न्यायसंगत नहीं है ।

11. अपीलार्थी के कहने पर तांगिया का अभिग्रहण किए जाने से उसे अपराध में फंसाना भी प्रकट नहीं होता है क्योंकि अभियोजन पक्ष कोई न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट यह सिद्ध करने के लिए फाइल नहीं कर सका है कि तांगिया पर मानव रक्त के धब्बे लगे हुए थे ।

12. पूर्वगामी कारणों से, हम उपरोक्त पारिस्थितिक साक्ष्यों के आधार पर अपीलार्थी को दोषसिद्ध ठहराने में असमर्थ हैं ।

13. परिणामस्वरूप, अपील मंजूर की जाती है । दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनिर्णीत दंडादेश को अपास्त किया जाता है । अपीलार्थी को उसके विरुद्ध विरचित किए गए अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थी जिसे 13 दिसंबर, 1992 को अभिरक्षा में लिया गया था और तत्पश्चात् तारीख 25 सितंबर, 2001 के आदेश पर जमानत पर निर्मुक्त कर दिया । इस समय पर वह जमानत पर है उसके जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और प्रतिभूतियां उन्मोचित किए जाते हैं ।

अपील मंजूर की गई ।

आर्य

# हीरा लाल

बनाम

# मध्य प्रदेश राज्य

तारीख 5 सितंबर, 2011

**न्यायमूर्ति पी. के. जायसवाल और न्यायमूर्ति आई. एस. श्रीवास्तव**

**साक्ष्य अधिनियम, 1872 (1872 का 1) – धारा 32 [सपठित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और दंड संहिता की धारा 300] – मृत्युकालिक कथन – पुलिस द्वारा धारा 161 के अधीन अभिलिखित कथन की मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्यता – यह कथन मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य होगा चाहे मृत्यु कथन अभिलिखित किए जाने के काफी समय पश्चात् क्यों न हुई हो ।**

संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन यह है कि घटना के समय मृतका बसंतीबाई यशवंत पटेल नामक व्यक्ति से संबंधित बाडे में स्थित एक कमरे में रह रही थी । अपीलार्थी हीरालाल का विवाह मृतक बसंतीबाई के साथ सम्पन्न हुआ था किंतु अपीलार्थी एक अन्य कमरे में अपनी द्वितीय पत्नी के साथ निवास कर रहा था । तारीख 30 सितंबर, 2000 को बसंतीबाई कमरे के बाहर सो रही थी । मध्यरात्रि में लगभग 1.30 बजे अपीलार्थी हीरालाल वहां पर आया, उसको कमरे के भीतर ले गया और उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, तत्पश्चात् उसने बसंतीबाई के ऊपर किरोसिन का तेल डाला और आग लगा दी । बसंतीबाई की चीखें सुनकर यशवंत सिंह और गब्बू चौकीदार घटनास्थल पर पहुंचे और उनके मध्य मध्यक्षेप करने लगे । अपीलार्थी हीरालाल की बसंतीबाई को पीटने की आदत थी । तत्पश्चात्, यशवंत सिंह, गब्बू चौकीदार और बाबूलाल उसको देपालपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गए जहां से डा. अचल कुमार सिलावत ने पुलिस को सूचना भेजी कि बसंतीबाई को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया है । बंसतीबाई का मृत्युकालिक कथन डा. अचल कुमार सिलावत द्वारा तारीख 30 सितंबर, 2010 को अभिलिखित किया गया था । उसने अपने मृत्युकालिक कथन में सशपथ कथन किया है कि उसका पति हीरालाल उसको विवाद के फलस्वरूप कमरे के भीतर ले गया और उसको जला दिया । तत्पश्चात् कांस्टेबल नाहर सिंह ने बसंतीबाई का कथन दंड प्रक्रिया

संहिता की धारा 161 के अधीन देपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अभिलिखित किया । अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन दंडनीय अपराध प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 30 सितंबर, 2001 को रजिस्ट्रीकृत की गई थी । इंदौर के एम. वाई. अस्पताल में बसंतीबाई का इलाज डा. जितेन्द्र रघुवंशी द्वारा किया गया जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु तारीख 30 सितंबर, 2000 को हुई । इंदौर के अष्टम अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 29 अगस्त, 2001 को निर्णय पारित करते हुए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध पाया और आजीवन कारावास का दंड भोगने के द्वारा दंडादिष्ट किया जिससे व्यथित होकर यह अपील फाइल की गई । अपील खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – जहां धारा 161 के अधीन कथन अभिलिखित किए जाने के पश्चात् अभियुक्त की क्षतियों के कारण मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अधीन ग्राह्य होता है । वर्तमान मामले में मृतका का धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया कथन मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य है यद्यपि मृत्यु बहुत बाद में घटित हुई । बसंतीबाई का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया कथन किसी ऐसी स्त्री की मृत्यु के मामले में मृत्युकालिक कथन बन जाता है जो बाद में मर जाती है । इस मामले में मरणोत्तर परीक्षण से यह दर्शित होता है कि मृतका ने जलाए जाने के कारण कारित होने वाली क्षतियां बरदाश्त की थीं और उसको उसके तुरंत पश्चात् देपालपुर अस्पताल में भर्ती किया गया था और उसका उपचार डा. अचल कुमार सिलावत द्वारा किया गया था जिन्होंने उसके परीक्षण के पश्चात् चिकित्सा विधिक रिपोर्ट तैयार की थी और जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि वह चिकित्सा विधिक रिपोर्ट तैयार किए जाते समय अपने होशो-हवास में थी । उसको डा. अचल कुमार सिलावत द्वारा चलाए जाने के कारण कारित क्षतियों के आगे उपचार के प्रयोजनार्थ इंदौर के एम. वाई. अस्पताल को निर्दिष्ट किया गया था जहां तारीख 30 सितंबर, 2000 को उसकी मृत्यु हो गई थी । उसको एम. वाई. अस्पताल में डा. जितेन्द्र रघुवंशी द्वारा बाह्य मरीज के रूप में भर्ती किया गया था और उसका प्रवेश कार्य तैयार किया गया था । उसका परीक्षण डा. रूपेश खत्री द्वारा भी किया गया था और उसका शव-परीक्षण डा. सुरेन्द्र दुबे द्वारा किया गया था । उसकी मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट से दर्शित होता है कि उसने सम्पूर्ण शरीर पर जलाए जाने के द्वारा कारित क्षतियां बरदाश्त की थीं । चिकित्सा विधिक रिपोर्ट के अनुसार डा. अचल

कुमार सिलावत ने उसकी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है और सुसंगत समयबिंदु पर वह चेतनावस्था में था और धारा 161 के अधीन उसका कथन देपालपुर अस्पताल में अभिलिखित किया गया था । देपालपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी डा. अचल कुमार सिलावत ने शपथपूर्वक कथन किया है कि जब वह देपालपुर में तारीख 30 सितंबर, 2001 को तैनात था, तो कांस्टेबल कैलाश बसंतीबाई पत्नी हीरालाल के चिकित्सीय परीक्षण के लिए एक प्रर्थना पत्र प्रदर्श लेकर आया था । उसका परीक्षण उनके द्वारा किया गया था । मृतका के शरीर से किरोसिन के तेल की गंध आ रही थी । उसके सम्पूर्ण शरीर पर जलाए जाने की क्षतियां थीं । जलाए जाने की क्षतियां छिछला प्रकृति की थीं और कुछ स्थानों पर गहरी भी थीं । चिकित्सीय परीक्षण के समय मृतका होशो-हवास में थी । उसने उसका मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया था और तत्पश्चात् उसको आगे उपचार के लिए इंदौर के एम. वाई. अस्पताल को निर्दिष्ट कर दिया गया था । प्रदर्श पी-7 चिकित्सा विधिक मामला रिपोर्ट है जिसमें 'ए' से 'ए' उनके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है । उन्होंने पैराग्राफ 3 में शपथपूर्वक कथन किया है कि उसका मृत्युकालिक कथन उन्हीं के द्वारा लिखा गया था और मृत्युकालिक कथन के समय वह सामान्य रूप से बातचीत कर रही थी । उसने अपने मृत्युकालिक कथन में समस्त परिस्थितियों का वर्णन किया है और अभिकथित किया है कि उसके पति हीरालाल ने उसके ऊपर किरोसिन तेल डालने के द्वारा क्षतियां कारित की हैं । प्रदर्श पी-8 उसका मृत्युकालिक कथन है जिसको उनके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है और जिस पर मृतका द्वारा अपने अंगूठे का निशान भी लगाया गया था । उसको मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने के पश्चात् इंदौर के एम. वाई. अस्पताल को निर्दिष्ट कर दिया गया था । उसकी प्रतिपरीक्षा में मामूली अंतर्विरोध है । इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने मृत्युकालिक कथन में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाते समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी । इस साक्षी ने स्पष्ट किया है कि इस तथ्य को उसके द्वारा चिकित्सा विधिक मामला रिपोर्ट में अभिलिखित किया गया है । मृतका के मृत्युकालिक कथन में चलाए जाने की प्रतिशतता का उल्लेख नहीं किया गया है । यह तथ्य कि प्रथमतः उसका उपचार उन्हीं के द्वारा किया गया था, का उल्लेख रिपोर्ट में नहीं किया गया है । इस साक्षी ने शपथपूर्वक कथन किया है कि देपालपुर अस्पताल में जलाए जाने के द्वारा कारित क्षतियों के उपचार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी और इसलिए

बसंतीबाई को इंदौर के एम. वाई. अस्पताल भेज दिया गया था । इस साक्षी ने आगे शपथपूर्वक कथन किया है कि उसका मृत्युकालिक कथन पुलिस की उपस्थिति में अभिलिखित किया गया था । यह सुस्थापित है कि उसकी मृत्यु के पश्चात् धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया उसका कथन मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य है और इसलिए यदि हम अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की इस दलील को स्वीकार करते हैं कि उसके मृत्युकालिक कथन में कुछ असंगतताएं हैं, तो भी उसकी मृत्यु के पश्चात् धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया उसका कथन मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य है । ऐसी कोई भी तकनीकी गुंजाइश नहीं है जो यह विहित करता हो कि पुलिस द्वारा दर्ज किया गया आहत का कथन, यदि समस्त संघटकों को संतुष्ट करता हो, मृत्युकालिक कथन नहीं माना जाएगा । वर्तमान मामले में आहत ने स्वयं अभियुक्त का नाम हमलावर के रूप में लिया है और इस तथ्य का वर्णन किया है कि उसके पति ने ही उसके ऊपर किरोसिन का तेल डालकर आग लगाई । धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए उसके कथन को न तो नकारा जा सकता है और न ही मात्र इस आधार पर कि मृत्युकालिक कथन में यह अभिकथित नहीं किया गया है कि उसको मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाते समय कथन किए जाने के प्रयोजनार्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से सही स्थिति में पाया गया था, यह कहा जा सकता है कि वह मृत्युकालिक कथन नहीं है । वर्तमान मामले में मृतक के पुलिस के समक्ष अभिलिखित किए गए कथन के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध प्रत्यक्ष आरोप लगाया गया है, उसकी मृत्यु के पश्चात् उक्त कथन स्पष्टतः भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आएगा इसलिए, साक्ष्य में ग्राह्य है । धारा 161 के अधीन अभिलिखित उसका कथन सत्य है । (पैरा 13, 22 और 23)

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2001 की दांडिक अपील सं. 1216.**

(2000 के सेशन विचारण सं. 803 में इंदौर के अष्टम अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा तारीख 29 अगस्त, 2001 को पारित निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील)

**अपीलार्थी की ओर से** श्री ए. एस. राठौर

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री दीपक रावल, सरकारी अधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति पी. के. जायसवाल ने दिया ।

**न्या. जायसवाल** – अपीलार्थी हीरालाल द्वारा यह अपील 2000 के सेशन विचारण सं. 803 में इंदौर के अष्टम अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा पारित तारीख 29 अगस्त, 2001 के निर्णय और आदेश जिसके द्वारा उसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन दोषसिद्ध किया गया है, के विरुद्ध फाइल गई है और 500/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने के साथ आजीवन कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया है ।

2. संक्षेप में अभियोजन का पक्षकथन यह है कि घटना के समय मृतका बसंतीबाई यशवंत पटेल (अभि. सा. 1) नामक व्यक्ति से संबंधित बाडे में स्थित एक कमरे में रह रही थी । अपीलार्थी हीरालाल का विवाह मृतक बसंतीबाई के साथ सम्पन्न हुआ था किंतु अपीलार्थी एक अन्य कमरे में अपनी द्वितीय पत्नी के साथ निवास कर रहा था । तारीख 30 सितंबर, 2000 को बसंतीबाई कमरे के बाहर सो रही थी । मध्यरात्रि में लगभग 1.30 बजे अपीलार्थी हीरालाल वहां पर आया, उसको कमरे के भीतर ले गया और उसके ऊपर आक्रमण कर दिया, तत्पश्चात् उसने बसंतीबाई के ऊपर किरोसिन का तेल डाला और आग लगा दी । बसंतीबाई की चीखें सुनकर यशवंत सिंह (अभि. सा. 1) और गब्बू चौकीदार (अभि. सा. 2) घटनास्थल पर पहुंचे और उनके मध्य मध्यक्षेप करने लगे । अपीलार्थी हीरालाल की बसंतीबाई को पीटने की आदत थी । तत्पश्चात्, यशवंत सिंह (अभि. सा. 1), गब्बू चौकीदार (अभि. सा. 2) और बाबूलाल (अभि. सा. 4) उसको देपालपुर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले गए जहां से डा. अचल कुमार सिलावत (अभि. सा. 5) ने पुलिस को सूचना भेजी कि हीरालाल भिलाला की पत्नी बसंतीबाई, जिसने जलाए जाने के कारण क्षतियां बर्दाश्त की थीं, को इलाज के लिए अस्पताल लाया गया था । हेड कांस्टेबल मुराद खान (अभि. सा. 9) ने इस सूचना को तारीख 29 सितंबर, 2001 को रोजनामचा सान्हा. सं. 1415 (प्रदर्श पी-11) में लिखा था । हेड कांस्टेबल नाहर सिंह (अभि. सा. 12) ने कांस्टेबल कैलाश के साथ देपालपुर अस्पताल, जहां बसंतीबाई का प्राथमिक रूप से उपचार डा. अचल कुमार सिलावत (अभि. सा. 5) द्वारा किया गया था, का दौरा किया था । प्रदर्श पी-7 बसंतीबाई की चिकित्सा रिपोर्ट है । उसकी चिकित्सा विधिक मामला रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 के अनुसार उसके कपड़ों से किरोसिन की महक आ रही थी, सर के बाल जल गए थे और उसके चेहरे, गले, छाती, उदर, शरीर के पीछे के भाग और दोनों भुजा ऊपरिष्ट रूप से जली हुई थीं । उक्त रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि मरीज अपने होशो-हवास में

थी । उसका मृत्युकालिक कथन डा. अचल कुमार सिलावत द्वारा तारीख 30 सितंबर, 2010 को अभिलिखित किया गया था । उसने अपने मृत्युकालिक कथन में सशपथ कथन किया है कि उसका पति हीरालाल उसको विवाद के फलस्वरूप कमरे के भीतर ले गया और उसको जला दिया । प्रदर्श पी-8 उसका मृत्युकालिक कथन है जिसमें अपीलार्थी हीरालाल के विरुद्ध विनिर्दिष्ट रूप से अभिकथन किए गए हैं । बसंतीबाई को आगे उपचार के लिए इंदौर के एम. वाई. अस्पताल को निर्दिष्ट कर दिया गया था ।

3. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसका कथन (प्रदर्श पी-15) कांस्टेबल नाहर सिंह (अभि. सा. 12) द्वारा भी देपालपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अभिलिखित किया गया था । तत्पश्चात्, अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 307 दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन दंडनीय अपराध के अपराध सं. 212/2000 पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 30 सितंबर, 2001 को रजिस्ट्रीकृत की गई थी जो प्रदर्श सं. पी-16 है ।

4. इंदौर के एम. वाई. अस्पताल में बसंतीबाई का इलाज डा. जितेन्द्र रघुवंशी (अभि. सा. 10) द्वारा किया गया था । प्रदर्श पी-10 प्रवेश कार्ड है । उसका परीक्षण डा. रूपेश खत्री (अभि. सा. 15) द्वारा किया गया था । उसको प्रदर्श पी-12 बहिरंग रोगी के रूप में भर्ती किया गया था और इस बाबत सूचना प्रदर्श पी-24 द्वारा एम. वाई. अस्पताल के मुख्य चिकित्साधिकारी को दे दी गई थी जो इस प्रकार है :–

> "आदरणीय श्रीमान,
>
> मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि मरीज बसंतीबाई पत्नी हीरालाल, उम्र 38 वर्ष निवासी बरूफता खरगोन, थाना देपालपुर जिसका मामला 100% श्वासावरोध और गहराईपूर्वक जलाए जाने का है, को तारीख 30 सितंबर, 2001 को भर्ती किया जाना है ।
>
> आपका विश्वासपात्र
>
> हस्ताक्षर (डा. आर. खत्री)"

5. एम. वाई. अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु उसी दिन अर्थात् तारीख 30 सितंबर, 2000 को हो गई थी और उसकी मृत्यु की सूचना हेड कांस्टेबल, कृष्ण प्रसाद (अभि. सा. 6) को दे दी गई थी जिसने

सूचना प्राप्त होने पर प्रदर्श पी-9 द्वारा दर्ज रजिस्ट्रीकृत की थी । दर्ज का अन्वेषण हेड कांस्टेबल ओंकारलाल पटेल (अभि. सा. 14) द्वारा किया गया था और साक्षियों को बुलाया गया था जो सफीना प्रपत्र प्रदर्श पी-21 से सुव्यक्त है । उनकी उपस्थिति में मृत्युसमीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई थी जो प्रदर्श पी-22 है । अध्यप्रेक्षा (पी-23) के साथ बसंतीबाई का मरणोत्तर परीक्षा के लिए भेजा गया था । तारीख 2 अक्तूबर, 2000 को डा. सुरेन्द्र दुबे (अभि. सा. 8) ने मृतका बसंतीबाई के शव की शव-परीक्षा संचालित की थी । प्रदर्श पी-10 शव-परीक्षा रिपोर्ट है । उन्होंने उसके (मृतक के) शरीर पर निम्नलिखित मृत्यु पूर्व क्षतियां पाई थीं :–

> "एक औसत शरीर वाली महिला का शव निष्क्रिय अवस्था में शव-परीक्षण मेज पर पड़ा है जिसने ब्लाउज और पेटीकोट पहन रखा है । बाईं एड़ी के जोड़ के चिकित्सीय पहलू पर शल्य चिकित्सा वाला घाव उपस्थित है । मूत्राशय के छिद्र द्वारा मूत्राशय की थैली में कैथेटर (नलिका) लगाई गई है । पार्श्व कपालीय करोटि के बाल आंशिक रूप से जल गए हैं और दोनों कलाइयों में कांच की चूड़ियां उपस्थित हैं । दोनों आंखे बंद हैं । कोर्निया मामूली सी मृतप्राय हैं । मुख आंशिक रूप से खुला है । आगे के ऊपर वाले दांत दृश्यमान हैं । दांत के पीछे जिह्वा के ऊपर एक छोटा घाव उपस्थित है । सम्पूर्ण शरीर अकड़ा हुआ है । शव मुष्ठियुद्धीय अवस्था में है, ओष्ठ और नाखून कटे हुए हैं ।
>
> शरीर के निम्नलिखित भागों पर चौथी अवस्था की जलन क्षतियां (बाह्य त्वचा पर चतिर्थ कोठि की जली हुई क्षतियां) और द्वितीय अवस्था की जलन क्षतियां (जो संक्रमण प्रकृति की हैं) पाई गई हैं :
>
> (1) सिर, गले और चेहरा, (2) दोनों ऊपर अंग (3) छाती और उदर का सामने वाला भाग, (4) छाती और उदर का पीछे वाला भाग, (5) दोनों नीचे वाले अंग और (6) मूत्राधार । सीमांकन की लाल रेखा उपस्थित है । त्वचा में कालापन उपस्थित है ।
>
> मृत्यु जलाए जाने के परिणामस्वरूप श्वासारोध और उसका पेचीदगियों के कारण घटित हुई है ।"

6. मांगीलाल (अभि. सा. 11) की पहल पर आर. पी. एस. राजपूत (अभि. सा. 13) ने स्थल मानचित्र (प्रदर्श पी-13) तैयार किया और साक्षियों

की उपस्थिति में किरोसिन मिश्रित मिट्टी और सादी मिट्टी, लालटेन और चूड़ियों के टुकड़े इत्यादि का अभिग्रहण ज्ञापन, प्रदर्श पी-2 द्वारा अभिग्रहण किया । अपीलार्थी हीरालाल को तारीख 31 अक्तूबर, 2000 को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तारी ज्ञापन प्रदर्श पी-3 तैयार किया गया । अभिगृहीत सम्पत्ति को प्रदर्श पी-17 द्वारा न्यायालयिक प्रयोगशाला को भेजा गया था, न्यायालयिक प्रयोगशाला की रिपोर्ट प्रदर्श पी-19 है । अन्वेषण को अंतिम रूप दिए जाने के पश्चात् आरोप पत्र फाइल कर दिया गया और मामले को विचारण के लिए सेशन न्यायालय के सुपुर्द कर दिया गया ।

7. अपीलार्थी ने विचारण के दौरान अपनी दोषिता से इनकार किया और असत्य रूप से फंसाए जाने का अभिवाक् किया । उसके अनुसार जब वह अपने घर आया तो उसने देखा कि बसंतीबाई उसके घर के समक्ष जली हुई अवस्था में पड़ी हुई थी । विद्वान् विचारण न्यायालय ने विचारण मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के अधिमूल्यन के पश्चात् अपीलार्थी को उसकी प्रथम पत्नी बसंतीबाई को जानबूझकर मृत्यु कारित करने का दोषी पाया और तद्नुसार उसको, निर्मय द्वारा जैसा कि इसमें इसके ऊपर उल्लेख किया गया है, दोषसिद्ध पाया और दंडादिष्ट कर दिया । उक्त निर्णय को इस अपील में चुनौती दी गई है ।

8. हमने पक्षों के विद्वान् काउंसेल की दलीलों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया ।

9. अब यह विवादित नहीं रह गया है कि मृतक बसंतीबाई की मृत्यु उसके शरीर को जलाए जाने के द्वारा कारित क्षतियों के कारण हुई थी । इस तथ्य की पुष्टि डा. अचल कुमार सिलावत (अभि. सा. 5), डा. जितेन्द्र रघुवंशी (अभि. सा. 10), डा. रुपेश खत्री (अभि. सा. 15) और डा. सुरेन्द्र दुबे (अभि. सा. 8) के साक्ष्य से भी परिवर्तित होती है कि उसका प्राथमिक उपचार देपालपुर के सामुदायिक स्वस्थ्य केन्द्र में हुआ था और तत्पश्चात् उसको इंदौर के एम. वाई. अस्पताल लाया गया था और वहां पर भर्ती कराया गया था और उपचार के दौरान तारीख 30 सितंबर, 2000 को उसकी मृत्यु हो गई थी । उपरोक्त साक्ष्य के अतिरिक्त यशवंत (अभि. सा. 1), गब्बू (अभि. सा. 2), और बाबूलाल (अभि. सा. 3) के कथन अभिलिखित किए गए थे । यशवंत (अभि. सा. 1), गब्बू (अभि. सा. 2) और बाबूलाल (अभि. सा. 3) जिनके समक्ष मृतका द्वारा मौखिक रूप से मृत्युकालिक कथन किया गया था, पक्षद्रोही हो गए हैं और उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया है कि बसंतीबाई ने अपनी मृत्यु के पूर्व मौखिक

रूप से कोई मृत्युकालिक कथन किया था । यशवंत (अभि. सा. 1) ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैराग्राफ 2 में स्वीकार किया है कि मांगीलाल (अभि. सा. 11) अपीलार्थी हीरालाल का पड़ोसी है । उसने आगे स्वीकार किया है कि बसंतीबाई के समस्त वस्त्र जल गए थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैराग्राफ 3 में आगे स्वीकार किया है कि यशवंत (अभि. सा. 1) गब्बू चौकीदार (अभि. सा. 2) और बाबूलाल (अभि. सा. 3) उसको जीप में देपालपुर अस्पताल ले गए थे । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैराग्राफ 6 में शपथपूर्वक कथन किया है कि उन्होंने कमरे को खोला था और बसंतीबाई को कमरे से बाहर निकाला था । उस समय वह अचेत अवस्था में थी उसने आगे स्वीकार किया है कि बसंतीबाई कमरे में अकेली थी ।

10. गब्बू (अभि. सा. 2) ने अपने कथन के पैराग्राफ 1 में शपथपूर्वक कथन किया है कि वह अभियुक्त हीरालाल को जानता था और वह पटेल गब्बू सिंह और यशवंत सिंह का सेवक था । वह उसकी पत्नी बसंतीबाई को जानता था । उसके कथन के पैराग्राफ 2 में यह कथन शपथपूर्वक किया गया है कि अभियुक्त हीरालाल अपनी प्रथम पत्नी (मृतका) के साथ नहीं रह रहा था । आगे यह कथन किया गया है कि वह मध्यरात्रि में लगभग 1.30 बजे गब्बू पटेल की आवाज सुनने के पश्चात् अपने घर से आया था और उस समय बसंतीबाई जली हुई अवस्था में अपने कमरे के बाहर पड़ी हुई थी । तत्पश्चात्, वे उसको पुलिस थाना ले गए थे । उस समय यशवंत (अभि. सा. 1) भी उसके साथ था । वे सभी जीप में गए थे और घटना की सूचना पुलिस थाने में दी थी । उसके द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पुलिस कार्मिक घटनास्थल पर आए थे और उन्होंने बसंतीबाई के जले हुए कपड़े, किरोसिन तेल और टूटे हुए कंगन इत्यादि अभिग्रहण ज्ञापन प्रदर्श पी-2 द्वारा अभिगृहीत किए थे जिसको उसके द्वारा हस्ताक्षरित भी किया गया था । इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैराग्राफ 4 में स्वीकार किया है कि अभियुक्त हीरालाल और बसंतीबाई अलग-अलग रहते थे । इस साक्षी ने आगे स्वीकार किया है कि अपीलार्थी हीरालाल दुर्घटना के सात-आठ माह पहले सिकल से क्षति कारित की थी और इस मामले की सूचना देपालपुर पुलिस थाना को दी गई थी । साक्षी ने आगे स्वीकार किया है कि बसंतीबाई के सभी कपड़े जल गए थे और इसलिए गब्बू पटेल के परिवार के सदस्य कपड़ों का एक अन्य समुच्चय ले आए थे और उसके शरीर को उन कपड़ों द्वारा आच्छादित किया गया था ।

11. बाबूलाल (अभि. सा. 3) ने शपथपूर्वक कथन किया है कि वह

रात्रि 1.30 बजे और 2.00 बजे के मध्य गब्बू पटेल के घर आया था और बसंतीबाई को जली हुई अवस्था में देखा था । इस साक्षी ने यशवंत (अभि. सा. 1) गब्बू चौकीदार (अभि. सा. 2) के कथन का समर्थन किया है । उसने अपनी प्रतिपरीक्षा के पैराग्राफ 4 में स्वीकार किया है कि वह गब्बू पटेल और यशवंत पटेल नातेदार हैं । पैराग्राफ 5 में उसने स्वीकार किया है कि बसंतीबाई गब्बू पटेल के एक कमरे में अकेले रह रही थी और घटना के समय उसका कमरा बंद था, उन्होंने दरवाजे को तोड़ा था और उसको उक्त कमरे से निकाल कर बाहर लाए थे ।

12. गब्बू सिंह (अभि. सा. 4) ने शपथपूर्वक कथन किया है कि मांगीलाल (अभि. सा. 11) आया था और उसने घटना के बारे में बताया था । जब वह घटनास्थल पर पहुंचा तो अपीलार्थी वहां से भाग गया । वह यशवंत (अभि. सा. 1), गब्बू (अभि. सा. 2) और बाबूलाल (अभि. सा. 3) के साथ उसको अस्पताल ले गया था और मामले की सूचना देपालपुर पुलिस थाना को दी थी । जब उसने बसंतीबाई से पूछा कि यह जलाए जाने वाली क्षतियां किसने कारित की हैं, तो उसने हीरालाल के नाम का प्रकटीकरण किया था । इस साक्षी ने शपथपूर्वक आगे कथन किया कि इस घटना के पहले भी बसंतीबाई और अपीलार्थी के मध्य विवाद हुआ था और उक्त विवाद के अग्रसरण में हीरालाल ने उसको सिकल द्वारा क्षति कारित की थी और उक्त घटना के संबंध में एक दांडिक मामला देपालपुर के न्यायालय के समक्ष लंबित है ।

13. देपालपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्साधिकारी डा. अचल कुमार सिलावत ने शपथपूर्वक कथन किया है कि जब वह देपालपुर में तारीख 30 सितंबर, 2001 को तैनात था, तो कांस्टेबल कैलाश बसंतीबाई पत्नी हीरालाल के चिकित्सीय परीक्षण के लिए एक प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी-16 लेकर आया था । उसका परीक्षण उनके द्वारा किया गया था । मृतका के शरीर से किरोसिन के तेल की गंध आ रही थी । उसके सम्पूर्ण शरीर पर जलाए जाने की क्षतियां थीं । जलाए जाने की क्षतियां छिछला प्रकृति की थीं और कुछ स्थानों पर गहरी भी थीं । चिकित्सीय परीक्षण के समय मृतका होशो-हवास में थी । उसने उसका मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया था और तत्पश्चात् उसको आगे उपचार के लिए इंदौर के एम. वाई. अस्पताल को निर्दिष्ट कर दिया गया था । प्रदर्श पी-7 चिकित्सा विधिक मामला रिपोर्ट है जिसमें 'ए' से 'ए' उनके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है । उन्होंने पैराग्राफ 3 में शपथपूर्वक कथन किया है कि

उसका मृत्युकालिक कथन उन्हीं के द्वारा लिखा गया था और मृत्युकालिक कथन के समय वह सामान्य रूप से बातचीत कर रही थी । उसने अपने मृत्युकालिक कथन में समस्त परिस्थितियों का वर्णन किया है और अभिकथित किया है कि उसके पति हीरालाल ने उसके ऊपर किरोसिन तेल डालने के द्वारा क्षतियां कारित की हैं । प्रदर्श पी-8 उसका मृत्युकालिक कथन है जिसको उनके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है और जिस पर मृतका द्वारा अफने अंगूठे का निशान भी लगाया गया था । उसको मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने के पश्चात् इंदौर के एम. वाई. अस्पताल को निर्दिष्ट कर दिया गया था । उसकी प्रतिपरीक्षा में मामूली अंतर्विरोध है । इस साक्षी ने स्वीकार किया है कि उसने मृत्युकालिक कथन में इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाने के समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक थी । इस साक्षी ने स्पष्ट किया है कि इस तथ्य को उसके द्वारा चिकित्सा विधिक मामला रिपोर्ट में (प्रदर्श पी-7) अभिलिखित किया गया है । मृतका के मृत्युकालिक कथन में जलाए जाने की प्रतिशतता का उल्लेख नहीं किया गया है । यह तथ्य कि प्रथमतः उसका उपचार उन्हीं के द्वारा किया गया था, का उल्लेख रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) में नहीं किया गया है । इस साक्षी ने शपथपूर्वक कथन किया है कि देपालपुर अस्पताल में जलाए जाने के द्वारा कारित क्षतियों के उपचार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी और इसलिए बसंतीबाई को इंदौर के एम. वाई. अस्पताल भेज दिया गया था । इस साक्षी ने आगे शपथपूर्वक कथन किया है कि उसका मृत्युकालिक कथन पुलिस की उपस्थिति में अभिलिखित किया गया था ।

14. डा. सुरेन्द्र दुबे (अभि. सा. 8) ने शपथपूर्वक कथन किया है कि बसंतीबाई की मृत्यु गंभीर रूप से जलने के कारण घटित हुई थी और उसकी शव-परीक्षा उनके द्वारा की गई थी । प्रदर्श पी-10 उसकी मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट है ।

15. मुराद खान (अभि. सा. 9) जो देपालपुर पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल के रूप में तैनात था, ने शपथपूर्वक कथन किया है कि उसका तारीख 29 सितंबर, 2000 को डा. सिलावत (अभि. सा. 5) द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से टेलीफोन किया गया था जिसके द्वारा उन्होंने सूचित किया था कि बसंतीबाई पत्नी हीरालाल नामक स्त्री को यशवंत पटेल और गब्बू पटेल नामक व्यक्तियों के साथ उपचार के लिए अस्पताल लाया गया है । उक्त सूचना को लिख दिया गया था और तत्पश्चात् उसने हेड कांस्टेबल

नाहर सिंह और कांस्टेबल दौलत सिंह को देपालपुर अस्पताल भेज दिया था।

16. डा. जितेन्द्र रघुवंशी (अभि. सा. 15) ने शपथपूर्वक कथन किया है कि मृतका को एम. वाई. अस्पताल में प्रवेश टिकट (प्रदर्श पी-10) द्वारा भर्ती किया गया था जिस पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे । वह 100 प्रतिशत जली हुई थी ।

17. मांगी लाल (अभि. सा. 11) पक्षद्रोही हो गया था और उसने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया ।

18. देपालपुर पुलिस थाना के हेड कांस्टेबल नाहर सिंह (अभि. सा. 12) ने शपथपूर्वक कथन किया है कि बसंतीबाई को देपालपुर अस्पताल में भर्ती किया गया था और उसका पुलिस के समक्ष कथन (प्रदर्श पी-15) उसी के द्वारा अभिलिखित किया गया था जिस पर उसने अपने अंगूठे का निशान अंकित किया था और उसके द्वारा भी "ए" से "ए" स्थान पर हस्ताक्षर किए गए हैं । इस साक्षी ने अपने कथन के पैराग्राफ 2 में शपथपूर्वक कथन किया है कि बसंतीबाई ने घटना का वर्णन इस प्रकार से किया था कि जब वह सुसंगत समयबिन्दु पर सो रही थी, तो अभियुक्त हीरा लाल वहां पर आया, उसको वहां मारा और तत्पश्चात् उसको कमरे के भीतर ले गया और उसके ऊपर किरोसिन का तेल डाला और उसको आग लगा दी । उसने आगे शपथपूर्वक कथन किया है कि बसंतीबाई ने भी उसको बताया था कि अभियुक्त ने पहले भी उसका प्रपीड़न किया था । इस साक्षी ने आगे शपथपूर्वक कथन किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन उसका कथन उसी के द्वारा किए गए कथन के आधार पर अभिलिखित किया गया था । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया है कि उसका पुलिस कथन देपालपुर अस्पताल में अभिलिखित किया गया था । उसने इस बात से इनकार किया है कि उस सुसंगत समयबिंदु पर बसंतीबाई कोई कथन करने की स्थिति में नहीं थी ।

19. अन्वेषण अधिकारी आर. पी. एस. राजपूत (अभि. सा. 13) ने शपथपूर्वक कथन किया है कि उसने अभियुक्त हीरालाल को तारीख 31 अक्तूबर, 2000 को गिरफ्तार किया था । प्रदर्श पी-3 उसका गिरफ्तारी ज्ञापन है । इस साक्षी ने आगे कथन किया है कि मृतका बसंतीबाई इस घटना के पूर्व भी एक मामले की रिपोर्ट अपीलार्थी के विरुद्ध तारीख 6 अप्रैल, 2000 को अपराध सं. 72/2000 के रूप में लिखाई थी जिसके

आधार पर उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 324 और 506 के अधीन अपराध रजिस्ट्रीकृत किया गया था । प्रदर्श पी-20-सी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट की प्रतिलिपि है । इस साक्षी ने उसके समक्ष रखे गए इस सुझाव से इनकार किया है कि यशवंत (अभि. सा. 1), गब्बू (अभि. सा. 2), बाबू लाल (अभि. सा. 3) और गब्बू सिंह (अभि. सा. 4) ने उसके समक्ष कोई कथन नहीं किया है और उसने उनके कथन अपनी मर्जी से अभिलिखित कर लिए हैं ।

20. डा. रूपेश खत्री (अभि. सा. 15) ने शपथपूर्वक कथन किया है कि वह तारीख 30 सितंबर, 2000 को इंदौर के एम. वाई. अस्पताल के मुख्य चिकित्साधिकारी के रूप में अपने कर्तव्य का पालन कर रहा था और उसी ने मृतका बसंतीबाई का परीक्षण किया था । प्रदर्श पी-12 उसका प्रवेश टिकट है और प्रदर्श पी-12-ए उसका उपचार नुस्खा है । उसने आगे शपथपूर्वक कथन किया है कि उसने प्रदर्श पी-24 द्वारा बसंतीबाई को भर्ती किए जाने के बाबत मुख्य चिकित्साधिकारी को सूचना भेज दी थी ।

21. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल ने निवेदन किया है कि यशवंत (अभि. सा. 1), गब्बू (अभि. सा. 2), बाबूलाल (अभि. सा. 3) और गब्बू सिंह (अभि. सा. 4) जिनके समक्ष मृतका का मौखिक मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया गया है, पक्षद्रोही हो चुके हैं और उन्होंने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन नहीं किया है । उन्होंने यह निवेदन भी किया है कि मृत्युकालिक कथन में तात्विक अनियमितता है और वह साक्ष्य के रूप में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है और प्रार्थना की कि अभियोजन द्वारा पेश किए गए साक्षियों के कथनों में तात्विक विरोधाभास और लोप हैं और प्रार्थना की कि अपील स्वीकार की जाए और आक्षेप निर्णय को अपास्त किया जाए और अपीलार्थी को आरोप से दोषमुक्त किया जाए ।

22. जहां धारा 161 के अधीन कथन अभिलिखित किए जाने के पश्चात् अभियुक्त की क्षतियों के कारण मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे कथन साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के अधीन ग्राह्य होता है । वर्तमान मामले में मृतका का धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया कथन मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य है यद्यपि मृत्यु बहुत बाद में घटित हुई । बसंतीबाई का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया कथन किसी ऐसी स्त्री की मृत्यु के मामले में मृत्युकालिक कथन बन जाता है जो बाद में मर जाती है । इस मामले में मरणोत्तर परीक्षण से यह दर्शित होता है कि मृतका ने जलाए जाने के कारण कारित होने वाली क्षतियां

बर्दाश्त की थीं और उसको उसके तुरंत पश्चात् देपालपुर अस्पताल में भर्ती किया गया था और उसका उपचार डा. अचल कुमार सिलावत (अभि. सा. 5) द्वारा किया गया था जिन्होंने उसके परीक्षण के पश्चात् चिकित्सा विधिक रिपोर्ट तैयार की थी जो प्रदर्श पी-7 है और जिसमें यह अभिकथित किया गया है कि वह चिकित्सा विधिक रिपोर्ट तैयार किए जाते समय अपने होशो-हवास में थी । उसको डा. अचल कुमार सिलावत (अभि. सा. 5) द्वारा चलाए जाने के कारण कारित क्षतियों के आगे उपचार के प्रयोजनार्थ इंदौर के एम. वाई. अस्पताल को निर्दिष्ट किया गया था जहां तारीख 30 सितंबर, 2000 को उसकी मृत्यु हो गई थी । उसको एम. वाई. अस्पताल में डा. जितेन्द्र रघुवंशी (अभि. सा. 10) द्वारा बाह्य मरीज के रूप में भर्ती किया गया था और उसका प्रवेश कार्य तैयार किया गया था जो प्रदर्श पी-12-बी है । उसका परीक्षण डा. रूपेश खत्री (अभि. सा. 15) द्वारा भी किया गया था और उसका शवपरीक्षण डा. सुरेन्द्र दुबे (अभि. सा. 8) द्वारा किया गया था । उसकी मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट से दर्शित होता है कि उसने सम्पूर्ण शरीर पर जलाए जाने के द्वारा कारित क्षतियां बर्दाश्त की थीं । चिकित्सा विधिक रिपोर्ट (प्रदर्श पी-7) के अनुसार (अभि. सा. 5) डा. अचल कुमार सिलावत ने उसकी स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है और सुसंगत समयबिंदु पर वह चेतनावस्था में थी और धारा 161 के अधीन उसका कथन देपालपुर अस्पताल में अभिलिखित किया गया था ।

23. यह सुस्थापित है कि उसकी मृत्यु के पश्चात् धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया उसका कथन मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य है और इसलिए यदि हम अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल की इस दलील को स्वीकार करते हैं कि उसके मृत्युकालिक कथन में कुछ असंगतताएं हैं, तो भी उसकी मृत्यु के कुछ पश्चात् भी धारा 161 के अधीन अभिलिखित किया गया उसका कथन मृत्युकालिक कथन के रूप में ग्राह्य है । ऐसी कोई भी तकनीकी गुंजाइश नहीं है जो यह विहित करता हो कि पुलिस द्वारा दर्ज किया गया आहत का कथन, यदि कथन समस्त संघटकों को संतुष्ट करता हो, मृत्युकालिक कथन नहीं माना जाएगा । वर्तमान मामले में आहत ने स्वयं अभियुक्त का नाम हमलावर के रूप में लिया है और इस तथ्य का वर्णन किया है कि उसके पति ने ही उसके ऊपर किरोसिन का तेल डालकर आग लगाई । धारा 161 के अधीन अभिलिखित किए गए उसके कथन को न तो नकारा जा सकता है और न

ही मात्र इस आधार पर कि मृत्युकालिक कथन (प्रदर्श पी-8) में यह अभिकथित नहीं किया गया है कि उसको मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किए जाते समय कथन किए जाने के प्रयोजनार्थ स्वास्थ्य की दृष्टि से सही स्थिति में पाया गया था, यह कहा जा सकता है कि वह मृत्युकालिक कथन नहीं है । वर्तमान मामले में मृतका के पुलिस के समक्ष अभिलिखित किए गए कथन के आधार पर अपीलार्थी के विरुद्ध प्रत्यक्ष आरोप लगाया गया है, उसकी मृत्यु के पश्चात् उक्त कथन स्पष्टतः भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आएगा और इसलिए, साक्ष्य में ग्राह्य है । धारा 161 के अधीन अभिलिखित उसका कथन सत्य है ।

24. पूर्वोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि अभियुक्त अपीलार्थी की दोषसिद्धि उचित थी । विद्वान् विचारण न्यायालय द्वारा व्यक्त किया गया मत संभाव्य मत है । अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य की बारीकी से संवीक्षा किए जाने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अभियोजन इस तथ्य को साबित कर पाने में सफल रहा कि अपीलार्थी ने ही बसंतीबाई की हत्या कारित करने के आशय से उसकी मृत्यु कारित की थी । विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि का निष्कर्ष किसी अवैधता या शैथिल्यता से ग्रस्त नहीं है, अतः इस निष्कर्ष में कोई मध्यक्षेप अपेक्षित नहीं है ।

25. अतः, हम इस अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते । हम अपीलार्थी की दोषसिद्धि और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन प्रदान किए गए आजीवन कारावास के दंडादेश को मान्य ठहराते हैं । अपील असफल होती है और एतद्द्वारा खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

शु.

## श्रवण राम और एक अन्य

बनाम

## राजस्थान राज्य

तारीख 3 फरवरी, 2012

**न्यायमूर्ति संदीप मेहता**

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 228 – आरोप की विरचना – जहां यह साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई सामग्री नहीं है कि अभियुक्त ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए प्रताड़ित किया या दबाव डाला या उकसाया वहां दंड संहिता की धारा 306, 120-ख और 323 के अधीन विरचित किए गए आरोप पूर्णतः अवैध तथा सबूतों के प्रतिकूल होने के कारण अपास्त किए जाने योग्य हैं ।**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि भिन्या राम नामक व्यक्ति द्वारा यह अभिकथन करते हुए पुलिस थाना नागौर में तारीख 11 नवंबर, 2007 को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि उसे दूरभाष के माध्यम से सूचना मिली कि उसके पुत्र पूनम चंद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । उसने यह भी कथन किया है कि उसका पुत्र अपनी पत्नी बनवारी के साथ अपने मकान में रह रहा था और वह पड़ोसी के मकान में रह रहा था और घटना की तारीख को वह बाहर गया था । जब वह वापस आया उसके भतीजे लक्ष्मण ने उसे यह बताया कि मृतक के पुत्र मनीष और दीपक ने इस बारे में बताया कि उनके पिता ने अन्दर से दरवाजे पर ताला लगा रखा है । इस पर लक्ष्मण मकान पर गया और उसने दरवाजा खोला जिस पर उसने यह देखा कि पूनम चंद ने फन्दा लगाकर अपने को फांसी लगाई है । इस बात का संदेह पूनम चंद की पत्नी बनवारी तथा श्रवण जाट पर हुआ कि उनके कारण पूनम चंद की मृत्यु हुई । पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई और पुलिस द्वारा जब पूछताछ की गई तब भिन्या राम ने यह बताया कि पूनम चंद ने इसलिए आत्महत्या की क्योंकि बनवारी और श्रवण के बीच अवैध संबंध थे । इस सूचना पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन मृत्यु समीक्षा कार्यवाही प्रारंभ की गई । इसके पश्चात् मृतक के भाई हंसराज ने श्रवण, लक्ष्मण, शिव कुमार और बनवारी के विरुद्ध विभिन्न

अपराधों के अधीन मृतक की हत्या किए जाने के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, नागपुर में परिवाद फाइल किया । यह परिवाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन पुलिस थाना, नागौर में भेजा गया जहां दंड संहिता की धारा 323, 347, 302, 460, 201 तथा 120-ख के अधीन अपराधों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 495/2007 रजिस्ट्रीकृत की गई थी । अन्वेषण के पश्चात् पुलिस ने दंड संहिता की धारा 306, 120-ख और 323 के अधीन अपराधों के लिए मामले में आरोप पत्र फाइल करने की कार्यवाही की । इस मामले को सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में सुपुर्द किया गया था जहां से इसे न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) नागौर को अंतरित कर दिया गया था । अभियुक्त ने प्रस्तावित आरोपों का विरोध किया और यद्यपि अभियोजन के स्पष्ट अभिकथन में उन्होंने इस बात की सच्चाई को स्वीकार किया और यह भी बताया कि मामले के अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि मामले के आवेदक मृतक द्वारा आत्महत्या किए जाने के लिए उत्तरदायी हों या उन्होंने मृतक को आत्महत्या किए जाने के लिए उकसाया हो । तथापि, विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश द्वारा आवेदकों के विरुद्ध पूर्वोक्त आरोपों को विरचित करने की कार्यवाही की । इसलिए, आवेदकों ने आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन फाइल करके इस न्यायालय के समक्ष समावेदन किया है । वर्तमान पुनरीक्षण याचिका मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – यद्यपि, इस न्यायालय की राय में, अभियोजन पक्षकथन को पूर्णतया सही होने के रूप में स्वीकार किया गया है, मात्र इस अभिकथन के कारण कि बनवारी और श्रवण के अभिकथित अवैध संबंध रहे थे, इस पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उस कार्य से मृतक को आत्महत्या किए जाने के लिए उकसाया गया था । इस मामले में हंसराज द्वारा जो परिवाद फाइल किया गया है, वस्तुतः उसका प्रभाव यह है कि मृतका की मृत्यु की गई अर्थात् उसकी हत्या की गई । ऐसा कोई साक्ष्य अन्वेषण के दौरान एकत्र नहीं किया गया है । कोई ऐसा उत्तम साक्ष्य मृतक के आत्महत्या किए जाने के बारे में अभियुक्त की ओर से किसी अवैध कार्य को किए जाने के बारे में जानकारी में आ सका हो, वह उसका पुत्र है जिसने ऊपर यह उल्लेख करते हुए यह कहा है कि इसका प्रभाव कुछ भी नहीं है बल्कि उसने अभियुक्तों और मृतक के बीच

सौहार्दपूर्ण संबंध होने के बारे में कथन किया है । परिणामस्वरूप, इस न्यायालय का यह मत है कि मामले के अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके द्वारा मृतक को प्रताड़ित करने की किसी रीति के बारे में आवेदकों के विरुद्ध किसी तर्कपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता हो या उसके आत्महत्या करने के लिए उकसाने के संबंध में हो । दंड संहिता की धारा 306 और 120-ख के अधीन आरोप जिन्हें आवेदकों के विरुद्ध विरचित किया गया है, कायम नहीं रखे जा सकते । दंड संहिता की धारा 323 के अधीन शेष आरोप जिसे मृतक पर अभिकथित हमले के लिए अभियुक्त के विरुद्ध विरचित किया गया है किंतु जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, कि यह दर्शित करने के लिए मामले के अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने उसकी मृत्यु से पूर्व उस पर हमला किया था । शवपरीक्षण रिपोर्ट में बंध चिह्न को छोड़कर हिंसा का कोई चिह्न दर्शित नहीं होता है । स्वीकृततः बंध चिह्न मृतक की आत्महत्या किए जाने के लिए फांसी लगाने के परिणामस्वरूप प्रकट है । इस प्रकार, अभियुक्त आवेदकों के विरुद्ध विरचित किए गए आरोप पूर्णतया अवैध हैं और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और सामग्रियों के विपरीत हैं । इसलिए, मामले को अभिखंडित किया जाता है । (पैरा 9 और 10)

**पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2008 का एस. बी. दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 897 और 875.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401/397 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

**आवेदकों की ओर से** सर्वश्री सुनील मेहता और आर. एस. चौधरी

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री के. के. रावल, लोक अभियोजक

**न्यायमूर्ति संदीप मेहता** – पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुना ।

2. ये पुनरीक्षण आवेदन 2008 के सेशन मामला सं. 22 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय) द्वारा तारीख 29 जुलाई, 2008 को पारित किए गए आदेश को चुनौती देते हुए क्रमशः आवेदकों द्वारा फाइल किए गए हैं जिसके द्वारा दंड संहिता की धारा 306, 120-ख

और 323 के अधीन अपराधों के लिए आवेदकों के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए हैं ।

3. संक्षेप में मामले के निपटारे के लिए आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं कि भिन्या राम नामक व्यक्ति द्वारा यह अभिकथन करते हुए पुलिस थाना नागौर में तारीख 11 नवंबर, 2007 को यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी कि उसे दूरभाष के माध्यम से सूचना मिली कि उसके पुत्र पूनम चंद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली । उसने यह भी कथन किया है कि उसका पुत्र अपनी पत्नी बनवारी के साथ अपने मकान में रह रहा था और वह पड़ोसी के मकान में रह रहा था और घटना की तारीख को वह बाहर गया था । जब वह वापस आया उसके भतीजे लक्ष्मण ने उसे यह बताया कि मृतक के पुत्र मनीष और दीपक ने इस बारे में बताया कि उनके पिता ने अन्दर से दरवाजे पर ताला लगा रखा है । इस पर लक्ष्मण मकान पर गया और उसने दरवाजा खोला जिस पर उसने यह देखा कि पूनम चंद ने फन्दा लगाकर अपने को फांसी लगाई है । इस बात का संदेह पूनम चंद की पत्नी बनवारी तथा श्रवण जाट पर हुआ कि उनके कारण पूनम चंद की मृत्यु हुई । पुलिस को इस बारे में सूचना दी गई और पुलिस द्वारा जब पूछताछ की गई तब भिन्या राम ने यह बताया कि पूनम चंद ने इसलिए आत्महत्या की क्योंकि बनवारी और श्रवण के बीच अवैध संबंध थे । इस सूचना पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 174 के अधीन मृत्यु समीक्षा कार्यवाही प्रारंभ की गई । इसके पश्चात् मृतक के भाई हंसराज ने श्रवण, लक्ष्मण, शिव कुमार और बनवारी के विरुद्ध विभिन्न अपराधों के अधीन मृतक की हत्या किए जाने के संबंध में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय, नागपुर में परिवाद फाइल किया । यह परिवाद दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156(3) के अधीन पुलिस थाना, नागौर में भेजा गया जहां दंड संहिता की धारा 323, 347, 302, 460, 201 तथा 120-ख के अधीन अपराधों के लिए प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 495/2007 रजिस्ट्रीकृत की गई थी । अन्वेषण के पश्चात् पुलिस ने दंड संहिता की धारा 306, 120-ख और 323 के अधीन अपराधों के लिए मामले में आरोप पत्र फाइल करने की कार्यवाही की । इस मामले को सेशन न्यायाधीश के न्यायालय में सुपुर्द किया गया था जहां से इसे न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय), नागौर को अंतरित कर दिया गया था । अभियुक्त ने प्रस्तावित आरोपों का विरोध किया और यद्यपि अभियोजन के स्पष्ट अभिकथन में उन्होंने इस बात की

सच्चाई को स्वीकार किया और यह भी बताया कि मामले के अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिससे यह दर्शित होता हो कि मामले के आवेदक मृतक द्वारा आत्महत्या किए जाने के लिए उत्तरदायी हों या उन्होंने मृतक को आत्महत्या किए जाने के लिए उकसाया हो । तथापि, विद्वान् विचारण न्यायाधीश ने आक्षेपित आदेश द्वारा आवेदकों के विरुद्ध पूर्वोक्त आरोपों को विरचित करने की कार्यवाही की । इसलिए, आवेदकों ने आक्षेपित आदेश से व्यथित होकर वर्तमान पुनरीक्षण आवेदन फाइल करके इस न्यायालय के समक्ष समावेदन किया है ।

4. आवेदकों के काउंसेल ने यह दलील दी कि मात्र अभियोजन के इस कहानी को प्रकट करने से कि बनवारी और श्रवण के आपस में अवैध संबंध थे तब भी वह स्वयं यह धारणा प्रकट करने के लिए इस तथ्य को नहीं बता सका कि मृतक ने इन दो अभियुक्तों के उक्त आचरण के कारण आत्महत्या की । आवेदकों के काउंसेल ने यह दलील दी कि दंड संहिता की धारा 306 के अधीन आरोप विरचित करने के प्रयोजन के लिए यह दर्शित किए जाने हेतु अभिलेख पर सकारात्मक साक्ष्य होना चाहिए कि अभियुक्तों ने मृतक को आत्महत्या करने के लिए उकसाया था । यह भी दलील दी गई थी कि यद्यपि अभियोजन के अभिकथन को पूर्ण रूप से सही होना भी स्वीकार किया गया है तब भी ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके आधार पर यह उपधारणा की जा सकती हो कि अभियुक्तों ने इस बारे में ऐसी रीति से कार्य किया कि जिससे अभियुक्त के लिए आत्महत्या करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा हो, भिन्या राम, हंसराज और लक्ष्मण के कथनों के प्रतिनिर्देश करते हुए आवेदकों के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि अभियोजन साक्षियों के इन कथनों के अनुसार जिसमें अत्यधिक अभिकथन किए गए हैं और जिन्हें बहुत विलंब के पश्चात् भी अभिलिखित किया गया है, इस पर अभियोजन का पक्षकथन का केवल यह आशय है कि श्रवण मृतक पूनम चंद के मकान में आया करता था जबकि मृतक मुंबई में कार्य किया करता था । यह भी अभिकथन किया गया है कि जब मृतक तारीख 1 नवंबर, 2007 को मुंबई से वापस लौटा तब उसने श्रवण से झगड़ा किया था किंतु इस बात के अलावा अभियुक्त के किसी कार्य के बारे में कोई दूसरा कथन नहीं किया गया है जिस पर मृतक द्वारा आत्महत्या किए जाने के लिए उकसाए जाने पर विचार किया जा सकता हो । यह भी दलील दी गई कि जब अभियुक्त श्रवण और शिव कुमार

घटना के एक दिन पूर्व पूनम चंद के मकान पर आए तब बनवारी द्वारा अभियुक्त से इस बात को कहे जाने का अभिकथन किया गया है कि पैसा जो श्रवण को देय है, उसे वापस किया जाना चाहिए । इसके पश्चात् बनवारी श्रवण के साथ चली गई । उस समय पूनम चंद के दोनों पुत्र उसके मकान पर उसके साथ थे । आवेदकों के काउंसेल ने मृतक के दस वर्ष के पुत्र मनीष के कथन का उल्लेख किया है । जिसने यह कथन किया है कि तारीख 10 नवंबर, 2007 को कई लोग उसके पिता से मिलने के लिए आए थे जिस पर उन्होंने उन्हें चाय और सिगरेट पिलाई थी और यह साक्षी स्वयं अपने पिता और अभियुक्त बनवारी के साथ अपनी दादी अर्थात् मृतक पूनम चंद की माता के पास मिलने गया था और उसके पश्चात् लगभग 8.00 बजे श्रवण राम जिसके बारे में इस साक्षी ने यह कथन किया है कि वह बनवारी के धर्म भाई के साथ उनके मकान पर आया और इसके पश्चात् मृतक और श्रवण राम ने एकसाथ खाना खाया और उन्होंने एक ही प्लेट में भोजन किया था और तब श्रवण चला गया था । इस साक्षी ने यह भी कथन किया है कि घटना के दिन के दौरान शिव कुमार की मोटरसाइकिल उसके पिता द्वारा अपने पास रखी गई थी और अगले दिन प्रातः उसके पिता कमरे के अंदर फांसी पर लटके पाए गए थे । इस साक्षी ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसके पिता और माता का कभी भी आपस में झगड़ा नहीं हुआ था, और उसके पिता श्रवण, शिव कुमार और लक्ष्मण के बीच कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ था इस प्रकार, उसके कथन का अवलंब लेकर यह दलील दी गई कि अभियोजन पक्ष ने यह दर्शित करने के लिए मामले के अभिलेख पर कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं किया है कि आवेदक किसी तरह भी पूनम चंद की मृत्यु के लिए जिम्मेदार थे । यह दलील दी गई कि यद्यपि, अभियोजन पक्ष ने अभिलेख पर कतिपय काल डिटेल्स पेश की परंतु इस बारे में दर्शित करने के लिए कोई समर्थित दस्तावेज पेश नहीं गया किया कि संबंधित मोबाइलों का धारक कौन था । इसे अभिलेख पर पेश किया और न इस प्रकार का कोई साक्ष्य यह दर्शित करने के लिए दिया गया कि मोबाइल काल डिटेल्स अभिकथित अपराध के साथ अभियुक्त से संबंधित है । इस प्रकार, यह अनुरोध किया गया कि अभियुक्त के विरुद्ध विरचित आरोप अभिखंडित किए जाएं ।

5. इसके विपरीत, विद्वान् लोक अभियोजक ने अभियुक्त-आवेदकों की

ओर से दी गई दलीलों का खंडन किया और यह निवेदन किया कि आरोपों को विरचित करने के प्रक्रम पर केवल प्रथमदृष्टया यह राय बनती है कि अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त सामग्री है, जो अपेक्षित है और आरोपों को विरचित करने के प्रक्रम पर साक्ष्य पर विस्तृत रूप से विचार नहीं किया गया । यह भी दलील दी गई कि आवेदकों-बनवारी और श्रवण के बीच अवैध संबंध होने के कारण मृतक के पास सिर्फ आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था । इस प्रकार, यह निवेदन किया गया कि आरोपों को विरचित करने का आदेश स्वीकार किए जाने योग्य है ।

6. मैंने न्यायालय में दी गई दलीलों पर सोच-समझकर विचार किया है तथा आक्षेपित आदेश तथा मामले के अभिलेख का परिशीलन किया ।

7. वर्तमान आवेदनों के माध्यम से उठाए गए प्रश्न पर उचित रूप से विचार किया गया, आरोप जो अभियुक्त के विरुद्ध विरचित किए गए उन पर विचार किए जाने की जरूरत है । वे निम्नलिखित हैं :–

"स्थानीय भाषा का लोप कर दिया गया है.....संपादक"

8. प्रकटतः, यद्यपि आरोपों को विरचित करने के क्रम में बनवारी और श्रवण के बीच अभिकथित अवैध संबंधों का उल्लेख किया गया है किंतु आरोपों में जिन्हें अभियुक्तों के विरुद्ध विरचित किया गया है, में ऐसे किसी तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है ।

9. यद्यपि, इस न्यायालय की राय में, अभियोजन पक्षकथन को पूर्णतया सही होने के रूप में स्वीकार किया गया है, मात्र इस अभिकथन के कारण कि बनवारी और श्रवण के अभिकथित अवैध संबंध रहे थे, इस पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उस कार्य से मृतक को आत्महत्या किए जाने के लिए उकसाया गया था । इस मामले में हंसराज द्वारा जो परिवाद फाइल किया गया है, वस्तुतः उसका प्रभाव यह है कि मृतका की मृत्यु की गई अर्थात् उसकी हत्या की गई । ऐसा कोई साक्ष्य अन्वेषण के दौरान एकत्र नहीं किया गया है । कोई ऐसा उत्तम साक्ष्य जो मृतक के आत्महत्या किए जाने के बारे में अभियुक्त की ओर से किसी अवैध कार्य को किए जाने के बारे में जानकारी में आ सका हो, वह उसका पुत्र है जिसने ऊपर यह उल्लेख करते हुए यह कहा है कि इसका प्रभाव कुछ भी नहीं है बल्कि उसने अभियुक्तों और मृतक के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध होने के बारे में कथन किया है ।

10. परिणामस्वरूप, इस न्यायालय का यह मत है कि मामले के अभिलेख पर ऐसी कोई सामग्री नहीं है जिसके द्वारा मृतक को प्रताड़ित करने की किसी रीति के बारे में आवेदकों के विरुद्ध किसी तर्कपूर्ण निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता हो या उसके आत्महत्या करने के लिए उकसाने के संबंध में हो । दंड संहिता की धारा 306 और 120-ख के अधीन आरोप जिन्हें आवेदकों के विरुद्ध विरचित किया गया है, कायम नहीं रखे जा सकते । दंड संहिता की धारा 323 के अधीन शेष आरोप जिसे मृतक पर अभिकथित हमले के लिए अभियुक्त के विरुद्ध विरचित किया गया है किंतु जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, कि यह दर्शित करने के लिए मामले के अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्त ने उसकी मृत्यु से पूर्व उस पर हमला किया था । शवपरीक्षण रिपोर्ट में बंध चिह्न को छोड़कर हिंसा का कोई चिह्न दर्शित नहीं होता है । स्वीकृततः बंध चिह्न मृतक की आत्महत्या किए जाने के लिए फांसी लगाने के परिणामस्वरूप प्रकट है । इस प्रकार, अभियुक्त आवेदकों के विरुद्ध विरचित किए गए आरोप पूर्णतया अवैध है और अभिलेख पर उपलब्ध तथ्यों और सामग्रियों के विपरीत हैं । इसलिए, मामले को अभिखंडित किया जाता है ।

11. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए ये दोनों पुनरीक्षण आवेदन सफल होते हैं और सेशन मामला सं. 22/2008 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश (त्वरित निपटान न्यायालय), नागौर द्वारा तारीख 29 जुलाई, 2008 को दंड संहिता की धारा 306, 120-ख और 323 के अधीन अपराधों के लिए आवेदकों के विरुद्ध आरोप विरचित करने का आदेश अपास्त किया जाता है ।

12. रोक आवेदनों का निपटारा किया जाता है ।

आवेदन मंजूर किए गए ।

आर्य

**रवीन्दर कुमार**

बनाम

**हिमाचल प्रदेश राज्य**

तारीख 4 मई, 2012

**न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 279 और 304-क – उतावलेपन और उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना – जहां अभियोजन यह साबित करता है कि अभियुक्त ने उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण रीति से ट्रक चलाते हुए सुसंगत तारीख और समय पर क्षतिग्रस्त व्यक्ति को ऐसी क्षतियां कारित कीं जिसके परिणामस्वरूप क्षतिग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु हो गई वहां अभियुक्त उतावलेपन और उपेक्षा द्वारा यान चलाकर कारित की गई मृत्यु के अपराध का दायी है ।**

अभियोजन पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि तारीख 6 फरवरी, 1999 को लगभग 4.00 बजे अपराह्न चौबीन चौक, बैजनाथ में आवेदक ट्रक सं. एच. पी. 38-6082 उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक चला रहा था और ऐसा चलाना मानव जीवन तथा दूसरे लोगों की निजी सुरक्षा के लिए खतरनाक था । ट्रक से बालक राम को क्षति पहुंची जिसके परिणामस्वरूप उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । यह दुर्घटना आवेदक के उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक ट्रक चलाने के कारण घटित हुई थी । मामला तुलसी राम के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क पर रजिस्ट्रीकृत किया गया था । अन्वेषण पूरा होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट फाइल की गई थी । अभियोजन का नोटिस दंड संहिता की धारा 279, 304-क के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आवेदक को दिया गया था । उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने आठ साक्षियों की परीक्षा की तथा दस्तावेज पेश किए । आवेदक के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया था, उसने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया । आवेदक ने अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दिया । विचारण की समाप्ति पर आवेदक को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया गया जैसाकि विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट

द्वारा ऊपर उल्लेख किया गया है । दांडिक अपील सं. 3-एन/05/03 वाले मामले में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय, कांगड़ा, धर्मशाला द्वारा तारीख 10 नवंबर, 2005 को पारित किए गए निर्णय से दोषसिद्ध व्यक्ति ने व्यथित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया है । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने दांडिक मामला सं. 15/II/2000 में विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैजनाथ द्वारा तारीख 5 जुलाई, 2003 को पारित किए गए निर्णय की अभिपुष्टि की है जिसमें आवेदक को दंड संहिता की धारा 279, 304-क के अधीन आवेदक को दोषसिद्ध किया गया तथा तीन मास के साधारण कारावास भोगने का उसे दंड दिया गया तथा दंड संहिता की धारा 279 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 250/- रुपए का जुर्माना, दंड संहिता की धारा 304-क के अधीन व्यतिक्रम खंड के साथ दंडनीय अपराध के लिए एक वर्ष का साधारण कारावास तथा 500/- रुपए जुर्माने का दंड दिया गया । दंडादेश साथ-साथ चलने का आदेश किया गया । आवेदक द्वारा फाइल की गई अपील को विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया, इसलिए, यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया । उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – आवेदक का मामला यह है कि सुसंगत तारीख और समय पर वह ट्रक नहीं चला रहा था । उसके पास अभी तक गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं था । उसके अनुसार उसे मृतक के कुटुंब द्वारा नुकसानी की भारपाई करने हेतु दावा करने के लिए मिथ्या रूप से फंसाया गया था । आवेदक ने यह प्रतिरक्षा नहीं की है कि तारीख 6 फरवरी, 1999 को ट्रक सं. एच. पी. 38-6082 दुर्घटना में शामिल नहीं था । अभियोजन पक्ष के सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने यह कथन किया है कि बालक राम की दुर्घटना में तारीख 6 फरवरी, 1999 को मृत्यु हुई जिसमें ट्रक सं. एच. पी. 38-6082 शामिल था और यदि आवेदक ट्रक नहीं चला रहा था जैसाकि उसके द्वारा दावा किया गया है । इस संबंध में कोई ठोस तर्क नहीं दिया गया है कि मृतक के कुटुंब द्वारा दावा आवेदन फाइल करने पर वास्तविक व्यक्ति को छोड़ दिया गया है जो ट्रक चला रहा था और आवेदक को मिथ्या रूप से फंसा दिया गया । आवेदक यदि वह ट्रक नहीं चला रहा था तो ट्रक का ड्राइवर जो ट्रक चला रहा था, से मृतक की मृत्यु होने के कारण प्रतिकर का दावा करने के लिए मृतक के कुटुंब से दुरभिसंधि करने अभिवाक् नहीं किया है । आवेदक की दलील में कोई बल नहीं है कि उसे केवल प्रतिकर का दावा करने के लिए मृतक के कुटुंब द्वारा मामले में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है । अगला प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में आवेदक

उस सुसंगत समय पर ट्रक चला रहा था । तुलसी राम, जगत सिंह और मिलाप चंद प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं । उन्होंने विशिष्ट रूप से यह कथन किया है कि आवेदक उस सुसंगत तारीख और समय पर ट्रक चला रहा था । अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । यह साबित किया गया है कि उस सुसंगत तारीख और समय पर आवेदक ट्रक सं. एच. पी. 38-6082 चला रहा था । अगला संबंधित प्रश्न यह है कि क्या आवेदक के उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक ट्रक चलाने के कारण दुर्घटना घटी । अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 ने यह कथन किया है कि दुर्घटना आवेदक के उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक ट्रक चलाने के कारण घटी थी । अभि. सा. 5 ने ट्रक की तकनीकी रूप से परीक्षा की और रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क प्रस्तुत की । उसने यह कथन किया कि ट्रक में कोई तकनीकी त्रुटि नहीं थी । अभियोजन साक्षियों की यह दर्शित करने के लिए प्रतिपरीक्षा की गई थी जब ट्रक पालमपुर की ओर से चौबीन चौक की ओर आ रहा था तब वहां पर मोड़ और चढ़ाई थी । अभि. सा. 1 जिसकी चौबीन चौक पर चाय की दुकान है उसने इस बात से इनकार किया है कि दुर्घटना के स्थान पर चढ़ाई है या मोड़ है । तथापि, मिलाप चंद ने यह कथन किया है कि बिनवा पुल से चौबीन चौक तक चढ़ाई है किंतु साक्ष्य में चढ़ाई के अनुपात के बारे में कुछ भी प्रकट नहीं है । आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह कथन किया है कि ट्रक चढ़ाई पर चढ़ रहा था, अतः, ट्रक की अत्यधिक गति का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता । उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक ट्रक चलाने या यान की तेज गति का निष्कर्ष अभिलेख पर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के सुसंगत है । वर्णित स्थिति में ट्रक का ड्राइवर जो अत्यधिक तेज गति से ट्रक नहीं चला रहा था तो भी घटना का विशिष्ट स्थिति को देखते हुए उसके द्वारा उपेक्षा बरती गई । अभियोजन साक्षियों ने यह कथन किया है कि मृतक सड़क के बगल पर खड़ा था और ट्रक के सामने की ओर से उसे क्षति पहुंचाई गई । आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अन्वेषक अधिकारी ने यह कथन किया है कि उसके अन्वेषण में यह बात प्रकट हुई है कि मृतक ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ गया । यह भी दलील दी गई कि अभियोजन पक्षकथन संदेहास्पद है और ठोस तर्क पर आधारित नहीं है । अभियोजन पक्षकथन अत्यधिक अधिसंभाव्य है । यह दलील दी गई कि जब ट्रक के आगे की ओर से आहत को क्षति पहुंची तब यह कैसे संभव हुआ था कि आहत ट्रक के पिछले टायर के नीचे आया । आवेदक के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलील आकर्षक प्रतीत होती है

परंतु उसमें कोई गुणागुण नहीं है । ऐसा कोई मामला नहीं है कि फोटोग्राफ प्रदर्श पी-1, पी-2 और पी-3 के अनुसार सड़क पर पड़ा हुआ व्यक्ति बालक राम का शव नहीं है । फोटो प्रदर्श पी-1 और पी-3 से यह प्रकट हुआ है कि मृतक को ट्रक के आगे के भाग से टक्कर लगी । मृतक का सिर और चेहरा फोटो के अनुसार कुचले हुए नहीं हैं । किसी भी व्यक्ति ने मामले में यह प्रकट नहीं किया है कि ट्रक के आगे के बीच के भाग से मृतक को टक्कर लगी जिससे मृतक के बारे में ऐसी कोई संभावना प्रकट नहीं होती है कि ट्रक के आगे के पहियों के नीचे से कुचलने से बच गया । अभियोजन साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि ट्रक के आगे की ओर से मृतक को टक्कर लगी । मृतक अपना आत्मसंयम खो चुका था और ट्रक की दिशा की ओर सिर के बल गिर गया और जिस पर ट्रक के पिछले पहिए से उसे क्षति पहुंची थी । ऊपर यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि आवेदक उस सुसंगत समय पर ट्रक चला रहा था और प्रतिरक्षा पक्ष ने अभि. सा. 1 को सकारात्मक सुझाव दिया कि आवेदक के पास ट्रक के चलाने के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था । इससे यह उपदर्शित हुआ है कि आवेदक ट्रक चलाने के लिए कुशल नहीं था और ऐसा क्यों हुआ कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, किंतु आवेदक ने अच्छी तरह ड्राइविंग की जानकारी न होने पर भी ट्रक चलाने का जोखिम लिया था । आवेदक का ऐसा कार्य उपेक्षापूर्ण कार्य है । अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि आवेदक ने उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक ट्रक चलाकर उस सुसंगत तारीख और समय पर बालक राम को क्षति पहुंचाई और बालक राम को पहुंची हुई क्षतियों के कारण उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । यह साबित हुआ है कि बालक राम की ट्रक सं. एच. पी. 38-6082 से दुर्घटना में मृत्यु हुई । निचले दो न्यायालयों ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन किया है । निचले दोनों न्यायालयों द्वारा साक्ष्य के समरूप मत व्यक्त किया गया है । साक्ष्य का पुनरीक्षण करते हुए तब तक उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता जब तक कि दोनों निचले न्यायालयों द्वारा अपनाया गया मत प्रतिकूल न हो या अन्य अवैधताओं से ग्रसित न हो । अधिरोपित दंडादेश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अत्यधिक प्रतीत भी नहीं होता है । पुनरीक्षण आवेदन में कोई सार नहीं है । (पैरा 11, 12, 13, 14 और 15)

**पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2006 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 20.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401/397 के अधीन आवेदन ।

**आवेदक की ओर से** सुश्री सीमा सूद, अधिवक्ता

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री जे. एस. राना, सहायक महाधिवक्ता

**न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह** – दांडिक अपील सं. 3-एन/05/03 वाले मामले में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित निपटान न्यायालय, कांगड़ा, धर्मशाला द्वारा तारीख 10 नवंबर, 2005 को पारित किए गए निर्णय से दोषसिद्ध व्यक्ति ने व्यथित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया है । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने दांडिक मामला सं. 15/II/2000 में विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, बैजनाथ द्वारा तारीख 5 जुलाई, 2003 को पारित किए गए निर्णय की अभिपुष्टि की है जिसमें आवेदक को दंड संहिता की धारा 279, 304-क के अधीन आवेदक को दोषसिद्ध किया गया तथा तीन मास के साधारण कारावास भोगने का उसे दंड दिया गया तथा दंड संहिता की धारा 279 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए 250/- रुपए का जुर्माना, दंड संहिता की धारा 304-क के अधीन व्यतिक्रम खंड के साथ दंडनीय अपराध के लिए एक वर्ष का साधारण कारावास तथा 500/- रुपए जुर्माने का दंड दिया गया । दंडादेश साथ-साथ चलने का आदेश किया गया ।

2. अभियोजन पक्षकथन संक्षेप में इस प्रकार है कि तारीख 6 फरवरी, 1999 को लगभग 4.00 बजे अपराह्न चौबीन चौक, बैजनाथ में आवेदक ट्रक सं. एच. पी. 38-6082 उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक चला रहा था और ऐसा चलाना मानव जीवन तथा दूसरे लोगों की निजी सुरक्षा के लिए खतरनाक था । ट्रक से बालक राम को क्षति पहुंची जिसके परिणामस्वरूप उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । यह दुर्घटना आवेदक के उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक ट्रक चलाने के कारण घटित हुई थी । मामला तुलसी राम के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क पर रजिस्ट्रीकृत किया गया था ।

3. अन्वेषण पूरा होने पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट फाइल की गई थी । अभियोजन का नोटिस दंड संहिता की धारा 279, 304-क के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आवेदक को दिया गया था । उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । अभियोजन पक्ष ने आठ साक्षियों की परीक्षा की तथा दस्तावेज पेश किए । आवेदक के कथन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभिलिखित किया गया था, उसने अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया । आवेदक ने अपनी प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य नहीं दिया । विचारण की

समाप्ति पर आवेदक को दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया गया जैसाकि विद्वान् न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ऊपर उल्लेख किया गया है । आवेदक द्वारा फाइल की गई अपील को विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा खारिज कर दिया गया, इसलिए, यह पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया ।

4. पक्षकारों को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया । आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि निचले दो न्यायालयों ने आवेदक को दोषसिद्ध और दंडादिष्ट करने में मामले में गलत अर्थ लगाया है और अभिलेख के साक्ष्य का गलत रूप से निर्वचन किया गया । अभियोजन पक्ष बुरी तरह से अपने पक्षकथन को साबित करने में विफल हुआ है । अभियोजन साक्ष्य में तात्विक विभेद प्रकट हुए हैं । यह मामला युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं हुआ है और अधिरोपित दंडादेश अत्यधिक है । विद्वान् सहायक महाधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है और उसने यह दलील दी है कि निचले दो न्यायालयों ने अभिलेख के साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन किया है । अभियोजन पक्ष ने अभियोग को साबित किया है । पुनरीक्षण में साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है । निचले दो न्यायालयों द्वारा अपनाया गया मत अभिलेख के साक्ष्य के संगत है । उन्होंने पुनरीक्षण आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया ।

5. पुनरीक्षण आवेदन में दी गई दलीलों का मूल्यांकन करने पर साक्ष्य का उल्लेख करना आवश्यक है जो अभिलेख पर प्रकट हुआ है । तुलसी राम (अभि. सा. 1) ने यह कथन किया है कि वह चौबीन चौक पर चाय की दुकान चला रहा था । तारीख 6 फरवरी, 1999 को लगभग 4.00 बजे अपराह्न ट्रक सं. एच. पी. 38-6082 अत्यधिक तेज गति से पालमपुर से आ रहा था और बालक राम को क्षति पहुंचाई । ट्रक चालक ट्रक को लेकर भाग गया किंतु लोगों द्वारा चीख-पुकार करने के कारण उसे रोका गया । अभियुक्त ने उक्त ट्रक को चलाया था । बालक राम के सिर पर क्षति पहुंची जिसके परिणामस्वरूप घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई और यह घटना ट्रक चालक के उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक ट्रक चलाने के परिणामस्वरूप घटित हुई । पुलिस ने उसके कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क अभिलिखित किया । प्रतिपरीक्षा में उसने यह इनकार किया कि घटना के स्थान पर चढ़ाई है । उसने इस बात से भी इनकार किया है कि उस स्थान पर मोड़ था । अभि. सा. 1 ने यह कथन किया कि वह उस समय अपनी दुकान के बाहर बैठा हुआ था । उसने इस बात से इनकार किया है कि

दुर्घटना का स्थान उसकी दुकान से नहीं दिखाई पड़ता था । उसने इस बात से भी इनकार किया कि अभियुक्त चालक नहीं है और न उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है ।

6. जगत सिंह (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि तारीख 6 फरवरी, 1999 को लगभग 4.00 बजे अपराह्न ट्रक सं. एच. पी. 38-6082 अत्यधिक तेज गति से पालमपुर से आया । बालक राम शौच करने के पश्चात् लौट रहा था । ट्रक के आगे के भाग से बालक राम को क्षति पहुंची जो नीचे गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई । अभियुक्त ने ट्रक चलाया था । दुर्घटना होने के पश्चात् वह ट्रक को लेकर भाग गया जिसे लोगों द्वारा शोरगुल करने पर रोका गया । यह दुर्घटना चालक द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक ट्रक चलाने के कारण घटित हुई थी । उस ट्रक को ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/क के माध्यम से कब्जे में लिया गया था जिसमें उसके हस्ताक्षर करवाए गए थे । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसके पास चौबीन चौक पर दुकान है । वह अपनी दुकान के बाहर खड़ा था । उसने इस बात से इनकार किया है कि उसने दुर्घटना नहीं देखी । उसने यह कथन किया है कि मामला दावा करने के लिए संस्थित किया गया । उसने इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त ट्रक नहीं चलाता था ।

7. मिलाप चंद (अभि. सा. 3) ने यह कथन किया है कि तारीख 6 फरवरी, 1999 को लगभग 4.00 बजे अपराह्न ट्रक सं. एच. पी. 38-6082 अत्यधिक तेज रफ्तार से पप्परोला की ओर से आया । बालक राम सड़क के किनारे खड़ा हुआ था । ट्रक ने बालक राम को क्षति पहुंचाई और बालक राम सड़क पर गिर गया तथा घटनास्थल पर उसकी मृत्यु हो गई । ट्रक ड्राइवर ने अगले चौक पर ट्रक को रोका जब लोगों द्वारा शोरगुल किया गया । अभियुक्त ने ट्रक चलाया था और घटना ट्रक ड्राइवर द्वारा उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक घटी । प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया है कि दुर्घटना के स्थान पर उसकी कोई दुकान नहीं है । मृतक बालक राम उसका ससुर था । उसने यह कथन किया कि बिनवा पुल से चौबीन चौक तक चढ़ाई है । उसने यह कथन किया कि यह मामला दावा करने के लिए फाइल किया गया है । उसने इस बात से इनकार किया है कि वर्तमान मामला उसकी सास और पत्नी के दावे को मंजूर करवाने के लिए फाइल किया गया है । ट्रक अत्यधिक रफ्तार में था । उसने इस बात से इनकार किया है कि अभियुक्त ट्रक नहीं चला रहा था ।

8. रविन्द्र कुमार (अभि. सा. 4) ने फोटो प्रदर्श पी-1 से पी-5 और उनके नगेटिव प्रदर्श पी-6 से प्रदर्श पी-10 को साबित किया है । उमेश बाली (अभि. सा. 5) ने यह कथन किया है कि तारीख 6 फरवरी, 1999 को उसने ट्रक सं. एच. पी. 38-6082 की तकनीकी रूप से परीक्षा की और रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क तैयार की जिस पर उसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया है । ट्रक में कोई तकनीकी त्रुटि नहीं पाई गई थी । प्रतिपरीक्षा में उसने यह कथन किया है कि उस स्थान से जहां ट्रक खड़ा था 25-30 मीटर की दूरी पर चढ़ाई और मोड़ था । एलएचसी मिलाप चंद (अभि. सा. 6) ने यह कथन किया है कि तारीख 6 फरवरी, 1999 को ट्रक सं. एच. पी. 38-6082 को ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 2/क के माध्यम से कब्जे में लिया गया था ।

9. हैड कांस्टेबल, भूप सिंह (अभि. सा. 7) अन्वेषक अधिकारी है । उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन तुलसी राम के कथन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क अभिलिखित किया । उसने प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/क का पृष्ठांकन किया और इसके पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ख रजिस्ट्रीकृत किया था । घटनास्थल का नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/घ तैयार किया गया था । शवपरीक्षण रिपोर्ट जिसे "के" से चिह्नित किया गया, प्राप्त की गई थी । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उसने अपने अन्वेषण करने में यह निष्कर्ष निकाला कि मृतक की तब मृत्यु हुई जब वह पीछे के पहिए के नीचे आया । अभियुक्त को तारीख 8 फरवरी, 1999 को गिरफ्तार किया गया था । उसने इस बात से इनकार किया है कि आवेदक तारीख 6 फरवरी, 1999 को ट्रक सं. एच. पी. 38-6082 नहीं चला रहा था । हैड कांस्टेबल कृष्ण कुमार (अभि. सा. 8) ने यह कथन किया है कि उसके द्वारा प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ख लिखी गई थी ।

10. आवेदक ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने कथन में अभियोजन पक्षकथन से इनकार किया है । अभियोजन साक्षियों की प्रतिपरीक्षा से यह प्रकट हुआ है कि सुसंगत तारीख और समय पर आवेदक के अनुसार वह ट्रक नहीं चला रहा था । ट्रक भरा हुआ था और वह चढ़ाई की ओर जा रहा था । शाम के समय दुर्घटना वाले स्थान पर बहुत भीड़ थी । आवेदक का यह आश्वस्त करने का आशय था कि उस सुसंगत समय पर दुर्घटना के विशिष्ट स्थान को ध्यान में रखते हुए यह संभव नहीं था कि वह अत्यधिक रफ्तार से भरे हुए ट्रक को चला रहा था ।

11. आवेदक का मामला यह है कि सुसंगत तारीख और समय पर वह ट्रक नहीं चला रहा था । उसके पास अभी तक गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं था । उसके अनुसार उसे मृतक के कुटुंब द्वारा नुकसानी की भारपाई करने हेतु दावा करने के लिए मिथ्या रूप से फंसाया गया था । आवेदक ने यह प्रतिरक्षा नहीं की है कि तारीख 6 फरवरी, 1999 को ट्रक सं. एच. पी. 38-6082 दुर्घटना में शामिल नहीं था । अभियोजन पक्ष के सभी प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों ने यह कथन किया है कि बालक राम की दुर्घटना में तारीख 6 फरवरी, 1999 को मृत्यु हुई जिसमें ट्रक सं. एच. पी. 38-6082 शामिल था और यदि आवेदक ट्रक नहीं चला रहा था जैसाकि उसके द्वारा दावा किया गया है । इस संबंध में कोई ठोस तर्क नहीं दिया गया है कि मृतक के कुटुंब द्वारा दावा आवेदन फाइल करने पर वास्तविक व्यक्ति को छोड़ दिया गया है जो ट्रक चला रहा था और आवेदक को मिथ्या रूप से फंसा दिया गया । आवेदक यदि वह ट्रक नहीं चला रहा था तो ट्रक का ड्राइवर जो ट्रक चला रहा था, से मृतक की मृत्यु होने के कारण प्रतिकर का दावा करने के लिए मृतक के कुटुंब से दुरभिसंधि करने का अभिवाक् नहीं किया है । आवेदक की दलील में कोई बल नहीं है कि उसे केवल प्रतिकर का दावा करने के लिए मृतक के कुटुंब द्वारा मामले में मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है ।

12. अगला प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में आवेदक उस सुसंगत समय पर ट्रक चला रहा था । तुलसी राम (अभि. सा. 1), जगत सिंह (अभि. सा. 2) और मिलाप चंद (अभि. सा. 3) प्रत्यक्षदर्शी साक्षी हैं । उन्होंने विशिष्ट रूप से यह कथन किया है कि आवेदक उस सुसंगत तारीख और समय पर ट्रक चला रहा था । अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 के कथनों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है । यह साबित किया गया है कि उस सुसंगत तारीख और समय पर आवेदक ट्रक सं. एच. पी. 38-6082 चला रहा था । अगला संबंधित प्रश्न यह है कि क्या आवेदक के उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक ट्रक चलाने के कारण दुर्घटना घटी । अभि. सा. 1, अभि. सा. 2 और अभि. सा. 3 ने यह कथन किया है कि दुर्घटना आवेदक के उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक ट्रक चलाने के कारण घटी थी । अभि. सा. 5 ने ट्रक की तकनीकी रूप से परीक्षा की और रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 5/क प्रस्तुत की । उसने यह कथन किया कि ट्रक में कोई तकनीकी त्रुटि नहीं थी । अभियोजन साक्षियों की यह दर्शित करने के लिए प्रतिपरीक्षा की गई थी जब ट्रक पालमपुर की ओर

से चौबीन चौक की ओर आ रहा था तब वहां पर मोड़ और चढ़ाई थी । अभि. सा. 1 जिसकी चौबीन चौक पर चाय की दुकान है उसने इस बात से इनकार किया है कि दुर्घटना के स्थान पर चढ़ाई है या मोड़ है । तथापि, मिलाप चंद (अभि. सा. 3) ने यह कथन किया है कि बिनवा पुल से चौबीन चौक तक चढ़ाई है किंतु साक्ष्य में चढ़ाई के अनुपात के बारे में कुछ भी प्रकट नहीं है ।

13. आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह कथन किया है कि ट्रक चढ़ाई पर चढ़ रहा था, अतः, ट्रक की अत्यधिक गति का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता । उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक ट्रक चलाने या यान की तेज गति का निष्कर्ष अभिलेख पर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के सुसंगत है । वर्णित स्थिति में ट्रक का ड्राइवर जो अत्यधिक तेज गति से ट्रक नहीं चला रहा था तो भी घटना की विशिष्ट स्थिति को देखते हुए उसके द्वारा उपेक्षा बरती गई । अभियोजन साक्षियों ने यह कथन किया है कि मृतक सड़क के बगल पर खड़ा था और ट्रक के सामने की ओर से उसे क्षति पहुंचाई गई । आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी है कि अन्वेषक अधिकारी (अभि. सा. 7) ने यह कथन किया है कि उसके अन्वेषण में यह बात प्रकट हुई है कि मृतक ट्रक के पिछले टायर के नीचे आ गया । यह भी दलील दी गई कि अभियोजन पक्षकथन संदेहास्पद है और ठोस तर्क पर आधारित नहीं है । अभियोजन पक्षकथन अत्यधिक अधिसंभाव्य है । यह दलील दी गई कि जब ट्रक के आगे की ओर से आहत को क्षति पहुंची तब यह कैसे संभव हुआ था कि आहत ट्रक के पिछले टायर के नीचे आया ।

14. आवेदक के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलील आकर्षक प्रतीत होती है परंतु उसमें कोई गुणागुण नहीं है । ऐसा कोई मामला नहीं है कि फोटोग्राफ प्रदर्श पी-1, पी-2 और पी-3 के अनुसार सड़क पर पड़ा हुआ व्यक्ति बालक राम का शव नहीं है । फोटो प्रदर्श पी-1 और पी-3 से यह प्रकट हुआ है कि मृतक को ट्रक के आगे के भाग से टक्कर लगी । मृतक का सिर और चेहरा फोटो के अनुसार कुचले हुए नहीं हैं । किसी भी व्यक्ति ने मामले में यह प्रकट नहीं किया है कि ट्रक के आगे के बीच के भाग से मृतक को टक्कर लगी जिससे मृतक के बारे में ऐसी कोई संभावना प्रकट नहीं होती है कि ट्रक के आगे के पहियों के नीचे से कुचलने से बच गया । अभियोजन साक्ष्य से यह प्रकट हुआ है कि ट्रक के आगे की ओर से मृतक को टक्कर लगी । मृतक अपना आत्मसंयम खो चुका था और ट्रक की

दिशा की ओर सिर के बल गिर गया और जिस पर ट्रक के पिछले पहिए से उसे क्षति पहुंची थी । ऊपर यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि आवेदक उस सुसंगत समय पर ट्रक चला रहा था और प्रतिरक्षा पक्ष ने अभि. सा. 1 को सकारात्मक सुझाव दिया कि आवेदक के पास ट्रक के चलाने के लिए कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था । इससे यह उपदर्शित हुआ है कि आवेदक ट्रक चलाने के लिए कुशल नहीं था और ऐसा क्यों हुआ कि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, किंतु आवेदक ने अच्छी तरह ड्राइविंग की जानकारी न होने पर भी ट्रक चलाने का जोखिम लिया था । आवेदक का ऐसा कार्य उपेक्षापूर्ण कार्य है ।

15. अभियोजन पक्ष ने यह साबित किया है कि आवेदक ने उतावलेपन से और उपेक्षापूर्वक ट्रक चलाकर उस सुसंगत तारीख और समय पर बालक राम को क्षति पहुंचाई और बालक राम को पहुंची हुई क्षतियों के कारण उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई । यह साबित हुआ है कि बालक राम की ट्रक सं. एच. पी. 38-6082 से दुर्घटना में मृत्यु हुई । निचले दो न्यायालयों ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य का सही रूप से मूल्यांकन किया है । निचले दोनों न्यायालयों द्वारा साक्ष्य के समरूप मत व्यक्त किया गया है । साक्ष्य का पुनरीक्षण करते हुए तब तक उसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता जब तक कि दोनों निचले न्यायालयों द्वारा अपनाया गया मत प्रतिकूल न हो या अन्य अवैधताओं से ग्रसित न हो । अधिरोपित दंडादेश मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अत्यधिक प्रतीत भी नहीं होता है । पुनरीक्षण आवेदन में कोई सार नहीं है ।

16. उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए पुनरीक्षण आवेदन असफल है और उसे खारिज किया जाता है । आवेदक के जमानत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं । आवेदक को अधिरोपित दंडादेश भोगने के लिए विचारण न्यायालय के समक्ष तत्काल अभ्यर्पण करने का निदेश दिया जाता है ।

पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया गया ।

आर्य

**यशपाल**

बनाम

**हिमाचल प्रदेश राज्य**

तारीख 28 मई, 2012

**न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 498-क [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 113-क] – स्त्री के प्रति क्रूरता – स्कूटर की मांग – आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करना – अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और साक्षियों के परिसाक्ष्यों से यह साबित नहीं होने पर कि अभियुक्त ने मृतका से स्कूटर की मांग करके उसके साथ क्रूरता की थी और आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया था, अभियुक्त को दोषमुक्त करना उचित और न्यायसंगत होगा ।**

मामले के तथ्यों के अनुसार अभियोजन का पक्षकथन संक्षेप में यह है कि शिकायतकर्ता, सोमनाथ की पुत्री श्रीमती शुभ लता (मृतका) का विवाह तारीख 22 जनवरी, 1999 को अपीलार्थी के साथ हुआ था । मृतका विवाह के पश्चात् अपने माता-पिता के घर आई और तारीख 27 फरवरी, 1999 तक वहां ठहरी । अपीलार्थी भी वहां आता रहता था । मृतका ने अपनी बड़ी बहिन को बताया कि अपीलार्थी स्कूटर की मांग कर रहा है और उसका यह कहना है कि यदि स्कूटर नहीं दिया गया तो वह उसे उसके माता-पिता के घर नहीं भेजेगा । तारीख 2 मार्च, 1999 को अपराह्न में लगभग 12.30 बजे अपीलार्थी का भाई तीन-चार व्यक्तियों के साथ सोमनाथ के पास आया और सूचित किया कि शुभ लता बीमार है और नंगल में किसी क्लीनिक में भर्ती है । सोमनाथ अपीलार्थी के घर गया और वहां बहुत सारे लोगों को एकत्रित पाया और उसकी पुत्री शुभ लता की जलने से मृत्यु हो गई थी । मृतका के जलने के कारण हुई मृत्यु के बारे में पुलिस को सूचना अपीलार्थी द्वारा दी गई थी । सोमनाथ का कथन अभिलिखित किया गया और उसके पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । पुलिस द्वारा मामले का अन्वेषण किया गया । अन्वेषण पूर्ण होने पर अपीलार्थी और उसके भाई के विरुद्ध चालान फाइल किया गया । उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क, 304-ख और 120-ख के अधीन दंडनीय अपराधों

के लिए आरोपित किया गया । अपीलार्थी के भाई को दोषमुक्त कर दिया गया । अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन अपराध के लिए तो दोषमुक्त कर दिया गया किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित –** वर्तमान अपील में प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी ने शुभ लता के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन यथा उपबंधित क्रूरता की थी या नहीं । शुभ लता की मृत्यु तारीख 2 मार्च, 1999 को पूर्वाह्न में लगभग 10.00 या 10.30 बजे हुई थी । अपीलार्थी का छोटा भाई राजिन्दर कुछ व्यक्तियों के साथ मृतका के माता-पिता के घर गया था । अभियोजन पक्ष के अनुसार, राजिन्दर ने यह बहाना बनाया कि शुभ लता बीमार है और नंगल में किसी क्लीनिक में भर्ती है, किंतु वास्तव में उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी । मृतका का पिता, अभि. सा. 1 सोमनाथ अपीलार्थी के भाई और अन्य व्यक्तियों के साथ अपीलार्थी के घर आया और तब उसे शुभ लता की जलने से हुई मृत्यु के बारे में पता चला । अभियोजन पक्ष यह बताना चाहता है कि अपीलार्थी का पक्षकथन आरंभ से ही असत्य रहा है । शुभ लता की मृत्यु पहले ही हो गई थी, किंतु दर्शाया यह गया कि वह बीमार है और नंगल में किसी क्लीनिक में भर्ती है । कभी-कभी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में सगे-संबंधियों को सदमे से बचाने के लिए अचानक नहीं बताया जाता है, बल्कि सगे-संबंधियों को गंभीर रूप से बीमार होने की बात कही जाती है ताकि सगे-संबंधी मृत्यु से पहुंचने वाले सदमे को सहन कर सकें । यह प्रतीत होता है कि राजिन्दर ने तुरंत पहुंचने वाले सदमे से अभि. सा. 1 को बचाने के लिए उसे बताया कि शुभ लता बीमार है, हालांकि वास्तव में उसकी मृत्यु हो गई थी । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी का पक्षकथन असत्यता पर आधारित है । किसी भी दशा में, अपीलार्थी अभि. सा. 1 आदि को यह बताने नहीं गया था कि शुभ लता बीमार है, हालांकि उसकी मृत्यु हो गई थी । मृतका का पिता अभि. सा. 1 भी तारीख 2 मार्च, 1999 को अपीलार्थी के घर गया था । उसने तारीख 2 मार्च, 1999 को पुलिस को मामले की रिपोर्ट नहीं की । पुलिस अपीलार्थी द्वारा की गई रपट के आधार पर ही हरकत में आई थी और उसके पश्चात् अपर थाना अधिकारी, मोती राम द्वारा संदेश दिया गया था, जिसकी तारीख 2 मार्च, 1999 को अपराह्न में 9.35 बजे पुलिस

थाना, कोट केहलूर में रपट सं. 23, प्रदर्श पीएफ, में प्रविष्टि की गई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभि. सा. 1 का कथन तारीख 3 मार्च, 1999 को अपराह्न में 12.45 बजे अभिलिखित किया गया था । इन परिस्थितियों में, पुलिस को घटना की सूचना रपट सं. 11, प्रदर्श पीई, द्वारा तारीख 2 मार्च, 1999 को अपराह्न में 5.30 बजे देने के लिए अपीलार्थी को दोष नहीं दिया जा सकता है । अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी ने स्कूटर की मांग करके मृतका के साथ क्रूरता की और इसकी वजह से शुभ लता ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली । अभि. सा. 1 सोमनाथ ने यह कथन किया है कि उसकी पुत्री तारीख 14 फरवरी, 1999 से तारीख 27 फरवरी, 1999 तक उसके घर ठहरी थी । विवाह तारीख 22 जनवरी, 1999 को हुआ था । अभि. सा. 11 सविता देवी ने न्यायालय में यह कथन किया कि शुभ लता ने उनके घर में ठहरने के दौरान यह बताया था कि अपीलार्थी ने स्कूटर की मांग की है । शुभ लता ने यह भी बताया था कि यदि स्कूटर नहीं दिया गया तो उसे उसके माता-पिता के घर नहीं भेजा जाएगा । अभि. सा. 12 नरेश रानी ने यह कथन किया कि शुभ लता ने उसे यह बताया था कि यशपाल स्कूटर की मांग कर रहा है । अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12 के कथनों की बारीकी से संवीक्षा करने पर विश्वास उत्पन्न नहीं होता है । अभि. सा. 11 एक विवाहित स्त्री है और गांव कुथारविन, तहसील हरोली, ऊना की रहने वाली है । अभि. सा. 11 ने यह कथन नहीं किया है कि वह तारीख 14 फरवरी, 1999 से तारीख 27 फरवरी, 1999 तक अभि. सा. 1 के घर में रही थी । अभि. सा. 11 तारीख 2 मार्च, 1999 को अभि. सा. 1 के साथ थी और यहां तक कि तारीख 2 मार्च, 1999 को अपीलार्थी के घर अपने पिता के साथ गई थी । अभि. सा. 1 सोमनाथ ने अपने कथन में यह नहीं कहा है कि मृतका ने उसे यह बताया था कि अपीलार्थी ने उससे स्कूटर की मांग की है । इसके विपरीत, उसने यह कथन किया कि उसकी पुत्री ने उसके घर ठहरने के दौरान अपीलार्थी के व्यवहार के बारे में कुछ नहीं कहा था । अभि. सा. 11 ने यह कथन किया है कि उसने स्कूटर की मांग की बात अपनी चाची के सिवाय किसी व्यक्ति को नहीं बताई थी । अभि. सा. 12 ने यह कथन किया है कि उसने स्कूटर की मांग के बारे में अपने पति के सिवाय किसी व्यक्ति को नहीं बताया था । अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12 के कथनों में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि उन्होंने अपीलार्थी द्वारा की गई स्कूटर की मांग के बारे में अभि. सा. 1 को सूचित किया था । स्वयं अभि. सा. 1 ने यह कथन नहीं किया है कि उसे मृतका द्वारा या

अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12 द्वारा स्कूटर की मांग के बारे में बताया था । आश्चर्य की बात है कि अपीलार्थी द्वारा की गई स्कूटर की मांग की जानकारी के अभाव में अभि. सा. 1 के कथन, प्रदर्श पीए, में स्कूटर की मांग का जिक्र कैसे आया, जब यह साबित नहीं किया गया है कि अभि. सा. 1 को अपीलार्थी द्वारा की गई स्कूटर की मांग के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बताया गया था । अभि. सा. 1 अपीलार्थी के घर तारीख 2 मार्च, 1999 को गया था । पुलिस को घटना की जानकारी तारीख 2 मार्च, 1999 को अपराह्न में 5.30 बजे, प्रदर्श पीई, और फिर प्रदर्श पीएफ द्वारा मिली, किंतु कथन, प्रदर्श पीए, तारीख 3 मार्च, 1999 को अपराह्न में 12.45 बजे अभिलिखित किया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन कथन अभिलिखित करने में हुए विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । अभि. सा. 14 ने यह कथन किया है कि सूचना तारीख 2 मार्च, 1999 को अपराह्न में 9.30 बजे प्राप्त हुई थी और उसके पश्चात् वह अन्य व्यक्तियों के साथ घटनास्थल पर गया । मृत्यु-समीक्षा कागजात, प्रदर्श पीएच और प्रदर्श पीजे, तारीख 2 मार्च, 1999 को भरे गए थे । यह प्रतीत होता है कि कथन, प्रदर्श पीए, ऋजुतापूर्वक नहीं लिखा गया है और यह कथन सोच-विचार का परिणाम है और पश्च-विचार करके अपीलार्थी को फंसाने का प्रयास किया गया है । अभिलेख पर यह साक्ष्य आया है कि वास्तव में अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि यशपाल उसके घर स्कूटर पर आता था । जब अपीलार्थी के पास पहले से ही स्कूटर था, तो अपीलार्थी द्वारा एक अन्य स्कूटर की मांग करना दूर की बात है और संदेहास्पद है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है । अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने में असफल रहा है कि अपीलार्थी ने मृतका से स्कूटर की मांग की थी और क्रूरता की थी । अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन आरोप को साबित करने में असफल रहा है । आक्षेपित निर्णय संधार्य नहीं है । (पैरा 20, 22, 24, 25, 26 और 27)

**निर्दिष्ट निर्णय**

पैरा

[2011] तारीख 7 जनवरी, 2011 को विनिश्चित 2003 की दांडिक अपील सं. 410 :
**प्यार चंद** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य** । 19

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2004 की दांडिक अपील सं. 512.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** श्री टी. एस. चौहान

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री जे. एस. राणा, सहायक महाधिवक्ता

**न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह –** सिद्धदोष/अपीलार्थी 2009 के विचारण सं. 09 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा तारीख 23 नवम्बर, 2004 को पारित किए गए उस निर्णय के विरुद्ध अपील में आया है जिसके द्वारा उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन दोषसिद्ध किया गया है और दो वर्ष की अवधि का कठोर कारावास भोगने तथा दस हजार रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर छह मास का और कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया है ।

2. अभियोजन का पक्षकथन संक्षेप में यह है कि अभि. सा. 1 सोमनाथ की पुत्री और अभि. सा. 11 सविता देवी की बहिन श्रीमती शुभ लता, (मृतका) का विवाह तारीख 22 जनवरी, 1999 को अपीलार्थी के साथ हुआ था । मृतका विवाह के पश्चात् अपने माता-पिता के घर आई और तारीख 27 फरवरी, 1999 तक वहां ठहरी । अपीलार्थी इस अवधि के दौरान अपने सास-ससुर के घर आता रहता था । मृतका ने अपनी बड़ी बहिन अभि. सा. 11 सविता देवी को बताया कि अपीलार्थी स्कूटर की मांग कर रहा है और यदि स्कूटर नहीं दिया गया तो उसे उसके माता-पिता के घर नहीं भेजेगा । अभि. सा. 11 सविता देवी ने यह तथ्य अपनी चाची अभि. सा. 12 श्रीमती नरेश रानी को बताया ।

3. अपीलार्थी का भाई तारीख 2 मार्च, 1999 को अपराह्न में लगभग 12.30 बजे तीन-चार व्यक्तियों के साथ अभि. सा. 1 सोमनाथ के पास आया और सूचित किया कि शुभ लता बीमार है और नंगल में किसी क्लीनिक में भर्ती है । अभि. सा. 1 सोमनाथ अपीलार्थी के घर गया और वहां बहुत सारे लोगों को एकत्रित पाया और उसकी पुत्री शुभ लता की जलने से मृत्यु हो गई थी । अभि. सा. 1 सोमनाथ का कथन, प्रदर्श पीए, अभिलिखित किया गया और उसके पश्चात् प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रदर्श पीजी, रजिस्ट्रीकृत की गई । अभि. सा. 8 डा. एन. के. सांख्यन द्वारा मृतका की मरणोत्तर परीक्षा की गई और मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट, प्रदर्श पीएम, अभिप्राप्त की गई । डाक्टर ने राय व्यक्त की कि मृत्यु, मृत्यु-पूर्व

की दाह-क्षतियों के परिणामस्वरूप श्वासावरोध होने के कारण हुई ।

4. अभि. सा. 14 मोती राम ने अन्वेषण किया । अन्वेषण पूर्ण होने पर अपीलार्थी और उसके भाई बलविंदर सिंह के विरुद्ध चालान फाइल किया गया । उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क, 304-ख और 120-ख के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोपित किया गया । अभियोजन पक्ष ने 14 साक्षियों की परीक्षा कराई और कुछ दस्तावेज प्रस्तुत किए । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के कथन अभिलिखित किए गए और उन्होंने अभियोजन के पक्षकथन से इनकार किया । अभियुक्तों ने प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया । अपीलार्थी के भाई बलविंदर सिंह को दोषमुक्त कर दिया गया । अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन अपराध के लिए दोषमुक्त कर दिया गया किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन ऊपर उल्लिखित अनुसार दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया । इसलिए यह अपील फाइल की गई है ।

5. काउंसेलों को सुना और अभिलेख का परिशीलन किया गया । अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल द्वारा यह दलील दी गई है कि विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने साक्ष्य का गलत अर्थान्वयन और गलत निर्वचन किया है । अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन आरोप को साबित करने में असफल रहा है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अभियोजन के वृत्तांत को स्वीकार नहीं किया है और बलविंदर सिंह को पूर्णतः तथा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन अपराध के लिए दोषमुक्त किया गया है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने अपीलार्थी को दोषसिद्ध करके गलती की है तथा अधिरोपित दंडादेश अत्यधिक है । विद्वान् सहायक महाधिवक्ता ने अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश का समर्थन किया है । उसने यह दलील दी है कि मृतका का विवाह तारीख 22 जनवरी, 1999 को हुआ था और उसकी मृत्यु तारीख 2 मार्च, 1999 को हो गई । एक नव-विवाहिता स्त्री अपने जीवन को समाप्त करने का कठोर कदम तब तक नहीं उठाएगी जब तक कि परिस्थितियों के द्वारा मजबूर न कर दी जाए । विद्वान् सहायक महाधिवक्ता ने यह दलील दी कि अपीलार्थी की दोषसिद्धि और दंडादेश में कोई त्रुटि नहीं पाई जा सकती है ।

6. विरोधी दलीलों का मूल्यांकन करने के लिए यह आवश्यक है कि साक्ष्य को निर्दिष्ट किया जाए । अभि. सा. 1 सोमनाथ मृतका शुभ लता

का पिता है । उसने यह कथन किया है कि मृतका का अपीलार्थी के साथ विवाह तारीख 22 जनवरी, 1999 को हुआ था । उसने यह कथन किया कि विवाह के 15 दिनों के पश्चात् यशपाल और मृतका उसके घर आए थे । उसकी पुत्री घर में 15 दिन ठहरी । यशपाल अपनी नौकरी पर मेहतापुर चला गया था ।

7. अभि. सा. 1 ने यह भी कथन किया कि तारीख 2 मार्च, 1999 को अपराह्न में लगभग 12.30 बजे यशपाल का भाई तीन-चार व्यक्तियों के साथ उसके घर आया और बताया कि शुभ लता बीमार है और किसी क्लीनिक में भर्ती है । वह और उसकी छोटी पुत्री सविता नंगल गए और यशपाल का भाई किसी क्लीनिक में गया और कहा कि उसे यह पता करना है कि शुभ लता क्लीनिक में ही भर्ती है या छुट्टी हो गई है । वह दस मिनट के पश्चात् आया और बताया कि शुभ लता की क्लीनिक से छुट्टी हो गई है । यह साक्षी इसके बाद यशपाल के मकान पर गया और वहां पर बहुत से लोग एकत्रित थे । उसने अपनी पुत्री को जलने के कारण मृत पड़े हुए देखा । कुछ वस्तुएं भी कमरे में जली पड़ी थीं ।

8. अभि. सा. 1 ने आगे यह कथन किया कि शुभ लता उसके घर से तारीख 27 फरवरी, 1999 को गई थी । उसने शुभ लता से पूछा कि क्या अपीलार्थी को गाड़ी चलानी (ड्राइविंग) आती है और क्या स्कूटर उसी का है । इस बात पर उसकी पुत्री की आंखे आंसुओं से भर आई, इससे यह दर्शित होता है कि स्कूटर की मांग की गई थी किंतु मृतका ने स्कूटर के बारे में कुछ नहीं कहा । पुलिस ने इस साक्षी का कथन, प्रदर्श पीए, अभिलिखित किया था । इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसकी पुत्री उसके घर तारीख 14 फरवरी, 1999 से 27 फरवरी, 1999 तक ठहरी थी । उसके पास ठहरने के दौरान उसकी पुत्री ने अपीलार्थी के व्यवहार के बारे में कुछ नहीं कहा था । अपीलार्थी का छोटा भाई राजिन्दर उसके घर आया था । कुछ समय पश्चात् उसका (साक्षी का) भाई फुमन सिंह, जो डाक्टर है, भी लुधियाना से वहां आया । इस साक्षी ने इस बात से इनकार किया कि उसने अपनी पुत्री का विवाह भाकरा में उसकी इच्छा के विरुद्ध किया था ।

9. अभि. सा. 2 मोहिन्दर नाथ ने बरामदगी ज्ञापनों, प्रदर्श पीसी और प्रदर्श पीडी, को साबित किया है । उसने प्रदर्श पी-1 से पी-6 वस्तुओं को कब्जे में लेने की बात को भी साबित किया है । अभि. सा. 3, कांस्टेबल बिशन सिंह ने तारीख 2 मार्च, 1999 की रपट सं. 11, प्रदर्श पीई, तारीख

2 मार्च, 1999 की रपट सं. 28, प्रदर्श पीएफ को साबित किया है । अभि. सा. 4 शंकर सिंह पुलिस थाना, कोट के मुहर्रिर हैड कांस्टेबल के पास वस्तुएं जमा करने का साक्षी है । अभि. सा. 5, कांस्टेबल शिव राम न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, जुंगा में मामला-संपत्ति जमा करने का साक्षी है ।

10. अभि. सा. 6, हैड कांस्टेबल नानक राम ने यह कथन किया है कि उसने कथन, प्रदर्श पीए, के आधार पर प्रथम इत्तिला रिपोर्ट, प्रदर्श पीजी, अभिलिखित की थी । उसे मामला-संपत्ति सौंपी गई थी । तारीख 15 मार्च, 1999 को नौ मुहरबंद पैकेट न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, जुंगा भेजे गए थे । मामला-संपत्ति के साथ किसी व्यक्ति द्वारा कोई छेड़छाड़ नहीं की गई थी । मामला-संपत्ति उसके पास रही थी ।

11. अभि. सा. 7, हैड कांस्टेबल शमशेर सिंह ने यह कथन किया है कि उसने मृत्यु-समीक्षा के प्ररूपों, प्रदर्श पीएच और प्रदर्श पीजे, को भरा था और उन पर उसके हस्ताक्षर हैं । अभि. सा. 8 डा. एन. के. सांख्यन ने तारीख 4 मार्च, 1999 को आवेदन, प्रदर्श पीके और प्रदर्श पीएल, के आधार पर मृतका शुभ लता की मरणोत्तर परीक्षा की थी । उसने मरणोत्तर परीक्षा रिपोर्ट, प्रदर्श पीएम, को साबित किया है । रसायनज्ञ की रिपोर्ट, प्रदर्श पीएन और प्रदर्श पीओ, प्राप्त होने के पश्चात् उसने अंतिम राय, प्रदर्श पीपी, दी जो प्रदर्श पीएम में दी गई राय के समान है ।

12. अभि. सा. 9, उप पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह, जो पुलिस थाना कोट में वर्ष 1999 में थाना अधिकारी था, ने चालान तैयार किया था । अभि. सा. 10 कश्मीरू राम ने यह कथन किया है कि उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन नरेश रानी का कथन उसके द्वारा दिए गए वृत्तांत अनुसार अभिलिखित किया था । अन्वेषण उप निरीक्षक मोती राम, अपर थाना अधिकारी, पुलिस थाना, कोट द्वारा किया गया था । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि नरेश रानी डा. फुनम सिंह की पत्नी है । शुभ लता नरेश रानी की भतीजी थी ।

13. अभि. सा. 11 सविता देवी मृतका शुभ लता की बहिन है । उसने यह कथन किया है कि शुभ लता और उसका पति तारीख 15 मार्च, 1999 को उनके घर आए थे । मृतका तारीख 28 फरवरी, 1999 तक उनके घर ठहरी थी । मृतका का पति उन दिनों उनके घर आता रहता था । तारीख 2 मार्च, 1999 को अपीलार्थी का भाई बिल्लू उनके घर आया और यह साक्षी

और उसका पिता बिल्लू के साथ नंगल गए । इसके बाद वे अपीलार्थी के घर गए और उन्होंने कमरे में शुभ लता का शव जली हुई हालत में देखा ।

14. अभि. सा. 11 ने आगे यह कथन किया है कि शुभ लता ने उनके घर में ठहरने के दौरान यह बताया था कि अपीलार्थी ने स्कूटर की मांग की है । मृतका ने यह भी बताया कि यदि स्कूटर नहीं दिया गया, तो उसे उसके माता-पिता के घर नहीं भेजा जाएगा । इस साक्षी ने शुभ लता से कहा कि वह इस तथ्य को पिताजी से बताएगी । शुभ लता की मृत्यु इसलिए हुई क्योंकि अपीलार्थी की स्कूटर की मांग पूरी नहीं हुई थी । उसने यह तथ्य पुलिस को बताया था । उसने यह तथ्य अपने पिता को नहीं बताया था, चूंकि उसकी बहिन ने यह तथ्य पिता जी को नहीं बताने के लिए कहा था । उसने तारीख 14 फरवरी, 1999 से तारीख 28 फरवरी, 1999 के बीच अपीलार्थी द्वारा की गई स्कूटर की मांग को किसी व्यक्ति को नहीं बताया था । उसने यह कथन किया कि मृतका ने स्वयं को जला लिया और मर गई ।

15. अभि. सा. 12 नरेश रानी ने यह कथन किया है कि शुभ लता ने फरवरी, 1999 में उसे यह बताया था कि अपीलार्थी ने स्कूटर की मांग की है और उसके पश्चात् वह लुधियाना चली गई । शुभ लता उसकी भतीजी थी । तारीख 2 मार्च, 1999 को दूरभाष पर एक संदेश मिला कि शुभ लता की मृत्यु हो गई है । यह साक्षी रात्रि में ही पहुंच गई थी किंतु शव नहीं दिखाया गया और शव को अगली प्रातः दिखाया गया । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि वह लगभग 17 फरवरी, 1989 से लेकर गांव में रही थी । उसने अपने पति के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को स्कूटर की मांग की बात नहीं बताई थी ।

16. अभि. सा. 13 नरेश कुमार ने फोटोग्राफ, प्रदर्श पी-8 से प्रदर्श पी-24 तथा नगेटिव, प्रदर्श पी-25 से प्रदर्श पी-41 को साबित किया है । अभि. सा. 14 मोती राम ने यह कथन किया है कि तारीख 2 मार्च, 1999 को अपराह्न में लगभग 9.30 बजे गोलथाई से बेतार संदेश आया कि यशपाल ने यह सूचना दी है कि उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर ली है । पुलिस घटनास्थल पर पहुंची । हैड कांस्टेबल शमशेर सिंह पहले से ही वहां पर था । सोमनाथ का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन कथन, प्रदर्श पीए, अभिलिखित किया गया ।

17. अपीलार्थी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अपने

कथन में अभियोजन के पक्षकथन से इनकार किया । उसने यह कथन किया कि वह निर्दोष है । वह तारीख 28 फरवरी, 1999 को मृतका के साथ उसके घर से अपने घर आया था । तारीख 2 मार्च, 1999 को पूर्वाह्न में 9.10 बजे उसने और उसके दो भाइयों ने शुभ लता के साथ मिलकर नाश्ता किया । वह पशुओं को चराने के लिए सतलुज नदी की ओर चला गया तथा उसके दोनों भाई चारा लेने जंगल की ओर चले गए । उनकी माता तारीख 1 मार्च, 1999 को अपने माता-पिता के घर चली गई थी । शुभ लता घर में अकेली थी । पूर्वाह्न में 10.15 बजे उसे शोर सुनाई दिया कि आग लग गई है । वह दौड़कर अपने घर की ओर आया और यह पाया कि शुभ लता की जलने के कारण मृत्यु हो गई है और उसने आत्महत्या की है । उसने पुलिस चौकी, गोलथाई को मामले की सूचना दी ।

18. प्रदर्श पीए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभिलिखित किया गया अभि. सा. 1 सोमनाथ का कथन है । प्रदर्श पीई तारीख 2 मार्च, 1999 की रपट सं. 11 है जो अपीलार्थी द्वारा अपराह्न में 5.30 बजे यह सूचित करते हुए दी गई सूचना के आधार पर पुलिस चौकी, गोलथाई में प्रविष्ट की गई थी कि शुभ लता ने आत्महत्या कर ली है और जलने के कारण उसकी मृत्यु हो गई है । प्रदर्श पीएफ अपर थाना भारसाधक अधिकारी, मोती राम द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पुलिस थाना, केहलूर में अपराह्न में 9.35 बजे प्रविष्ट की गई तारीख 2 मार्च, 1999 की रपट सं. 23 है । प्रदर्श पीजी प्रथम इत्तिला रिपोर्ट है, प्रदर्श पीपी रसायनज्ञ द्वारा दी गई रिपोर्ट के पश्चात् डाक्टर द्वारा दी गई अंतिम राय है ।

19. विद्वान् सेशन न्यायाधीश द्वारा अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ख के अधीन आरोप के लिए दोषमुक्त किया गया है । भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क विवाहित स्त्री द्वारा आत्महत्या करने के दुष्प्रेरण के बारे में उपधारणा और धारा 113-ख दहेज हत्या के बारे में उपधारणा से संबंधित है । यदि विवाहित स्त्री द्वारा अपने विवाह के सात वर्ष के भीतर आत्महत्या कारित की गई है, तो न्यायालय धारा 113-क के अधीन उपधारणा कर सकता है । **प्यार चंद** बनाम **हिमाचल प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि आत्महत्या के दुष्प्रेरण के संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क के अधीन उपधारणा का प्रश्न केवल तब उद्भूत होता है यदि अभियोजन पक्ष ने

[1] तारीख 7 जनवरी, 2011 को विनिश्चित 2003 की दांडिक अपील सं. 410.

अभिलेख पर कुछ सामग्री यह दर्शित करने के लिए प्रस्तुत की है कि अपीलार्थी ने मृतका को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया था । जब एक बार अपीलार्थी के विरुद्ध दुष्प्रेरण का निष्कर्ष अभिलिखित करने के लिए अभिलेख पर मूल सामग्री नहीं है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113-क की सहायता से यह उपधारणा नहीं की जा सकती है कि अपीलार्थी ने आत्महत्या का करना दुष्प्रेरित किया था । अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 113-ख के अधीन आरोप के लिए दोषमुक्त किया गया है, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 113-ख के अधीन उपधारणा का कोई प्रश्न ही नहीं है ।

20. वर्तमान अपील में प्रश्न यह है कि क्या अपीलार्थी ने शुभ लता के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन यथा उपबंधित क्रूरता की थी या नहीं । भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क निम्नलिखित है :–

> "498-क. किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना – जो कोई, किसी स्त्री का पति या पति का नातेदार होते हुए, किसी स्त्री के प्रति क्रूरता करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा ।
>
> स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजनों के लिए 'क्रूरता' से निम्नलिखित अभिप्रेत है –
>
> (क) जानबूझकर किया गया कोई आचरण जो ऐसी प्रकृति का है जिससे उस स्त्री को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करने की या उस स्त्री के जीवन, अंग या स्वास्थ्य को (जो चाहे मानसिक हो या शारीरिक) गंभीर क्षति या खतरा कारित करने के लिए उसे करने की सम्भावना है ; या
>
> (ख) किसी स्त्री को तंग करना, जहां उसे या उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी सम्पत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति के लिए किसी विधिविरुद्ध मांग को पूरी करने के लिए प्रपीड़ित करने की दृष्टि से या उसके अथवा उससे संबंधित किसी व्यक्ति के ऐसे मांग को पूरी करने में असफल रहने के कारण इस प्रकार तंग किया जा रहा है ।"

21. विद्वान् न्यायाधीश ने अभि. सा. 11 सविता देवी और अभि. सा. 12 नरेश रानी के कथन के आधार पर यह अभिनिर्धारित किया कि

अपीलार्थी द्वारा की गई स्कूटर की मांग को सिद्ध किया गया है और इसलिए अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन दोषसिद्ध किया । इन परिस्थितियों में, अभि. सा. 11 सविता देवी और अभि. सा. 12 नरेश रानी के कथन के साथ-साथ अभिलेख पर के अन्य सुसंगत साक्ष्य की बारीकी से संवीक्षा करना आवश्यक है । इस बात से इनकार नहीं किया गया है कि शुभ लता की मृत्यु तारीख 2 मार्च, 1999 को जलने के कारण हुई थी और उसने स्वयं अपने जीवन को समाप्त किया था । प्रश्न यह है कि क्या भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन अपीलार्थी मृतका के कृत्य के प्रति जवाबदेह है ।

22. शुभ लता की मृत्यु तारीख 2 मार्च, 1999 को पूर्वाह्न में लगभग 10.00 या 10.30 बजे हुई थी । अपीलार्थी का छोटा भाई राजिन्दर कुछ व्यक्तियों के साथ मृतका के माता-पिता के घर गया था । अभियोजन पक्ष के अनुसार, राजिन्दर ने यह बहाना बनाया कि शुभ लता बीमार है और नंगल में किसी क्लीनिक में भर्ती है, किंतु वास्तव में उसकी पहले ही मृत्यु हो चुकी थी । मृतका का पिता, अभि. सा. 1 सोमनाथ अपीलार्थी के भाई और अन्य व्यक्तियों के साथ अपीलार्थी के घर आया और तब उसे शुभ लता की जलने से हुई मृत्यु के बारे में पता चला । अभियोजन पक्ष यह बताना चाहता है कि अपीलार्थी का पक्षकथन आरंभ से ही असत्य रहा है । शुभ लता की मृत्यु पहले ही हो गई थी, किंतु दर्शाया यह गया कि वह बीमार है और नंगल में किसी क्लीनिक में भर्ती है । कभी-कभी व्यक्ति की मृत्यु के बारे में सगे-संबंधियों को सदमे से बचाने के लिए अचानक नहीं बताया जाता है, बल्कि सगे-संबंधियों को गंभीर रूप से बीमार होने की बात कही जाती है ताकि सगे-संबंधी मृत्यु से पहुंचने वाले सदमे को सहन कर सकें । यह प्रतीत होता है कि राजिन्दर ने तुरंत पहुंचने वाले सदमे से अभि. सा. 1 को बचाने के लिए उसे बताया कि शुभ लता बीमार है, हालांकि वास्तव में उसकी मृत्यु हो गई थी । इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी का पक्षकथन असत्यता पर आधारित है । किसी भी दशा में, अभि. सा. 1 आदि को यह बताने अपीलार्थी नहीं गया था कि शुभ लता बीमार है, हालांकि उसकी मृत्यु हो गई थी ।

23. प्रत्यर्थी की ओर से यह दलील दी गई है कि अपीलार्थी ने साक्ष्य सृजित करने के लिए तारीख 2 मार्च, 1999 को अपराह्न में लगभग 5.30 बजे पुलिस चौकी, गोलथाई को रपट सं. 11, प्रदर्श पीई, द्वारा सूचित किया था, हालांकि शुभ लता की मृत्यु पूर्वाह्न में लगभग 10.00 या

10.30 बजे हो गई थी । घर में मृत्यु अप्रायिक परिस्थिति में हुई थी और अपीलार्थी का एक भाई कुछ व्यक्तियों के साथ पहले ही मृतका के पिता के घर चला गया था । अपीलार्थी निश्चित रूप से उनकी प्रतीक्षा कर रहा था । अपीलार्थी अप्रायिक परिस्थिति में अपनी पत्नी की मृत्यु होने के कारण अवश्य ही सदमे में था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के अनुसार पुलिस थाना घटनास्थल से 35 कि. मी. की दूरी पर है । घटनास्थल से पुलिस चौकी, गोलथाई की दूरी स्पष्ट नहीं है किंतु रपट सं. 11, प्रदर्श पीई, पुलिस चौकी, गोलथाई में स्वयं अपीलार्थी द्वारा दी गई थी ।

24. मृतका का पिता अभि. सा. 1 भी तारीख 2 मार्च, 1999 को अपीलार्थी के घर गया था । उसने तारीख 2 मार्च, 1999 को पुलिस को मामले की रिपोर्ट नहीं की । पुलिस अपीलार्थी द्वारा की गई रपट के आधार पर ही हरकत में आई थी और उसके पश्चात् अपर थाना अधिकारी, मोती राम द्वारा संदेश दिया गया था, जिसकी तारीख 2 मार्च, 1999 को अपराह्न में 9.35 बजे पुलिस थाना, कोट केहलूर में रपट सं. 23, प्रदर्श पीएफ, में प्रविष्टि की गई थी । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन अभि. सा. 1 का कथन तारीख 3 मार्च, 1999 को अपराह्न में 12.45 बजे अभिलिखित किया गया था । इन परिस्थितियों में, पुलिस को घटना की सूचना रपट सं. 11, प्रदर्श पीई, द्वारा तारीख 2 मार्च, 1999 को अपराह्न में 5.30 बजे देने के लिए अपीलार्थी को दोष नहीं दिया जा सकता है ।

25. अभियोजन का पक्षकथन यह है कि अपीलार्थी ने स्कूटर की मांग करके मृतका के साथ क्रूरता की और जिसके कारण शुभ लता ने आग लगाकर आत्महत्या कर ली । अभि. सा. 1 सोमनाथ ने यह कथन किया है कि उसकी पुत्री तारीख 14 फरवरी, 1999 से तारीख 27 फरवरी, 1999 तक उसके घर ठहरी थी । विवाह तारीख 22 जनवरी, 1999 को हुआ था । अभि. सा. 11 सविता देवी ने न्यायालय में यह कथन किया कि शुभ लता ने उनके घर में ठहरने के दौरान यह बताया था कि अपीलार्थी ने स्कूटर की मांग की है । शुभ लता ने यह भी बताया था कि यदि स्कूटर नहीं दिया गया तो उसे उसके माता-पिता के घर नहीं भेजा जाएगा । अभि. सा. 12 नरेश रानी ने यह कथन किया कि शुभ लता ने उसे यह बताया था कि यशपाल स्कूटर की मांग कर रहा है । अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12 के कथनों की बारीकी से संवीक्षा करने पर विश्वास उत्पन्न नहीं होता है । अभि. सा. 11 एक विवाहित स्त्री है और गांव कुथारविन,

तहसील हरोली, ऊना की रहने वाली है । अभि. सा. 11 ने यह कथन नहीं किया है कि वह तारीख 14 फरवरी, 1999 से तारीख 27 फरवरी, 1999 तक अभि. सा. 1 के घर में रही थी । अभि. सा. 11 तारीख 2 मार्च, 1999 को अभि. सा. 1 के साथ थी और यहां तक कि तारीख 2 मार्च, 1999 को अपीलार्थी के घर अपने पिता के साथ गई थी ।

26. अभि. सा. 1 सोमनाथ ने अपने कथन में यह नहीं कहा है कि मृतका ने उसे यह बताया था कि अपीलार्थी ने उससे स्कूटर की मांग की है । इसके विपरीत, उसने यह कथन किया कि उसकी पुत्री ने उसके घर ठहरने के दौरान अपीलार्थी के व्यवहार के बारे में कुछ नहीं कहा था । अभि. सा. 11 ने यह कथन किया है कि उसने स्कूटर की मांग की बात अपनी चाची के सिवाय किसी व्यक्ति को नहीं बताई थी । अभि. सा. 12 ने यह कथन किया है कि उसने स्कूटर की मांग के बारे में अपने पति के सिवाय किसी व्यक्ति को नहीं बताया था । अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12 के कथनों में ऐसी कोई बात नहीं आई है कि उन्होंने अपीलार्थी द्वारा की गई स्कूटर की मांग के बारे में अभि. सा. 1 को सूचित किया था । स्वयं अभि. सा. 1 ने यह कथन नहीं किया है कि उसे मृतका द्वारा या अभि. सा. 11 और अभि. सा. 12 द्वारा स्कूटर की मांग के बारे में बताया था । आश्चर्य की बात है कि अपीलार्थी द्वारा की गई स्कूटर की मांग की जानकारी के अभाव में अभि. सा. 1 के कथन, प्रदर्श पीए, में स्कूटर की मांग का जिक्र कैसे आया, जब यह साबित नहीं किया गया है कि अभि. सा. 1 को अपीलार्थी द्वारा की गई स्कूटर की मांग के बारे में किसी व्यक्ति द्वारा नहीं बताया गया था । अभि. सा. 1 अपीलार्थी के घर तारीख 2 मार्च, 1999 को गया था । पुलिस को घटना की जानकारी तारीख 2 मार्च, 1999 को अपराह्न में 5.30 बजे, प्रदर्श पीई, और फिर प्रदर्श पीएफ द्वारा मिली, किंतु कथन, प्रदर्श पीए, तारीख 3 मार्च, 1999 को अपराह्न् में 12.45 बजे अभिलिखित किया गया । दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन कथन अभिलिखित करने में हुए विलंब के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । अभि. सा. 14 ने यह कथन किया है कि सूचना तारीख 2 मार्च, 1999 को अपराह्न में 9.30 बजे प्राप्त हुई थी और उसके पश्चात् वह अन्य व्यक्तियों के साथ घटनास्थल पर गया । मृत्यु-समीक्षा कागजात्, प्रदर्श पीएच और प्रदर्श पीजे, तारीख 2 मार्च, 1999 को भरे गए थे । यह प्रतीत होता है कि कथन, प्रदर्श पीए, ऋजुतापूर्वक नहीं लिखा गया है और यह कथन सोच-विचार का परिणाम है और पश्च-विचार करके अपीलार्थी को फंसाने का प्रयास किया गया है ।

27. अभिलेख पर यह साक्ष्य आया है कि वास्तव में अभि. सा. 1 ने यह कथन किया है कि यशपाल उसके घर स्कूटर पर आता था । जब अपीलार्थी के पास पहले से ही स्कूटर था, तो अपीलार्थी द्वारा एक अन्य स्कूटर की मांग करना दूर की बात है और संदेहास्पद है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने साक्ष्य का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया है । अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त संदेह के परे यह साबित करने में असफल रहा है कि अपीलार्थी ने मृतका से स्कूटर की मांग की थी और क्रूरता की थी । अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन आरोप को साबित करने में असफल रहा है । आक्षेपित निर्णय संधार्य नहीं है ।

28. उपरोक्त को दृष्टिगत करते हुए, यह अपील मंजूर की जाती है । अपीलार्थी की भारतीय दंड संहिता की धारा 498-क के अधीन दोषसिद्धि और दंडादेश अपास्त किया जाता है और उसे आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है । अपीलार्थी द्वारा जमा की गई जुर्माने की रकम, यदि कोई हो, उसे वापस लौटा दिया जाए तथा उसके जमानत बंधपत्र उन्मोचित किए जाते हैं ।

अपील मंजूर की गई ।

जस.

---

**(2013) 1 दा. नि. प. 118** **हिमाचल प्रदेश**

## हिमाचल प्रदेश राज्य

बनाम

## संजीव कुमार और अन्य

तारीख 24 जुलाई, 2012

**न्यायमूर्ति आर. बी. मिश्रा और न्यायमूर्ति संजय करोल**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 307, 326, 451, 506 और 34 – हत्या का प्रयत्न और सामान्य आशय – अभियोजन पक्ष द्वारा साक्षियों के अविश्वसनीय और विरोधात्मक परिसाक्ष्यों के कारण निश्चायक रूप से यह तथ्य सिद्ध नहीं करने पर कि क्षतिग्रस्त को उसके अहाते में**

**जबरदस्ती घुसकर धारदार आयुध से क्षतियां अभियुक्तों ने ही अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए पहुंचाई थीं, विचारण न्यायालय द्वारा की गई उनकी दोषमुक्ति उचित है ।**

अभियोजन के पक्षकथन के अनुसार अभियुक्त कैलाश चंद का एक जल निकास की बाबत, जो श्री धर्म सिंह (क्षतिग्रस्त) के मकान से उसके मकान की दिशा में बहता था, एक विवाद चला आ रहा था । तारीख 23 सितम्बर, 2004 को संजीव कुमार (अभियुक्त सं. 1), कैलाश चंद (अभियुक्त सं. 2) और कौशल्या देवी (अभियुक्त सं. 3) डंडों और "फावड़ा" (कृषि यंत्र) से लैस होकर क्षतिग्रस्त के मकान पर आए । किसी प्रकोपन के बिना ही अभियुक्त कौशल्या देवी और कैलाश चंद ने श्री धर्म सिंह पर डंडों से प्रहार किए और अभियुक्त संजीव कुमार ने क्षतिग्रस्त के सिर पर "फावड़े" से प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसका अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा । क्षतिग्रस्त की पत्नी श्रीमती जमना देवी ने घटना देखी थी । वह क्षतिग्रस्त के बड़े भाई श्री मदन लाल के मकान पर गई और उसे घटना के बारे में बताया । तथापि, उसने उसे वापस जाने और सुबह आने के लिए कहा । तारीख 29 सितम्बर, 2004 को वह पुनः उसके मकान पर गई और वहां उससे मिली । उसके बाद क्षतिग्रस्त को ऊना स्थित क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया । क्षतियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए क्षतिग्रस्त को और उपचार के लिए स्नातकोत्तर संस्थान (पीजीआई), चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां उसके सिर की शल्य-क्रिया की गई और पीजीआई के शल्य-चिकित्सक की रिपोर्ट के आधार पर ऊना स्थित अस्पताल के डाक्टर योगेश्वर राम रवि द्वारा अंतिम राय दी गई, जिससे यह प्रकट हुआ कि क्षतियां गंभीर और जीवन के लिए खतरनाक थीं । ऊना स्थित अस्पताल से पुलिस को सूचित किया गया । हैड कांस्टेबल कमल देव ने क्षतिग्रस्त का कथन अभिलिखित करने के लिए चिकित्सा अधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया और डाक्टर की राय अभिप्राप्त करने के पश्चात् अन्वेषक अधिकारी ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन कथन अभिलिखित किया और उसके आधार पर पुलिस थाना, ऊना में भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 323, 324 और 506 के अधीन तारीख 29 सितम्बर, 2004 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट रजिस्ट्रीकृत की गई । पीजीआई, चंडीगढ़ के डाक्टर की राय ऊना के डाक्टर को प्रस्तुत करने के पश्चात् और पुलिस द्वारा तारीख 5 अक्तूबर, 2004 को क्षति की प्रकृति के बारे में अंतिम राय अभिप्राप्त करने के पश्चात् तारीख 6 अक्तूबर, 2004 को अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया ।

अन्वेषण से अपराध में अभियुक्तों की सह-अपराधिता प्रकट हुई, इसलिए न्यायालय में विचारण के लिए चालान फाइल किया गया । विचारण न्यायालय ने अभिलेख की सामग्री का मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियुक्तों को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त कर दिया । राज्य द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – न्यायालय इस प्रश्न की परीक्षा करेगा कि क्या क्षतियां वास्तव में अभियुक्तों द्वारा कारित की गई थी या नहीं । इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए न्यायालय का ध्यान सुसंगत अभियोजन साक्षियों अर्थात् क्षतिग्रस्त श्री धर्म सिंह (अभि. सा. 1), उसकी पत्नी श्रीमती जमना देवी (अभि. सा. 2), क्षतिग्रस्त के भाई श्री मदल लाल (अभि. सा. 8), क्षतिग्रस्त के पड़ोसी श्री दिवान चंद (अभि. सा. 3) और इलाके के उप-प्रधान श्री गुरवचन सिंह (अभि. सा. 4) के परिसाक्ष्यों की ओर आकर्षित किया गया । इन सभी साक्षियों के परिसाक्ष्यों को संयुक्त रूप से पढ़ने से अभिलेख पर निश्चित रूप से यह सिद्ध होता है कि क्षतिग्रस्त एक शराब के ठेकेदार के पास मुंशी के रूप में कार्य कर रहा था । उसके और उसकी पत्नी के बीच कोई विवाद था । प्रश्नगत घटना से पूर्व अभि. सा. 2 ने पुलिस और पंचायत के समक्ष इस आशय का एक आवेदन दिया था कि उसका पति अर्थात् अभि. सा. 1 "शराब पीने के पश्चात् तमाशा खड़ा कर देता है और परिवार के सदस्यों को भी तंग करता है" । यह आवेदन, जैसा कि अभि. सा. 2 द्वारा स्वीकार किया है, स्थिति उसके नियंत्रण के बाहर हो जाने के पश्चात् दिया गया था । अभि. सा. 2 ने यह स्वीकार किया है कि उसके पड़ोसी उसके पति द्वारा शराब के नशे में तमाशा खड़ा करने की बात से परेशानी महसूस करते थे । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका उसके पति के साथ एक लिखित समझौता हुआ था जिसका अभियुक्त कैलाश चंद साक्षी था । श्रीमती जमना देवी (अभि. सा. 2) ने यह भी स्वीकार किया है कि उसका और उसके पति का अभियुक्त कौशल्या देवी और अभियुक्त संजीव कुमार के साथ कोई विवाद नहीं था । न्यायालय के मत में, इन स्वीकारोक्तियों ने इनमें सच्चाई होने के कारण अभियुक्तों को प्रतिरक्षा प्रदान की है और शिकायतकर्ता के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करते समय अभियुक्तों द्वारा भी ऐसी बात कही गई है । अभियुक्तों द्वारा शिकायतकर्ता के साक्षियों से यह बात कही गई थी कि घटना के दिन क्षतिग्रस्त शराब के नशे में घर आया था और दुर्घटनावश फर्श पर गिरने से क्षतियां पहुंची थीं । न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि इन साक्षियों ने

न्यायालय में न तो सत्यता से अभिसाक्ष्य दिया है और न ही पूर्ण रूप से घटना का वर्णन किया है । उन्होंने अपने कथनों में सुधार किए हैं । उनके कथनों में अतिश्योक्तिपूर्ण और बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बाते हैं । उनके बयान मिथ्या सिद्ध होते हैं और परस्पर विरोधी होने के कारण उन्हें अविश्वसनीय तथा उनके साक्ष्य को अविश्वासप्रद बनाते हैं । क्षतिग्रस्त श्री धर्म सिंह (अभि. सा. 1) ने न्यायालय में यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 23 सितम्बर, 2004 को लगभग 9.30 बजे जब वह घर आया तो उसकी अपनी पत्नी के साथ कहासुनी हुई क्योंकि उसने समय पर खाना नहीं बनाया था । इसी बीच, अभियुक्त आए और उसे पीटने लगे । अभियुक्त कौशल्या देवी और कैलाश चंद ने डंडों से प्रहार किए जबकि अभियुक्त संजीव कुमार ने उस पर एक "फावड़े" से प्रहार किया जिसके परिणामस्वरूप वह बेहोश हो गया और फर्श पर गिर गया । इस साक्षी ने आगे यह कथन किया कि उसकी पत्नी और पिता ने उसे अभियुक्तों के शिकंजे से छुड़ाया और उसे मकान के अंदर एक चारपाई पर लिटा दिया । पिता की न्यायालय में परीक्षा नहीं कराई गई है । उसने यह भी कथन किया है कि अगली प्रातः उसके भाई श्री मदन लाल और सरदारी लाल तथा उप-प्रधान गुरवचन सिंह आए और उसे ऊना स्थित अस्पताल लेकर गए, उस समय तक उसे होश आ गया था और पुलिस ने उसका कथन अभिलिखित किया । श्री सरदारी लाल की न्यायालय में परीक्षा नहीं कराई गई है । महत्वपूर्ण रूप से इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि उसके आस-पड़ोस में 20-25 मकान हैं जहां उसके समुदाय के लोग रहते हैं । उसने यह स्वीकार किया कि अभियुक्त कैलाश चंद और वह चचेरे भाई हैं । उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके आस-पड़ोस में दूरभाष की सुविधा है । उसने यह स्वीकार किया कि उसके घर तक सड़क जाती है । हमने यह पाया है कि उसने कई सुधार किए हैं और बढ़ा-चढ़ाकर बयान दिया है । हमने यह पाया है कि उसका यह बयान कि उस पर लोहे के फलक वाले "फावड़े" से प्रहार किया गया था, उसके पूर्ववर्ती कथन, जिससे उसका सामना कराया गया, में अभिलिखित नहीं है । इसी प्रकार, उसका यह बयान कि वह क्षतियां पहुंचने के पश्चात् बेहोश हो गया था, उसके पूर्ववर्ती कथन में इस प्रकार अभिलिखित नहीं है । जब उसका उसके इस कथन से सामना कराया गया तो उसने पुलिस को ऐसा कथन करने की बात से इनकार किया और कहा कि वह डर गया था और इसलिए मामले की रिपोर्ट करने पुलिस थाने नहीं जा सका था । यह प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने इस तथ्य की बाबत सत्यतापूर्वक अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि "फावड़े" से प्रहार किए जाने पर

वह बेहोश हो गया था । हमारा ऐसा कहने का कारण यह है कि अभि. सा. 2 इस पहलू पर मौन रही है । शायद क्षतिग्रस्त शराब के नशे में था और इस कारण नातेदारों द्वारा सुबह होने तक अस्पताल नहीं ले जाया गया था । अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 के माता-पिता में से किसी की भी परीक्षा नहीं कराई है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अपने इस पूर्ववर्ती कथन के विसंगत कथन किया है कि वह अपने पति को रात्रि में अस्पताल नहीं ले जा सकी थी क्योंकि वह अकेली थी । उसने यह स्वीकार किया है कि उसके मकान से सटे अन्य व्यक्तियों के मकान भी हैं । उसने आगे यह कथन किया है कि..... "यह सही है कि आंगन में 20-25 व्यक्ति इकट्ठा हो गए थे और जब घटना घटी उस समय बाहर अंधेरा था"; यह सही है कि अंधेरे में यह पता नहीं चल सका कि किसने कितनी पिटाई की थी; "मेरे पति आंगन में दरवाजे के बाहर गिर पड़े थे और मुंह के बल गिर गए थे" । यह बात अभियुक्तों की शनाख्त की बाबत अभियोजन पक्ष के वृत्तांत के बारे में पूर्णतः संदेह पैदा करती है और अभियुक्तों की प्रतिरक्षा को अधिसंभाव्य बनाती है । किंतु अत्यावश्यक रूप से उसने यह भी कथन किया कि "यह सही है कि घटना के बाद वह इसके तुरंत पश्चात् मेरे पति के बड़े भाइयों सरदारी लाल और मदन लाल के मकान पर गई थी जहां मैंने उन दोनों को घटना के बारे में बताया और उप-प्रधान का मकान भी उनके मकानों से सटा है । यह सही है कि मेरे पति के दोनों बड़े भाई उस रात मेरे साथ मेरे मकान पर आए थे । मुझे नहीं पता कि मेरे ससुर और मेरे पति के बड़े भाइयों ने इस बारे में बातचीत की थी कि पुलिस को मामले की रिपोर्ट कैसे की जाए" और "मेरे पति के बड़े भाई उसी रात मेरे मकान पर आए थे, किंतु मेरे पति को उस समय अस्पताल नहीं ले जाया गया था क्योंकि उसे अगले दिन सुबह अस्पताल ले जाया गया था । मैंने अपने पति के बड़े भाइयों से यह अनुरोध नहीं किया था कि मेरे पति को चिकित्सीय सहायता के लिए ले जाया जाए क्योंकि मैं घबराई हुई थी । यह सही है कि किसी भी व्यक्ति ने मेरे पति की सहायता नहीं की थी" । इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उसने न्यायालय में विरोधात्मक कथन किया है जिससे उसका परिसाक्ष्य अविश्वसनीय और अविश्वासप्रद हो गया है । यह धारणा कर ली जाए की उसने श्री मदन लाल को बुलाया था, तब क्यों उसके द्वारा क्षतिग्रस्त को तुरंत चिकित्सीय सहायता देने का प्रयास नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त, मामले की रिपोर्ट तुरंत पुलिस को क्यों नहीं दी गई ? हालांकि घटनास्थल सड़क से जुड़ा था और क्षतिग्रस्त को सुविधापूर्वक

किसी यान में अस्पताल ले जाया जा सकता था । दूरभाष की सुविधा भी उपलब्ध थी । इसके अतिरिक्त, क्षतिग्रस्त और अभियुक्त कौशल्या देवी तथा संजीव कुमार के बीच कोई शत्रुता नहीं थी । पड़ोस में क्षतिग्रस्त की जाति के लोग रहते थे । उनसे भी कोई सहायता नहीं मांगी गई । अभियोजन का यह पक्षकथन नहीं है कि गांव के लोग वास्तव में ही अभियुक्तों का पक्ष ले रहे थे । इस प्रकार, न्यायालय यह उल्लेख कर सकता है कि अभि. सा. 2 द्वारा बताए गए वृत्तांत का श्री मदन लाल (अभि. सा. 8) द्वारा तात्विक रूप से खंडन किया गया है, जिसने केवल यह कथन किया है कि तारीख 23 सितम्बर, 2004 को अपराह्न में लगभग 10.00 बजे श्रीमती जमना देवी उसके मकान पर आई थी और जब वह उसके मकान के दरवाजे के निकट पहुंची तो उसने कहा कि वह सुबह आएगा । अभि. सा. 8 ने यह स्पष्ट किया है कि उसने सोचा कि जमना देवी और उसके पति के बीच कहासुनी हो गई होगी । स्पष्ट रूप से ये दोनों ही साक्षी वास्तव में झूठ बोल रहे हैं । विपरीत अवलोकन करने पर हम यह पाते हैं कि अभि. सा. 8 ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को यह तथ्य नहीं बताया था कि जमना देवी घटना की रात उसके पास आई थी । आश्चर्यजनक रूप से उसने यह कथन किया है कि जब जमना देवी घटना की तारीख को उसके मकान पर आई थी तो उसने झगड़े के कारण और झगड़े में अंतर्वलित व्यक्तियों के बारे में कोई पूछताछ नहीं की थी । एक भाई का ऐसा व्यवहार बहुत ही अद्भूत और अस्वाभाविक है । यह बात भी नहीं है कि उसके और उसके भाई के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे । श्रीमती जमना देवी अर्ध रात्रि में चलकर उसके मकान पर गई थी और अभिकथित रूप से उसे घटना घटने के बारे में बताया था, फिर भी उसने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की । इसके अतिरिक्त, उसने यह कथन किया है कि "जब धर्म सिंह की पत्नी रात्रि में मेरे मकान पर आई तो उसने बताया कि झगड़ा हो गया है, किंतु मैंने उसे मकान के दरवाजे से ही वापस भेज दिया" । विचार करने के लिए पुनः यह प्रश्न उद्भूत होता है कि यह साक्षी रातभर मौन क्यों रहा और क्षतिग्रस्त को केवल अगले दिन ही सुबह अस्पताल क्यों ले गया । इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है । इससे अभियोजन का पक्षकथन पूर्णतः संदेहास्पद हो जाता है । न्यायालय ने यह पाया है कि अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के वृत्तांत की संपुष्टि उनके पड़ोसी श्री दीवान चंद (अभि. सा. 3) के माध्यम से कराने की कोशिश की है जिसने यह कथन किया है कि उसने अभियुक्तों को अभि. सा. 1 द्वारा बताई गई रीति अनुसार क्षतिग्रस्त की पिटाई करते हुए देखा

था । महत्वपूर्ण रूप से उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह श्री धर्म सिंह (अभि. सा. 1) का निकट का नातेदार है । वह नातेदार साक्षी है । यह महत्वपूर्ण है कि उसने यह स्वीकार किया है कि उसका मकान क्षतिग्रस्त के मकान से "200 मीटर" की दूरी पर है । उसने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह देर रात्रि में घटनास्थल पर क्या कर रहा था । उसने यह कथन किया है कि उसने चिल्लाने की आवाज सुनी और उसके बाद घटनास्थल पर आया, किंतु उसे पैदल 200 मीटर की दूरी तय करने में कुछ समय लगा होगा । इसलिए उसका यह बयान कि उसने घटना घटते हुए देखी थी, सत्य प्रतीत नहीं होता है । ऐसा हम इस कारण वश भी कहते हैं कि उसने क्षतिग्रस्त को कोई सहायता प्रदान नहीं की थी । बहरहाल, वह निकट का नातेदार था । उसका यह कथन है कि "मैंने घटना के पश्चात् क्षतियों का पता करने और पुलिस को सूचित करने या क्षतिग्रस्त को कोई सहायता प्रदान करने की कोशिश नहीं की थी और यह कार्य उसकी पत्नी द्वारा किया गया था" । उसने यह भी कथन किया है कि "मैंने पुलिस को सूचित नहीं किया था और पुलिस द्वारा मेरा कथन अभिलिखित करने तक किसी व्यक्ति से घटना के बारे में कोई बात नहीं हुई थी" । क्षतिग्रस्त और उसकी असहाय पत्नी को सहायता प्रदान न करने का उसने जो कारण बताया है, वह बहुत ही अद्भुत है । बहरहाल, वह एक नवयुवक था और पड़ोसियों को बुलाने और पुलिस को सूचित करने या क्षतिग्रस्त को अस्पताल ले जाने की स्थिति में था । आक्रामक आयुधों की बरामदगी के संबंध में न्यायालय ने यह पाया है कि श्री श्याम गोपाल (अभि. सा. 9) का एक दिलचस्प परिसाक्ष्य है जिसने सुसंगत समय पर फोटोग्राफ लिए थे । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि "पुलिस ने मुझे स्थल के फोटोग्राफ लेने का निदेश दिया और उसके बाद अभियुक्त कैलाश को बुलाया गया और उसके हाथ में डंडा दिया गया तथा उसके पश्चात् उसका फोटोग्राफ लिया गया । फोटोग्राफ, पीडब्ल्यू 9/13 और पीडब्ल्यू 9/12 तब लिए गए थे, जब कैलाश को उस आयुध पर हाथ रखने का निदेश दिया गया था जिसका फोटोग्राफ लिया जाना था" । सहायक उप निरीक्षक मोहिन्दर सिंह (अभि. सा. 11) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने अभियुक्त कैलाश चंद का कथन उप-प्रधान श्री गुरवचन सिंह और श्री दिवान चंद (अभि. सा. 3) की मौजूदगी में अभिलिखित किया था । महत्वपूर्ण रूप से इन साक्षियों में से किसी ने भी उसके बयान की संपुष्टि नहीं की है । अभि. सा. 11 के अनुसार, उसने दिवान चंद का कथन पहले तारीख 24 सितम्बर, 2004 को और उसके बाद तारीख 8 अक्तूबर, 2004

को अभिलिखित किया था और इस बयान का दिवान चंद द्वारा खंडन किया गया है, जिसके अनुसार पुलिस ने उसका कथन केवल एक बार अभिलिखित किया था और वह भी घटना घटने के चार दिन के पश्चात् । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसके बाद न तो उसका कथन अभिलिखित किया गया था और न ही उसने किसी ऐसे कागज पर हस्ताक्षर किए थे जो पुलिस द्वारा लिए गए हों । पुनः यह प्रश्न उद्भूत होता है कि इन साक्षियों में से कौन सच बोल रहा है ? अन्वेषक अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि यह बात सही है कि तारीख 24 सितम्बर, 2004 को उसे इस बात की जानकारी थी कि अभियुक्त मामले में अंतर्ग्रस्त हैं । तब क्यों उनके विरुद्ध कोई तुरंत कार्यवाही नहीं की गई ? शिकायतकर्ता का यह पक्षकथन नहीं है कि पुलिस अभियुक्तों का पक्ष ले रही थी या ऋजु, निष्पक्ष और तुरंत विचारण नहीं किया गया था । इस बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । महत्वपूर्ण रूप से उसने यह कथन किया है कि उसने श्रीमती जमना देवी का कथन (वाई रूप में चिन्हित) समग्र रूप में अभिलिखित किया था और कुछ शेष नहीं रह गया था । अब जमना देवी (अभि. सा. 2) का यह कथन है कि उसने पुलिस को बताया था कि आंगन को समतल करने की बाबत उनके और अभियुक्तों के बीच विवाद चल रहा था जिसके परिणामस्वरूप बरसात का पानी अभियुक्तों के मकान की ओर मुड़ जाता था । इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि साक्षियों ने घटनाओं का पूर्ण और उचित रीति में उल्लेख किया है । विरोधाभास स्पष्ट है जो उनके परिसाक्ष्यों को अविश्वसनीय बनाते हैं । अभिलेख पर अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्यों का परिशीलन करने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन अपने पक्षकथन को अभिलेख पर स्पष्ट, सटीक, विश्वसनीय और विश्वासप्रद सामग्री पेश करके युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में समर्थ रहा है । अतः न्यायालय के सुविचारित मत में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष निश्चायक रूप से इस तथ्य को सिद्ध करने में समर्थ रहा है कि सभी अभियुक्तों ने अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए श्री धर्म सिंह को इस आशय और ज्ञान के साथ क्षतियां पहुंचाई थीं कि इन क्षतियों से उसकी मृत्यु हो जाएगी और तद्द्वारा उसकी हत्या करने का भी प्रयत्न किया या उन्होंने धारदार उपकरण से उसे गंभीर उपहति कारित की, जिनसे सभी संभावनाओं में उसकी मृत्यु कारित हो जाती या ऐसे आशयों के साथ उसके आंगन में जबरदस्ती प्रवेश किया । (पैरा 14, 16, 17, 18 20, 21, 22 23, 25, 26, 27, 28, 29 और 30)

## अवलंबित निर्णय

पैरा

[2012] (2012) 1 एस. सी. सी. 602 :
**राजस्थान राज्य** बनाम **शेरा राम** उर्फ **विष्णु दत्ता**; 31

[2010] (2010) 1 एस. सी. सी. 94 :
**मोहम्मद अंकूस और अन्य** बनाम **लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद** । 31

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 79.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 378 के अधीन अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** श्री आर. के. शर्मा, ज्येष्ठ अधिवक्ता/ज्येष्ठ अपर महाधिवक्ता और उनके साथ श्री जे. एस. गुलेरिया, सहायक महाधिवक्ता

**प्रत्यर्थियों की ओर से** सर्वश्री एन. के. ठाकुर, ज्येष्ठ अधिवक्ता और सुरिन्दर सिंह

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति संजय करोल ने दिया ।

**न्या. करोल –** अभियुक्तों का एक अपराध के लिए, जो अभिकथित रूप से तारीख 23 सितम्बर, 2004 को कारित किया गया, विचारण किया गया था । सेशन मामला सं. 6/05 आरबीटी 64/05/05, सेशन विचारण सं. 2/2006, जिसका शीर्षक हिमाचल प्रदेश राज्य बनाम संजीव कुमार और एक अन्य था, में अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश द्वारा तारीख 21 नवम्बर, 2006 को पारित किए गए निर्णय द्वारा अभियुक्तों को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त कर दिया गया ।

2. अभियोजन का यह पक्षकथन है कि अभियुक्त कैलाश चंद का एक जल निकास की बाबत, जो श्री धर्म सिंह (अभि. सा. 1) (जिसे कतिपय स्थानों पर क्षतिग्रस्त भी कहा गया है) के मकान से उसके मकान की दिशा में बहता था, एक विवाद था । तारीख 23 सितम्बर, 2004 को अपराह्न में लगभग 9.30 बजे संजीव कुमार (अभियुक्त सं. 1), कैलाश चंद (अभियुक्त सं. 2) और कौशल्या देवी (अभियुक्त सं. 3) डंडों और

"फावड़ा" (कृषि यंत्र) से लैस होकर क्षतिग्रस्त के मकान पर आए । किसी प्रकोपन के बिना ही अभियुक्त कौशल्या देवी और कैलाश चंद ने श्री धर्म सिंह पर डंडों से प्रहार किए और अभियुक्त संजीव कुमार ने क्षतिग्रस्त के सिर पर "फावड़े" से प्रहार किया, जिसके परिणामस्वरूप उसका अत्यधिक रक्तस्राव होने लगा । क्षतिग्रस्त की पत्नी श्रीमती जमना देवी (अभि. सा. 2) ने घटना देखी थी । वह क्षतिग्रस्त के बड़े भाई श्री मदन लाल (अभि. सा. 8) के मकान पर गई और उसे घटना के बारे में बताया । तथापि, उसने उसे वापस जाने और सुबह आने के लिए कहा । तारीख 29 सितम्बर, 2004 को अभि. सा. 2 पुनः अभि. सा. 8 के मकान पर गई और वहां उससे मिली । उसके बाद क्षतिग्रस्त को ऊना स्थित क्षेत्रीय अस्पताल ले जाया गया, जहां डा. योगेश्वर राम रवि (अभि. सा. 6) द्वारा उसका चिकित्सीय परीक्षण किया गया । उसे विकिरण चिकित्सा विज्ञानी के पास रेफर किया गया और एक्स-रे चित्रकार श्री संजीव कुमार (अभि. सा. 7) द्वारा एक्स-रे लिया गया तथा उस पर राय विकिरण-चिकित्सा विज्ञानी डा. मनोज कपूर (अभि. सा. 5) द्वारा दी गई । चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र (प्रदर्श पीडब्ल्यू 6/सी) तैयार किया गया । क्षतियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए क्षतिग्रस्त को और उपचार के लिए स्नातकोत्तर संस्थान (पीजीआई), चंडीगढ़ ले जाया गया, जहां उसके सिर की शल्य-क्रिया की गई और पीजीआई के शल्य-चिकित्सक की रिपोर्ट के आधार पर डा. योगेश्वर राम रवि (अभि. सा. 6) द्वारा अंतिम राय दी गई, जिससे यह प्रकट हुआ कि क्षतियां गंभीर और जीवन के लिए खतरनाक थीं ।

3. ऊना स्थित अस्पताल से स्वतंत्र रूप से पुलिस को सूचित किया गया । रोजनामचा प्रविष्टि एलएचसी संदीप कुमार (अभि. सा. 10) द्वारा अभिलिखित की गई । हैड कांस्टेबल कमल देव (अभि. सा. 12) ने क्षतिग्रस्त का कथन अभिलिखित करने के लिए चिकित्सा अधिकारी के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया और डाक्टर की राय अभिप्राप्त करने के पश्चात् अन्वेषक अधिकारी, सहायक उप निरीक्षक मोहिन्दर सिंह (अभि. सा. 11) ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 154 के अधीन कथन अभिलिखित किया और उसके आधार पर पुलिस थाना, ऊना में भारतीय दंड संहिता की धारा 451, 323, 324 और 506 के अधीन तारीख 29 सितम्बर, 2004 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 668 (प्रदर्श पीडब्ल्यू 11/एच) रजिस्ट्रीकृत की गई । पुलिस ने घटना घटने के समय क्षतिग्रस्त द्वारा पहने हुए कपड़े अर्थात् कमीज (प्रदर्श पी-1), पेंट (प्रदर्श पी-2) और परना (प्रदर्श पी-3) अभिग्रहण

ज्ञापन (प्रदर्श पीडब्लयू 1/बी) द्वारा अभिगृहीत किए गए । पुलिस ने घटनास्थल से रक्त रंजित मिट्टी के नमूने (प्रदर्श पी-7) भी अभिग्रहण ज्ञापन (प्रदर्श पीडब्ल्यू 3/ए) द्वारा एकत्रित किए । पीजीआई, चंडीगढ़ के डाक्टर की राय ऊना के डाक्टर को प्रस्तुत करने के पश्चात् और पुलिस द्वारा तारीख 5 अक्तूबर, 2004 को क्षति की प्रकृति के बारे में अंतिम राय अभिप्राप्त करने के पश्चात् तारीख 6 अक्तूबर, 2004 को अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया । अभियुक्त कैलाश चंद ने परिप्रश्नों के दौरान श्री गुरवचन सिंह (अभि. सा. 4) और श्री दिवान चंद (अभि. सा. 3) की मौजूदगी में प्रकटन कथन (प्रदर्श पीडब्ल्यू 11/डी) किया । उक्त अभियुक्त पुलिस दल को एक स्थान पर लेकर गया, जहां से आक्रामक आयुध अर्थात् "फावड़ा" (प्रदर्श पी-4) और डंडे (प्रदर्श पी-5 और पी-6) बरामद किए गए । श्री श्याम गोपाल (अभि. सा. 9) द्वारा घटनास्थल के फोटोग्राफ लेने के पश्चात् पुलिस द्वारा आयुधों को अभिगृहीत किया गया । अन्वेषण से अपराध में अभियुक्तों की सह-अपराधिता प्रकट हुई, इसलिए न्यायालय में विचारण के लिए चालान फाइल किया गया ।

4. अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 307, 326, 451 और 506 के अधीन दंडनीय अपराध कारित करने के लिए आरोपित किया गया, जिनके लिए उन्होंने दोषी न होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

5. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल 13 साक्षियों की परीक्षा कराई और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन अभियुक्तों के कथन भी अभिलिखित किए गए, जिनमें उन्होंने निर्दोष होने और मिथ्या फंसाए जाने का अभिवाक् किया ।

6. विचारण न्यायालय ने अभिलेख की सामग्री का मूल्यांकन करने के पश्चात् अभियुक्तों को आरोपित अपराधों से दोषमुक्त कर दिया । इसीलिए यह अपील फाइल की गई है ।

7. हमने अपीलार्थी-राज्य की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अपर महाधिवक्ता, श्री आर. के. शर्मा, जिनकी श्री जे. एस. गुलेरिया, सहायक महाधिवक्ता द्वारा सम्यक् सहायता की गई तथा प्रत्यर्थी-अभियुक्तों की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अधिवक्ता श्री एन. के. कपूर, जिनकी श्री सुरिन्दर, अधिवक्ता द्वारा सम्यक् सहायता की गई, को सुना । हमने साक्षियों तथा अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए अन्य दस्तावेजी साक्ष्य की भी बारीकी से

परीक्षा की । अभिलेख की बारीकी से परीक्षा करने के पश्चात् हमारा यह सुनिश्चित मत है कि हस्तक्षेप करने के लिए बिल्कुल कोई मामला नहीं बनता है । हमारा यह निष्कर्ष है कि विचारण न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय सुविवेचित है और अभिलेख पर प्रस्तुत किए गए साक्ष्य (दस्तावेजी और प्रत्यक्ष) के पूर्ण और उचित मूल्यांकन पर आधारित है । इस निर्णय में न तो कोई अवैधता/कमी है और न ही कोई अनुचितता है ।

8. प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष को स्पष्ट, तर्कपूर्ण, विश्वसनीय और भरोसेमंद साक्ष्य पेश करके युक्तियुक्त संदेह के परे यह तथ्य सिद्ध करना चाहिए कि घटना घटने के दिन सभी अभियुक्तों ने अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए श्री धर्म सिंह को इस आशय और ज्ञान के साथ क्षतियां पहुंचाई कि इन क्षतियों से उसकी मृत्यु हो जाएगी और तद्द्वारा उसकी हत्या करने का प्रयत्न किया । उन्होंने श्री धर्म सिंह को धारदार उपकरण से, आक्रामक आयुध के रूप में प्रयोग करके, ऐसी गंभीर उपहति कारित की जिससे मृत्यु कारित होने की पूरी संभावना थी और उसे क्षतियां पहुंचाने के आशय से जबरदस्ती उसके अहाते में प्रवेश किया ।

9. पहले हम क्षतिग्रस्त को पहुंची क्षतियों और उसे दिए गए चिकित्सीय उपचार पर विचार करेंगे । डा. योगेश्वर राम रवि (अभि. सा. 6) ने चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र (प्रदर्श पीडब्ल्यू 6/सी) को साबित किया है, जिसके अनुसार क्षतिग्रस्त को निम्नलिखित क्षतियां पहुंची थीं :–

> "1. छाती पर सामने की ओर दाएं चुचुक के ऊपर बाएं चुचुक तक 8 इंच x 1 इंच आकार की लालिमायुक्त रगड़ तथा छाती का एपी और लेटरल एक्स-रे करवाने का परामर्श दिया गया ।
>
> 2. दाईं जांघ के मध्य में 3 इंच x 1 इंच आकार की लाल-भूरे रंग की खरोंच ।
>
> 3. घुटने के जोड़ के ऊपर दाईं जांघ पर 2 इंच x 1 इंच आकार की लालिमायुक्त खरोंच ।
>
> 4. दाईं जांघ के मध्य भाग पर 3 इंच x 1 इंच की लालिमायुक्त खरोंच ।
>
> 5. बाएं कंधे के जोड़ में दर्द, कोई बाह्य क्षति नहीं, बाएं कंधे का एपी और लेटरल एक्स-रे करवाने का परामर्श दिया गया ।
>
> 6. धनु आकार का समतल किनारे वाला सपाट 7.5 से. मी. का

स्पष्ट कटा हुआ घाव, जो मुख्य घाव तथा अस्थि से जुड़ा हुआ नहीं है । रेखीय दिशा में कटाव । सुदृढ़ प्रहार मौजूद । घाव की गहराई .75 से. मी. और चौड़ाई .75 से. मी. । खोपड़ी का एपी और लेटरल एक्स-रे करवाने का परामर्श दिया गया ।"

10. डाक्टर (अभि. सा. 6) ने यह राय व्यक्त की कि क्षति सं. 1 से 5 साधारण प्रकृति की हैं और कुंद आयुध से कारित की गई हैं, जबकि क्षति सं. 6, जो जीवन के लिए गंभीर और खतरनाक है, किसी धारदार आयुध से कारित की गई है । महत्वपूर्ण रूप से इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/सी) में एक स्थान पर, जहां क्षति सं. 6 का उल्लेख है, उपरिलेखन है । हमें यह प्रतीत होता है कि डाक्टर ने उसके समक्ष एक्स-रे रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर तारीख 5 अक्तूबर, 2004 को कतिपय शब्द अंतः स्थापित किए थे । इस तथ्य को उसने स्वयं स्वीकार किया है । उसने यह भी स्वीकार किया है कि चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र (प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/सी) पुलिस को वास्तव में तारीख 24 सितम्बर, 2004 को सौंपा गया था । यदि ऐसा है, तो पुलिस ने स्पष्ट रूप से अंतःस्थापन बाद में कराए थे । इस साक्षी की यह राय कि क्षतियां जीवन के लिए खतरनाथ थीं, केवल तारीख 5 अक्तूबर, 2004 को दी गई राय पर आधारित थी । किंतु फिर यह बात भी उल्लेखनीय है कि इस समय तक क्षतिग्रस्त की पीजीआई, चंडीगढ़ में तारीख 26 सितम्बर, 2004 को न केवल शल्य-क्रिया हो गई थी, अपितु तारीख 27 सितम्बर, 2004 को वहां से छुट्टी भी दे दी गई थी । स्पष्ट रूप से, उसे डाक्टरों द्वारा सही हालत में पाए जाने पर ही छुट्टी दी गई होगी और इसलिए उसके जीवन को कोई खतरा नहीं था । इसलिए डाक्टर यह राय व्यक्त नहीं कर सकता था कि क्षति सं. 6 जीवन के लिए खतरनाक थी । हम यह भी अवेक्षा कर सकते हैं कि पीजीआई, चंडीगढ़ से इस साक्षी के समक्ष ऐसी कोई राय प्रस्तुत नहीं की गई थी । महत्वपूर्ण रूप से, इस डाक्टर ने यह भी स्वीकार किया है कि न्यायालय में उसका कथन अभिलिखित करने से पूर्व आक्रामक आयुध अर्थात् "फावड़ा" (प्रदर्श पी-4) कभी भी उसे नहीं दिखाया गया था ।

11. डा. मनोज कुमार न्यायालय में यह राय व्यक्त करने की स्थिति में नहीं था कि क्या आक्रामक आयुध से क्षतियां कारित की जा सकती थीं या नहीं क्योंकि उसे भी यह आयुध नहीं दिखाया गया था । एक्स-रे चित्रकार श्री संजीव कुमार (अभि. सा. 7) ने केवल यह अभिसाक्ष्य दिया

कि क्षतिग्रस्त का एक्स-रे उसके द्वारा किया गया था ।

12. डा. राजेश छाबड़ा (अभि. सा. 13) ने केवल यह अभिसाक्ष्य दिया कि उपलब्ध चिकित्सीय अभिलेख के अनुसार क्षतिग्रस्त की शल्य-क्रिया की गई थी और क्षति जीवन के लिए खतरनाथ थी । किंतु इसके बाद उसने यह स्वीकार किया कि शल्य-क्रिया वास्तव में डा. राहुल गुप्ता, ज्येष्ठ रेजिडेंट, तंत्रिका शल्य-क्रिया विभाग द्वारा की गई थी न कि उसके द्वारा । उसने यह स्वीकार किया कि यह बात सही है कि न्यायालय में उसका कथन अभिलिखित करने के समय तक भी क्षति की प्रकृति के संबंध में उसकी राय जानने की ईप्सा नहीं की गई थी । फिर किस आधार पर इस साक्षी ने क्षति की प्रकृति के संबंध में अभिसाक्ष्य दिया, यह स्पष्ट नहीं है ।

13. इसलिए हमारी सुविचारित राय में, अभियोजन पक्ष निश्चायक रूप से यह सिद्ध करने में समर्थ नहीं रहा है कि क्षतिग्रस्त को पहुंची क्षतियां, हालांकि एक क्षति खोपड़ी पर भी थी, जीवन के लिए खतरनाक थीं ।

14. जैसी भी स्थिति हो, अब हम इस प्रश्न की परीक्षा करेंगे कि क्या ये क्षतियां वास्तव में अभियुक्तों द्वारा कारित की गई थीं या नहीं । इस तथ्य को सिद्ध करने के लिए हमारा ध्यान सुसंगत अभियोजन साक्षियों अर्थात् क्षतिग्रस्त श्री धर्म सिंह (अभि. सा. 1), उसकी पत्नी श्रीमती जमना देवी (अभि. सा. 2), क्षतिग्रस्त के भाई श्री मदल लाल (अभि. सा. 8), क्षतिग्रस्त के पड़ोसी श्री दिवान चंद (अभि. सा. 3) और इलाके के उप-प्रधान श्री गुरवचन सिंह (अभि. सा. 4) के परिसाक्ष्यों की ओर आकर्षित किया गया ।

15. इन सभी साक्षियों के परिसाक्ष्यों को संयुक्त रूप से पढ़ने से अभिलेख पर निश्चित रूप से यह सिद्ध होता है कि क्षतिग्रस्त एक शराब के ठेकेदार के पास मुंशी के रूप में कार्य कर रहा था । उसके और उसकी पत्नी के बीच कोई विवाद था । प्रश्नगत घटना से पूर्व अभि. सा. 2 ने पुलिस और पंचायत के समक्ष इस आशय का एक आवेदन दिया था कि उसका पति अर्थात् अभि. सा. 1 "शराब पीने के पश्चात् तमाशा खड़ा कर देता है और परिवार के सदस्यों को भी तंग करता है" । यह आवेदन, जैसा कि अभि. सा. 2 द्वारा स्वीकार किया है, स्थिति उसके नियंत्रण के बाहर होने जाने के पश्चात् दिया गया था । अभि. सा. 2 ने यह स्वीकार किया है कि उसके पड़ोसी उसके पति द्वारा शराब के नशे में तमाशा खड़ा करने की

बात से परेशानी महसूस करते थे । इस साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि उसका उसके पति के साथ एक लिखित समझौता हुआ था जिसका अभियुक्त कैलाश चंद साक्षी था ।

16. श्रीमती जमना देवी (अभि. सा. 2) ने यह भी स्वीकार किया है कि उसका और उसके पति का अभियुक्त कौशल्या देवी और अभियुक्त संजीव कुमार के साथ कोई विवाद नहीं था । हमारे मत में, इन स्वीकारोक्तियों ने इनमें सच्चाई होने के कारण अभियुक्तों को प्रतिरक्षा प्रदान की है और शिकायतकर्ता के साक्षियों की प्रतिपरीक्षा करते समय अभियुक्तों द्वारा भी ऐसी बात कही गई है । अभियुक्तों द्वारा शिकायतकर्ता के साक्षियों से यह बात कही गई थी कि घटना के दिन क्षतिग्रस्त शराब के नशे में घर आया था और दुर्घटनावश फर्श पर गिरने से क्षतियां पहुंची थीं ।

17. हमारा यह निष्कर्ष है कि इन साक्षियों ने न्यायालय में न तो सत्यता से अभिसाक्ष्य दिया है और न ही पूर्ण रूप से घटना का वर्णन किया है । उन्होंने अपने कथनों में सुधार किए हैं । उनके कथनों में अतिश्योक्तिपूर्ण और बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बातें हैं । उनके बयान मिथ्या सिद्ध होते हैं और परस्पर विरोधी होने के कारण उन्हें अविश्वसनीय तथा उनके साक्ष्य को अविश्वासप्रद बनाते हैं ।

18. क्षतिग्रस्त श्री धर्म सिंह (अभि. सा. 1) ने न्यायालय में यह अभिसाक्ष्य दिया कि तारीख 23 सितम्बर, 2004 को लगभग 9.30 बजे जब वह घर आया तो उसकी अपनी पत्नी के साथ कहासुनी हुई क्योंकि उसने समय पर खाना नहीं बनाया था । इसी बीच, अभियुक्त आए और उसे पीटने लगे । अभियुक्त कौशल्या देवी और कैलाश चंद ने डंडों से प्रहार किए जबकि अभियुक्त संजीव कुमार ने उस पर एक "फावड़े" से प्रहार किया जिसके परिणामस्वरूप वह बेहोश हो गया और फर्श पर गिर गया । इस साक्षी ने आगे यह कथन किया कि उसकी पत्नी और पिता ने उसे अभियुक्तों के शिकंजे से छुड़ाया और उसे मकान के अंदर एक चारपाई पर लिटा दिया । पिता की न्यायालय में परीक्षा नहीं कराई गई है । उसने यह भी कथन किया है कि अगली प्रातः उसके भाई श्री मदन लाल और सरदारी लाल तथा उप-प्रधान गुरवचन सिंह आए और उसे ऊना स्थित अस्पताल लेकर गए, उस समय तक उसे होश आ गया था और पुलिस ने उसका कथन अभिलिखित किया । श्री सरदारी लाल की न्यायालय में परीक्षा नहीं कराई गई है । महत्वपूर्ण रूप से इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया कि उसके आस-पड़ोस में 20-25 मकान हैं जहां

उसके समुदाय के लोग रहते हैं । उसने यह स्वीकार किया कि अभियुक्त कैलाश चंद और वह चचेरे भाई हैं । उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके आस-पड़ोस में दूरभाष की सुविधा है । उसने यह स्वीकार किया कि उसके घर तक सड़क जाती है । हमने यह पाया है कि उसने कई सुधार किए हैं और बढ़ा-चढ़ाकर बयान दिया है । हमने यह पाया है कि उसका यह बयान कि उस पर लोहे के फलक वाले "फावड़े" से प्रहार किया गया था, उसके पूर्ववर्ती कथन, जिससे उसका सामना कराया गया, में अभिलिखित नहीं है । इसी प्रकार, उसका यह बयान कि वह क्षतियां पहुंचने के पश्चात् बेहोश हो गया था, उसके पूर्ववर्ती कथन में इस प्रकार अभिलिखित नहीं है । जब उसका उसके इस कथन से सामना कराया गया तो उसने पुलिस को ऐसा कथन करने की बात से इनकार किया और कहा कि वह डर गया था और इसलिए मामले की रिपोर्ट करने पुलिस थाने नहीं जा सका था । यह प्रतीत होता है कि इस साक्षी ने इस तथ्य की बाबत सत्यतापूर्वक अभिसाक्ष्य नहीं दिया है कि "फावड़े" से प्रहार किए जाने पर वह बेहोश हो गया था । हमारा ऐसा कहने का कारण यह है कि अभि. सा. 2 इस पहलू पर मौन रही है । शायद क्षतिग्रस्त शराब के नशे में था और इस कारण नातेदारों द्वारा सुबह होने तक अस्पताल नहीं ले जाया गया था ।

19. श्रीमती जमना देवी (अभि. सा. 2) ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिसाक्ष्य दिया है कि :–

> "तारीख 23 सितम्बर, 2004 को अपराह्न में लगभग 8.00/9.00 बजे जब मेरे पति की मेरे साथ घरेलू मामले को लेकर कुछ कहासुनी हुई थी । अहाते के तल को ऊंचा करने को लेकर पहले से ही अभियुक्तों के साथ विवाद चल रहा था और बरसात का पानी हमारे मकान की ओर आता था और इसलिए अभियुक्त मौके की तलाश में थे तथा उस दिन अभियुक्तों ने मेरे पति की पिटाई की । अभियुक्त संजीव ने फावड़े से मेरे पति की पिटाई की और अन्य अभियुक्त कैलाश और कौशल्या ने डंडों से मेरे पति की पिटाई की और मैंने तथा मेरे ससुर और सास ने बीच-बचाव किया और पति को अभियुक्तों से बचाया । मैं रात्रि में ही अपने पति को अस्पताल नहीं ले जा सकी क्योंकि मैं अकेली थी और उसे अगली सुबह ही तब अस्पताल ले जाया गया जब मेरे जेठ, मेरे पति के बड़े भाइयों को बताया गया और उसके पश्चात् वे आए और मेरे पति के साथ गए ।

मैंने फावड़ा, प्रदर्श पी-4, और डंडे, प्रदर्श पी-5 और पी-6 देखे हैं जो वही हैं ।"

20. अब महत्वपूर्ण बात यह है कि अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 के माता-पिता में से किसी की भी परीक्षा नहीं कराई है । इसके अतिरिक्त, अभि. सा. 2 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अपने इस पूर्ववर्ती कथन के विपरीत कथन किया है कि वह अपने पति को रात्रि में अस्पताल नहीं ले जा सकी थी क्योंकि वह अकेली थी । उसने यह स्वीकार किया है कि उसके मकान से सटे अन्य व्यक्तियों के मकान भी हैं । उसने आगे यह कथन किया है कि..... "यह सही है कि अहाते में 20-25 व्यक्ति इकट्ठा हो गए थे और जब घटना घटी उस समय बाहर अंधेरा था"; यह सही है कि अंधेरे में यह पता नहीं चल सका कि किसने कितनी पिटाई की थी; "मेरे पति अहाते में दरवाजे के बाहर गिर पड़े थे और मुंह के बल गिर गए थे" । यह बात अभियुक्तों की शनाख्त की बाबत अभियोजन पक्ष के वृत्तांत के बारे में पूर्णतः संदेह पैदा करती है और अभियुक्तों की प्रतिरक्षा को अधिसंभाव्य बनाती है । किंतु अत्यावश्यक रूप से उसने यह भी कथन किया कि "यह सही है कि घटना के बाद वह इसके तुरंत पश्चात् मेरे पति के बड़े भाइयों सरदारी लाल और मदन लाल के मकान पर गई थी जहां मैंने उन दोनों को घटना के बारे में बताया और उप-प्रधान का मकान भी उनके मकानों से सटा है । यह सही है कि मेरे पति के दोनों बड़े भाई उस रात मेरे साथ मेरे मकान पर आए थे । मुझे नहीं पता कि मेरे ससुर और मेरे पति के बड़े भाइयों ने इस बारे में बातचीत की थी कि पुलिस को मामले की रिपोर्ट कैसे की जाए" और "मेरे पति के बड़े भाई उसी रात मेरे मकान पर आए थे, किंतु मेरे पति को उस समय अस्पताल नहीं ले जाया गया था क्योंकि उसे अगले दिन सुबह अस्पताल ले जाया गया था । मैंने अपने पति के बड़े भाइयों से यह अनुरोध नहीं किया था कि मेरे पति को चिकित्सीय सहायता के लिए ले जाया जाए क्योंकि मैं घबराई हुई थी । यह सही है कि किसी भी व्यक्ति ने मेरे पति की सहायता नहीं की थी" ।

21. इस प्रकार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि उसने न्यायालय में विरोधात्मक कथन किया है जिससे उसका परिसाक्ष्य अविश्वसनीय और अविश्वासप्रद हो गया है । यह धारणा कर ली जाए कि उसने श्री मदन लाल को बुलाया था, तब क्यों उसके द्वारा क्षतिग्रस्त को तुरंत चिकित्सीय सहायता देने का प्रयास नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त, मामले की रिपोर्ट तुरंत पुलिस को क्यों नहीं दी गई ? हालांकि घटनास्थल सड़क से

जुड़ा था और क्षतिग्रस्त को सुविधापूर्वक किसी यान में अस्पताल ले जाया जा सकता था । दूरभाष की सुविधा भी उपलब्ध थी । इसके अतिरिक्त, क्षतिग्रस्त और अभियुक्त कौशल्या देवी तथा संजीव कुमार के बीच कोई शत्रुता नहीं थी । पड़ोस में क्षतिग्रस्त की जाति के लोग रहते थे । उनसे भी कोई सहायता नहीं मांगी गई । अभियोजन का यह पक्षकथन नहीं है कि गांव के लोग वास्तव में ही अभियुक्तों का पक्ष ले रहे थे ।

22. इस प्रकार, हम यह उल्लेख कर सकते हैं कि अभि. सा. 2 द्वारा बताए गए वृत्तांत का श्री मदन लाल (अभि. सा. 8) द्वारा तात्विक रूप से खंडन किया गया है, जिसने केवल यह कथन किया है कि तारीख 23 सितम्बर, 2004 को अपराह्न में लगभग 10.00 बजे श्रीमती जमना देवी उसके मकान पर आई थी और जब वह उसके मकान के दरवाजे के निकट पहुंची तो उसने कहा कि वह सुबह आएगा । अभि. सा. 8 ने यह स्पष्ट किया है कि उसने सोचा कि जमना देवी और उसके पति के बीच कहासुनी हो गई होगी । स्पष्ट रूप से ये दोनों ही साक्षी वास्तव में झूठ बोल रहे हैं । विपरीत अवलोकन करने पर हम यह पाते हैं कि अभि. सा. 8 ने यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को यह तथ्य नहीं बताया था कि जमना देवी घटना की रात उसके पास आई थी । आश्चर्यजनक रूप से उसने यह कथन किया है कि जब जमना देवी घटना की तारीख को उसके मकान पर आई थी तो उसने झगड़े के कारण और झगड़े में अंतर्वलित व्यक्तियों के बारे में कोई पूछताछ नहीं की थी । एक भाई का ऐसा व्यवहार बहुत ही अद्भुत और अस्वाभाविक है । यह बात भी नहीं है कि उसके और उसके भाई के बीच संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं थे । श्रीमती जमना देवी अर्ध रात्रि में चलकर उसके मकान पर गई थी और अभिकथित रूप से उसे घटना घटने के बारे में बताया था, फिर भी उसने मामले में कोई कार्रवाई नहीं की । इसके अतिरिक्त, उसने यह कथन किया है कि "जब धर्म सिंह की पत्नी रात्रि में मेरे मकान पर आई तो उसने बताया कि झगड़ा हो गया है, किंतु मैंने उसे मकान के दरवाजे से ही वापस भेज दिया" । विचार करने के लिए पुनः यह प्रश्न उद्भूत होता है कि यह साक्षी रातभर मौन क्यों रहा और क्षतिग्रस्त को केवल अगले दिन ही सुबह अस्पताल क्यों ले जाया गया । इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया गया है । इससे अभियोजन का पक्षकथन पूर्णतः संदेहास्पद हो जाता है ।

23. हमने यह पाया है कि अभियोजन पक्ष ने अभि. सा. 1 और अभि. सा. 2 के वृत्तांत की संपुष्टि उनके पड़ोसी श्री दीवान चंद (अभि. सा. 3)

के माध्यम से कराने की कोशिश की है जिसने यह कथन किया है कि उसने अभियुक्तों को अभि. सा. 1 द्वारा बताई गई रीति अनुसार क्षतिग्रस्त की पिटाई करते हुए देखा था । महत्वपूर्ण रूप से उसने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह श्री धर्म सिंह (अभि. सा. 1) का निकट का नातेदार है । वह नातेदार साक्षी है । यह महत्वपूर्ण है कि उसने यह स्वीकार किया है कि उसका मकान क्षतिग्रस्त के मकान से "200 मीटर" की दूरी पर है । उसने यह स्पष्ट नहीं किया है कि वह देर रात्रि में घटनास्थल पर क्या कर रहा था । उसने यह कथन किया है कि उसने चिल्लाने की आवाज सुनी और उसके बाद घटनास्थल पर आया, किंतु उसे पैदल 200 मीटर की दूरी तय करने में कुछ समय लगा होगा । इसलिए उसका यह बयान कि उसने घटना घटते हुए देखी थी, सत्य प्रतीत नहीं होता है । हम ऐसा इस कारण कह रहे हैं कि उसने क्षतिग्रस्त को कोई सहायता प्रदान नहीं की थी । बहरहाल, वह निकट का नातेदार था । उसका यह कथन है कि "मैंने घटना के पश्चात् क्षतियों का पता करने और पुलिस को सूचित करने या क्षतिग्रस्त को कोई सहायता प्रदान करने की कोशिश नहीं की थी और यह कार्य उसकी पत्नी द्वारा किया गया था" । उसने यह भी कथन किया है कि "मैंने पुलिस को सूचित नहीं किया था और पुलिस द्वारा मेरा कथन अभिलिखित करने तक किसी व्यक्ति से घटना के बारे में कोई बात नहीं हुई थी" । क्षतिग्रस्त और उसकी असहाय पत्नी को सहायता प्रदान न करने का उसने जो कारण बताया है, वह बहुत ही अद्भुत है । बहरहाल, वह एक नवयुवक था और पड़ोसियों को बुलाने और पुलिस को सूचित करने या क्षतिग्रस्त को अस्पताल ले जाने की स्थिति में था ।

24. श्री गुरवचन सिंह (अभि. सा. 4) ने केवल यह कथन किया है कि अभि. सा. 8 तारीख 24 सितम्बर, 2004 को सुबह उसके घर आया और यह बताया कि क्षतिग्रस्त को किसी झगड़े में क्षतियां पहुंची हैं । इस साक्षी ने विनिर्दिष्ट रूप से यह कथन नहीं किया है कि अभि. सा. 8 ने उसे रीति के बारे में बताया था जिसमें घटना घटी थी और अभिकथित अपराध में अभियुक्तों की सह-अपराधिता प्रकट की थी । वह आक्रामक आयुध अर्थात् "फावड़ा" (प्रदर्श पी-4), डंडों (प्रदर्श पी-5 और पी-6) की बरामदगी का साक्षी था, किंतु उसने यह भी स्वीकार किया है कि इन आयुधों पर ऐसा कोई विशेष शनाख्त चिह्न नहीं है जो सामान्यतः कृषकों के घरों में पाए जाने वाले उपकरणों पर होता है ।

25. आक्रामक आयुधों की बरामदगी के संबंध में हमने यह पाया है कि श्री श्याम गोपाल (अभि. सा. 9) का एक दिलचस्प परिसाक्ष्य है जिसने सुसंगत समय पर फोटोग्राफ लिए थे । उसने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि "पुलिस ने मुझे स्थल के फोटोग्राफ लेने का निदेश दिया और उसके बाद अभियुक्त कैलाश को बुलाया गया और उसके हाथ में डंडा दिया गया तथा उसके पश्चात् उसका फोटोग्राफ लिया गया । फोटोग्राफ, पी. डब्ल्यू. 9/13 और पी. डब्ल्यू. 9/12 तब लिए गए थे जब कैलाश को उस आयुध पर हाथ रखने का निदेश दिया गया था जिसका फोटोग्राफ लिया जाना था" ।

26. सहायक उप निरीक्षक मोहिन्दर सिंह (अभि. सा. 11) ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि उसने अभियुक्त कैलाश चंद का कथन उप-प्रधान श्री गुरवचन सिंह और श्री दिवान चंद (अभि. सा. 3) की मौजूदगी में अभिलिखित किया था । महत्वपूर्ण रूप से इन साक्षियों में से किसी ने भी उसके बयान की संपुष्टि नहीं की है ।

27. अभि. सा. 11 के अनुसार, उसने दिवान चंद का कथन पहले तारीख 24 सितम्बर, 2004 को और उसके बाद तारीख 8 अक्तूबर, 2004 को अभिलिखित किया था और इस बयान का दिवान चंद द्वारा खंडन किया गया है, जिसके अनुसार पुलिस ने उसका कथन केवल एक बार अभिलिखित किया था और वह भी घटना घटने के चार दिन के पश्चात् । उसने स्पष्ट रूप से यह कथन किया है कि उसके बाद न तो उसका कथन अभिलिखित किया गया था और न ही उसने किसी ऐसे कागज पर हस्ताक्षर किए थे जो पुलिस द्वारा लिए गए हों । पुनः यह प्रश्न उद्भूत होता है कि इन साक्षियों में से कौन सच बोल रहा है ?

28. अन्वेषक अधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि यह बात सही है कि तारीख 24 सितम्बर, 2004 को उसे इस बात की जानकारी थी कि अभियुक्त मामले में अंतर्ग्रस्त हैं । तब क्यों उनके विरुद्ध कोई तुरंत कार्यवाही नहीं की गई ? शिकायतकर्ता का यह पक्षकथन नहीं है कि पुलिस अभियुक्तों का पक्ष ले रही थी या ऋजु, निष्पक्ष और तुरंत विचारण नहीं किया गया था । इस बाबत कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है । महत्वपूर्ण रूप से उसने यह कथन किया है कि उसने श्रीमती जमना देवी का कथन (वाई रूप में चिन्हित) समग्र रूप में अभिलिखित किया था और कुछ शेष नहीं रह गया था । अब जमना देवी (अभि. सा. 2) का यह कथन है कि उसने पुलिस को बताया था कि अहाते के समतलन की बाबत उनके और अभियुक्तों के बीच विवाद चल रहा था जिसके परिणामस्वरूप बरसात

का पानी अभियुक्तों के मकान की ओर मुड़ जाता था ।

29. इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि साक्षियों ने घटनाओं का पूर्ण और उचित रीति में उल्लेख किया है । विरोधाभास स्पष्ट हैं जो उनके परिसाक्ष्यों को अविश्वसनीय बनाते हैं । अभिलेख पर अभियोजन साक्षियों के परिसाक्ष्यों का परिशीलन करने पर यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन अपने पक्षकथन को अभिलेख पर स्पष्ट, सटीक, विश्वसनीय और विश्वासप्रद सामग्री पेश करके युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में समर्थ रहा है ।

30. अतः हमारे सुविचारित मत में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष निश्चायक रूप से इस तथ्य को सिद्ध करने में समर्थ रहा है कि सभी अभियुक्तों ने अपने सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए श्री धर्म सिंह को इस आशय और ज्ञान के साथ क्षतियां पहुंचाई थीं कि इन क्षतियों से उसकी मृत्यु हो जाएगी और तद्द्वारा उसकी हत्या करने का भी प्रयत्न किया या उन्होंने धारदार उपकरण से उसे गंभीर उपहति कारित की, जिनसे सभी संभावनाओं में उसकी मृत्यु कारित हो जाती या ऐसे आशय के साथ उसके अहाते में जबरदस्ती प्रवेश किया ।

31. अभियुक्तों को निचले न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किए जाने का फायदा प्राप्त है । **मोहम्मद अंकूस और अन्य** बनाम **लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, हैदराबाद**[1] और **राजस्थान राज्य** बनाम **शेरा राम** उर्फ **विष्णु दत्ता**[2] वाले मामलों में उच्चतम न्यायालय द्वारा अधिकथित किए गए विनिश्चयाधार को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि निचले न्यायालय ने अभिलेख पर के साक्ष्य का गलत रूप से मूल्यांकन किया है या अभियुक्तों की दोषमुक्ति के परिणामस्वरूप न्याय की हानि हुई है । हस्तक्षेप करने के लिए कोई आधार नहीं है । इस प्रकार, यह अपील खारिज की जाती है । अभियुक्तों द्वारा दिए गए जमानत बंधपत्र, यदि कोई हो, उन्मोचित किए जाते हैं ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

---

[1] (2010) 1 एस. सी. सी. 94.

[2] (2012) 1 एस. सी. सी. 602.

## शिवराम

बनाम

## हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 3 अगस्त, 2012

**न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376 – बलात्संग – जहां मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से यह साबित होता है कि अभियुक्त और अभियोक्त्री मात्र आलिंगनबद्ध स्थिति में थे और अकाट्य तथा विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर यह कहा जा सकता है कि अभियोक्त्री की आयु विवेक-सम्मत निर्णय लेने की हो गई थी तथा विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर सभी संभाव्यताओं में घटना सहमतिजन्य मैथुन का हो वहां अभियुक्त संदेह का फायदा पाने का हकदार है ।**

संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन के बारे में यह कहा जा सकता है कि अभियोक्त्री के पिता का फलोद्यान तथा अभियुक्त के फलोद्यान एक-दूसरे से सटे हुए हैं । तारीख 24 अगस्त, 2008 को दिन के समय अभियोक्त्री घास काटने के लिए अपने फलोद्यान पर गई हुई थी । अभियुक्त जो अपने उद्यान में काम कर रहा था, उसने अभियोक्त्री को अपने फलोद्यान से भी घास काटने के लिए भी बुलाया और वह वहां चली गई परंतु उसको वहां पर आश्चर्य हुआ । अभियुक्त द्वारा उसे जमीन पर धक्का दे दिया गया । उसने रस्सी से उसके हाथ बांध दिए और मुंह में रूमाल ठूंस दिया तथा उसके पजामे को खोला और उसके साथ बलात्संग किया । उसके पश्चात् अभियुक्त ने अपनी पैंट पहन ली और रस्सी खोली तथा अभियोक्त्री के मुंह से रूमाल निकाला । अभियोक्त्री रोने लगी । उसके रोने को रमेश द्वारा सुना गया जो उसका चचेरा भाई है । उक्त रमेश अपने नजदीक ही फलोद्यान में कुछ कार्य कर रहा था । वह घटनास्थल पर पहुंचा और अभियोक्त्री को लेकर उसके मकान पर गया और उसके पिता को घटना के बारे में बताया, अंततः, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई थी । अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और उसकी भी डा. राजेश ठाकुर द्वारा चिकित्सा परीक्षा की गई । उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क दी ।

अभियुक्त को मैथुन करने के लिए उपयुक्त पाया गया था और जिस पर कोई विवाद नहीं किया गया । मामले के अन्वेषण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री की कमीज और रस्सी ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख के माध्यम से कब्जे में लिया तथा अभियोक्त्री से संबंधित परिवार रजिस्टर की प्रति को भी कब्जे में लिया गया और अभिकथित घटना के स्थान का घटनास्थल नक्शा अन्वेषक अधिकारी द्वारा तैयार किया गया था । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अभियुक्त के लिए विचारण हेतु न्यायालय में चालान पेश किया गया । तद्नुसार पूर्वोक्त अपराध के लिए अभियुक्त को आरोप पत्रित किया गया जिस पर उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया । सेशन न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 376 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्ध किया गया सेशन न्यायालय के दोषसिद्ध आदेश के विरुद्ध अभियुक्त ने उच्च न्यायालय में अपील की । उच्च न्यायालय द्वारा अपील मंजूर करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायिक अधिनिर्णयों के व्यापक बिन्दुओं पर यह प्रकट है कि बलात्संग के अपराध की पीड़िता अपराध के पश्चात् सहापराधी नहीं है । विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसके परिसाक्ष्य पर तात्विक विशिष्टियों के साथ बिना सम्पुष्टि के कार्यवाही की जा सके । उसे आहत साक्षी की अपेक्षा उच्चतर श्रेणी में रखा गया है, बाद वाले मामले में उसकी क्षति को शारीरिक क्षति के रूप में माना गया है जबकि पहले वाले मामले में इसे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप में माना गया है । तथापि, यदि तथ्यों का न्यायालय अभियोक्त्री के वृत्तांत प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करने में कठिनाई पाता है तब उसे प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक साक्ष्य पर हल ढूंढना चाहिए जो उसके परिसाक्ष्य को आश्वासन देते हों । सम्पुष्टि की कमी की वजह से आश्वासन जैसाकि सहापराधिता के संदर्भ में समझा जाता है पर्याप्त होगा साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए यह दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए कि क्या साक्षियों का साक्ष्य संपूर्ण रूप से सच्चाई की ओर इंगित करता है । जब एक बार ऐसी धारणा बना ली जाती है, तब निःसंदेह रूप से न्यायालय के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण साक्ष्य में इंगित कमियों को ध्यान में रखते हुए अतिविशिष्ट रूप से साक्ष्य की संवीक्षा करनी चाहिए और यह निष्कर्ष निकालने के लिए उनका मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या यह साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य के सामान्य आशय के विरुद्ध है और क्या साक्ष्य का पूर्ववर्ती

मूल्यांकन इस बारे में विचलित करने वाला है कि विश्वास के अयोग्य है । संक्षेप में, अभियोक्त्री का कथन इसका अवलंब लेने के पूर्व विश्वास प्रेरित करने वाला होना चाहिए ।

इसके अतिरिक्त रमेश ने यह कथन किया है कि उसने अभियोक्त्री के रोने और चीखने-चिल्लाने की आवाज अपने फलोद्यान के ऊपर की ओर से सुनी थी जहां वह कार्य कर रहा था । अभियुक्त लगभग 10 मीटर की दूरी पर था । वह घटनास्थल पर पहुंचा और यह देखा कि अभियुक्त अपनी पैंट पहन रहा था और अभियोक्त्री वहां पर बैठी हुई थी । उसके अनुसार अभियोक्त्री की सलवार उसके घुटने से नीचे थी । उसने अभियोक्त्री से पूछताछ की जिसने उसे घटना के बारे में बताया । इसके पश्चात्, वह उसे उसके मकान पर ले गया और बाद में पुलिस थाना ले गया । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि यदि कोई व्यक्ति अभियुक्त के फलोद्यान से आवाज दे तथा जैसाकि अभियोक्त्री ने किया आवाज का सुनना संभव नहीं है । उसने पुलिस द्वारा अभिलिखित कथन चिह्न-क से विरोध भी प्रकट किया है जिसमें यह उल्लेख किया जाना नहीं पाया गया है कि अभियोक्त्री की सलवार उसके घुटने पर थी । उसने यह भी कथन किया है कि उसने अभियोक्त्री के सलवार के नाड़े को टूटा हुआ देखा था किंतु इस बात का पुलिस द्वारा उसके अभिलिखित उपरोक्त कथन से विरोध प्रकट किया है और इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है । ऊपर यह भी उल्लेख किया गया है कि उसके सलवार का नाड़ा तोड़ा नहीं गया था । उसका परिसाक्ष्य अभियोक्त्री के कथन के प्रतिकूल है । उसने यह कथन किया कि उसने अभियुक्त को पैंट पहनते हुए देखा जब वह अभियोक्त्री के रोने और चिल्लाने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचा परंतु अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने अपनी पैंट पहनने के पश्चात् उसे मुक्त कर दिया और उसके मुंह से रूमाल भी निकाल दिया तब वह चिल्लाई । डा. सुश्री नीना लाल का कथन भी जिसने अभियोक्त्री की परीक्षा की थी, सुसंगत है । जैसाकि पहले ऊपर कथन किया गया है कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई क्षति का चिह्न नहीं देखा गया । सलवार प्रदर्श पी-1 जिसे अभिकथित घटना के समय पर उसके द्वारा पहना जाना अभिकथित है, उसे कब्जे में लेकर मोहरबंद किया गया और पुलिस को सौंपा गया । दूसरी सलवार प्रदर्श पी-4 जिसे अभियोक्त्री की परीक्षा के समय पर उसके द्वारा पहना गया था, उसे भी कब्जे में लिया गया था और

इन दोनों सलवारों को एक पार्सल प्रदर्श पी-5 में रखा गया था तथा जिन्हें रासायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया था । यह सुसंगत है कि इन दोनों वस्तुओं के बारे में तारीख 25 फरवरी, 2008 को हैड कांस्टेबल मनोज द्वारा पुलिस मालखाना में जमा किया जाना अभिकथित है । मालखाना रजिस्टर का सार प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/क है । तारीख 3 सितंबर, 2008 को इन वस्तुओं को अन्य वस्तुओं के साथ कांस्टेबल प्रीतम के माध्यम से न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा भेजा गया था । ज्ञान चंद ने यह भी कथन किया है कि इन दोनों वस्तुओं की परीक्षा की गई जिन पर प्रयोगशाला में प्रदर्श पी-5 डाला गया था । परंतु यह आश्चर्य है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ग उसके अभिसाक्ष्य के प्रतिकूल है । पार्सल सं. 1 को रिपोर्ट में उपदर्शित किया गया है जिसमें अंग्रेजी शब्द "सीएच" कुल्लू द्वारा दोनों सलवारों को मोहरबंद किया गया और उसमें रखा गया था । उक्त पार्सल को खोलने पर दो सलवार 1-क और 1-ख परीक्षा के लिए बाहर निकाले गए परंतु कोई गंदे रंग का सलवार उसमें नहीं पाया गया । जबकि 1-क पर वीर्य के धब्बे नहीं पाए गए थे । 1-ख में यह पाया गया था जिसे अभियोक्त्री द्वारा अपनी परीक्षा की तारीख को पहना जाना अभिकथित है । किंतु रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ है कि गंदे रंग की सलवार की न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा कभी भी जांच नहीं की गई थी जैसाकि अभिकथित है । जब प्रदर्श पी-1 और प्रदर्श पी-4 एक पार्सल प्रदर्श पी-5 में मोहरबंद किए गए थे तब गंदे रंग का सलवार कहां पर था यह ज्ञात नहीं हुआ है । यद्यपि, अभियोक्त्री ने सहवास किए जाने की बात बताई थी किंतु यह बात अभियोक्त्री के योनिक स्वाब की परीक्षा करने पर साबित भी हुई है जिसमें रक्त के धब्बे थे यद्यपि जिस वजह से आगे परीक्षा करना नाकाफी है परंतु उन पर मानव वीर्य भी था जैसाकि पी. डब्ल्यू. 7/ग में रिपोर्ट दी गई है तो भी इससे सहमति होना प्रतीत होता है । परिस्थितियों से यह प्रकट हुआ है कि गंदे रंग का सलवार प्रदर्श पी-1 जिसे अभिकथित घटना के समय पर अभियोक्त्री द्वारा पहना जाना अभिकथित है, इसका नाड़ा तोड़ा जाना प्रकट नहीं हुआ है जैसाकि विचारण न्यायालय द्वारा जब उसके समक्ष वाद सम्पत्ति पेश की गई, ऐसा मत भी व्यक्त किया गया था । इस सलवार प्रदर्श पी-1 की न्यायालयिक प्रयोगशाला में रासायनिक रूप से परीक्षा नहीं की गई थी जैसाकि परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ग में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, कमीज प्रदर्श पी-2 जिसे अभियोक्त्री द्वारा पहना जाना अभिकथित है, वह भी फटी हुई नहीं पाई गई थी । रूमाल

जिसे उसके मुंह में ठूंसने के लिए प्रयोग किया गया था, उसकी भी बरामदगी नहीं हुई है । इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री के शरीर पर किसी तरह के निशान नहीं थे और न ही अभियोक्त्री के हाथों पर रस्सी प्रदर्श पी-3 के कोई निशान थे । डा. सुश्री नीना लाल ने अभियोक्त्री की योनि की परीक्षा की और जननांगों के भीतरी और बाहरी भाग पर कोई क्षति के चिह्न या किसी तरह का रक्त नहीं देखा गया । योनि में केवल एक अंगुली जा सकती थी । योनिच्छद भी यथावत पाया गया था । डाक्टर की राय में जननांगों की बाहरी ओर कोई शारीरिक हस्तक्षेप नहीं हुआ था । इन सभी बातों से यह दर्शित होता है कि उससे सहवास हुआ था परंतु यह पूर्णतया सहमतिजन्य था । अतः पूर्वोक्त परिस्थितियों में अभियोक्त्री की आयु की उपधारणा किया जाना महत्वपूर्ण होगा । विकिरण परीक्षा के अनुसार उसकी आयु के बारे में 15 से 17 वर्ष के बीच होने की राय व्यक्त की गई है । इस गलती पर युक्तियुक्त औसत विचार करने पर वह 18 वर्ष की आयु से अधिक की होगी । अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री की आयु साबित करने के लिए परिवार रजिस्टर की प्रति से सहायता लेनी चाही जहां पर उसकी आयु का लिखित में आकलन किया गया है । अभिलेख पर न तो उसका जन्म प्रमाण पत्र है और न वास्तविक जन्म तिथि उसके माता-पिता की किसी की भी परीक्षा करने पर साबित हुई है । विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह मत व्यक्त किया है कि अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोक्त्री अभिकथित घटना के समय पर अप्राप्तवय थी जिसकी मैंने पुष्टि की है । चूंकि अभियोक्त्री के बारे में आयु से अधिक परिपक्व होना साबित हुआ है और सभी प्रकार की यह संभाव्यताएं बनती हैं कि सहमति के आधार पर मैथुन हुआ है । अतः न्यायालय का यह मत है कि दोषसिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है । (पैरा 14, 16, 18, 19 और 21)

**निर्दिष्ट निर्णय**

पैरा

[2005] (2005) 3 एस. सी. सी. 594 :
**उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **पप्पू** । 14

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2011 की दांडिक अपील सं. 486.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

**अपीलार्थी की ओर से** श्री अजय चंदेल, अधिवक्ता

**प्रत्यर्थी की ओर से** श्री ए. के. बंसल, अपर महाधिवक्ता

**न्यायमूर्ति सुरिन्दर सिंह** – अपीलार्थी इसमें इसके पश्चात् जिसे "अभियुक्त" कहा गया है, ने 2009 के सेशन विचारण सं. 14 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, कुल्लू द्वारा दंड संहिता की धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए तारीख 18 नवंबर, 2011 को विनिश्चय कर पारित किए गए दोषसिद्धि और दंडादेश के निर्णय को चुनौती दी है जिसके द्वारा उसे 7 वर्ष की अवधि का कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपए के जुर्माने का संदाय करने, जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर 6 मास की अवधि का कारावास भोगने के लिए दंडादिष्ट किया गया । यदि जुर्माना वसूला जाता है तब इसे अभियोक्त्री को संदाय किए जाने का आदेश किया जाता है । अन्वेषण और इस मामले के विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई निरुद्ध की अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अधीन मूल दंडादेश के विरुद्ध मुजराई आदेश किया जाता है ।

2. संक्षेप में, अभियोजन पक्षकथन के बारे में यह कहा जा सकता है कि अभियोक्त्री के पिता का फलोद्यान तथा अभियुक्त के फलोद्यान एक-दूसरे से सटे हुए हैं । तारीख 24 अगस्त, 2008 को दिन के समय अभियोक्त्री घास काटने के लिए अपने फलोद्यान पर गई हुई थी । अभियुक्त जो अपने उद्यान में काम कर रहा था, उसने अभियोक्त्री को अपने फलोद्यान से भी घास काटने के लिए भी बुलाया और वह वहां चली गई परंतु उसको वहां पर आश्चर्य हुआ । अभियुक्त द्वारा उसे जमीन पर धक्का दे दिया गया । उसने रस्सी प्रदर्श पी-3 से उसके हाथ बांध दिए और मुंह में रूमाल ठूंस दिया तथा उसके पजामे को खोला और उसके साथ बलात्संग किया । उसके पश्चात् अभियुक्त ने अपनी पैंट पहन ली और रस्सी खोली तथा अभियोक्त्री के मुंह से रूमाल निकाला । अभियोक्त्री रोने लगी । उसके रोने को रमेश (अभि. सा. 2) द्वारा सुना गया जो उसका चचेरा भाई है । उक्त रमेश अपने नजदीक ही फलोद्यान में कुछ कार्य कर रहा था । वह घटनास्थल पर पहुंचा और अभियोक्त्री को लेकर उसके मकान पर गया और उसके पिता को घटना के बारे में बताया, अंततः, प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/क दर्ज की गई थी ।

3. डा. श्रीमती नीना लाल (अभि. सा. 7) द्वारा उसी दिन लगभग

8.00 बजे अपराह्न अभियोक्त्री की चिकित्सीय रूप से परीक्षा की गई । अभियोक्त्री ने बिगड़ी हुई रंगीन सलवार प्रदर्श पी-1 जो घटना के समय पर उसके द्वारा पहनी हुई थी, उसके बारे में बीच में फटा होना अभिकथित है, पेश की । उसे मोहरबंद किया गया तथा न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया । अभियोक्त्री के शरीर पर कोई हिंसा या क्षति के चिह्न नहीं थे । डाक्टर ने अभियोक्त्री के योनिक धब्बा और जघन के बाल भी रासायनिक परीक्षा के लिए और उसे उसकी अस्थि से आयु को सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया । रासायनिक परीक्षा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/क की रिपोर्ट प्राप्त करने पर डाक्टर ने तारीख 31 दिसंबर, 2008 को अपनी राय प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/घ प्रकट की कि अभियोक्त्री से संभोग किया गया था । डा. एम. एल. बंधु (अभि. सा. 10) ने अस्थियों के गलन के आधार पर अपनी राय व्यक्त की तथा अभियोक्त्री की आयु 15 से 17 वर्ष के बीच बताई और इस प्रभाव की रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/ङ है जो विकरणी चित्रण प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/क से प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 10/घ पर आधारित है ।

4. डा. ज्ञान चंद ठाकुर (अभि. सा. 10) जो राज्य न्यायालयिक विज्ञान का सहायक निदेशक है, उससे रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/क साबित करने के लिए परीक्षा की गई । उनके अनुसार सलवार प्रदर्श पी-1 और प्रदर्श पी-4 एक ही हैं जो परीक्षा के लिए पार्सल प्रदर्श पी-5 में श्री अजय सहगल द्वारा न्यायालयिक प्रयोगशाला में प्राप्त की गई थी ।

5. अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और उसकी भी डा. राजेश ठाकुर द्वारा चिकित्सा परीक्षा की गई । उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क दी । अभियुक्त को मैथुन करने के लिए उपयुक्त पाया गया था और जिस पर कोई विवाद नहीं किया गया ।

6. डा. श्रीमती नीना लाल (अभि. सा. 7) ने सलवार प्रदर्श पी-4 को अपने कब्जे में नहीं लिया था जिसे अभियोक्त्री द्वारा अपनी परीक्षा के समय पर पहना गया था । इसे अभियोक्त्री द्वारा पेश किए गए सलवार के साथ एक पार्सल बनाकर परीक्षा के लिए न्यायालयिक प्रयोगशाला भेजा गया था जिसके बारे में प्रदर्श पी-5 होना अभिकथित है ।

7. मामले के अन्वेषण के दौरान अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री की कमीज और रस्सी प्रदर्श पी-3 ज्ञापन प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 1/ख के माध्यम से कब्जे में लिया तथा अभियोक्त्री से संबंधित परिवार रजिस्टर प्रदर्श पी.

डब्ल्यू. 4/क की प्रति को भी कब्जे में लिया गया और अभिकथित घटना के स्थान का घटनास्थल नक्शा प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 3/ख अन्वेषक अधिकारी द्वारा तैयार किया गया था ।

8. अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अभियुक्त के लिए विचारण हेतु न्यायालाय में चालान पेश किया गया । तद्नुसार पूर्वोक्त अपराध के लिए अभियुक्त को आरोप पत्रित किया गया जिस पर उसने दोषी नहीं होने का अभिवाक् किया और विचारण किए जाने का दावा किया ।

9. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए अभियोक्त्री की परीक्षा किए जाने के अतिरिक्त साक्षियों की परीक्षा की । साक्ष्य समाप्त करने के पश्चात् अभियुक्त की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन भी परीक्षा की गई । परिस्थितियां जो अभियुक्त के संबंध में पाई गई थीं उसने डा. राजेश ठाकुर (अभि. सा. 6) द्वारा की गई उसकी एम. एल. सी. प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 6/क को स्वीकार करने के अलावा अन्य बातों से इनकार किया था । उसने न्यायालयिक प्रयोगशाला रिपोर्ट पी. डब्ल्यू. 7/क पर भी विवाद किया और यह अभिकथन किया कि अभियोक्त्री द्वारा अपने पिता तथा पुलिस जो उसकी जमीन को हड़पना चाहते थे, के कहने पर उसके विरुद्ध मिथ्या मामला गढ़ा है ।

10. जब उसे प्रतिरक्षा करने के लिए बुलाया गया तब उसने प्रतिरक्षा साक्षी 1 श्रीमती कला देवी की परीक्षा कराई । उसने यह कथन किया कि अभियुक्त ने श्री डाले राम नामक व्यक्ति से भूमि खरीदी थी और उस पर फलोद्यान निर्मित किया था । उसने यह कथन किया कि उसकी भूमि अभियुक्त की भूमि से सटी हुई नहीं है । उसने यह कथन किया कि उसका मकान उसके नजदीक भी स्थित है किंतु उसने अभियोक्त्री के रोने-चीखने की आवाज नहीं सुनी । उसने यह भी कथन किया है कि अभियोक्त्री और उसके पिता अभियुक्त से यह आग्रह किया करते थे कि वह उनके पक्ष में अपनी भूमि के भाग को दे दे जिस पर उसने इनकार किया । इस प्रकार वे उससे क्रोधित हुए और उन्होंने मिथ्या मामला उसके खिलाफ बनाया ।

11. विद्वान् विचारण न्यायालय ने अभियुक्त द्वारा ली गई प्रतिरक्षा की दलील पर अविश्वास किया किंतु जबकि अभियोक्त्री, रमेश (अभि. सा. 2) और डाक्टरों के कथन का अवलंब लेकर अभियुक्त को उपरोक्त रूप में

दोषसिद्ध करके दंडादिष्ट किया गया ।

12. अभियुक्त के विद्वान् काउंसेल श्री अजय चंदेल ने दृढ़तापूर्वक यह दलील दी कि अभियोक्त्री द्वारा बताई गई कहानी से विश्वास उत्प्रेरित नहीं होता है । उसे वयस्क साबित किया गया है । डाक्टर द्वारा उसके शरीर पर कोई भी हिंसा के चिह्न का उल्लेख नहीं किया गया है । सलवार प्रदर्श पी-1 जिसके बारे में अभिकथित घटना के समय पर उसके द्वारा पहना होना अभिकथित है, इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए रासायनिक परीक्षा के लिए नहीं भेजा गया था । उसने न्यायालयिक रिपोर्ट का उल्लेख किया है । उन्होंने यह भी दलील दी कि उसका आचरण सही नहीं है और उसमें पर्याप्त रूप से संदेह उत्पन्न होता है । रमेश (अभि. सा. 2) का कथन अभियोक्त्री के कथन के विपरीत हैं, इस प्रकार, इस बात का कोई अवलंब नहीं लिया जा सकता । यह भी दलील दी गई कि यदि संपूर्ण तथ्य का सही परिप्रेक्ष्य में निष्पक्षता के साथ विचार किया जाए तो हर प्रकार से यह संभाव्यताएं बनती हैं कि सहमतिजन्य मैथुन हुआ था ।

13. इसके विपरीत, अपर महाधिवक्ता श्री अंशुल बंसल ने दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय का समर्थन किया है । बहस के दौरान पक्षकारों के परस्पर विरोधी दलीलों का मूल्यांकन किया गया तथा सलवार प्रदर्श पी-1 और प्रदर्श पी-4 का निरीक्षण करने की आवश्यकता महसूस की गई इसलिए, इन वस्तुओं को भेजा गया था । तारीख 31 जुलाई, 2012 को उपरोक्त वाद सम्पत्ति पार्सल में चिह्नित प्रदर्श पी-5 के रूप में पेश की गई थी । पार्सल की स्थिति को तारीख 31 जुलाई, 2012 के जिमनी आदेश में अभिलिखित किया गया है । इसे खोलने पर मैली रंगीन सलवार प्रदर्श पी-1 जो बीच में फटी हुई थी, को बाहर निकाला गया तथा साथ ही काला रंग का नाड़ा जो टूटा हुआ नहीं था तथा अलग था उसे भी बाहर निकाला गया तथा एक अन्य सलवार प्रदर्श पी-4 जो फूलदार प्रिंट, आसमानी नीला और भूरे रंग का भी पार्सल से बाहर निकाला गया और इनका परिशीलन करने के पश्चात् उन्हें उसी पार्सल में पुनः डालकर न्यायालय की मोहर से मोहरबंद कर दिया गया । कुल्लू के पुलिस अधीक्षक के पत्र पर इसके नमूने को भी संलग्न कर दिया गया और उसे वापस भेज दिया गया । क्रमशः दलीलों पर विचार करते हुए विधिक पहलू पर विचार किया जाना अपेक्षित है ।

14. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए न्यायिक अधिनिर्णयों के व्यापक

बिन्दुओं से यह प्रकट है कि बलात्संग के अपराध की पीड़िता अपराध के पश्चात् सहापराधी नहीं है । विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है कि उसके परिसाक्ष्य पर तात्विक विशिष्टियों के साथ बिना सम्पुष्टि के कार्यवाही की जा सके । उसे आहत साक्षी की अपेक्षा उच्चतर श्रेणी में रखा गया है, बाद वाले मामले में उसकी क्षति को शारीरिक क्षति के रूप में माना गया है जबकि पहले वाले मामले में इसे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप में माना गया है । तथापि, यदि तथ्यों का न्यायालय अभियोक्त्री के वृत्तांत प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार करने में कठिनाई पाता है तब उसे प्रत्यक्ष या पारिस्थितिक साक्ष्य पर हल ढूंढना चाहिए जो उसके परिसाक्ष्य को आश्वासन देते हों । सम्पुष्टि की कमी की वजह से आश्वासन जैसाकि सहापराधिता के संदर्भ में समझा जाता है पर्याप्त होगा [देखिए **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **पप्पू**[1] वाला मामला] ।

15. इसके अतिरिक्त मैं इस बात के प्रति भी सचेत हूं कि असंगत ब्यौरे किसी साक्षी की विश्वसनीयता को किसी प्रकार नष्ट नहीं करते हैं, उस आधार पर इसे लोप या विभेद के रूप में नहीं माना जा सकता है ।

16. साक्षियों के साक्ष्य का मूल्यांकन करते हुए यह दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए कि क्या साक्षियों का साक्ष्य संपूर्ण रूप से सच्चाई की ओर इंगित करता है । जब एक बार ऐसी धारणा बना ली जाती है, तब निःसंदेह रूप से न्यायालय के लिए आवश्यक है कि संपूर्ण साक्ष्य में इंगित कमियों को ध्यान में रखते हुए अतिविशिष्ट रूप से साक्ष्य की संवीक्षा करनी चाहिए और यह निष्कर्ष निकालने के लिए उनका मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या यह साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य के सामान्य आशय के विरुद्ध है और क्या साक्ष्य का पूर्ववर्ती मूल्यांकन इस बारे में विचलित करने वाला है कि विश्वास के अयोग्य है । संक्षेप में, अभियोक्त्री का कथन इसका अवलंब लेने के पूर्व विश्वास प्रेरित करने वाला होना चाहिए ।

17. पूर्वोक्त सुस्थिर सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए मैं इस बारे में अभियोक्त्री के कथन की छानबीन करता हूं कि क्या ये अन्य उपस्थिति परिस्थितियों के प्रकाश में विश्वास प्रेरित करने वाले हैं । अभियोक्त्री की जब न्यायालय में परीक्षा की गई उसने वैसा ही कथन किया है कि उसके हाथ बांध दिए गए थे और उसके मुंह में रूमाल ठूंस दिया गया था ।

---

[1] (2005) 3 एस. सी. सी. 594.

अभियुक्त ने उसके सलवार प्रदर्श पी-1 का नाड़ा तोड़ा था और उसके साथ बलात्संग किया था । इसके पश्चात् उसने उसकी रस्सी खोली और उसके मुंह से रूमाल बाहर निकाला और उसके बाद वह रोने लगी । इसके पश्चात् उसका चचेरा भाई रमेश (अभि. सा. 2) वहां पर पहुंचा । रमेश ने यह भी कथन किया है कि उसकी कमीज फटी हुई थी । उसे उसके घर पर ले जाया गया और वहां से अभियोक्त्री को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिस थाना भेजा गया । इसके पश्चात्, उसकी चिकित्सीय रूप से परीक्षा करवाई गई थी । अभियोक्त्री ने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि उसने अभिकथित घटना की तारीख को प्रथम बार अभियुक्त को देखा था, यद्यपि उसने प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन करते हुए यह स्वीकार किया है कि अभियुक्त प्रत्येक रविवार को अपने फलोद्यान में आया करता था । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया है कि जब अभियुक्त ने उसके हाथों को बांधा तब वह अपने पिता को बुलाने के लिए चिल्लाई थी किंतु उसे अभियुक्त के आशय के बारे में पता नहीं था । अभियोक्त्री ने यह भी कथन किया है कि उसके सलवार का नाड़ा तोड़ने के पश्चात् उसने उसके शरीर से सलवार हटा कर और अपना गुप्तांग उसके गुप्तांग भाग में डालकर उससे बलात्संग किया । उसने यह भी कथन किया है कि उसकी चीखने की आवाज सुनकर उसका चचेरा भाई रमेश (अभि. सा. 2) घटनास्थल पर पहुंचा । सलवार के नाड़े के तोड़ने के प्रश्न पर अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य विभेद प्रकट करता है जिसे साबित नहीं किया गया था और कमीज प्रदर्श पी-2 फटी हुई भी नहीं पाई गई थी ।

18. इसके अतिरिक्त रमेश (अभि. सा. 2) ने यह कथन किया है कि उसने अभियोक्त्री के रोने और चीखने-चिल्लाने की आवाज अपने फलोद्यान के ऊपर की ओर से सुनी थी जहां वह कार्य कर रहा था । अभियुक्त लगभग 10 मीटर की दूरी पर था । वह घटनास्थल पर पहुंचा और यह देखा कि अभियुक्त अपनी पैंट पहन रहा था और अभियोक्त्री वहां पर बैठी हुई थी । उसके अनुसार अभियोक्त्री की सलवार उसके घुटने से नीचे थी । उसने अभियोक्त्री से पूछताछ की जिसने उसे घटना के बारे में बताया । इसके पश्चात्, वह उसे उसके मकान पर ले गया और बाद में पुलिस थाना ले गया । उसने प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि यदि कोई व्यक्ति अभियुक्त के फलोद्यान से आवाज दे तथा जैसाकि अभियोक्त्री ने किया आवाज का सुनना संभव नहीं है । उसने पुलिस द्वारा अभिलिखित कथन

चिह्न-क से विरोध भी प्रकट किया है जिसमें यह उल्लेख किया जाना नहीं पाया गया है कि अभियोक्त्री की सलवार उसके घुटने पर थी । उसने यह भी कथन किया है कि उसने अभियोक्त्री के सलवार के नाड़े को टूटा हुआ देखा था किंतु इस बात का पुलिस द्वारा उसके अभिलिखित उपरोक्त कथन से विरोध प्रकट किया है और इस तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है । ऊपर यह भी उल्लेख किया गया है कि उसकी सलवार का नाड़ा तोड़ा नहीं गया था । उसका परिसाक्ष्य अभियोक्त्री के कथन के प्रतिकूल है । उसने यह कथन किया कि उसने अभियुक्त को पैंट पहनते हुए देखा जब वह अभियोक्त्री के रोने और चिल्लाने के पश्चात् घटनास्थल पर पहुंचा परंतु अभियोक्त्री ने यह कथन किया है कि अभियुक्त ने अपनी पैंट पहनने के पश्चात् उसे मुक्त कर दिया और उसके मुंह से रूमाल भी निकाल दिया तब वह चिल्लाई ।

19. डा. सुश्री नीना लाल (अभि. सा. 7) का कथन भी जिसने अभियोक्त्री की परीक्षा की थी, सुसंगत है । जैसाकि पहले ऊपर कथन किया गया है कि अभियोक्त्री के शरीर पर कोई क्षति का चिह्न नहीं देखा गया । सलवार प्रदर्श पी-1 जिसे अभिकथित घटना के समय पर उसके द्वारा पहना जाना अभिकथित है, उसे कब्जे में लेकर मोहरबंद किया गया और पुलिस को सौंपा गया । दूसरी सलवार प्रदर्श पी-4 जिसे अभियोक्त्री की परीक्षा के समय पर उसके द्वारा पहना गया था, उसे भी कब्जे में लिया गया था और इन दोनों सलवारों को एक पार्सल प्रदर्श पी-5 में रखा गया था तथा जिन्हें रासायनिक परीक्षा के लिए भेजा गया था । यह सुसंगत है कि इन दोनों वस्तुओं के बारे में तारीख 25 फरवरी, 2008 को हैड कांस्टेबल मनोज (अभि. सा. 12) द्वारा पुलिस मालखाना में जमा किया जाना अभिकथित है । मालखाना रजिस्टर का सार प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 12/क है । तारीख 3 सितंबर, 2008 को इन वस्तुओं को अन्य वस्तुओं के साथ कांस्टेबल प्रीतम के माध्यम से न्यायालयिक प्रयोगशाला, जुंगा भेजा गया था । ज्ञान चंद (अभि. सा. 13) ने यह भी कथन किया है कि इन दोनों वस्तुओं की परीक्षा की गई जिन पर प्रयोगशाला में प्रदर्श पी-5 डाला गया था । परंतु यह आश्चर्य है कि रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ग उसके अभिसाक्ष्य के प्रतिकूल है । पार्सल सं. 1 को रिपोर्ट में उपदर्शित किया गया है जिसमें अंग्रेजी शब्द "सीएच" कुल्लू द्वारा दोनों सलवारों को मोहरबंद किया गया और उसमें रखा गया था । उक्त पार्सल को खोलने पर दो सलवार 1-क

और 1-ख परीक्षा के लिए बाहर निकाले गए परंतु कोई गंदे रंग का सलवार उसमें नहीं पाया गया । जबकि 1-क पर वीर्य के धब्बे नहीं पाए गए थे । 1-ख में यह पाया गया था जिसे अभियोक्त्री द्वारा अपनी परीक्षा की तारीख को पहना जाना अभिकथित है । किंतु रिपोर्ट से यह प्रकट हुआ है कि गंदे रंग की सलवार की न्यायालयिक प्रयोगशाला द्वारा कभी भी जांच नहीं की गई थी जैसाकि अभिकथित है । जब प्रदर्श पी-1 और प्रदर्श पी-4 एक पार्सल प्रदर्श पी-5 में मोहरबंद किए गए थे तब गंदे रंग का सलवार कहां पर था यह ज्ञात नहीं हुआ है । यद्यपि, अभियोक्त्री ने सहवास किए जाने की बात बताई थी किंतु यह बात अभियोक्त्री के योनिक स्वाब की परीक्षा करने पर साबित भी हुई है जिसमें रक्त के धब्बे थे यद्यपि जिस वजह से आगे परीक्षा करना नाकाफी है परंतु उन पर मानव वीर्य भी था जैसाकि पी. डब्ल्यू. 7/ग में रिपोर्ट दी गई है तो भी इससे सहमति होना प्रतीत होता है । परिस्थितियों से यह प्रकट हुआ है कि गंदे रंग का सलवार प्रदर्श पी-1 जिसे अभिकथित घटना के समय पर अभियोक्त्री द्वारा पहना जाना अभिकथित है, इसका नाड़ा तोड़ा जाना प्रकट नहीं हुआ है जैसाकि विचारण न्यायालय द्वारा जब उसके समक्ष वाद सम्पत्ति पेश की गई, ऐसा मत भी व्यक्त किया गया था । इस सलवार प्रदर्श पी-1 की न्यायालयिक प्रयोगशाला में रासायनिक रूप से परीक्षा नहीं की गई थी जैसाकि परीक्षा रिपोर्ट प्रदर्श पी. डब्ल्यू. 7/ग में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है । इसके अतिरिक्त, कमीज प्रदर्श पी-2 जिसे अभियोक्त्री द्वारा पहना जाना अभिकथित है, वह भी फटी हुई नहीं पाई गई थी । रूमाल जिसे उसके मुंह में ठूंसने के लिए प्रयोग किया गया था, उसकी भी बरामदगी नहीं हुई है । इसके अतिरिक्त, अभियोक्त्री के शरीर पर किसी तरह के निशान नहीं थे और न ही अभियोक्त्री के हाथों पर रस्सी प्रदर्श पी-3 के कोई निशान थे । डा. सुश्री नीना लाल ने अभियोक्त्री की योनि की परीक्षा की और जननांगों के भीतरी और बाहरी भाग पर कोई क्षति के चिह्न या किसी तरह का रक्त नहीं देखा गया । योनि में केवल एक अंगुली जा सकती थी । योनिच्छद भी यथावत् पाया गया था । डाक्टर की राय में जननांगों की बाहरी ओर कोई शारीरिक हस्तक्षेप नहीं हुआ था । इन सभी बातों से यह दर्शित होता है कि उससे सहवास हुआ था परंतु यह पूर्णतया सहमतिजन्य था ।

20. उपरोक्त साबित परिस्थितियां यह उपधारणा करने लिए पर्याप्त हैं कि अभियोक्त्री और अभियुक्त को अभि. सा. 2 ने समझौते की स्थिति में देखा जाना हो सकता है । यह निष्कर्ष निकलता है कि इस बात का

स्पष्टीकरण देना कठिन है कि अभियोक्त्री के साथ अभिकथित बलात्संग होना यद्यपि परिस्थितियों से सहमति प्रकट होती है ।

21. अतः पूर्वोक्त परिस्थितियों में अभियोक्त्री की आयु की उपधारणा किया जाना महत्वपूर्ण होगा । विकिरण परीक्षा के अनुसार उसकी आयु के बारे में 15 से 17 वर्ष के बीच होने की राय व्यक्त की गई है । इस गलती पर युक्तियुक्त औसत विचार करने पर वह 18 वर्ष की आयु से अधिक की होगी । अभियोजन पक्ष ने अभियोक्त्री की आयु साबित करने के लिए परिवार रजिस्टर की प्रति से सहायता लेनी चाही जहां पर उसकी आयु का लिखित में आकलन किया गया है । अभिलेख पर न तो उसका जन्म प्रमाण पत्र है और न वास्तविक जन्म तिथी उसके माता-पिता की किसी की भी परीक्षा करने पर साबित हुई है । विचारण न्यायालय ने ठीक ही यह मत व्यक्त किया है कि अकाट्य और विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियोक्त्री अभिकथित घटना के समय पर अप्राप्तवय थी जिसकी मैंने पुष्टि की है । चूंकि अभियोक्त्री के बारे में आयु से अधिक परिपक्व होना साबित हुआ है और सभी प्रकार की यह संभाव्यताएं बनती हैं कि सहमति के आधार पर मैथुन हुआ है । अतः मेरा यह मत है कि दोषसिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित आदेश अपास्त किए जाने योग्य है ।

22. इस प्रकार, पूर्वोक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह के परे मामले को साबित करने में समर्थ नहीं हुआ है । इस प्रकार, दोषसिद्धि और दंडादेश का आक्षेपित आदेश अपास्त किया जाता है । अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त किया जाता है । अभियुक्त कारागार में बंद है, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तत्काल निर्मुक्त किया जाए । यदि कोई जुर्माने की रकम उससे जमा करवाई गई है तो अभियुक्त को वापस की जाए ।

23. इस न्यायालय के कार्यालय माध्यम से इस निर्णय के अनुरूप संबंधित कारागार अधीक्षक को अभियुक्त को निर्मुक्त किए जाने का वारंट जारी करने का निदेश दिया जाता है ।

अपील मंजूर की जाती है ।

आर्य

**राजेश राणा**

बनाम

**हिमाचल प्रदेश राज्य**

तारीख 21 अगस्त, 2012

**न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह**

**दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) – धारा 228 – आरोपों का विरचित किया जाना – जहां अभियुक्त ने अभियोक्त्री से प्रवंचनापूर्ण रीति से मैथुन करने की सहमति अभिप्राप्त की और उससे धन अभिप्राप्त किया वहां यह नहीं कहा जा सकता कि दंड संहिता की धारा 376 और 493 के अधीन प्रथमदृष्ट्या विरचित किए गए आरोप विधिसम्मत और मान्य हैं ।**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियोक्त्री ने संहिता की धारा 156(3) के अधीन विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कांगड़ा, धर्मशाला के समक्ष परिवाद फाइल किया जिसे अन्वेषण के लिए पुलिस थाना, धर्मशाला को भेजा गया था । पुलिस द्वारा दंड संहिता की धारा 376, 420, 406 और 493 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए तारीख 2 दिसंबर, 2007 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 241/07 रजिस्ट्रीकृत की गई । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् चालान पेश किया गया था और तदुपरि विचारण न्यायालय ने तारीख 3 मई, 2012 को दंड संहिता की धारा 376, 420, 406 और 493 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आवेदक के विरुद्ध आरोप विरचित किए । तारीख 3 मई, 2012 के आदेश को इन आधारों पर आक्षेपित किया गया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन सम्मिलित हैं, का परिशीलन करने पर विचारण न्यायालय द्वारा विरचित किए गए आरोपों पर मामला नहीं बनता है । यह अभिकथन किया गया कि आवेदक और अभियोक्त्री के बीच कोई सिविल विवाद प्रकट होना प्रतीत होता है । पक्षकारों के बीच कुछ धनराशि का लेनदेन का विवाद होना प्रतीत होता है । परंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोई दांडिक मामला नहीं बनता है । आवेदक की ओर से ऐसा कोई प्रश्न प्रकट नहीं हुआ है जिससे कि उसने अभियोक्त्री से विवाह किए जाने के लिए कोई

अभिकथित वचन किया था और न आवेदक द्वारा अभियोक्त्री से कोई यौन उत्पीड़न किए जाने का कोई प्रश्न पैदा होता है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने दंड संहिता की धारा 376, 420, 406 और 493 के अधीन आवेदक के विरुद्ध आरोप विरचित करके गलती की है । यह पुनरीक्षण आवेदन सेशन मामला सं. 59-डी/VII/10/08 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, कांगड़ा, धर्मशाला द्वारा दंड संहिता की धारा 376, 420, 406 और 493 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आवेदक के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए तारीख 5 मई, 2012 को पारित किए गए आदेश के विरुद्ध फाइल किया गया है । याची द्वारा विद्वान् सेशन न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में पुनरीक्षण आवेदन फाइल किया गया । उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण आवेदन खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – आरोप को विरचित करने के समय पर अभियोग को साबित करने का क्षेत्र बहुत सीमित है । आरोप को विरचित करने के समय पर अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह युक्तियुक्त संदेह के परे यह सिद्ध करें कि अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध उसकी दोषिता को सिद्ध किए जाने के लिए बाध्य है । आरोपों को विरचित करने के समय पर न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि अभियुक्त ने अपराध किया है और यदि उत्तर सकारात्मक है तो उन्मोचित होने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता और अभियुक्त को केवल यदि उसके विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है तो उसे विचारण का सामना करना पड़ता है । आवेदक के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों का मूल्यांकन करने पर यह समुचित होगा कि अभिलेख की सामग्रियों पर विचार करने से पूर्व कुछ प्रश्न पर कुछ निर्णयज विधि का उल्लेख करें । वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार किया गया । यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त ने सर्वप्रथम अभियोक्त्री से विवाह करने के लिए मिथ्या वचन देकर उसकी सहमति प्राप्त की । अभियुक्त ने जानबूझकर यह प्रतिनिवेदन किया कि अभियोक्त्री से विवाह का आशय प्रकट किए बिना उसकी सहमति लेनी चाही । यदि वह विवाह करने का कोई वचन नहीं देता है तो अभियोक्त्री ने मैथुन किए जाने के लिए अपनी सहमति नहीं दी होगी । अभियुक्त ने मैथुन और धन प्राप्त करने के लिए अभियोक्त्री की सहमति धोखे से प्राप्त की होगी । अभियुक्त ने धोखे से उससे विवाह करने के लिए लगभग 11,00,000/- रुपए ले लिए और अभियोक्त्री से मिथ्या संबंध बनाने के लिए उससे धन लिया था । अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ कपट किया था । अभियोक्त्री

के बच्चे नयन शर्मा और अंकित शर्मा तथा अभियोक्त्री के भाई नरेन्द्र शर्मा का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन से अभियोक्त्री के अभियुक्त के साथ संबंध उपदर्शित हुए हैं । अभियोक्त्री का अनूप शर्मा के साथ विवाह हुआ था जिसकी मृत्यु वर्ष 1998 में हुई थी । आवेदक ने यह दलील दी कि दंड संहिता की धारा 376 और 493 के अधीन आरोप वैध रूप से तर्कसंगत नहीं है और सार रहित भी है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियोक्त्री ने यह अभिकथन किया है कि उसे कुनाल पाथरी मंदिर पर ले जाया गया था जहां देवी के समक्ष अभियुक्त ने उससे विवाह करने का वचन दिया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ कपट किया तथा विधिपूर्ण विवाह का विश्वास दिलाते हुए उसे सहवास करने के लिए प्रेरित किया । अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि दंड संहिता की धारा 376 और धारा 493 के अधीन प्रथमदृष्ट्या आरोप तर्कसंगत नहीं है । (पैरा 6, 10 और 12)

**निर्दिष्ट निर्णय**

पैरा

[2009] (2009) 8 एस. सी. सी. 751 :
**मोहम्मद इब्राहिम और अन्य** बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य** ; 13

[2005] (2005) 1 एस. सी. सी. 88 :
**दिलीप सिंह** उर्फ **दिलीप कुमार** बनाम **बिहार राज्य** ; 8

[2003] (2003) 4 एस. सी. सी. 46 :
**उदय** बनाम **कर्नाटक राज्य** ; 7

[1978] 1978 आई. एल. आर. (एच. पी.) 694 :
**श्री गोपाल चौहान** बनाम **श्रीमती सत्या** । 9

**पुनरीक्षण (दांडिक) अधिकारिता : 2012 का दांडिक पुनरीक्षण आवेदन सं. 157.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 401/397 के अधीन पुनरीक्षण आवेदन ।

**आवेदक की ओर से** सर्वश्री आर. के. गौतम, ज्येष्ठ अधिवक्ता
साथ में विक्रांत चंदेल, अधिवक्ता

**प्रत्यर्थी की ओर से** सुश्री रूमा कौशिक, अपर महाधिवक्ता

**न्यायमूर्ति कुलदीप सिंह** – यह पुनरीक्षण आवेदन सेशन मामला सं. 59-डी/VII/10/08 में विद्वान् सेशन न्यायाधीश, कांगड़ा, धर्मशाला द्वारा दंड संहिता की धारा 376, 420, 406 और 493 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आवेदक के विरुद्ध आरोप विरचित करने के लिए तारीख 5 मई, 2012 को पारित किए गए आदेश के विरुद्ध फाइल किया गया है ।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अभियोक्त्री ने संहिता की धारा 156(3) के अधीन विद्वान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कांगड़ा, धर्मशाला के समक्ष परिवाद फाइल किया जिसे अन्वेषण के लिए पुलिस थाना, धर्मशाला को भेजा गया था । पुलिस द्वारा दंड संहिता की धारा 376, 420, 406 और 493 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए तारीख 2 दिसंबर, 2007 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 241/07 रजिस्ट्रीकृत की गई । अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् चालान पेश किया गया था और तदुपरि विचारण न्यायालय ने तारीख 3 मई, 2012 को दंड संहिता की धारा 376, 420, 406 और 493 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आवेदक के विरुद्ध आरोप विरचित किए ।

3. तारीख 3 मई, 2012 के आदेश को इन आधारों पर आक्षेपित किया गया कि प्रथम इत्तिला रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्य जिसमें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन सम्मिलित हैं, का परिशीलन करने पर विचारण न्यायालय द्वारा विरचित किए गए आरोपों पर मामला नहीं बनता है । यह अभिकथन किया गया कि आवेदक और अभियोक्त्री के बीच कोई सिविल विवाद प्रकट होना प्रतीत होता है । पक्षकारों के बीच कुछ धनराशि का लेनदेन का विवाद होना प्रतीत होता है । परंतु दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 के अधीन पुलिस रिपोर्ट के आधार पर कोई दांडिक मामला नहीं बनता है ।

4. आवेदक की ओर से ऐसा कोई प्रश्न प्रकट नहीं हुआ है जिससे कि उसने अभियोक्त्री से विवाह किए जाने के लिए कोई अभिकथित वचन किया था और न आवेदक द्वारा अभियोक्त्री से कोई यौन उत्पीड़न किए जाने का कोई प्रश्न पैदा होता है । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने दंड संहिता की धारा 376, 420, 406 और 493 के अधीन आवेदक के विरुद्ध आरोप विरचित करके गलती की है ।

5. पक्षकारों को सुना गया । आवेदक के विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि संहिता की धारा 173 के अधीन रिपोर्ट का परिशीलन करने से कोई मामला प्रकट नहीं होता है जिसके लिए विद्वान् सेशन न्यायाधीश

द्वारा तारीख 3 मई, 2012 को आवेदक को आरोपित किया गया है । विद्वान् काउंसेल ने संहिता की धारा 375 के अधीन "बलात्संग" की परिभाषा का अवलंब लिया है । उसने यह दलील दी कि किसी पुरुष द्वारा किसी महिला से विवाह के वचन को पूरा करने के लिए मैथुन किया जाना, संहिता की धारा 375 के अधीन प्रगणित अपराधों में से किसी के अंतर्गत नहीं आता है । उसने यह भी दलील दी कि दंड संहिता की धारा 420 और 406 के अधीन भी आरोप मामले में नहीं बनता है । यदि पक्षकारों के बीच में कोई विवाद उत्पन्न हुआ है तो वह सिविल प्रकृति का है । यह दलील दी गई कि दंड संहिता की धारा 376 और धारा 493 के अधीन आरोप वैध रूप से तर्कसंगत नहीं हैं ।

6. आरोप को विरचित करने के समय पर अभियोग को साबित करने का क्षेत्र बहुत सीमित है । आरोप को विरचित करने के समय पर अभियोजन पक्ष के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह युक्तियुक्त संदेह के परे यह सिद्ध करे कि अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध उसकी दोषिता को सिद्ध किए जाने के लिए बाध्य है । आरोपों को विरचित करने के समय पर न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि अभियुक्त ने अपराध किया है और यदि उत्तर सकारात्मक है तो उन्मोचित होने का आदेश पारित नहीं किया जा सकता और अभियुक्त को केवल यदि उसके विरुद्ध प्रथमदृष्ट्या मामला बनता है तो उसे विचारण का सामना करना पड़ता है । आवेदक के विद्वान् काउंसेल द्वारा दी गई दलीलों का मूल्यांकन करने पर यह समुचित होगा कि अभिलेख की सामग्रियों पर विचार करने से पूर्व कुछ प्रश्न पर कुछ निर्णयज विधि का उल्लेख करें ।

7. **उदय** बनाम **कर्नाटक राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने जो कुछ अभिनिर्धारित किया है इस प्रकार है :–

> "21. अतः यह प्रकट हुआ है कि इस मत के पक्ष में न्यायिक आम राय यह है कि किसी व्यक्ति के साथ अभियोक्त्री द्वारा मैथुन करने के लिए दी गई सहमति जिसके साथ वह गहरे प्रेमजाल में फंसी हो और यह वचन किया जाता हो कि वह व्यक्ति बाद में उससे विवाह करेगा, भ्रमित तथ्य के अंतर्गत ऐसी सहमति दिया जाना नहीं कहा जा सकता है । कोई मिथ्या वचन संहिता के अर्थ के अंतर्गत नहीं है । हम इस विचार से सहमत होते हैं किंतु हम यह भी जोड़ना

[1] (2003) 4 एस. सी. सी. 46.

चाहते हैं कि यह अवधारणा करने के लिए कोई कठोर सूत्र नहीं है कि क्या अभियोक्त्री द्वारा मैथुन किए जाने के लिए स्वैच्छिक सहमति दी गई थी यह भ्रांतिजन्य तथ्य के रूप में दी गई है । अंतिम रूप से विश्लेषण करने पर न्यायालयों द्वारा अधिकथित कसौटियां सहमति के प्रश्न पर विचार करते समय न्यायिक विवेक को एक अच्छा मार्गदर्शन मुहैया करती है किंतु न्यायालय को अलग-अलग मामलों में अपने समक्ष प्रकट हुए साक्ष्य तथा चारों ओर की परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए । यह निष्कर्ष निकालने से पूर्व प्रत्येक मामले के स्वयं के विशिष्ट तथ्यों पर भी विचार करना चाहिए जिस पर इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए कि क्या सहमति स्वैच्छिक थी या तथ्य की गलतफहमी के अंतर्गत की गई थी । मुझे तथ्य को ध्यान में रखते हुए साक्ष्य को भी महत्व देना चाहिए कि अभियोजन पक्ष पर यह भार है कि अपराध के अलग-अलग और प्रत्येक संघटक को साबित करे जबकि उन दोनों के बीच में से एक की सहमति का अभाव रहा हो ।"

8. **दिलीप सिंह** उर्फ **दिलीप कुमार** बनाम **बिहार राज्य**[1] वाले मामले में उच्चतम न्यायालय ने **उदय सिंह** (उपरोक्त) वाले मामले के पैरा 21 का उल्लेख किया है और यह अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :–

"उदय वाले मामले के सम्पूर्ण निर्णय का परिशीलन करने पर हम यह नहीं समझ पाए कि न्यायालय ने व्यापक प्रतिपादना अधिकथित की है कि विवाह करने के लिए कोई वचन कभी भी तथ्य की गलतफहमी की कोटि में नहीं आ सकता है । हमारी समझ से यह विनिश्चय का विनिश्चयाधार नहीं है । वास्तव में, उस मामले में विनिर्दिष्ट निष्कर्ष निकाला गया था कि प्रारंभतः अभियुक्त का आशय विवाह करने का था इस बात की अनदेखी नहीं की जा सकती है ।"

उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है जो इस प्रकार है :–

"कि क्या अभियोक्त्री द्वारा दी गई मौन सहमति उसके विवेक में प्रकट भ्रांति का परिणाम थी, उसके विवेक में यह बात प्रकट हुई थी कि अभियुक्त का आशय उससे विवाह करने का था ? इन प्रश्नों का साक्ष्य के विश्लेषण करने पर उत्तर दिया जाना चाहिए । संबद्ध प्रश्न से अंतिम प्रश्न इस प्रकार उद्भूत हुआ है कि क्या विवाह के लिए वचन यदि अभियुक्त द्वारा दिया गया था जिसे अति प्रारंभ से उसकी

[1] (2005) 1 एस. सी. सी. 88.

जानकारी में मिथ्या होना प्रकट है और उसका कभी भी ऐसा कार्य किए जाने का आशय नहीं था । जैसाकि इस न्यायालय द्वारा उदय वाले मामले में इंगित किया गया है तब अभियोजन पक्ष पर यह साबित करने का भार था कि मामले में सहमति का अभाव था । निःसंदेह स्थिति भिन्न है यदि साक्ष्य अधिनियम की धारा 114-क के अधीन मामला आता है । सहमति या उसका अभाव उपस्थित परिस्थितियों से एकत्रित की जा सकती है । पूर्ववर्ती या समकालीन कार्य या पश्चात्वर्ती आचरण वैध रूप से दिशानिर्देश दे सकते हैं ।"

9. **श्री गोपाल चौहान** बनाम **श्रीमती सत्या**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया जो इस प्रकार है :–

"जहां तक धारा 420 का संबंध है परिवादी ने यह अभिकथन किया है कि आवेदक का प्रारंभ से आशय उसका शारीरिक शोषण करना था और इसलिए, धोखे से यह अभ्यास करना कि वह उसके प्रति स्नेह दर्शित किया करता था और कई बार उसने उसके साथ मैथुन भी किया था । यदि ये अभिकथन सत्य हैं तब यह नहीं कहा जा सकता है कि यह मामला धोखे का कभी भी नहीं रहा होगा ।"

10. वर्तमान मामले के तथ्यों पर विचार किया गया । यह अभिकथन किया गया है कि अभियुक्त ने सर्वप्रथम अभियोक्त्री से विवाह करने के लिए मिथ्या वचन देकर उसकी सहमति प्राप्त की । अभियुक्त ने जानबूझकर यह प्रतिनिवेदन किया कि अभियोक्त्री से विवाह का आशय प्रकट किए बिना उसकी सहमति लेनी चाही । यदि वह विवाह करने का कोई वचन नहीं देता है तो अभियोक्त्री ने मैथुन किए जाने के लिए अपनी सहमति नहीं दी होगी । अभियुक्त ने मैथुन और धन प्राप्त करने के लिए अभियोक्त्री की सहमति धोखे से प्राप्त की होगी । अभियुक्त ने धोखे से उससे विवाह करने के लिए लगभग 11,00,000/- रुपए ले लिए और अभियोक्त्री से मिथ्या संबंध बनाने के लिए उससे धन लिया था । अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ कपट किया था । अभियोक्त्री के बच्चे नयन शर्मा और अंकित शर्मा तथा अभियोक्त्री के भाई नरेन्द्र शर्मा का दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन कथन से अभियोक्त्री के अभियुक्त के साथ संबंध उपदर्शित हुए हैं । अभियोक्त्री का अनूप शर्मा के साथ विवाह हुआ था जिसकी मृत्यु वर्ष 1998 में हुई थी ।

---

[1] 1978 आई. एल. आर. (एच. पी.) 694.

11. न्यायालयिक प्रयोगशाला ने यह रिपोर्ट दी है कि मानव वीर्य प्रदर्श आईबी पर पता चला था । परंतु उक्त प्रदर्श पर रक्त का पता नहीं चल पाया था । **दिलीप सिंह** उर्फ **दिलीप कुमार** (उपरोक्त) वाले मामले के अनुसार कि क्या अभियोक्त्री द्वारा मौन सहमति दी गई थी जो उसके विवेक में यह भ्रांति की परिणाम थी कि अभियुक्त उससे विवाह करने का आशय रखता है, इस बात का साक्ष्य का विश्लेषण करने पर उत्तर मिलता है । **उदय** (उपरोक्त) वाले मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया गया कि न्यायालय को प्रत्येक मामले में किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले चारों ओर की परिस्थितियों और साक्ष्य पर विचार करना चाहिए क्योंकि हर मामले के अपने विशिष्ट तथ्य होते हैं जिनपर ऐसा प्रश्न उद्भूत हो सकता है कि क्या सहमति स्वैच्छिक थी या किसी तथ्य की भ्रांति के कारण दी गई थी ।

12. आवेदक ने यह दलील दी कि दंड संहिता की धारा 376 और 493 के अधीन आरोप वैध रूप से तर्कसंगत नहीं है और सार रहित भी है । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में अभियोक्त्री ने यह अभिकथन किया है कि उसे कुनाल पाथरी मंदिर पर ले जाया गया था जहां देवी के समक्ष अभियुक्त ने उससे विवाह करने का वचन दिया था । प्रथम इत्तिला रिपोर्ट में यह कथन किया गया है कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री के साथ कपट किया तथा विधिपूर्ण विवाह का विश्वास दिलाते हुए उसे सहवास करने के लिए प्रेरित किया । अतः, यह नहीं कहा जा सकता है कि दंड संहिता की धारा 376 और धारा 493 के अधीन प्रथमदृष्ट्या आरोप तर्कसंगत नहीं है ।

13. **मोहम्मद इब्राहिम और अन्य** बनाम **बिहार राज्य और एक अन्य**[1] वाले मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि दांडिक न्यायालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके समक्ष प्रकट हुई कार्यवाहियां उन विषयों को तय करने के लिए प्रयोग में नहीं ली जाती हैं या पक्षकारों को सिविल विवाद तय करने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है । किंतु उस समय यह भी उल्लेख किया जाना चाहिए कि सिविल प्रकृति के कई विवादों में दांडिक अपराधों के संघटक भी अंतर्विष्ट हो सकते हैं और यदि ऐसा है तो उनका दांडिक अपराधों के रूप में विचारण किया जाएगा । यद्यपि, वे सिविल विवादों की कोटि में भी आते हैं । आवेदक के विद्वान्

[1] (2009) 8 एस. सी. सी. 751.

काउंसेल की दलील यह है कि आवेदक और परिवादी के बीच विवाद सिविल प्रकृति का है और इसलिए, दंड संहिता की धारा 420 और 406 के अधीन आरोप तर्कसंगत नहीं है और उनमें कोई बल नहीं है ।

14. अभियोजन पक्ष आवेदक के लिए दोषसिद्धि को सुनिश्चित करने के आरोप साबित करेगा । विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने तारीख 3 मई, 2012 को दंड संहिता की धारा 376, 420, 406 और 493 के अधीन आवेदक के विरुद्ध आरोप विरचित करके कोई अवैधता नहीं बरती है । पुनरीक्षण आवेदन में कोई सार नहीं है और इसे खारिज किया जाता है । पुनरीक्षण आवेदन के खारिज किए जाने को ध्यान में रखते हुए 2012 का दांडिक प्रकीर्ण आवेदन सं. 687 का निपटारा भी किया जाता है ।

पुनरीक्षण आवेदन खारिज किया गया ।

आर्य

---

**(2013) 1 दा. नि. प. 161** **हिमाचल प्रदेश**

## करन उर्फ आरिफ मोहम्मद और एक अन्य

बनाम

## हिमाचल प्रदेश राज्य

तारीख 6 सितम्बर, 2012

**न्यायमूर्ति आर. बी. मिश्रा और न्यायमूर्ति वी. के. शर्मा**

**दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) – धारा 376, 506 और 34 [सपठित साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114-क] – सामूहिक बलात्संग और आपराधिक अभित्रास – अभियुक्तों द्वारा अप्राप्तवय अभियोक्त्री के मुंह पर कपड़ा डालकर उसे अचेत करके बारी-बारी बलात्संग किया जाना – बलात्संग की बात किसी व्यक्ति को न बताने के लिए उसे डराना-धमकाना – अभियोक्त्री द्वारा बलात्संग की बात अपने पिता और चिकित्सीय परीक्षण के समय चिकित्सक के समक्ष प्रकट करना – चिकित्सीय रिपोर्ट से भी बलात्संग की पुष्टि होना – यह सिद्ध होने पर कि अभियुक्तों द्वारा अभियोक्त्री के साथ बलात्संग उसकी सम्मति के बिना**

**किया गया तथा अभियोक्त्री का कथन विश्वसनीय पाए जाने और चिकित्सीय साक्ष्य तथा अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य से संपुष्टि होने पर अभियुक्तों की दोषसिद्धि उचित और न्यायोचित है ।**

मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि के अनुसार विपदग्रस्त/अभियोक्त्री (नाम नहीं दिया गया है) जब अपने पिता की दुकान से लौट रही थी, तब करन **उर्फ** आरिफ (सिद्धदोष/अपीलार्थी) उसे उनकी सीढ़ियों पर मिला और उसने विपदग्रस्त/अभियोक्त्री से कहा कि उसे उसकी सहेली बुला रही है । वह उसके साथ चली गई, किंतु कोई नहीं मिला । तथापि, सिद्धदोष/अपीलार्थी द्वारा उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे पकड़ लिया गया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा । एक अन्य सिद्धदोष/अपीलार्थी करन सिंह भी उसके साथ मिल गया । विपदग्रस्त/अभियोक्त्री को एक कमरे में ले जाया गया, जहां दोनों सिद्धदोष/अपीलार्थियों अर्थात् करन **उर्फ** आरिफ और करन सिंह द्वारा बारी-बारी से उसका यौन उत्पीड़न किया गया । सुबह जब उसे होश आया तो दोनों अभियुक्तों ने उसे धमकी देते हुए कहा कि यदि उसने किसी व्यक्ति को घटना के बारे में बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और वे उस पर तेजाब फेंक देंगे तथा उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर देंगे । विपदग्रस्त/अभियोक्त्री अपने घर गई और कपड़े बदलकर विद्यालय चली गई । दिन के समय विपदग्रस्त/अभियोक्त्री को विद्यालय से उसके पिता द्वारा विद्यालय के प्राधिकारियों से छुट्टी लेकर लाया गया, तथापि, विपदग्रस्त/अभियोक्त्री ने घर में प्रवेश नहीं किया और अपना विद्यालय का थैला फेंककर भाग गई तथा निकटवर्ती स्थान पर एक खाली पड़े मकान में रात बिताई । अगले दिन विपदग्रस्त/अभियोक्त्री संजौली में अपनी बहिन के घर गई और वहां से उसके जीजा द्वारा उसे उसके घर लाया गया । उस समय भी उसने घर में प्रवेश नहीं किया और बाहर चली गई । इस प्रकार उसने चार दिन उस खाली पड़े मकान में बिताए और जब भी उसने अपने घर आने की कोशिश की तो सिद्धदोष/अपीलार्थियों द्वारा उसे धमकाया गया । विपदग्रस्त/अभियोक्त्री तारीख 11 मई, 2006 को संजौली बाजार गई और वहां पर वह अपने भाई से मिली और उसके भाई ने अपने पिता को सूचित किया और पिता पुलिस को साथ लेकर आया तथा विपदग्रस्त को अपने घर लाया । विपदग्रस्त के पिता के बार-बार पूछताछ करने पर उसने तारीख 12 मई, 2006 को घटना को उजागर कर दिया । तद्नुसार, पुलिस थाना, पूर्वी शिमला में इस संदर्भ में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई । विपदग्रस्त/अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया । विपदग्रस्त ने

चिकित्सा अधिकारी को बताया कि उसके साथ दो लड़कों (अपीलार्थियों) द्वारा बलात्संग किया गया है । पुलिस ने मामले का अन्वेषण किया और आरोप पत्र प्रस्तुत किया । विचारण न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 376 और 506 के अधीन दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया । अभियुक्तों द्वारा व्यथित होकर उच्च न्यायालय में अपील फाइल की गई । उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए,

**अभिनिर्धारित** – सिद्धदोष/अपीलार्थियों की ओर से दी गई दलीलों तथा राज्य की ओर से दी गई विरोधी दलीलों को दृष्टिगत करते हुए, न्यायालय के सुविचारित मत में अभि. सा. 8 (कमलजीत सिंह, प्राध्यापक) द्वारा प्रकट की गई विपदग्रस्त/अभियोक्त्री की जन्म की तारीख 9 अप्रैल, 1993 के रूप में अविश्वसनीय मानने का कोई कारण नहीं है, जबकि चिकित्सा रिपोर्ट से भी यह संपुष्टि होती है कि विपदग्रस्त/अभियोक्त्री की आयु किसी भी दशा में 16 वर्ष से ऊपर नहीं थी । इसलिए न्यायालय के सुविचारित मत में, विपदग्रस्त/अभियोक्त्री घटना के समय अप्राप्तवय थी । विपदग्रस्त/अभियोक्त्री की आयु को दृष्टिगत करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा उसके परिसाक्ष्य को अभिलिखित करते समय ठीक ही शपथ नहीं दिलाई गई थी क्योंकि न्यायालय ने उसे बाल साक्षी के रूप में माना था । सिद्धदोष/अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल और राज्य की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अपर महाधिवक्ता को सुनने और चिकित्सीय साक्ष्य तथा अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् न्यायालय का यह सुनिश्चित मत है कि तारीख 4 मई, 2006 को विपदग्रस्त/अभियोक्त्री, जो एक अप्राप्तवय लड़की थी, पर नज़र (ताक़) रखी गई थी और उसके मुंह पर एक कपड़ा ढक दिया गया था और उसके बाद वह बेहोश हो गई और उसे एक कमरे में ले जाया गया, जहां सिद्धदोष/अपीलार्थियों द्वारा उसके साथ बारी-बारी से बलात्संग किया गया । विपदग्रस्त/अभियोक्त्री भय, शर्म, आघात के कारण और मानसिक दबाव में चार दिनों तक एक खाली पड़े मकान में छिपी रही, तथापि, जांच-पड़ताल करने पर उसने चिकित्सा अधिकारी को घटना उजागर कर दी और चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार भी यौन उत्पीड़न की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है । न्यायालय ने यह भी अवेक्षा की है कि विपदग्रस्त/अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य विश्वसनीय है, इसलिए विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा दोनों सिद्धदोष/अपीलार्थियों को सामूहिक बलात्संग करने के लिए भारतीय दंड संहिता की

धारा 34 के साथ पठित धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए तथा सिद्धदोष/अपीलार्थियों द्वारा विपदग्रस्त को विनिर्दिष्ट रूप से यह कहते हुए कि यदि उसने किसी व्यक्ति को घटना के बारे में बताया तो उस पर और उसके परिवार के सदस्यों पर तेजाब फेंक कर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 506 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए ठीक ही दोषी पाया गया है । न्यायालय दोनों सिद्धदोष/अपीलार्थियों को पूर्वोक्त अपराधों के लिए दोषसिद्ध करने और उन्हें दस वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 5,000/- (पांच हजार) रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का और कारावास भोगने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 506 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए दो वर्ष का कठोर कारावास भोगने के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाता है । (पैरा 18, 24, 25 और 26)

## निर्दिष्ट निर्णय

| | | पैरा |
|---|---|---|
| [2011] | (2011) 2 एस. सी. सी. 550 : **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **छोटे लाल** ; | 22 |
| [2010] | (2010) 8 एस. सी. सी. 191 : **विजय एलियास चाइनी** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य** ; | 23 |
| [2008] | (2008) 8 एस. सी. सी. 38 : **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **गजानन हेमंत जनार्धन वानखेड़े** ; | 17 |
| [2006] | (2006) 9 एस. सी. सी. 787 : **ओम प्रकाश** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य** ; | 21 |
| [2005] | 2005 हि. प्र. ला जर्नल 179 : **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **ओम प्रकाश और एक अन्य** ; | 16 |
| [2002] | (2002) 10 एस. सी. सी. 743 : **सुधांशु शेखर साहू** बनाम **उड़ीसा राज्य** । | 16 |

**अपीली (दांडिक) अधिकारिता : 2007 की दांडिक अपील सं. 35.**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 के अधीन अपील ।

**अपीलार्थियों की ओर से** श्री सत्येन वैद्य

**प्रत्यर्थी की ओर से** सर्वश्री आर. के. शर्मा, ज्येष्ठ अपर महाधिवक्ता और जे. एस. राणा, सहायक महाधिवक्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति आर. बी. मिश्रा ने दिया ।

**न्या. मिश्रा** – सिद्धदोष व्यक्तियों/अपीलार्थियों द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 374 के अधीन यह अपील 2006 के सेशन मामला सं. 6-एस/7 में विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, शिमला द्वारा तारीख 27 दिसम्बर, 2006 को पारित किए गए उस निर्णय के विरुद्ध फाइल की गई है, जिसके द्वारा सिद्धदोष/अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 376 और धारा 506 के अधीन दोषी ठहराया गया है और दोनों सिद्धदोष/अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 376 के अधीन दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को दस वर्ष का कठोर कारावास भोगने और पांच हजार रुपए के जुर्माने का संदाय करने का दंडादेश दिया गया है और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर प्रत्येक सिद्धदोष/अपीलार्थी एक-एक वर्ष का और कारावास भोगेगा । विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश ने दोनों सिद्धदोष/अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 506 के अधीन भी दो वर्ष का कठोर कारावास भोगने का दंडादेश दिया है और यह मत व्यक्त किया है कि दोनों दंडादेश साथ-साथ चलेंगे ।

2. वर्तमान दांडिक अपील का न्यायनिर्णयन करने के लिए मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि का उल्लेख करना आवश्यक है । विपदग्रस्त/अभियोक्त्री (नाम नहीं दिया गया है) जब अपने पिता की दुकान से लौट रही थी, तब करन **उर्फ** आरिफ (सिद्धदोष/अपीलार्थी) उसे उनकी सीढ़ियों पर मिला और उसने विपदग्रस्त/अभियोक्त्री से कहा कि उसे उसकी सहेली बुला रही है । वह उसके साथ चली गई, किंतु कोई नहीं मिला । तथापि, सिद्धदोष/अपीलार्थी द्वारा उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे पकड़ लिया गया और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा । एक अन्य सिद्धदोष/अपीलार्थी करन सिंह भी उसके साथ मिल गया । विपदग्रस्त/अभियोक्त्री को कमला नेहरू अस्पताल, शिमला के निकट एक मेडीकल स्टोर के नीचे स्थित एक कमरे में ले जाया गया, जहां दोनों सिद्धदोष/अपीलार्थियों अर्थात्

करन **उर्फ** आरिफ और करन सिंह द्वारा बारी-बारी से उसका यौन उत्पीड़न किया गया । सुबह के लगभग 5.00 बजे जब उसे होश आया तो दोनों अभियुक्तों ने उसे धमकी देते हुए कहा कि यदि उसने किसी व्यक्ति को घटना के बारे में बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और वे उस पर तेजाब फेंक देंगे तथा उसके परिवार के सदस्यों की हत्या कर देंगे । तथापि, विपदग्रस्त/अभियोक्त्री अपने घर गई और कपड़े बदलकर विद्यालय चली गई । दिन के समय विपदग्रस्त/अभियोक्त्री को विद्यालय से उसके पिता द्वारा विद्यालय के प्राधिकारियों से छुट्टी लेकर लाया गया, तथापि, विपदग्रस्त/अभियोक्त्री ने घर में प्रवेश नहीं किया और अपना विद्यालय का थैला फेंककर भाग गई तथा निकटवर्ती स्थान पर टिम्बर हाउस के निकट एक खाली पड़े मकान में रात बिताई । अगले दिन विपदग्रस्त/अभियोक्त्री संजौली में अपनी बहिन के घर गई और वहां से उसके जीजा द्वारा उसे उसके घर लाया गया । उस समय भी उसने घर में प्रवेश नहीं किया और बाहर चली गई । इस प्रकार उसने चार दिन अर्थात् तारीख 6, 7, 8 और 9 मई, 2006, उस खाली पड़े मकान में बिताए और जब भी उसने अपने घर आने की कोशिश की तो सिद्धदोष/अपीलार्थियों द्वारा उसे धमकाया गया । विपदग्रस्त/अभियोक्त्री तारीख 11 मई, 2006 को संजौली बाजार गई और वहां पर वह अपने भाई से मिली और उसके भाई ने अपने पिता को सूचित किया और पिता पुलिस को साथ लेकर आया तथा विपदग्रस्त को अपने घर लाया । विपदग्रस्त के पिता के बार-बार पूछताछ करने पर उसने तारीख 12 मई, 2006 को घटना को उजागर कर दिया । तद्नुसार, पुलिस थाना, पूर्वी शिमला में इस संदर्भ में एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई । तारीख 12 मई, 2006 की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट सं. 102/06 रजिस्ट्रीकृत की गई । विपदग्रस्त/अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया । पुलिस ने मामले का अन्वेषण किया और आरोप पत्र प्रस्तुत किया ।

3. अभियोजन पक्ष ने अपने पक्षकथन को साबित करने के लिए कुल 15 साक्षियों की परीक्षा कराई, जबकि अभियुक्तों-प्रत्यर्थियों ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अधीन किए गए अपने कथनों द्वारा अभियोजन के पक्षकथन से इनकार किया ।

4. अभि. सा. 1 (डा. अंबिका चौहान) ने तारीख 12 मई, 2006 को जब विपदग्रस्त/अभियोक्त्री का चिकित्सीय परीक्षण किया तो उसने यह प्रकट किया कि उसके साथ दो लड़कों द्वारा तारीख 4 मई, 2006 को बलात्संग किया गया था, तथापि, अभि. सा. 1 ने विपदग्रस्त/अभियोक्त्री के

शरीर पर कोई बाह्य क्षति नहीं पाई और केवल योनिच्छद ही फटा हुआ पाया । उसने योनि से स्राव के फोए लिए और जघन बाल कटे और संवरे थे । उसने चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र, पीडब्ल्यू-1/ए जारी किया । विकिरण विज्ञान संबंधी आयु के अनुसार विपदग्रस्त/अभियोक्त्री की आयु 15 से 16½ वर्ष के बीच और उसकी दंत संबंधी आयु 12 से 15 वर्ष के बीच अवधारित की गई, जबकि अभि. सा. 14 डा. संजीव शर्मा, चिकित्सा अधिकारी (दंत) ने विपदग्रस्त/अभियोक्त्री का परीक्षण करने पर उसकी आयु 12 से 15 वर्ष के बीच अवधारित की ।

5. अभि. सा. 4 डा. नीरज मित्तल ने यह कथन किया कि डा. अम्बिका चौहान ने विपदग्रस्त/अभियोक्त्री को उसकी आयु का अवधारण करने के लिए रेफर किया था । परीक्षण करने के पश्चात् उसकी आयु 15 से 16½ वर्ष के बीच अवधारित की गई थी, तथापि, अभि. सा. 1 डा. अम्बिका चौहान ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह राय व्यक्त की है कि यौन उत्पीड़न की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है ।

6. अभि. सा. 2/विपदग्रस्त/अभियोक्त्री ने अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन करते हुए यह कथन किया कि वह तारीख 4 मई, 2006 को अपराह्न में लगभग 8.30 बजे सामान लेने के लिए अपने पिता की दुकान पर गई थी और जब वह सामान लिए बिना ही वापस आ रही थी और जब वह अपने मकान की सीढ़ियों पर पहुंची तो पानी की टंकी के निकट उसका सामना करन **उर्फ** आरिफ (सिद्धदोष/अपीलार्थी) से हुआ और उसने यह बताया कि कोई लड़की ऊपर खड़ी है और उसे बुला रही है । विपदग्रस्त/अभियोक्त्री उस तरफ गई किंतु कोई नहीं पाया । इसी बीच, आरिफ ने उसे उसकी बांहों से पकड़ लिया और उसका मुंह दबा लिया तथा उसे कहा कि चुपचाप उसके साथ चले अन्यथा वह देख लेगा । तथापि, अंधेरे में उसे यहां-वहां ले जाया गया । विपदग्रस्त/अभियोक्त्री को पूजा केमिस्ट शॉप के नीचे खिड़की से कमरे में ले जाया गया और उसके हाथ बांध दिए गए । दोनों अभियुक्तों द्वारा बारी-बारी से यौन उत्पीड़न किया गया । उसके बाद वह बेहोश हो गई और वहां पर सारी रात चारपाई पर पड़ी रही । पूर्वाह्न में लगभग 5.00 बजे जब उसे होश आया, तो दोनों सिद्धदोष/अपीलार्थी वहां मौजूद थे और यह धमकी दी कि यदि उसने घटना के बारे में घर में किसी व्यक्ति से बताया तो वे उस पर तेजाब फेंक देंगे और उसके परिवार के सदस्यों की भी हत्या कर देंगे । लगभग पांच मिनट के पश्चात् जब विपदग्रस्त/अभियोक्त्री कमरे से बाहर आई तो उसे अपना

मकान खुला पाया । वह अपने मकान के अंदर गई, विद्यालय की वर्दी पहनी और विद्यालय चली गई, जहां वह तनावग्रस्त रही । तथापि, उसका पिता उसकी माता की बीमारी के आधार पर उसे विद्यालय से ले गया । घर लौटते समय जब वह अपने मकान के दरवाजे की अंतिम सीढ़ी पर पहुंची तो उसके पिता ने पूछा कि वह रात्रि में कहां रही थी, किंतु भयवश उसने अपना थैला फेंका और बाहर चली गई तथा टिम्बर हाउस के निकट एक खाली पड़े मकान में रात बिताई ।

7. विपदग्रस्त/अभियोक्त्री तारीख 6 मई, 2006 को संजौली में अपनी बहिन के घर गई । उसके जीजा द्वारा वहां आने के बारे में पूछने पर उसने उजागर किया कि वह नाराज होकर अपने घर से आई है । तथापि, वह अपने जीजा के साथ अपने घर वापस आ गई । जब वह अपने घर में प्रवेश करने वाली ही थी, तो उसने सोचा कि यदि उसे स्पष्टीकरण देने के लिए कहा गया तो वह क्या स्पष्टीकरण देगी । इस वजह से वह घर से चली गई और एक खाली पड़े मकान में तीन दिन बिताए । वह तारीख 10 मई, 2006 को संजौली बाजार गई, जहां वह अपने भाई से मिली, किंतु वहां से उसे उसकी बहिन के घर ले जाया गया । यह पूछने पर कि वह उनके पास से क्यों भाग गई थी, उसने कुछ नहीं बताया । उसके भाई द्वारा उसकी मौजूदगी की सूचना दूरभाष पर पिता को दी गई । विपदग्रस्त/अभियोक्त्री का पिता पुलिस के साथ वहां आया और विपदग्रस्त को ले गया । तारीख 11 मई, 2006 को उसने कुछ उजागर नहीं किया, किंतु सायंकाल में जब उसका पिता दुकान बंद करके घर आया तो उसके पूछताछ करने पर विपदग्रस्त/अभियोक्त्री ने उसे सारी घटना बताई । उसके पश्चात् तारीख 12 मई, 2006 को उसे पुलिस थाना पूर्व, छोटा शिमला ले जाया गया । थाना अधिकारी को एक आवेदन, प्रदर्श पीडब्ल्यू-2/ए दिया गया । विपदग्रस्त/अभियोक्त्री को चिकित्सीय परीक्षण के लिए भेजा गया और चिकित्सा विधिक प्रमाणपत्र, प्रदर्श पीडब्ल्यू-1/ए अभिप्राप्त किया गया तथा उसे एक्स-रे परीक्षण कराने के लिए भी भेजा गया । तारीख 13 मई, 2006 को उसने पुलिस को घटनास्थल दिखाया । पुलिस ने चादर अभिगृहीत की और इसे प्रदर्श पीडब्ल्यू-2/बी द्वारा 'बी' मुद्रा से मुहरबंद किया ।

8. अभि. सा. 2 ने आगे प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि वह सिद्धदोष/अपीलार्थियों को पिछले एक वर्ष से जानती है क्योंकि वे उनकी दुकान पर आते रहते थे और उसकी माता के पास बैठते थे । तथापि, अभि.

सा. 2 ने घटना का विस्तार से उल्लेख करते हुए मुख्य परीक्षा में किए गए अपने इस कथन को दोहराया कि उसे यह जानकारी नहीं है कि उसे रात्रि में 1.00 बजे तक कहां ले जाया गया था । तारीख 4 मई, 2006 को उसके मुंह पर कपड़ा डालने के लगभग तीन मिनट पश्चात् वह अचेत हो गई थी और जब उसने कमरे में प्रवेश किया तो उसने यह नहीं देखा था कि खिड़की की ग्रिल कटी हुई थी या नहीं । सिद्धदोष/अपीलार्थी आरिफ द्वारा उसके साथ लगभग 15 से 20 मिनट तक बलात्संग किया गया था और सिद्धदोष/अपीलार्थी करन द्वारा लगभग 15 से 20 मिनट बलात्संग किया गया था । उसे अपने गुप्तांग में दर्द महसूस हुआ था और प्रवेशन भी अनुभव किया था, तथापि, रक्तस्राव नहीं हुआ था । विपदग्रस्त पूर्वाह्न में लगभग 5.00 बजे कमरे से बाहर आई और अपने घर गई तथा पूर्वाह्न में लगभग 7.00 बजे वह विद्यालय चली गई, जो लगभग 15 मिनट की दूरी पर स्थित था । उसने इस बात से इनकार किया कि तारीख 4 मई, 2006 को विद्यालय से घर आते समय वह एक यान में मनोज के साथ भाग गई थी ।

9. अभि. सा. 3/मोहम्मद यासीन, विपदग्रस्त/अभियोक्त्री के पिता ने यह कथन किया है कि तारीख 4 मई, 2006 को अपराह्न में लगभग 9.00 बजे विपदग्रस्त/अभियोक्त्री दुकान पर आई थी, किंतु वापस चली गई थी । तथापि, अपराह्न में लगभग 10.00 बजे घर पहुंचने पर अपनी पत्नी से पूछने पर उसे यह बताया गया कि विपदग्रस्त दुकान से वापस नहीं आई है । रात्रि में तलाश की गई, किंतु कुछ पता नहीं चला । अगले दिन भगत सिंह ने उसे बताया कि विपदग्रस्त/अभियोक्त्री सिद्धदोष/अपीलार्थियों के साथ देखी गई थी । विपदग्रस्त भाग रही थी और सिद्धदोष/अपीलार्थियों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था । भगत राम ने अभि. सा. 3 से यह भी बताया कि सिद्धदोष/अपीलार्थी आरिफ को उसके द्वारा पुकारा गया था और पूछने पर उसने कुछ नहीं कहा । अभि. सा. 3 ने आगे यह कथन किया है कि वह विपदग्रस्त/अभियोक्त्री के विद्यालय में गया था और उसे घर लाने की कोशिश की, किंतु जैसे ही वह मकान के दरवाजे के निकट पहुंची, उसने अपना थैला फेंका और भाग गई । परिवार के सदस्य उसे ढूंढते रहे, किंतु उसका पता नहीं चला । तारीख 11 मई, 2006 को जब उसके पुत्र ने इस साक्षी को टेलीफोन किया तो वह वहां पुलिस कार्मिकों को ले गया और विपदग्रस्त/अभियोक्त्री को संजौली से वापस लाया । अभि. सा. 3 ने पुलिस थाना, छोटा शिमला में विपदग्रस्त/अभियोक्त्री की

गुमशुदगी की रिपोर्ट, जो 'ए' के रूप में चिन्हित है, दर्ज कराई थी । तारीख 11 मई, 2006 को पूछताछ करने पर विपदग्रस्त/अभियोक्त्री ने अभि. सा. 3 को संपूर्ण घटना बताई । अभि. सा. 3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि तारीख 9 मई, 2006 से पूर्व मामले की रिपोर्ट नहीं की गई थी । अभि. सा. 3 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया है कि वह पिछले 6-7 वर्ष से एक दुकान चला रहा है और उसने ऐसा कोई कथन नहीं किया था कि उसकी पुत्री (विपदग्रस्त/अभियोक्त्री) पिछले एक वर्ष से उसके नियंत्रण में नहीं है । तथापि, प्रदर्श पीडब्ल्यू-10/ए में ए से ए के रूप में चिन्हित उसके कथन से उसका सामना कराया, जहां पर इस प्रकार अभिलिखित किया गया है । अभि. सा. 3 ने यह भी दोहराया कि भगत सिंह ने उसे यह बताया था कि तारीख 4 मई, 2006 को रात्रि में लगभग 11-12 बजे विपदग्रस्त/अभियोक्त्री भाग रही थी और सिद्धदोष/अपीलार्थियों द्वारा उसका पीछा किया जा रहा था । उसने यह सब अस्पताल के मैदान में देखा था । अभि. सा. 3 ने यह भी कथन किया है कि उसने तारीख 9 मई, 2006 को पुलिस को रिपोर्ट करते समय इस घटना के बारे में नहीं बताया था क्योंकि सिद्धदोष/अपीलार्थी आरिफ से विपदग्रस्त/अभियोक्त्री का विवाह करने की बात हुई थी । अभि. सा. 3 ने यह बात स्वीकार की है कि ऐसा इसलिए किया गया था ताकि बात आगे न बढ़ने पाए । सिद्धदोष/अपीलार्थी आरिफ ने विवाह के प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसने यह कहा कि न तो वह इसमें अंतर्वलित है और न ही विपदग्रस्त/अभियोक्त्री को जानता है । अभि. सा. 3 ने आगे यह कथन किया है कि विपदग्रस्त/अभियोक्त्री पहली कक्षा से ही पोर्टमोर विद्यालय में पढ़ रही थी और उसने वहां पर विपदग्रस्त/अभियोक्त्री की जन्म की तारीख अभिलिखित कराई है और शायद प्रवास प्रमाणपत्र विद्यालय प्राधिकारियों द्वारा लिया गया था । प्रवास प्रमाणपत्र में अभियोक्त्री की जन्म की तारीख नहीं लिखी है, किंतु इस साक्षी की डायरी में उसकी जन्म की तारीख लिखी है ।

10. अभि. सा. 5/मोहम्मद ऐवी लून ने यह कथन किया कि विपदग्रस्त/अभियोक्त्री उसकी साली है और विपदग्रस्त उसे तारीख 6 मई, 2006 को संजौली में मिली थी और उसे उसके माता-पिता के घर ले जाया गया था ।

11. अभि. सा. 6/मोहम्मद अमीन, विपदग्रस्त/अभियोक्त्री का भाई विपदग्रस्त को तारीख 11 जुलाई, 2007 को संजौली में मिला था और वहां

से अभि. सा. 6 ने अपने पिता को टेलीफोन किया था और पिता पुलिस के साथ वहां आया था और विपदग्रस्त/अभियोक्त्री को वापस घर लाया था तथा तारीख 12 जुलाई, 2006 को सवेरे विपदग्रस्त/अभियोक्त्री ने यह बताया कि उसके साथ दो लड़कों द्वारा बलात्संग किया गया था और पहले विपदग्रस्त/अभियोक्त्री ने कुछ उजागर नहीं किया था क्योंकि वह डरी हुई थी ।

12. अभि. सा. 7/हरीश सूद, केमिस्ट शॉप के मालिक ने यह कथन किया कि तारीख 13 और 14 मई, 2006 के बीच विपदग्रस्त/अभियोक्त्री पुलिस के साथ उसकी दुकान पर आई थी और पुलिस ने कमरे से एक चादर अभिगृहीत की थी और उसने बरामदगी ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे । तथापि, अभि. सा. 7 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि उस कमरे की ग्रिल टूटी हुई नहीं थी जहां अभिकथित घटना घटी थी ।

13. अभि. सा. 8/कमलजीत सिंह ने राजकीय बालिका वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, पोर्टमोर, शिमला की प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करते हुए विद्यालय द्वारा बनाए रखे गए दाखिला और विद्यालय छोड़ने के रजिस्टर के आधार पर यह प्रकट करते हुए प्रमाणपत्र, प्रदर्श पीडब्ल्यू-8/ए जारी किया था कि विपदग्रस्त/अभियोक्त्री की जन्म की तारीख 9 अप्रैल, 1993 है ।

14. अभि. सा. 9/डा. रविन्द्र मोक्ता ने दोनों सिद्धदोष व्यक्तियों/अपीलार्थियों का चिकित्सीय परीक्षण किया था और उन्हें मैथुन करने के लिए समर्थ पाया था । अभि. सा. 9/कांस्टेबल रूप सिंह ने यह कथन किया है कि उसने सम्यक् रूप से मुहरबंद पांच पैकेट न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, जुंगा में जमा किए थे । अभि. सा. 10 (हैड कांस्टेबल शिव कुमार) ने यह कथन किया है कि उसने तारीख 9 मई, 2006 को विपदग्रस्त/अभियोक्त्री की गुमशुदगी की रिपोर्ट, प्रदर्श पीडब्ल्यू-10/ए अभिलिखित की थी । अभि. सा. 11/निरीक्षक अशोक कुमार वर्मा और अभि. सा. 12/निरीक्षक के. डी. शर्मा ने उनको शासकीय हैसियत में सौंपी गई भूमिका की सीमा तक अभियोजन के पक्षकथन का समर्थन किया ।

15. अभि. सा. 13/सहायक उप निरीक्षक योद्धा राम ने यह कथन किया है कि तारीख 13 मई, 2006 को विपदग्रस्त/अभियोक्त्री ने उसे घटनास्थल दिखाया था और तद्नुसार उसने स्थल नक्शा, प्रदर्श पीडब्ल्यू-13/ए तैयार किया था और उसमें एक भवन और ऊपरी भाग पर एक

केमिस्ट शॉप तथा भूतल पर दो कमरे उपदर्शित किए थे । कमरे बाहर से बंद थे और खिड़की पर कोई ग्रिल नहीं थी, किंतु नीचे के भाग से जाली उखड़ी हुई पाई थी । चौखट पर शीशा नहीं लगा था । खिड़की 2½ फुट चौड़ी और 1.9 इंच ऊंची थी और खिड़की से एक व्यक्ति अंदर जा सकता था और बाहर आ सकता था । अभि. सा. 7/हरीश सूद, कमरे का मालिक वहां पर था और उसने खिड़की की हालत देखी थी । कमरे में बिस्तरे सहित डबल बैड था । चादर, प्रदर्श पी-1, प्रदर्श पीडब्ल्यू-2/बी द्वारा अभिगृहीत की गई थी और ज्ञापन पर हरीश सूद और विपदग्रस्त/अभियोक्त्री द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे । तथापि, अभि. सा. 13 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कथन किया कि हरीश सूद के भवन से कई रास्ते जाते हैं । जाली 95 प्रतिशत उखड़ी हुई थी । अभि. सा. 13 ने कोई टूटा हुआ शीशा नहीं देखा था । खिड़की भूमि के तल से साढ़े तीन फुट की ऊंचाई पर थी । अभि. सा. 13 ने खिड़की से प्रवेश करने और बाहर आने के बारे में पुष्टि करने के लिए मोक कवायद संचालित की थी । नाग देव, हैड कांस्टेबल ने मोक कवायद की थी, तथापि, मोक कवायद के बारे में कोई कथन अभिलिखित नहीं किया गया था । अभि. सा. 13 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे यह कथन किया कि विपदग्रस्त/अभियोक्त्री के बयान के अनुसार वह तारीख 4 मई, 2006 को अपने मकान पर गई थी और अपने मकान का दरवाजा खुला हुआ पाया था और उसके पश्चात् वह तारीख 5 मई, 2006 को विद्यालय गई थी । विपदग्रस्त/अभियोक्त्री तारीख 5 मई, 2006 को संजौली में अपनी बहिन के घर गई थी और उसे उसका जीजा संजौली से लाया था । अभि. सा. 13 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में आगे यह कथन किया कि विपदग्रस्त/अभियोक्त्री द्वारा दिए गए बयान के अनुसार उसने तारीख 6 मई, 2006 से 9/10 मई, 2006 तक खाली पड़े मकान में समय बिताया था किंतु इस साक्षी ने उस मकान को दर्शित करते हुए स्थल नक्शा नहीं बनाया था । अभि. सा. 13 ने विपदग्रस्त से यह जांच-पड़ताल की थी कि क्या उसने शोर मचाने का प्रयास किया था या नहीं, किंतु उसने उत्तर नहीं दिया ।

16. सिद्धदोष/अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल ने निम्नलिखित दलीलें दीं :–

(i) **सुधांशु शेखर साहू** बनाम **उड़ीसा राज्य**[1] वाले मामले में

[1] (2002) 10 एस. सी. सी. 743.

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय, जिसमें यह मत व्यक्त किया गया है कि विपदग्रस्त का एकमात्र साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार बन सकता है बशर्ते वह साक्ष्य सुरक्षित, विश्वसनीय, स्वीकार्य और यह धारणा करने के लिए युक्तियुक्त हो कि कोई स्त्री किसी व्यक्ति को लैंगिक अपराध में मिथ्या रूप से नहीं फंसाएगी क्योंकि इससे उस स्त्री का सम्मान और प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी होगी, तथापि, अभियोजन पक्ष का साक्ष्य सटीक और भरोसेमंद होना चाहिए और यदि कोई समर्थनकारी सामग्री उपलब्ध होना संभाव्य है, तब प्रज्ञा के नियम की यह अपेक्षा है कि विपदग्रस्त का साक्ष्य ऐसी संपुष्टिकारी सामग्री से समर्थित हो, को दृष्टिगत करते हुए विपदग्रस्त/अभियोक्त्री का कथन डांवाडोल और अविश्वसनीय है और इसलिए भरोसेमंद नहीं है । विद्वान् काउंसेल ने **हिमाचल प्रदेश राज्य** बनाम **ओम प्रकाश और एक अन्य**[1] वाले मामले को भी निर्दिष्ट किया है ।

(ii) विपदग्रस्त/अभियोक्त्री की आयु 16 वर्ष से ऊपर थी, क्योंकि अभि. सा. 1 (डा. अम्बिका चौहान) ने विकिरण चिकित्सा विज्ञानी की रिपोर्ट के आधार पर विपदग्रस्त/अभियोक्त्री की आयु 15 से 16½ वर्ष इंगित की थी ।

(iii) अभि. सा. 3 (मोहम्मद यासीन, विपदग्रस्त/अभियोक्त्री का पिता) विपदग्रस्त/अभियोक्त्री की सही आयु नहीं दे सका था और प्रदर्श पीडब्ल्यू-8/ए में दी गई जन्म की तारीख में उसकी जन्म की तारीख 9 अप्रैल, 1993 दर्शायी गई है, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है और इसलिए विपदग्रस्त/अभियोक्त्री सुसंगत समय पर सभी अधिसंभाव्यताओं में 16 वर्ष से ऊपर थी ।

(iv) तारीख 4 मई, 2006 की घटना की प्रथम इत्तिला रिपोर्ट तारीख 11 मई, 2006 को अर्थात् आठ दिन के विलंब के पश्चात् दर्ज कराई गई थी और कोई युक्तियुक्त स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, जिससे अभियोजन का वृत्तांत अविश्वसनीय हो जाता है ।

17. दूसरी ओर, विद्वान् ज्येष्ठ अपर महाधिवक्ता, श्री आर. के. शर्मा ने यह दलील दी कि प्रथम बार तारीख 12 मई, 2006 को जब विपदग्रस्त/अभियोक्त्री को चिकित्सीय परीक्षण के लिए ले जाया गया था

---

[1] 2005 हि. प्र. ला जर्नल 179.

तो उसने चिकित्सा अधिकारी को स्वाभाविक अनुक्रम में यह बताया था कि उसकी आयु 13 वर्ष है, इसलिए विद्यालय के अभिलेख के अनुसार 9 अप्रैल, 1993 के रूप में अभिलिखित उसकी जन्म की तारीख, जैसा कि अभि. सा. 8 (कमलजीत सिंह, विद्यालय की प्राध्यापक) द्वारा उल्लेख किया गया है, पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह नहीं कहा जा सकता है कि उसका भिन्न तारीख देने के लिए कोई विद्वेष या बुरा हेतु था । श्री शर्मा ने यह भी दलील दी कि अभि. सा. 1/डा. अम्बिका चौहान ने स्वयं यह पाया था कि दंत शल्य-विशेषज्ञ की रिपोर्ट के अनुसार विपदग्रस्त/अभियोक्त्री की आयु 12 से 15 वर्ष के बीच थी और अभि. सा. 1 ने यह भी उल्लेख किया था कि चिकित्सीय परीक्षण के समय विकिरण चिकित्सा विज्ञानी की वैज्ञानिक विश्लेषण पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार अभियोक्त्री की आयु 13 वर्ष थी, इसलिए विपदग्रस्त की आयु 16 वर्ष से ऊपर नहीं कही जा सकती है । श्री शर्मा के अनुसार, विकिरण चिकित्सा विज्ञानी की एकमात्र रिपोर्ट को, जिसमें विपदग्रस्त/अभियोक्त्री की आयु 15 से 16½ वर्ष के बीच इंगित की गई है, विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है । श्री शर्मा ने आगे यह दलील दी कि विपदग्रस्त/अभिभोक्त्री सातवीं कक्षा में पढ़ रही थी और तनिक संदेह के बिना यह धारणा की जा सकती है कि सातवीं कक्षा में पढ़ते हुए उसकी आयु 16 वर्ष से अधिक होगी और इस प्रयोजन के लिए श्री शर्मा ने **महाराष्ट्र राज्य** बनाम **गजानन हेमंत जनार्धन वानखेड़े**[1] वाले मामले को निर्दिष्ट किया है और अवलंब लिया है, जिसमें विपदग्रस्त/अभियोक्त्री की जन्म की तारीख के संबंध में विद्यालय के मुख्याध्यापक के साक्ष्य के साक्ष्यिक महत्व को विश्वसनीय माना गया है । सुसंगत पैराग्राफ नीचे उद्धृत किए जाते हैं :–

> "निर्विवाद रूप से, विद्यालय के अभिलेख से विपदग्रस्त की जन्म की तारीख 4 जून, 2006 प्रकट होती है । यह स्थिति विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र (प्रदर्श 25) और विद्यालय के रजिस्टर से इंगित होती है । उच्च न्यायालय ने यह उल्लेख किया है कि विद्यालय के रजिस्टर में जन्म की तारीख 4 मई, 1976 इंगित है । उच्च न्यायालय ने यह भी पाया है कि विपदग्रस्त के पिता ने यह कथन किया है कि लड़की 14 वर्ष की थी । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि जन्म की सही तारीख अभिलिखित नहीं है और केवल विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र से यह इंगित होता है कि विपदग्रस्त की जन्म की

[1] (2008) 8 एस. सी. सी. 38.

तारीख 4 मई, 1976 है । साक्षियों के साक्ष्य से यह उपदर्शित होता है कि प्रविष्टि जन्म-पत्री के आधार पर की गई थी । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि चूंकि जन्म-पत्री प्रस्तुत नहीं की गई, इसलिए अभियोजन अपने पक्षकथन को सिद्ध करने में असफल रहा । प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्य अर्थात् विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र और विद्यालय के रजिस्टर को त्यक्त करने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कोई कारण उपदर्शित नहीं किए गए हैं ।

13. विद्यालय के मुख्याध्यापक ने भी विचारण न्यायालय के समक्ष अभिसाक्ष्य दिया था और अभिलेख प्रस्तुत किया था । उच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि विद्यालय के रजिस्टर में प्रविष्टि मुख्याध्यापक के हस्तलेख में नहीं थी और वह जन्म की तारीख के बारे में अभिसाक्ष्य नहीं दे सकता था । उच्च न्यायालय के पास यह निष्कर्ष निकालने के लिए कोई आधार नहीं था कि प्रविष्टि को संदेह के परे नहीं कहा जा सकता है । मुख्याध्यापक के साक्ष्य और विद्यालय छोड़ने के प्रमाणपत्र तथा विद्यालय के रजिस्टर, जो प्रस्तुत किए गए थे, के आधार पर उच्च न्यायालय इस असंगत निष्कर्ष पर पहुंचा कि संरक्षक सामान्यतः अपने बच्चों को विद्यालय में दाखिल करने के समय आयु विभिन्न कारणों से कम बताते हैं । इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई सामग्री या आधार नहीं है । उच्च न्यायालय को किसी प्रतिकूल साक्ष्य के अभाव में यह अभिनिर्धारित नहीं करना चाहिए था कि अभियोक्त्री की जन्म की तारीख सिद्ध नहीं हुई है और विद्यालय छोड़ने का प्रमाणपत्र और विद्यालय का रजिस्टर निश्चायक नहीं हैं ।

14. दिलचस्प रूप से, विपदग्रस्त से प्रतिपरीक्षा में जन्म की तारीख के बारे में कोई प्रश्न नहीं किया गया था । उच्च न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया है कि दाखिले के समय कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था तथा एक जन्म-पत्री तात्पर्यित रूप से प्रस्तुत की गई थी । यह आवश्यक नहीं है कि दाखिले के समय विद्यार्थी की आयु के बारे में दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए । व्यवहारिक रूप से, अभिलेख के साक्ष्य का कोई विश्लेषण नहीं किया गया है और अधिकांश निष्कर्ष अनुमान के आधार पर निकाले गए हैं । अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि उच्च न्यायालय का निर्णय असंधार्य है और अपास्त किया जाना चाहिए जिसके लिए हम निदेश देते हैं । प्रत्यर्थी शेष

दंडादेश भोगने के लिए अभिरक्षा में अभ्यर्पण करेगा ।"

18. सिद्धदोष/अपीलार्थियों की ओर से दी गई दलीलों तथा राज्य की ओर से दी गई विरोधी दलीलों को दृष्टिगत करते हुए, हमारे सुविचारित मत में अभि. सा. 8 (कमलजीत सिंह, प्राध्यापक) द्वारा प्रकट की गई विपदग्रस्त/अभियोक्त्री की जन्म की तारीख 9 अप्रैल, 1993 के रूप में अविश्वसनीय मानने का कोई कारण नहीं है, जबकि चिकित्सा रिपोर्ट से भी यह संपुष्टि होती है कि विपदग्रस्त/अभियोक्त्री की आयु किसी भी दशा में 16 वर्ष से ऊपर नहीं थी । इसलिए हमारे सुविचारित मत में, विपदग्रस्त/ अभियोक्त्री घटना के समय अप्राप्तवय थी । विपदग्रस्त/ अभियोक्त्री की आयु को दृष्टिगत करते हुए विचारण न्यायालय द्वारा उसके परिसाक्ष्य को अभिलिखित करते समय ठीक ही शपथ नहीं दिलाई गई थी क्योंकि न्यायालय ने उसे बाल साक्षी के रूप में माना था ।

19. श्री शर्मा ने यह भी दलील दी है कि अभि. सा. 2/विपदग्रस्त/ अभियोक्त्री ने बहुत ही स्वाभाविक रीति में तथ्यों को उजागर किया है तथा वह भयवश और यौन उत्पीड़न के कलंक से अपने घर तथा जनता को अपना मुंह दिखाने योग्य नहीं थी और इस कारण वह अपने को छिपाती रही और खाली पड़े मकान में चार दिन बिताए । मानसिक सदमे में होने के कारण उसने भयवश और सिद्धदोष/अपीलार्थियों के इस डर के कारण कि उस पर और उसके परिवार के सदस्यों पर तेजाब फेंक दिया जाएगा, किसी व्यक्ति को घटना उजागर नहीं की । हमारे सुविचारित मत में, हम श्री शर्मा की दलीलों में बल पाते हैं । विपदग्रस्त/अभियोक्त्री अपनी बहिन के घर गई थी और वहां भी उसने कुछ प्रकट नहीं किया और तारीख 11 मई, 2006 को उसके भाई द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना पर उसका पिता पुलिस को साथ लेकर आया और उसके बाद ही उसने केवल अपने पिता को संपूर्ण घटना उजागर की और इन विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में तारीख 12 मई, 2006 को प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दर्ज की गई । इसलिए एक अप्राप्तवय के यौन उत्पीड़न की घटना में ऐसा विलंब घातक नहीं है ।

20. श्री शर्मा ने इस बात से भी सहमति जताई कि अभि. सा. 2 (विपदग्रस्त/अभियोक्त्री) के अभिकथित ड्राइवर मनोज के साथ प्रेम संबंध नहीं थे । तारीख 4 मई, 2006 को दोनों सिद्धदोष/अपीलार्थियों द्वारा विपदग्रस्त/अभियोक्त्री को उसके मुंह पर कपड़ा ढककर अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया और बाद में उसे एक कमरे में ले जाया गया, जहां उनके द्वारा बारी-बारी उसका यौन उत्पीड़न किया गया और उसके

पश्चात् तारीख 5 मई, 2006 को विपदग्रस्त/अभियोक्त्री कमरे से बाहर आई और उसने अपने जीवन और अपने परिवार के सदस्यों के जीवन के प्रति खतरे की आशंका से किसी व्यक्ति को कुछ नहीं बताया और स्वयं को छिपाने की कोशिश की । यह पहलू एक अप्राप्तवय लड़की को पहुंचे मानसिक आघात को इंगित करता है जिसका यौन उत्पीड़न किया गया था । उसने चिकित्सा अधिकारी को चिकित्सीय परीक्षण के समय बहुत ही स्वाभाविक रीति में संपूर्ण घटना को उजागर किया था । इसलिए विपदग्रस्त/अभियोक्त्री (अभि. सा. 2) का संपूर्ण परिसाक्ष्य विश्वसनीय है, इतना ही नहीं उसके परिसाक्ष्य का समर्थन अभि. सा. 3/विपदग्रस्त के पिता, अभि. सा. 6/मोहम्मद अमीन और चिकित्सीय राय द्वारा किया गया है ।

21. इस बिंदु पर पक्षकारों के विद्वान् काउंसेलों को सुनने के पश्चात् हम श्री शर्मा द्वारा निर्दिष्ट **ओम प्रकाश** बनाम **उत्तर प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में विपदग्रस्त/अभियोक्त्री के परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं पाते हैं जिसमें पैराग्राफ 13 में बहुत स्पष्ट रूप से यह मत व्यक्त किया गया है :–

> "यह स्थिर विधि है कि यौन उत्पीड़न की शिकार को सह-अपराधी के रूप में नहीं माना जाता है और इसलिए उसके साक्ष्य की संपुष्टि डाक्टर के साक्ष्य सहित किसी अन्य साक्ष्य से कराने की आवश्यकता नहीं होती है । किसी मामले में यदि डाक्टर, जिसने विपदग्रस्त का परीक्षण किया, बलात्संग का चिह्न नहीं पाता है, तो यह बात अभियोक्त्री के एकमात्र परिसाक्ष्य पर अविश्वास करने का आधार है । सामान्यतः यौन उत्पीड़न की शिकार ऐसे अपराध को यहां तक अपने परिवार के सदस्यों के समक्ष भी प्रकट करना नहीं चाहती है, जनता या पुलिस के समक्ष तो दूर की बात है । भारतीय स्त्री की प्रवृत्ति ऐसे अपराध को छिपाने की रहती है क्योंकि इसमें उसकी और उसके परिवार की प्रतिष्ठा अंतर्वलित होती है । केवल कुछ मामलों में ही विपदग्रस्त लड़की या परिवार के सदस्य पुलिस थाने जाने और मामला दर्ज कराने का साहस करते हैं । प्रस्तुत मामले में प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से दिया गया यह सुझाव कि विपदग्रस्त ने अभियुक्त को

---

[1] (2006) 9 एस. सी. सी. 787.

मिथ्या रूप से फंसाया है, तर्कसंगत नहीं है । ऐसा कोई स्पष्ट कारण नहीं है कि एक विवाहित स्त्री स्वयं की प्रतिष्ठा और सम्मान को नष्ट करके अभियुक्त को मिथ्या रूप से फंसाएगी ।"

22. श्री शर्मा ने **उत्तर प्रदेश राज्य** बनाम **छोटे लाल**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय को भी निर्दिष्ट किया और उसका अवलंब लिया । सुसंगत पैराग्राफ 26, 27 और 28 नीचे उद्धृत किए जाते हैं :–

"आवश्यक बात जो न्यायालय को ध्यान में रखनी चाहिए, यह है कि बलात्संग के अपराध की शिकार किसी स्त्री द्वारा जो गंवाया जाता है वह है उसकी प्रतिष्ठा । अपराध की शिकार स्त्री का एक व्यक्ति के रूप में महत्व खो जाता है । हमारा समाज एक रूढ़िवादी समाज है और इसलिए कोई स्त्री, विशेषकर नौजवान विवाहित स्त्री जबरदस्ती किए गए यौन उत्पीड़न के बारे में मिथ्या रूप से अभिकथन करके अपनी प्रतिष्ठा को खतरे में नहीं डालेगी । न्यायालयों को अभियोक्त्री के साक्ष्य की परीक्षा करने में भारतीय समाज में प्रचलित दशाओं के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अन्य देशों की विचारधारा के साथ नहीं बहना चाहिए । न्यायालयों को यौन उत्पीड़न की शिकार स्त्री की पीड़ा के प्रति संवेदनशील और संवेदनापूर्ण होना चाहिए । समाज की सोच और मूल्यों को मस्तिष्क में सर्वोपरि रखा जाना आवश्यक है क्योंकि बलात्संग स्त्री के दमन का सबसे खराब रूप है । जबरदस्ती यौन उत्पीड़न विपदग्रस्त के जीवन में अपमान, घृणा की भावना, अत्यधिक उलझन, शर्मिंदगी का भाव, आघात और जीवन-पर्यंत का भावनात्मक दाग छोड़ जाता है और इसीलिए किसी स्त्री, विशेषकर नौजवान स्त्री, के लिए किसी व्यक्ति को बलात्संग के अपराध में मिथ्या रूप से आलिप्त करना अत्यधिक असंभाव्य बात है । भारतीय समाज में बलात्संग की शिकार स्त्री पर लगने वाले कलंक की बात सामान्यतः मिथ्या अभ्यारोपण करने की बात को नकारती है । कोई भारतीय स्त्री प्रथागत रूप से असत्य कहानी गढ़ना नहीं चाहेगी और भयादोहन, घृणा, द्वेष और प्रतिशोध के प्रयोजन के लिए बलात्संग का आरोप नहीं लगाएगी ।

27. इस न्यायालय ने बारम्बार मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित

---

[1] (2011) 2 एस. सी. सी. 550.

किए हैं कि न्यायालय द्वारा बलात्संग के अपराध में अभियोक्त्री के साक्ष्य का मूल्यांकन कैसे किया जाना चाहिए । भरवाड़ा भोगिनभाई हीरजीभाई **बनाम** गुजरात राज्य [1983] 4 उम. नि. प. 43 = (1983) 3 एस. सी. सी. 217 वाले मामले में की गई मताभिव्यक्तियों का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है क्योंकि हमारे मत में किसी बलात्संग के मामले पर विचार करते समय इन्हें निरपवाद रूप से ध्यान में रखा जाना आवश्यक है । इन न्यायालय ने निम्नलिखित मत व्यक्त किया है :–

> "9. भारतीय परिवेश में, नियम के तौर पर, संपुष्टि के अभाव में लैंगिक हमले की शिकार के परिसाक्ष्य के आधार पर कार्य करने से इनकार करना जले पर नमक छिड़कने के समान है । ऐसी लड़की या स्त्री के, जो कि बलात्संग या लैंगिक उत्पीड़न विषयक परिवाद करती है, साक्ष्य को ऐसी दृष्टि से क्यों देखा जाए जिसमें संदेह, अविश्वास या शंका का पुट हो? ऐसा करना पुरुष प्रधान समाज में पुरुष उन्माद के आरोप को न्यायोचित ठहराना है । हमें संपुष्टि की आवश्यकता के समर्थन में प्रस्तुत दलील का विश्लेषण करना चाहिए और उसकी गहराई से तथा कठोर प्रति-परीक्षा करनी चाहिए । और हमें ऐसा भारत की धरती पर अपने पांव मजबूती के साथ रखकर और अपनी दृष्टि भारतीय क्षितिज पर केन्द्रित करके अधिसंभाव्यताओं की रोशनी में तर्कसंगत दृष्टि से न कि हठी दृष्टि से करना चाहिए । हमें पश्चिमी देशों में अपनाए गए दृष्टिकोण के साथ बह नहीं जाना चाहिए, जिनकी अपनी सामाजिक स्थिति है, अपनी सामाजिक नीति है, अपने अनुज्ञात्मक मूल्य हैं और जिनकी अपनी ही जीवन आचार-विधि है । पश्चिमी देशों के सामाजिक परिवेश-शास्त्र के परिप्रेक्ष्य में यौन अपराध को सिद्ध करने के लिए संपुष्टि को आवश्यक समझा जा सकता है । भारतीय समाज के भिन्न वातावरण, चिंतन-शैली, लोक नीति, बाह्य स्वरूप की पूरी तरह से उपेक्षा करते हुए भारत की धरती पर उक्त संकल्पना को उसी आधार पर अपनाना और उसे स्थान देना पूर्णतः अनावश्यक है । दोनों संसारों की अनन्यताएं भिन्न हैं । अतः इन समस्याओं का हल भी समान नहीं हो सकता ।"

28. इस न्यायालय ने भरवाड़ा वाले मामले में आगे यह मत व्यक्त

किया है :–

"10. अधिक विस्तृत कथन करने या इस मामले को बढ़ा-चढ़ाकर प्रस्तुत करने के भय के बिना यह कहा जा सकता है कि भारत में मुश्किल से ही कोई लड़की या स्त्री ऐसी किसी बात के कारण, जो अभी-अभी बताई गई हैं, लैंगिक हमले के मिथ्या अभिकथन करेगी । यह कथन सामान्य तौर पर शहरी तथा ग्रामीण समाज के संदर्भ में सत्य है । मोटे तौर से, सुसंस्कृत, जो इतने सुसंस्कृत नहीं है और असंस्कृत समाज के संदर्भ में यह बात सत्य है । यह बात समझ में आने वाली है कि इस मामले के सम्बन्ध में एक या दो अपवाद मुश्किल से ही मिलते हैं और वह भी संभवतः शहरी विशिष्ट वर्ग के बीच में । इसका कारण यह है कि –

(1) भारत के परम्परावादी समाज और ऐसे समाज की लड़की या स्त्री, जिसमें पर-पुरुष/पर-नारी गमन की स्वतंत्रता नहीं होती, इतना मानने में भी बुरी तरह से झिझकेगी कि ऐसी कोई घटना जिसका प्रभाव उसकी पवित्रता पर पड़ना संभाव्य है, कभी भी घटी थी ।

(2) वह इस खतरे के प्रति सदैव सचेत रहेगी कि वह समाजच्युत हो सकती है या समाज जिसमें उसके कुटुम्ब के सदस्य, नातेदार, मित्र और पड़ोसी शामिल हैं, उसे बुरी दृष्टि से देख सकता है ।

(3) उसे सम्पूर्ण संसार का सामना करना होगा ।

(4) उसे यह जोखिम भी उठाना होगा कि उसका पति और नातेदार तथा उसके ससुराल में उसके प्रति प्रेम और सम्मान कम हो जाएगा और उसका सुख चूर-चूर हो जाएगा ।

(5) यदि वह अविवाहित है तो उसे इस बात का भय रहेगा कि किसी सम्माननीय और स्वीकार्य कुटुम्ब के उपयुक्त वर से विवाह करना कठिन होगा ।

(6) उसके परिणामस्वरूप निश्चित रूप से और लगभग किसी संदेह के बिना उसे स्वयं मानसिक यंत्रणा और पीड़ा सहनी पड़ेगी ।

(7) उसके मन में सदैव इस बात का भय बना रहेगा कि

दूसरे लोग उस पर ताना कसेंगे ।

(8) उसे अन्य लोगों से उस घटना के सम्बन्ध में बताने में बड़ी उलझन होगी और परम्परावादी समाज में उसका पालन-पोषण होने के कारण वह शर्म से गड़ जाएगी, जहां कि मोटे तौर से यौन-भाव निषिद्ध है ।

(9) प्राकृतिक रुझान उस घटना का प्रचार करने से बचना होगा कि कहीं ऐसा न हो कि कुटुम्ब का नाम और सम्मान विवाद का विषय न बन जाए ।

(10) अविवाहित लड़की के माता-पिता तथा विवाहित स्त्री के पति भी और पति के कुटुम्ब के सदस्य भी कुटुम्ब के नाम और सम्मान पर सामाजिक धब्बा लगने के भय के कारण प्रायः उसका प्रचार करने से बचना चाहते हैं ।

(11) यह भय कि स्वयं घटनाग्रस्त व्यक्ति के बारे में कहीं यह नहीं समझ लिया जाए कि वह असंयमी थी या किसी प्रकार से उसकी मासूमियत का ध्यान न रखते हुए वह उस घटना के लिए जिम्मेदार थी ।

(12) अन्वेषण करने वाले अधिकरण द्वारा किए जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने, न्यायालय का सामना करने, अपराधी के काउंसेल द्वारा प्रति-परीक्षा का उत्तर देने में महसूस होने वाली झिझक और यह जोखिम कि उस पर अविश्वास किया जाएगा, भयोपरक कार्य हैं ।'

23. श्री शर्मा ने आगे यह दलील दी है कि वर्तमान तथ्यों और परिस्थितियों में भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराधों के लिए आरोपित दोनों सिद्धदोष/अपीलार्थी धारा 376(2)(छ) के अधीन दंडनीय अपराध के लिए दंडित किए जाने के लिए दायी हैं । श्री शर्मा ने यह भी दलील दी है कि **विजय एलियास चाइनी** बनाम **मध्य प्रदेश राज्य**[1] वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय को दृष्टिगत करते हुए दोनों सिद्धदोष/अपीलार्थियों की दोषसिद्धि विपदग्रस्त/अभियोक्त्री के एकमात्र साक्ष्य के आधार पर न्यायोचित है, क्योंकि विपदग्रस्त का परिसाक्ष्य भरोसेमंद तथा विश्वसनीय है और इसलिए

[1] (2010) 8 एस. सी. सी. 191.

इसकी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है । आगे यह भी दलील दी गई है कि अभि. सा. 2 (विपदग्रस्त) ने मैथुन के लिए सम्मति नहीं दी थी और दोनों सिद्धदोष/अपीलार्थियों द्वारा प्रश्नगत यौन उत्पीड़न उसकी इच्छा के विरुद्ध, इस तथ्य के बावजूद कि वह अप्राप्तवय थी, किया गया था । इसलिए साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114-क में उपबंधित विशेष उपबंध को दृष्टिगत करते हुए यह न्यायालय **विजय एलियास चाइनी** (उपरोक्त) वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के विनिश्चय को दृष्टिगत करते हुए यह उपधारणा करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी । पैरा 37 सुसंगत होने के कारण नीचे उद्धृत किया जाता है :–

> "साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114-क, जो वर्ष 1998 में संशोधन करके अंतःस्थापित की गई थी, के अधीन यह स्पष्ट और विनिर्दिष्ट उपबंध है कि जहां अभियुक्त द्वारा मैथुन करना साबित हो जाता है और प्रश्न यह है कि क्या वह उस स्त्री की सम्मति के बिना किया गया है जिससे बलात्संग किया जाना अभिकथित है और वह स्त्री, न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सम्मति नहीं दी थी, वहां न्यायालय यह उपधारित करेगा कि उसने सम्मति नहीं दी थी ।"

24. सिद्धदोष/अपीलार्थियों की ओर से विद्वान् काउंसेल और राज्य की ओर से विद्वान् ज्येष्ठ अपर महाधिवक्ता को सुनने और चिकित्सीय साक्ष्य तथा अभियोजन साक्षियों के साक्ष्य का परिशीलन करने के पश्चात् हमारा यह सुनिश्चित मत है कि तारीख 4 मई, 2006 को विपदग्रस्त/अभियोक्त्री, जो एक अप्राप्तवय लड़की थी, पर नज़र (ताक़) रखी गई थी और उसके मुंह पर एक कपड़ा ढक दिया गया था और उसके बाद वह बेहोश हो गई और उसे एक कमरे में ले जाया गया, जहां सिद्धदोष/अपीलार्थियों द्वारा उसके साथ बारी-बारी से बलात्संग किया गया । विपदग्रस्त/अभियोक्त्री भय, शर्म, आघात के कारण और मानसिक दबाव में चार दिनों तक एक खाली पड़े मकान में छिपी रही, तथापि, जांच-पड़ताल करने पर उसने चिकित्सा अधिकारी को घटना उजागर कर दी और चिकित्सा रिपोर्ट के अनुसार भी यौन उत्पीड़न की बात से इनकार नहीं किया जा सकता है ।

25. हमने यह भी अवेक्षा की है कि विपदग्रस्त/अभियोक्त्री का परिसाक्ष्य विश्वसनीय है, इसलिए विद्वान् अपर सेशन न्यायाधीश द्वारा दोनों सिद्धदोष/अपीलार्थियों को सामूहिक बलात्संग करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 376 के अधीन दंडनीय अपराध

के लिए तथा सिद्धदोष/अपीलार्थियों द्वारा विपदग्रस्त को विनिर्दिष्ट रूप से यह कहते हुए कि यदि उसने किसी व्यक्ति को घटना के बारे में बताया तो उस पर और उसके परिवार के सदस्यों पर तेजाब फेंक कर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 506 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए ठीक ही दोषी पाया गया है ।

26. हम दोनों सिद्धदोष/अपीलार्थियों को पूर्वोक्त अपराधों के लिए दोषसिद्ध करने और उन्हें दस वर्ष का कठोर कारावास भोगने और 5,000/- (पांच हजार) रुपए के जुर्माने का संदाय करने और जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम करने पर एक वर्ष का और कारावास भोगने तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित धारा 506 के अधीन दंडनीय अपराध करने के लिए दो वर्ष का कठोर कारावास भोगने के निर्णय में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं पाते हैं ।

27. हम दांडिक अपील में कोई गुणागुण नहीं पाते हैं, इसलिए यह अपील खारिज की जाती है ।

अपील खारिज की गई ।

जस.

संसद् के अधिनियम

# शपथ अधिनियम, 1969

**(1969 का अधिनियम संख्यांक 44)**[1]

**[26 दिसम्बर, 1969]**

**न्यायिक शपथों से संबंधित विधि का समेकन और संशोधन करने के लिए तथा कतिपय अन्य प्रयोजनों के लिए अधिनियम**

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम और विस्तार** – (1) यह अधिनियम शपथ अधिनियम, 1969 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है ।

2. **कतिपय शपथों और प्रतिज्ञानों की व्यावृत्ति** – इस अधिनियम की कोई बात सेना-न्यायालयों के समक्ष की कार्यवाहियों की या संघ के सशस्त्र बलों के सदस्यों की बाबत केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित शपथों, प्रतिज्ञानों या घोषणाओं को लागू नहीं होगी ।

3. **शपथ दिलाने की शक्ति** – (1) निम्नलिखित न्यायालयों और व्यक्तियों को यह शक्ति होगी कि विधि द्वारा उन पर अधिरोपित कर्तव्यों के निर्वहन में या उन्हें प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में, वे स्वयं, या धारा 6 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपने द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा शपथ दिलाए और प्रतिज्ञान कराए, अर्थात् :–

(क) सब न्यायालय और साक्ष्य लेने के लिए विधि-अनुसार या पक्षकारों की सम्मति से प्राधिकृत सब व्यक्ति ;

(ख) किसी ऐसे सैनिक, नौसैनिक या वायुसैनिक स्टेशन या

---

[1] यह अधिनियम सिक्किम राज्य पर तारीख 1-9-1984 से प्रवृत्त हुआ देखिए कानूनी आदेश 649(अ), तारीख 24-8-1984, भारत का राजपत्र, भाग 2, अनुभाग 3(ii) ।

पोत का, जो संघ के सशस्त्र बलों के अधिभोग में हो, कमान आफिसर, परंतु यह तब जब स्टेशन की सीमाओं के भीतर शपथ दिलाई जाए या प्रतिज्ञान कराया जाए ।

(2) उपधारा (1) द्वारा या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना यह है कि कोई भी न्यायालय, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट या व्यक्ति शपथ-पत्रों के प्रयोजन के लिए उस दशा में शपथ दिला और प्रतिज्ञान करा सकेगा जब उसे –

(क) न्यायिक कार्यवाहियों के प्रयोजन के लिए शपथ-पत्रों की बाबत, उच्च न्यायालय द्वारा ; अथवा

(ख) अन्य शपथ-पत्रों की बाबत, राज्य सरकार द्वारा,

इस निमित्त सशक्त किया गया हो ।

4. **साक्षियों, दुभाषियों और जूरी-सदस्यों द्वारा शपथ ली जाना या प्रतिज्ञान किया जाना** – (1) निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा शपथें ली जाएंगी या प्रतिज्ञान किए जाएंगे, अर्थात् :–

(क) सब साक्षी, अर्थात्, सब व्यक्ति, जो किसी न्यायालय द्वारा या उसके समक्ष अथवा ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा करने या साक्ष्य लेने के लिए विधि-अनुसार या पक्षकारों की सम्मति से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा उसके समक्ष विधिपूर्वक परीक्षित किए जा सकते हैं अथवा साक्ष्य दे सकते हैं या देने के लिए अपेक्षित किए जा सकते हैं ;

(ख) साक्षियों से किए गए प्रश्नों और उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य के दुभाषिए ; तथा

(ग) जूरी-सदस्य :

परंतु जहां साक्षी बारह वर्ष से कम आयु का बालक हो और उस न्यायालय या व्यक्ति को, जिसे उस साक्षी की परीक्षा करने का प्राधिकार हो, यह राय हो कि यद्यपि साक्षी सत्य बोलने के कर्तव्य को समझता है किन्तु वह शपथ या प्रतिज्ञान की प्रकृति को नहीं समझता वहां इस धारा के पूर्वगामी उपबंध और धारा 5 के उपबंध उस साक्षी को लागू नहीं होंगे ; किन्तु ऐसे किसी मामले में शपथ या प्रतिज्ञान का अभाव न तो किसी ऐसे साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य को अग्राह्य बनाएगा और न उस साक्षी की सत्य कथन करने की

बाध्यता पर प्रभाव डालेगा ।

(2) इस धारा की कोई बात किसी दांडिक कार्यवाही में अभियुक्त व्यक्ति को शपथ दिलाना या प्रतिज्ञान कराना तब के सिवाय विधिपूर्ण नहीं करेगी जब उसकी परीक्षा प्रतिरक्षा पक्ष के साक्षी के रूप में की जाए और न वह किसी न्यायालय के शासकीय दुभाषिए के अपने पद के कर्तव्यों का निष्पादन आरंभ कर चुकने के पश्चात् उसे यह शपथ दिलाना था प्रतिज्ञान कराना कि वह उन कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करेगा, आवश्यक बनाएगी ।

5. **प्रतिज्ञान करने की वांछा करने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिज्ञान** – साक्षी, दुभाषिए या जूरी-सदस्य शपथ लेने के बजाय प्रतिज्ञान कर सकेगा ।

6. **शपथ और प्रतिज्ञान के प्ररूप** – (1) धारा 4 के अधीन ली गई सभी शपथें और किए गए सब प्रतिज्ञान, अनुसूची में दिए गए प्ररूपों में से ऐसे किसी एक प्ररूप के अनुसार ली जाएगी या किए जाएंगे जो मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त हों :

परन्तु यदि किसी न्यायिक कार्यवाही में कोई साक्षी किसी ऐसे प्ररूप में शपथ या सत्यनिष्ठित प्रतिज्ञान पर साक्ष्य देने की वांछा करे जो उस वर्ग के, जिसका वह हो, व्यक्तियों में सामान्य हो या उनके द्वारा आबद्धकर समझा जाता हो तथा जो न तो न्याय या शिष्टता के विरुद्ध हो और न किसी पर-व्यक्ति पर प्रभाव डालने के लिए तात्पर्यित हो तो, इसमें इसके पूर्व किसी बात के होते हुए भी, न्यायालय, यदि वह ठीक समझे तो, उसे ऐसी शपथ या प्रतिज्ञान पर साक्ष्य देने की अनुज्ञा दे सकेगा ।

(2) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों से भिन्न सब न्यायालयों में ऐसी सब शपथें और प्रतिज्ञान न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं अथवा न्यायाधीशों या मजिस्ट्रेटों की न्यायपीठ की दशा में, यथास्थिति, उनमें से किसी एक न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा दिलाई जाएगी या कराए जाएंगे ।

7. **शपथ के लोप या अनियमितता से कार्यवाहियों और साक्ष्य का अविधिमान्य न होना** – शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने का कोई लोप, उनमें से किसी एक के स्थान पर दूसरे का कोई प्रतिस्थापन और किसी शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने में, या जिस रूप में उसे दिलाया या कराया जाए उसमें, कोई अनियमितता न तो किसी कार्यवाही को अविधिमान्य

बनाएगी और न किसी भी, ऐसे साक्ष्य को, जिसमें या जिसकी बाबत ऐसा लोप, प्रतिस्थापन या अनियमितता हुई हो, अग्राह्य बनाएगी और न वह साक्षी की सत्य कथन करने की बाध्यता पर ही प्रभाव डालेगी ।

8. **साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों का सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होना** – किसी न्यायालय या ऐसे व्यक्ति के समक्ष, जिसे शपथ दिलाने और प्रतिज्ञान कराने के लिए एतद्द्वारा प्राधिकृत किया गया है, किसी भी विषय पर साक्ष्य देने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस विषय पर सत्य कथन करने के लिए आबद्ध होगा ।

9. **निरसन और व्यावृत्ति** – (1) भारतीय शपथ अधिनियम, 1873 (1873 का 10) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) जहां इस अधिनियम के प्रारंभ पर लंबित किसी कार्यवाही में पक्षकारों ने किसी ऐसे शपथ या प्रतिज्ञान से आबद्ध रहने का करार किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 8 में विनिर्दिष्ट है, वहां उक्त अधिनियम के निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम की धारा 9 से 12 तक के उपबंध उस करार के संबंध में उसी तरह लागू बने रहेंगे मानो यह अधिनियम पारित न हुआ हो ।

## अनुसूची

(धारा 6 देखिए)

## शपथों या प्रतिज्ञानों के प्ररूप

प्ररूप सं.1 (साक्षी) :–

मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं जो कुछ कथन करूंगा वह सत्य होगा, सम्पूर्ण सत्य होगा और सत्य के सिवाय कुछ न होगा ।

प्ररूप सं. 2 (जूरी-सदस्य) :–

मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विचारण भली-भांति और सच्चाई से करूंगा और राज्य के और उस (उन) विचारणाधीन बन्दी (बन्दियों) के, जिसके (जिनके) विचारण का भार मुझ पर होगा, बीच सच्ची राय दूंगा और साक्ष्य के अनुसार सच्चा अधिमत दूंगा ।

प्ररूप सं. 3 (दुभाषिए) :–

मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं उन सब प्रश्नों का, जो साक्षियों से किए जाएंगे और उनके द्वारा दिए गए साक्ष्य का भली-भांति और सच्चाई के साथ भाषान्तर और स्पष्टीकरण करूंगा तथा अनुवाद के लिए मुझे दी गई सभी दस्तावेजों का ठीक-ठीक और शुद्ध अनुवाद करूंगा ।

प्ररूप सं. 4 (शपथ-पत्र) :–

मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं / सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि यह मेरा नाम और हस्ताक्षर (या चिन्ह) है और मेरे इस शपथ-पत्र की अन्तर्वस्तु सही है ।

———